वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार

कार्यकलापों का विवरण

2023-24

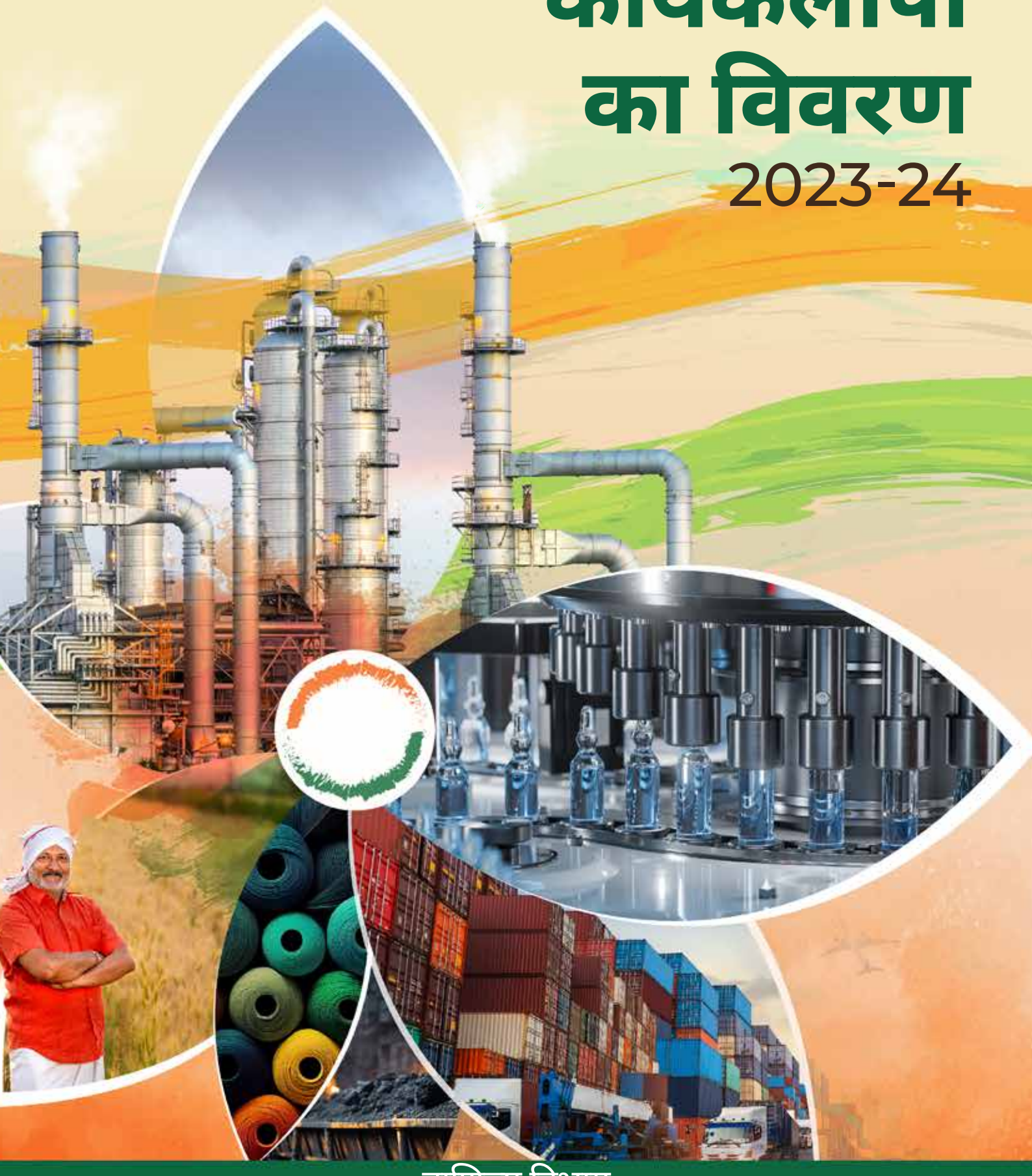

वाणिज्य विभाग

विषयसूची

सिंहावलोकन 03

1. संगठनात्मक संरचना और कार्य 06

2. वैश्विक आर्थिक और व्यापार स्थिति 18

3. भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां 22

4. विदेश व्यापार नीति, आयात निर्यात व्यापार और प्रमुख योजनाएँ 28

5. निर्यात संवर्धन तंत्र 42

6. वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन 61

7. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू) 86

8. विशेषीकृत एजेंसियाँ 94

9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजन के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम 131

10. पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधा और संबद्ध गतिविधियां 137

सिंहावलोकन

1. वैश्विक आर्थिक सिंहावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में आए कई झटकों के दीर्घकालीन प्रभावों से धीरे-धीरे उबर रही है। उबरने में विभिन्न कारकों से बाधा आ रही है, जिनमें महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन शामिल हैं। वैश्विक आर्थिक गतिविधि विशेषकर उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अभी भी अपने महामारी से पूर्व की स्थितियों से पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) अक्टूबर 2023 के अनुसार, कोविड-19 महामारी की स्थिति में शुरूआत में काफी सुधार आया, जिसके बाद रिकवरी की गति धीमी हो गई। वैश्विक विकास 2022 में 3.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3.0 प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत होने के अनुमान है। आईएमएफ का अनुमान 3.8 प्रतिशत के ऐतिहासिक (2000-19) औसत से नीचे है। उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विकास में मंदी अधिक देखी जा सकती है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का कुल उत्पादन 2022 में 2.6 प्रतिशत था जिसकी तुलना में 2023 में 1.5 प्रतिशत और 2024 में 1.4 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। इसके विपरीत, 'उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं' का कुल उत्पादन 2022 में 4.1 प्रतिशत था, जिसकी तुलना में 2023 और 2024 दोनों में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।

2. वैश्विक व्यापार

वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक जटिलता और अनिश्चितता वातावरण होने के साथ ही वैश्विक व्यापार कम हो गया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा 2022 में 3.0 प्रतिशत थी जिसकी तुलना में 2023 में 0.8 प्रतिशत और 2024 में 3.3 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। व्यापार मंदी का व्यापक आधार प्रतीत होता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें, अमेरिकी डॉलर में वृद्धि और भूराजनीतिक तनाव आदि सभी मंदी में योगदान दे रहे हैं। पूर्वानुमान में कई जोखिम हैं, जिनमें चीन में उम्मीद से अधिक तीव्र मंदी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का पुनरुत्थान शामिल है। व्यापार पैटर्न विभिन्न क्षेत्रों/देशों में अलग-अलग है। निर्यात के मामले में, उत्तरी अमेरिका में 2023 में 3.6 प्रतिशत इसके बाद स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) में 3.0 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। अफ्रीका को छोड़कर जहां निर्यात में 1.5 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है, अधिकांश अन्य क्षेत्रों में निर्यात में मामूली वृद्धि की उम्मीद है, । आयात के मामले में, सीआईएस में 25 प्रतिशत की महत्वपूर्ण आयात वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, इसके बाद मध्य पूर्व और अफ्रीका है। अन्य क्षेत्रों में मामूली गिरावट दिखाई देने की उम्मीद है।

3. भारत का पण्यवस्तु व्यापार

बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के पण्यवस्तु निर्यात में उल्लेखनीय प्रदर्शन दिखाई दिया है। महत्वपूर्ण वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, वर्ष 2022-23 में 451.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक पण्यवस्तु निर्यात किया गया। यह उपलब्धि विस्तृत कार्यनीति, सख्त मॉनिटरिंग और निर्यात संवर्धन उपायों के चलते प्राप्त की गई। अप्रैल-दिसंबर 2023 की अवधि में पण्यवस्तु निर्यात 317.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 336.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। पण्यवस्तु आयात 2022-23 में 715.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 में यह 613.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान आयात 505.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 548.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में (-)7.93 प्रतिशत कम है।

वर्ष 2022-23 में पण्यवस्तु व्यापार घाटा 264.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि वर्ष 2021-22 में यह घाटा 191.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान व्यापार घाटा 188.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान यह 212.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

4. भारत का सेवा व्यापार

भारत का सेवा व्यापार अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और बढ़ता योगदानकर्ता है। सेवा निर्यात वर्ष 2022-23 में समग्र निर्यात वृद्धि में अग्रणी रहा और 2021-22 (254.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 27.82 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 325.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया रिकॉर्ड बनाया। अप्रैल-दिसंबर 2023 (247.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के दौरान सेवा निर्यात में अप्रैल-दिसंबर 2022 (239.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 3.52 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

सेवा आयात वर्ष 2022-23 में 182.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 में 147.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 23.8 प्रतिशत की वृद्धि है। अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान सेवाओं का आयात 129.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 135.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसकी तुलना में 4.47 प्रतिशत की गिरावट आई है।

2022-23 में सेवा व्यापार में 143.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष सृजित हुआ। अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान सेवा व्यापार अधिशेष 118.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान यह 104.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

5. भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा की गई पहल

वाणिज्य विभाग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगातार कई उपाय कर रहा है। भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलें भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बताए गए आदर्शों, सिद्धांतों और नीतियों द्वारा निर्देशित हैं। भारत ने अपने केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2022-23 में 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया है। किए गए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं:

- नई विदेश व्यापार नीति 31 मार्च 2023 को लाई की गई थी और यह 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई, जिसमें भारत को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने और इसे एक विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार बनाने का खाका तैयार किया गया है। नई विदेश व्यापार नीति 2023 प्रोत्साहन-आधारित व्यवस्था से धीरे-धीरे अलग हो रहा है और 'आत्मनिर्भर भारत' तथा लोकल गोज ग्लोबल के सिद्धांत के समर्थन में सहायक व्यवस्था तैयार हो रही है।

- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं अर्थात, निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) और बाजार पहुँच पहल (एमएआई) योजना के माध्यम से सहायता प्रदान की गई।
- प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समानीकरण योजना को 2500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन के साथ 30 जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना निर्यातकों को उनके प्री और पोस्ट शिपमेंट रूपया निर्यात क्रेडिट पर बैंकों द्वारा ली जा रही ब्याज दरों में लाभ देने के लिए बनाई गई है।
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) जिसे 30 सितंबर 2023 तक अधिसूचित किया गया था, 30 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। योजना में उन करों, शुल्कों और लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए एक व्यवस्था है, जिन्हें वर्तमान में केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य व्यवस्था के तहत वापस नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसे निर्यातित उत्पादों के विनिर्माण और वितरण की प्रक्रिया में निर्यात संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है।
- डीजीएफटी के माध्यम से वाणिज्य विभाग हमारे देश के प्रत्येक जिले में निर्यात केंद्र बनाने के लिए उनकी संभावित और विविध पहचान के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु राज्यों और जिलों के साथ काम कर रहा है। निर्यात केंद्र के रूप में जिलों की पहल का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन, विनिर्माण और रोजगार सृजन को लक्षित करना है, जिससे राज्यों और जिलों को भारत को एक निर्यात पावरहाउस बनाने में सार्थक हितधारक और सक्रिय भागीदार बनाया जा सके, जिससे आत्मनिर्भर भारत मिशन में योगदान मिल सके और दुनिया के लिए मेक इन इंडिया और लोकल के लिए वोकल बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
- वाणिज्य विभाग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें जो भारतीय उद्यमों की विदेशी व्यापार संबंधी गतिविधियों और समग्र "आत्मनिर्भर भारत" अभियान को काफी हद तक बढ़ावा मिलेगा।
- व्यापार को सुविधाजनक बनाने और निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।
- यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ईएफटीए, ओमान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और पेरू के साथ एफटीए वार्ता में सक्रिय भागीदारी है।
- भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका बढ़ाई गई है।
- वाणिज्य विभाग ने विदेशों में वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, कमोडिटी बोर्डों/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ नियमित रूप से निर्यात निष्पादन की निगरानी की है और समय-समय पर सुधारात्मक उपाय किए हैं।

अध्याय 1

संगठनात्मक संरचना और कार्य

1. विजन और मिशन

विभाग का दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारत को विश्व व्यापार में एक प्रमुख घटक बनाना और भारत के बढ़ते महत्व के अनुरूप व्यापार संगठनों में नेतृत्व की भूमिका निभाना है।

अपनाए जा रहे नीतिगत साधनों में मध्यम अवधि में लक्षित वस्तु और देश पर ध्यान केंद्रित करने वाली रणनीति और लंबी अवधि में विदेश व्यापार नीति शामिल है।

2. कार्य

विभाग, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) जो पालन की जाने वाली बुनियादी रूपरेखा और रणनीति प्रदान करती है को बनाता है, लागू करता है और निगरानी करता है । घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उभरते आर्थिक परिदृश्यों का ध्यान रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने के लिए व्यापार नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विभाग को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन और व्यापार सुविधा, और कुछ निर्यात-उन्मुख उद्योगों और वस्तुओं के विकास और विनियमन से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

विभाग का नेतृत्व एक सचिव करता है जिसकी सहायता के लिए एक अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पांच अपर सचिव, चौदह संयुक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते हैं।

विभाग निम्नलिखित नौ विंगों/प्रभागों में कार्यात्मक रूप से संगठित है:

- व्यापार वार्ता विंग - द्विपक्षीय
- व्यापार वार्ता विंग - बहुपक्षीय
- प्रादेशिक, वस्तु एवं उत्पाद विंग
- व्यापार नीति विंग
- ट्रेड इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स विंग
- वैश्विक व्यापार संवर्धन विंग-भारत व्यापार
- प्रशासन, स्थापना एवं सामान्य विंग
- वित्त प्रभाग
- आपूर्ति प्रभाग

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित विभिन्न कार्यालय/संगठन हैं:

- दो संलग्न कार्यालय,
- दस अधीनस्थ कार्यालय,
- दस स्वायत्त निकाय,
- पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत बनाया गया विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी
- तेरह निर्यात संवर्धन परिषदें
- एक सलाहकार निकाय
- पांच अन्य संगठन।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्यालयों/संगठनों की व्यापक संगठनात्मक संरचना और प्रमुख भूमिका और कार्यों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) संलग्न कार्यालय

(i) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)

1991 से पहले, विदेश व्यापार महानिदेशालय को आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक (सीसीआई एंड ई) के रूप में जाना जाता था, और इसे आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के माध्यम से विनियमित किया जाता था।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जिसका नेतृत्व महानिदेशक विदेश व्यापार करते हैं। 1991 में सरकार की आर्थिक नीतियों में उदारीकरण होने के बाद से यह संगठन अनिवार्य रूप से विदेशी व्यापार के विनियमन और संवर्धन में शामिल रहा है। उदारीकरण और वैश्वीकरण और निर्यात बढ़ाने के समग्र उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, डीजीएफटी को तब से एक "सुविधाकर्ता" की भूमिका सौंपी गई है। यह बदलाव देश के हितों को ध्यान में रखते हुए आयात/निर्यात पर प्रतिबंध और नियंत्रण से लेकर निर्यात/आयात को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने की ओर था।

नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय वाला यह महानिदेशालय, विदेश व्यापार नीति के निर्माण में सरकार की सहायता करता है और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ एफटीपी के तहत विदेश व्यापार नीति और योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा, यह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और इसके तहत अधिसूचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। डीजीएफटी निर्यातकों/आयातकों को प्राधिकार पत्र भी जारी करता है और 24 क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से उनके संबंधित दायित्वों की निगरानी करता है।

क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं:

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय
1	अहमदाबाद
2	बैंगलोर
3	भोपाल*
4	चेन्नई
5	कोयंबटूर
6	गुवाहाटी
7	हैदराबाद
8	इंदौर
9	जयपुर
10	जम्मू
11	कानपुर
12	एर्नाकुलम (कोचीन)

क्र. सं.	क्षेत्रीय कार्यालय
13	कोलकाता
14	लुधियाना
15	मुंबई
16	नागपुर
17	नई दिल्ली (सीएलए)
18	पानीपत
19	पुणे
20	राजकोट
21	श्रीनगर
22	सूरत
23	वाराणसी
24	विशाखापत्तनम
25	वडोदरा

*रिट याचिका 21039/2019 में माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश प्रधान पीठ जबलपुर के दिनांक 04.10.2019 के आदेश के अनुपालन में, भोपाल में डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालय पर यथास्थिति अंतिम/अगले आदेशों के अधीन बनी हुई है।

विदेश व्यापार नीति और एफटीडीआर अधिनियम, 1992 के कार्यान्वयन के अलावा,क्षेत्रीय कार्यालय अंतरराष्ट्रीय गतिशील वातावरण में उनके आयात और निर्यात निर्णयों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विकास यानी डब्ल्यूटीओ समझौते, उत्पत्ति के नियम और पाटन-रोधी मुद्दों आदि के संबंध में निर्यातकों को सुविधा प्रदान करते हैं।

(ii) व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (पहले पाटन-रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। पाटन-रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) जिसका गठन 1997 में किया गया था, को मई 2018 में सभी व्यापार उपचारात्मक कार्यों यानी पाटन-रोधी शुल्क (एडीडी) को शामिल करके डीजीएडी को डीजीटीआर में पुनर्गठित और फिर से डिजाइन करके डीजीटीआर के रूप में पुनर्गठित किया गया है। एकल खिड़की ढांचे के तहत प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), सुरक्षा शुल्क (एसजीडी), सुरक्षा उपाय (क्यूआर)। इस प्रकार, डीजीएडी, वाणिज्य विभाग, सुरक्षा महानिदेशालय, राजस्व विभाग और डीजीएफटी के सुरक्षा उपायों (क्यूआर) कार्यों को अपने में मिला कर डीजीटीआर का गठन किया गया है। डीजीटीआर एक पेशेवर रूप से एकीकृत संगठन है जिसमें विभिन्न सेवाओं और विशेषज्ञताओं से आए अधिकारियों से निर्मित बहु-स्पेक्ट्रम कौशल सेट हैं। डीजीटीआर एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें करने से पहले स्वतंत्र रूप से जांच करता है।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय

(i) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) भारत के व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक जानकारी के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। महानिदेशक की अध्यक्षता वाले निदेशालय का कार्यालय कोलकाता में है और यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, आयातकों, निर्यातकों, व्यापारियों के साथ-साथ विदेशों मे स्थित खरीदार के लिए आवश्यक व्यापार आंकड़ों और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक जानकारी को एकत्र करने, संकलित करने और प्रकाशित/प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह भारत के विदेशी व्यापार आंकड़ों के संकलन और प्रसार के लिए आईएसओ प्रमाणन 9001:2015 के साथ निर्यात और आयात डेटा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाला पहला बड़े पैमाने का डेटा प्रोसेसिंग संगठन है।

(ii) कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र और नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के विकास आयुक्तों के कार्यालय।

एसईजेड योजना का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना, अवसंरचना सुविधाओं के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है। भारत के सभी कानून एसईजेड में लागू होते हैं जब तक कि एसईजेड अधिनियम/नियमों के अनुसार विशेष रूप से छूट न दी गई हो। प्रत्येक ज़ोन का नेतृत्व एक विकास आयुक्त करता है और इसे एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियम, 2006 के अनुसार प्रशासित किया जाता है। एसईजेड में विनिर्माण, व्यापार या सेवा गतिविधि के लिए इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं। एसईजेड में इकाइयों को निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होना चाहिए, लेकिन वे किसी भी पूर्व निर्धारित मूल्यवर्धन (रत्न और आभूषण इकाइयों को छोड़कर) या न्यूनतम निर्यात निष्पादन आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं। एसईजेड इकाइयों से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री को ऐसे माना जाता है जैसे कि सामान आयात किया जा रहा है और लागू सीमा शुल्क के भुगतान के अधीन है।

(iii) वेतन एवं लेखा कार्यालय (आपूर्ति)

डीजीएसएंडडी सहित आपूर्ति प्रभाग का भुगतान और लेखांकन विभागीय लेखा प्रणाली के तहत मुख्य लेखा नियंत्रक (आपूर्ति प्रभाग) के कार्यालय द्वारा नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अपने क्षेत्रीय वेतन और लेखा कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है। दिनांक 31.10.2017 से डीजीएसएंडडी को बंद करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के परिणामस्वरूप सीसीए (आपूर्ति) का कार्यालय बंद कर दिया गया है और शेष कार्य अब सीसीए (वाणिज्य) द्वारा नई दिल्ली और कोलकाता में अल्प कर्मचारियों और 02 पीएओ के साथ किया जा रहा है। आरपीएओ (आपूर्ति), मुंबई और आरपीएओ (आपूर्ति), चेन्नई का काम क्रमशः आरपीएओ (वाणिज्य), मुंबई और आरपीएओ (वाणिज्य), चेन्नई ने ले लिया है।

(iv) वेतन एवं लेखा कार्यालय (वाणिज्य एवं वस्त्र)

सचिव मुख्य लेखापरिक्षा प्राधिकारी है। यह जिम्मेदारी मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार की सलाह पर मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की मदद से निभाई जाती है। सचिव विनियोजन खातों को प्रमाणित करता है और लोक लेखा समिति और लेखा पर स्थायी संसदीय समिति में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है।

वाणिज्य विभाग और वस्त्र मंत्रालय दोनों के लिए एक सामान्य लेखा विंग है। लेखा विंग, वाणिज्य विभाग मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) की देखरेख में कार्य करता है, जिसे एक लेखा नियंत्रक (सीए), सहायक लेखा नियंत्रक (एसीए) और 05 वेतन और लेखा कार्यालय (पीएओ) {2 पीएओ दिल्ली में और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में एक-एक } द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। मंत्रालय के बजट प्रभाग की जिम्मेदारी भी सीसीए को सौंपी गई है। सीसीए वित्तीय सलाहकार को बजट बनाने, व्यय की निगरानी और नियंत्रण करने, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मामलों में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करने, एफआरबीएम अधिनियम के तहत आवश्यक प्रकटीकरण विवरण तैयार करने, वार्षिक वित्त खाते, विनियोजन खाते, गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का प्राक्कलन एवं प्रवाह आदि में सभी सहायता प्रदान करता है।

लेखांकन विंग के कार्यों में दावों का भुगतान, लेखांकन लेनदेन, खातों का समेकन और और अन्य संबंधित मामले जैसे पेंशन को अंतिम रूप देना और भुगतान करना, आहरण और संवितरण अधिकारी (डीडीओ) की मदद से पेंशन में संशोधन और अंतिम जीपीएफ मामलों का भुगतान, ऋण और अग्रिम, सहायता अनुदान, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) का रखरखाव, नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस), अवकाश वेतन योगदान और पेंशन योगदान (एलएससी और पीसी), आदि शामिल हैं। इसके अलावा, पीएफएमएस मॉड्यूल ईआईएस, ईएटी, पेंशन, जीपीएफ, एनटीआरपी, एलओए आदि के सुचारू कामकाज की निगरानी के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं में पीएफएमएस (ईएटी/डीबीटी/सीएनए/टीएसए) के कार्यान्वयन और सुचारू कामकाज का समन्वय भी सीसीए कार्यालय द्वारा किया जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में एक आंतरिक लेखापरीक्षा विंग है जो सभी विभागों के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को करती है। वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कुल 120 इकाइयाँ हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका लेखांकन और निर्धारित प्रक्रिया के कार्यान्वयन का अध्ययन करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सही और पर्याप्त हैं।

(ग) स्वायत्त निकाय

(i) कॉफ़ी बोर्ड

कॉफ़ी बोर्ड भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में एक वैधानिक संगठन है, जिसका गठन कॉफ़ी अधिनियम 1942, संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम के तहत किया गया है। बोर्ड में सचिव सहित 33 सदस्य शामिल हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी, एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और शेष 31 सदस्यों में संसद सदस्य, कॉफी उत्पादक राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक सदस्य और विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। कॉफ़ी उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन 9 सितंबर, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए किया गया है। वर्तमान में, बोर्ड में 31 सदस्य और एक अध्यक्ष नियुक्त हैं। कॉफी बोर्ड अपनी गतिविधियों को अनुसंधान, विस्तार, विकास, बाजार आसूचना, बाहरी और आंतरिक प्रचार और श्रम कल्याण उपायों के क्षेत्रों में केंद्रित करता है। कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में अपने प्रधान कार्यालय के साथ कार्य करता है। कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले के बालेहोन्नुरु में केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई) अनुसंधान विभाग का मुख्यालय है, जिसमें चेट्टाल्ली (कर्नाटक) में एक उप-स्टेशन और चुंडेले (केरल), थांडीगुडी (तमिलनाडु), नरसीपट्टनम (आंध्र प्रदेश) और दीफू (असम) में क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं। विस्तार नेटवर्क पारंपरिक कॉफी उत्पादक क्षेत्रों (कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु), गैर-पारंपरिक क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और ओडिशा) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश) में फैला हुआ है। अनुसंधान विभाग का कॉफी गुणवत्ता प्रभाग गुणवत्ता मानकों की स्थापना, कॉफी भूनने और खुदरा व्यापार के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार कॉफी के प्रमाणीकरण में शामिल है। संवर्धन विभाग निर्यात बाजार में भारतीय कॉफी को बढ़ावा देने और घरेलू बाजार में कॉफी की खपत को बढ़ावा देने में भी शामिल है।

(ii) रबड बोर्ड

रबड बोर्ड रबड अधिनियम, 1947 की धारा (4) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। बोर्ड का नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष करता है और इसमें कार्यकारी निदेशक, संसद सदस्य (दो संसद सदन से और एक राज्यों की परिषद से) और और प्राकृतिक रबड उद्योग के विभिन्न हितों जैसे रबड उत्पादक क्षेत्र, रबड विनिर्माण उद्योग, श्रमिक हित के प्रतिनिधि, प्रमुख रबड उत्पादक राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधियों सहित 28 अन्य सदस्य होते हैं। बोर्ड की कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ कार्यकारी निदेशक के पास निहित हैं। बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। प्राकृतिक रबड (एनआर) से संबंधित अनुसंधान, विकास, विस्तार और प्रशिक्षण गतिविधियों को सहायता और प्रोत्साहित करने के माध्यम से बोर्ड द्वारा भारतीय रबड उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला से संबंधित विकासात्मक और नियामक कार्यों का निर्वहन किया जाता है। बोर्ड के कार्यों में रबड के आँकड़े एकत्र करना, रबड के विपणन को बढ़ावा देना और श्रमिक कल्याण गतिविधियाँ चलाना भी शामिल है। भारतीय रबड अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई), 1955 में स्थापित, कोट्टायम जिले के पुथुपल्ली में स्थित है, और इसके नौ क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन (आरआरएस) देश के विभिन्न रबड उत्पादक राज्यों में स्थित हैं। आरआरआईआई देश में एनआर के जैविक और तकनीकी सुधार को सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान गतिविधियों का संचालन करता है। बोर्ड के पास कोट्टायम में स्थित राष्ट्रीय रबड प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआरटी) नामक एक प्रशिक्षण विभाग भी है और यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है और एनआर उद्योग के सभी क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास के लिए अधिदेश रखता है।

(iii) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। चाय बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संसद सदस्यों सहित उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत सरकार द्वारा नियुक्त 30 सदस्य शामिल हैं। बोर्ड का नेतृत्व एक गैर-आधिकारिक अध्यक्ष करता है और उपाध्यक्ष संगठन का कार्यकारी प्रमुख होता है। दो कार्यकारी निदेशक हैं जो आंचलिक कार्यालयों में तैनात हैं, एक असम के गुवाहाटी (संपूर्ण उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए) में और दूसरा तमिलनाडु के कुन्नूर (संपूर्ण दक्षिण भारत क्षेत्र के लिए) में। बोर्ड

का मुख्य कार्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। बोर्ड उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियां जैसे व्यापार की सुविधा और निर्यात को बढ़ावा देना ताकि छोटे उत्पादकों सहित उत्पादकों को अधिकतम रिटर्न सुनिश्चित किया जा सके; श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना; उद्योग से संबंधित सांख्यिकीय और अन्य प्रासंगिक डेटा एकत्र करना और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी प्रसारित करना, विभिन्न हितधारकों का पंजीकरण और लाइसेंस देनाके लिए आवश्यक सहायता प्रदान करके भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास से संबंधित एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है। टी बोर्ड के गुवाहाटी (असम) और कुन्नूर (तमिलनाडु) में दो क्षेत्रीय कार्यालय, 15 क्षेत्रीय कार्यालय, मॉस्को में एक विदेशी कार्यालय है जिसका प्रबंधन दूतावास के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(iv) तंबाकू बोर्ड

तंबाकू भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है। उत्पादन को विनियमित करने, विदेशी विपणन को बढ़ावा देने और आपूर्ति और मांग में असंतुलन की आवर्ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए तंबाकू बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत की गई थी। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और इसका अध्यक्ष एक अध्यक्ष होता है।

(v) मसाला बोर्ड

मसाला बोर्ड मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा (3) के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। बोर्ड में सचिव जो मुख्य कार्यकारी होता है सहित 31 सदस्य होते हैं, और इसका नेतृत्व अध्यक्ष (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) करता है, जिसका मुख्य कार्यालय केरल के कोच्चि में है। मसाला बोर्ड इलायची उद्योग के समग्र विकास और मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 के तहत निर्धारित 52 मसालों के निर्यात प्रोत्साहन के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड के कार्यों में छोटी और बड़ी इलायची का अनुसंधान एवं विकास और घरेलू विपणन; कटाई के बाद गुणवत्ता में सुधार, और मसालों का निर्यात संवर्धन और भारत से निर्यात होने वाले मसालों का गुणवत्ता प्रबंधन शामिल है। बोर्ड के देश भर में 83 कार्यालय हैं, जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी और बड़ी इलायची के विकास कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), अनुसंधान स्टेशन, मसाला पार्क आदि शामिल हैं। बोर्ड छोटी और बड़ी इलायची के विकास और मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू करने के लिए मसाला क्षेत्र के हितधारकों के साथ काम करता है।

बोर्ड द्वारा किए गए कार्यक्रमों में अवसंरचना ढांचे के विकास और मूल्यवर्धन के लिए निर्यातकों को सहायता करना; अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ किसानों और निर्यातकों का बाजार संबंध स्थापित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना; प्रमुख उत्पादक केंद्रों (मसाला पार्क) में प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक प्रसंस्करण की सहायता करना; अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में हितधारकों की सह-भागीदारी सहित भारतीय मसालों के लिए व्यापार और ब्रांड प्रचार गतिविधियाँ करना; गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं जो विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करती है और परीक्षण और प्रमाणीकरण के माध्यम से निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता की निगरानी करती है के माध्यम से भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों का गुणवत्ता प्रबंधन करना; नीलामी प्रणाली के माध्यम से इलायची की प्राथमिक बिक्री की सुविधा प्रदान करना; छोटी और बड़ी इलायची पर हितधारकों को अनुसंधान सहायता प्रदान करना; छोटी और बड़ी इलायची के उत्पादकों को उत्पादन विकास के लिए और अन्य मसालों के उत्पादकों को फसल कटाई के बाद प्रबंधन के लिए सहायता करना; मसालों आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयातक देशों के नियामक निकायों, व्यापार सहायता संस्थानों, अंतर सरकारी संगठनों आदि के साथ काम करना शामिल हैं।

(vi) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय का गठन 1972 में देश में समुद्री उत्पादों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और भारत से इसके निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। प्राधिकरण का मुख्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है और इसमें एक अध्यक्ष (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) सहित 30 सदस्य होते हैं। हितधारकों को समय पर सलाह सुनिश्चित करने के लिए समुद्री उत्पाद निर्यातकों, प्रोसेसरों और जलीय कृषि विशेषज्ञों की सहायता के लिए पूर्वोत्तर भारत सहित तटीय राज्यों में 18 फील्ड कार्यालय हैं। एमपीईडीए के न्यूयॉर्क, जापान और नई दिल्ली में तीन व्यापार संवर्धन कार्यालय और कोच्चि, नेल्लोर, भीमावरम, भुवनेश्वर और पोरबंदर में पांच पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं। प्रतिबंधित एंटीबायोटिक दवाओं के लिए जलीय कृषि कच्चे माल की जांच के लिए भारत के समुद्री राज्यों में 14 एलिसा स्क्रीनिंग प्रयोगशालाएं भी स्थापित कीं गई है। एमपीईडीए ने तीन पंजीकृत सोसायटी जैसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा निर्यात संवर्धन को सहायता करने के लिए विविधतापूर्ण जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी जलकृषि केन्द्र (आरजीसीए), मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थाई मत्स्य पालन पर विस्तार गतिविधियों के लिए मत्स्य गुणवत्ता प्रबंधन और चिरस्थाई मत्स्यन के लिए नेटवर्क (नेटफिश) और जलीय कृषि किसानों को जलीय कृषि में चिरस्थाई कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय चिरस्थाई जलकृषि केन्द्र (नास्का) की भी स्थापना की है।

(vii) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा संसद द्वारा अधिनियमित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार की गई थी।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1986 का 2) की धारा 10 के अनुसार, एपीडा को कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्तीय सहायता प्रदान करके, सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करके और राहत और सब्सिडी योजनाओं को लागू करके निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों से संबंधित उद्योगों का विकास करना।
- निर्धारित शुल्क के अधीन, अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण करना।
- निर्यात आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों और विशिष्टताओं की स्थापना करना।
- उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बूचड़खानों, प्रसंस्करण संयंत्रों, भंडारण सुविधाओं, परिवहन, या अन्य प्रासंगिक स्थानों सहित विभिन्न चरणों में मांस और मांस उत्पादों का निरीक्षण करना।
- अनुसूचित उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी पैकेजिंग में सुधार करना।

- भारत के बाहर अनुसूचित उत्पादों के लिए विपणन रणनीतियों को बढ़ाना।
- निर्यातोन्मुखी उत्पादन को बढ़ावा देना और अनुसूचित उत्पादों का विकास करना।
- अनुसूचित उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन या निर्यात में लगे प्रतिष्ठानों से आंकड़ों का संग्रह, इसके बाद एकत्रित डेटा या प्रासंगिक उद्धरणों का प्रकाशन करना।
- अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विविध पहलुओं में प्रशिक्षण का प्रावधान करना।
- प्रासंगिक विनियमों द्वारा निर्धारित किसी अन्य मामले को संबोधित करना।

(viii) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्व-पोतलदान निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के सुदृढ़ विकास को सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी। ईआईसी भारत सरकार का एक सलाहकार निकाय है और इसका एक अध्यक्ष होता है। ईआईसी के कार्यकारी प्रमुख निदेशक (निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण) हैं जो निर्यात के लिए विभिन्न वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और पूर्व-पोतलदान निरीक्षण को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ईआईसी नई दिल्ली में स्थित है और अधिनियम की धारा 7 के तहत स्थापित निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) पर तकनीकी और प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। ईआईए का मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई और दिल्ली में है, जिसमें आईएसओ 17025 के अनुसार एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा समर्थित 24 उप कार्यालयों का नेटवर्क है, जो पूरे भारत में फैला हुआ है और निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करता है। अखिल भारतीय स्तर पर. ईआईसी की प्रमुख भूमिका आयात करने वाले देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात किए गए उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह आश्वासन या तो खेप-वार निरीक्षण प्रणाली या गुणवत्ता आश्वासन/खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली-आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रदान किया जाता है। आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य पदार्थों के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में पचास वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, ईआईसी ने वैश्विक स्वीकृति विकसित की है। ईआईसी प्रमाणीकरण को भारत के व्यापारिक साझेदारों, जैसे यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कस्टम यूनियन, सऊदी अरब, वियतनाम, चीन, दक्षिण अफ्रीका आदि द्वारा मान्यता दी गई है। ईआईसी ने खाद्य सुरक्षा घटनाओं के बढ़ते प्रसार के साथ आयातक देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक बंधुओं सहित हितधारकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ईआईसी हमेशा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है और निर्यातकों के हितों की अच्छी तरह से रक्षा सुनिश्चित करने के लिए फीडबैक प्रदान करता है। ईआईसी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित है।

(ix) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

(क) अवलोकन

- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना 2 मई, 1963 को विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान देने के साथ भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
- नई दिल्ली में मुख्यालय वाले संस्थान का परिसर कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) में है।
- इसकी सर्वांगीण उपलब्धियों की मान्यता में, संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मई 2002 में "मानित विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जून 2018 में श्रेणी - I "मानित विश्वविद्यालय" के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- आईआईएफटी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता के साथ भारत में शीर्ष रैंक वाले बी-स्कूलों में से एक है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देना और विस्तार करना है।
- आईआईएफटी ने 12वें क्रॉनिकल्स ऑल इंडिया बी-स्कूल सर्वेक्षण में भाग लिया और 5वां स्थान हासिल किया।
- एनआईआरएफ (राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क) रैंकिंग 2022 में, आईआईएफटी को प्रबंधन श्रेणी के तहत 24वां स्थान दिया गया है।
- आईआईएफटी ने फॉर्च्यून इंडिया बेस्ट बी-स्कूल सर्वे 2022 में भाग लिया और कुल मिलाकर 9वां स्थान हासिल किया।
- संस्थान ने एएसीएसबी व्यवसाय मान्यता प्राप्त कर ली है और 21 दिसंबर 2021 को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया।

(ख) संगठनात्मक संरचना और कार्य

प्रबंधन बोर्ड संस्थान का प्रमुख कार्यकारी निकाय है। प्रबंधन बोर्ड में 11 सदस्य होते हैं और इसका नेतृत्व संस्थान के कुलपति करते हैं। वाणिज्य विभाग के सचिव संस्थान के कुलाधिपति हैं। संस्थान का कुलपति संस्थान का प्रमुख कार्यकारी होता है और संस्थान के मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है।

(ग) आईआईएफटी का संस्थागत ढांचा

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शिक्षा, अनुसंधान और सहयोग को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए आईआईएफटी के निम्नलिखित प्रभाग हैं:

- कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग
- प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता विकास (आईसीसीडी) प्रभाग
- प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग
- अर्थशास्त्र प्रभाग
- अनुसंधान प्रभाग
- पूर्व छात्र मामलों का प्रभाग
- कॉर्पोरेट संबंध और प्लेसमेंट प्रभाग
- जर्नल प्रभाग
- दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई)

(x) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी। संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है और इसके क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली (1986), चेन्नई (1971), कोलकाता (1976), हैदराबाद (2006), अहमदाबाद (2017) और विशाखापत्तनम (2021) में हैं। आईआईपी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से, आईआईपी लखनऊ केंद्र उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश (2023) के परिसर में खोला गया है। एक नया आईआईपी बेंगलुरु केंद्र भी निर्माणाधीन है और जल्द ही शुरु हो जाएगा।

संस्थान घरेलू और निर्यात बाजार के लिए पैकेजिंग सामग्री और पैकेजों के परीक्षण और प्रमाणन जैसी विभिन्न गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसमें हानिकारक/खतरनाक वस्तुओं के परिवहन, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श, परियोजनाओं और पैकेजिंग के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए पैकेजिंग का अनिवार्य संयुक्त राष्ट्र प्रमाणन शामिल है।

संस्थान का सर्वोच्च सलाहकार निकाय शासी निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष और पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग मशीनरी और उपयोगकर्ता उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योगों के अन्य सदस्य हैं। इसके अलावा, शासी निकाय के कुछ सदस्यों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और कमोडिटी बोर्डों द्वारा नामित किया जाता है। निदेशक संस्थान का प्रमुख और प्रधान कार्यकारी अधिकारी होता है जो संगठन का समग्र प्रभारी होता है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

(i) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

एसटीसी की स्थापना 18 मई 1956 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी। एसटीसी ने भारत में बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, आदि) और औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था करके देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समय-समय पर भारत से मदों का बड़ी संख्या में निर्यात विकसित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ।

एसटीसी के पास 60 करोड़ रुपये की पेड अप इक्विटी है। 31.03.2023 तक, एसटीसी की इक्विटी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत थी। वर्तमान में, एसटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है।

एसटीसी की सहायक कंपनी एसटीसीएल लिमिटेड समाप्त करने की प्रक्रिया में है और उसने 2014-15 से अपनी सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी हैं।

(ii) एमएमटीसी लिमिटेड

एमएमटीसी लिमिटेड की स्थापना 1963 में मुख्य रूप से खनिज और धातुओं के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए की गई थी। एमएमटीसी लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क/सांद्रण के निर्यात के लिए एक कैनालाइजिंग एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी और अन्य वस्तुओं के व्यापार के अलावा, सोने और चांदी और यूरिया के आयात के लिए नामांकित एजेंसी के रूप में कार्य कर रही थी।

एमएमटीसी और 5 अन्य केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यम, नीलाचल इस्पात निगल लिमिटेड (एनआईएनएल) का विनिवेश दिनांक 04.07.2022 को पूरा हुआ। वर्तमान में, एमएमटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है।

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लिमिटेड (एमटीपीएल) सिंगापुर, एमएमटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसे अक्टूबर 1994 में सिंगापुर के कानूनों के तहत वस्तुओं के व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार का लाभ उठाने के लिए व्यापार और वाणिज्य के उदारीकरण/वैश्वीकरण का लाभ उठाने के उद्देश्य से शामिल किया गया था।

(iii) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड को 1971 में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की एक सहायक कंपनी के रूप में "द प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" के रूप में शामिल किया गया था और 1991 में एक स्वतंत्र कंपनी बन गई। कंपनी का नाम 25 नवंबर 1997 को बदलकर पीईसी लिमिटेड कर दिया गया। मुख्य पीईसी लिमिटेड के कार्यों में इंजीनियरिंग उपकरण और परियोजनाओं का निर्यात, सोना-चांदी का आयात और औद्योगिक कच्चे माल और कृषि वस्तुओं में व्यापार शामिल था। कंपनी सितंबर 2019 से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है।

पीईसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है, जो 2002 से परिसमापन के अधीन है।

(iv) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

(क) ईसीजीसी लिमिटेड

- ईसीजीसी लिमिटेड, भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात क्रेडिट एजेंसी (ईसीए), की स्थापना 1957 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत मुंबई में देश से निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यातकों और बैंकों को अल्पावधि (एसटी) और मध्यम और दीर्घकालिक (एमएलटी) आधार पर निर्यात ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इसकी सेवाओं का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को गैर-भुगतान के जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और कार्यशील पूंजी की जरूरतों के लिए बैंकों से पर्याप्त और किफायती निर्यात वित्त की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।
- निर्यातक विदेशी खरीदारों से देय भुगतान के संबंध में डिफ़ॉल्ट, दिवालियापन और अस्वीकृति जैसे राजनीतिक या वाणिज्यिक जोखिमों की स्थिति में अपने नुकसान की रक्षा के लिए क्रेडिट बीमा कवर प्राप्त करते हैं। बैंक निर्यात ऋण बीमा कवर प्राप्त करते हैं ताकि निर्यात ऋण (कार्यशील पूंजी ऋण) के संबंध में निर्यातक उधारकर्ता की डिफ़ॉल्ट या दिवालियापन के कारण होने वाले नुकसान से खुद को बचाया जा सके।
- ईसीजीसी दुनिया के 200 से अधिक देशों में होने वाले निर्यात लेनदेन को कवर करता है। इसने 7,000 से अधिक विशिष्ट निर्यातकों को प्रत्यक्ष क्रेडिट बीमा कवर के माध्यम से और 9,000 से अधिक निर्यातकों को बैंकों को क्रेडिट बीमा कवर के माध्यम से समर्थन दिया है, इसके 90 प्रतिशत से अधिक ग्राहक छोटे निर्यातक खंड से हैं। ईसीजीसी ने 2022-23 के दौरान 6.63 लाख करोड़ रुपये के कुल निर्यात की सहायता की है, जो भारत से राष्ट्रीय व्यापारिक निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत है। इसने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के सभी बैंकों द्वारा कुल निर्यात ऋण संवितरण का लगभग 30 प्रतिशत की सहायता

की है, बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) कवर के माध्यम से इक्कीस बैंकों तक विस्तारित किया गया है जिसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और नौ निजी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। इसने पिछले 9 वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के बीच) के दौरान 7,800 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटान किया है।

(ख) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एनईआईए)

- भारत सरकार ने भारत से रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2006 में एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट की स्थापना 66 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ की गई थी। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में ट्रस्ट में 4,741 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। 31 दिसंबर 2023 तक ट्रस्ट के पास उपलब्ध कुल राशि 2,896.12 करोड़ रुपये थी, हालांकि, 31 दिसंबर 2023 तक नए प्रस्तावों की हामीदारी के लिए ट्रस्ट के पास उपलब्ध राशि आय और व्यय के हिसाब से शून्य है।

(v) भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) का गठन वर्ष 1976 में ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (टीएफएआई) का नाम बदलने और भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण (टीडीए) के विलय के बाद किया गया था। आईटीपीओ भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची 'बी' मिनीरत्न श्रेणी-I सीपीएसई है। इसका पंजीकृत कार्यालय प्रगति मैदान, नई दिल्ली में है। आईटीपीओ के क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं, जो भारत और विदेशों में इसके आयोजनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग की प्रतिनिधि भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) भारत की एक प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार उद्योग को व्यापक सेवाएँ प्रदान करती है और भारत के व्यापार के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। आईटीपीओ भारत और विदेशों में व्यापार मेलों का आयोजन/भागीदारी करके व्यापार को बढ़ावा देने/सुविधा प्रदान करने से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है, जिससे भारत के निर्यात में वृद्धि हो रही है।

मुख्य उद्देश्य हैं:

- भारत और विदेशों में औद्योगिक व्यापार और अन्य मेलों और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देना, आयोजित करना और उनमें भाग लेना और देश के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रासंगिक उपाय करना;
- भारत में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का भारत और विदेशों में प्रचार करना और विदेशी प्रतिभागियों को उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करना;
- भारत और विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों से जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देना;
- निर्यात को बढ़ावा देना और निर्यात की पारंपरिक वस्तुओं के लिए नए बाजारों की खोज करना और निर्यात व्यापार को बनाए रखने, विविधीकरण और विस्तार करने की दृष्टि से नई वस्तुओं के निर्यात का विकास करना।

सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उद्यम

आईटीपीओ की तीन सहायक कंपनियां हैं, अर्थात्, कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ), तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ) और आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड (आईएसएल), टीएनटीपीओ और केटीपीओ में आईटीपीओ की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत और आईएसएल में 100 प्रतिशत है। आईटीपीओ का एक 50:50 संयुक्त उद्यम भी है, जिसका नाम है, राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) जो परिसमापन के अधीन है। इसके अलावा, पंपोर में जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन (जेकेटीपीओ) 51.25 प्रतिशत इक्विटी शेयर के साथ जम्मू और कश्मीर सरकार, 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर के साथ आईटीपीओ और शेष इक्विटी हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के स्वामित्व वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

(ड.) गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम)

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत सरकार ने भारत में सार्वजनिक खरीद में क्रांति लाने के लिए 2016 में एक राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के रूप में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) स्थापित करने का निर्णय लिया। पिछले वर्षों में, जीईएम ने अपने प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचारों और अन्य रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में सार्वजनिक खरीद क्षेत्र को सफलतापूर्वक बदल दिया है। इसने अपने लॉन्च के बाद से अपने तीन मूलभूत स्तंभों, यानी सार्वजनिक खरीद में समावेश, पारदर्शिता और दक्षता को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। जीईएम इस बात का उदाहरण है कि कैसे परम्परागत प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करने और पुनकल्पना करने के रणनीतिक और स्पष्ट इरादे के साथ बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म देश के साथ-साथ वंचितों के लिए भी स्थायी बदलाव ला सकते हैं। यह ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म विक्रेताओं और खरीदारों के लिए कैशलेस, संपर्क रहित और पेपरलेस अनुभव प्रदान करता है, और सरकारी खरीदारों द्वारा आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक शुरू-से-अंत तक समाधान है।

जीईएम की स्थापना ने प्रौद्योगिकी और विश्लेषण के माध्यम से स्वचालन, डिजिटलीकरण और प्रक्रियाओं के परिवर्तन की शुरुआत की है। इस यात्रा से उच्च प्रक्रिया दक्षता, बेहतर सूचना साझाकरण, बेहतर पारदर्शिता, प्रक्रिया चक्र समय में कमी और बोलीदाताओं के बीच विश्वास का स्तर बढ़ा है। जीईएम की उपलब्धियाँ सार्वजनिक खरीद के परिदृश्य को बढ़ाने, इसे अधिक सुलभ करने, लागत प्रभावी करने और समावेशी बनाने की प्रतिबद्धता दर्शाती हैं।

(च) निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं, जो कंपनी अधिनियम/सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों की भूमिकाएं और कार्य विदेश व्यापार नीति द्वारा निर्देशित होते हैं, जो उन्हें निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी मान्यता देता है। वर्तमान में, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत तेरह निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं, जैसा कि नीचे उल्लिखित किया गया है:

(i) मूल रसायन सौंदर्यप्रसाधन तथा रंजक निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

मूल रसायन सौंदर्यप्रसाधन तथा रंजक निर्यात संवर्धन परिषद, जिसे आम तौर पर केमेक्सिल के नाम से जाना जाता है, का गठन 1963 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत मुंबई में निम्नलिखित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था:

- रंजक और रंजक मध्यवर्ती
- कृषि रसायन सहित मूल अकार्बनिक, कार्बनिक रसायन
- सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, डिटर्जेंट, प्रसाधन सामग्री और सुगंधी तेल
- विशेष रसायन, रोग़न और अरंडी का तेल

परिषद का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता और नई दिल्ली में हैं।

(ii) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (केपेक्सिल)

रसायन और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (केपेक्सिल) केपेक्सिल, एक प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1958 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी। परिषद का पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित हैं। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन और भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की समग्र देखरेख में कार्य करती है। परिषद को रसायन आधारित संबद्ध उत्पादों की निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों का काम सौंपा गया है, जिसमें थोक खनिज और अयस्क, प्राकृतिक पत्थर उत्पाद, प्रसंस्कृत खनिज, कागज और पेपर बोर्ड उत्पाद, ऑटो टायर और ट्यूब, रबड उत्पाद, सिरेमिक और संबद्ध उत्पाद, ग्लास और ग्लासवेयर, प्लाइवुड और संबद्ध उत्पाद, सीमेंट, क्लिंकर और एस्बेस्टस उत्पाद, ग्रेफाइट और विस्फोटक, किताबें, प्रकाशन और मुद्रण उत्पाद, पेंट, प्रिंटिंग स्याही और संबद्ध उत्पाद, विविध रासायनिक उत्पाद, ओस्सिन और जिलेटिन और पशु उप-उत्पाद शामिल हैं।

(iii) चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई)

चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) की स्थापना जुलाई 1984 में की गई थी। यह भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी कंपनी है, जिसे निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों और भारतीय जूते और चमड़ा उद्योग के विकास का काम सौंपा गया है और यह उद्योग का शीर्ष संगठन है।

सीएलई विविध गतिविधियाँ चलाती है जो अपने सदस्यों को उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए वैश्विक पहुंच बढ़ाने में सहायता करने के लिए निर्देशित होती हैं। इन गतिविधियों में भारतीय चमड़ा उद्योग में वाणिज्यिक, तकनीकी और तकनीकी विकास पर बाजार की जानकारी, रुझान और नीतिगत निहितार्थों का प्रसार करना, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मेलों और दुनिया भर में विशेष व्यापार प्रदर्शन में सहभाग लेना, भारत और विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, फोकस देशों में बी2बी बैठकें, उद्योग के हित के विषयों पर वेबिनार आयोजित करना, भारत में डिजाइनर मेले के आयोजन के माध्यम से डिजाइन विकास को बढ़ावा देना, चमड़ा उद्योग के समग्र विकास के लिए निर्यात आयात नीतियों/प्रक्रियाओं, कर्तव्यों, बाजार विकास गतिविधियों आदि से संबंधित मुद्दों पर सरकार के समक्ष प्रस्ताव और अभ्यावेदन प्रस्तुत करना शामिल है। परिषद निर्यातकों को सभी विकासों से अवगत रखने के लिए इन-हाउस पत्रिकाओं का प्रकाशन (प्रकाशनों में मासिक पत्रिका 'लेदर न्यूज इंडिया', निर्यातकों की निर्देशिका और चमड़े और चमड़े के उत्पादों के निर्यात के तथ्य और आंकड़े शामिल हैं) करना, भारतीय जूते और चमड़े के विकास के कार्यान्वयन कार्यक्रम (आईएफएलडीपी) की सुविधा प्रदान करना और संयुक्त उद्यमों, तकनीकी सहयोग और रणनीतिक गठबंधन, एफडीआई आदि को बढ़ावा देना, सुविधा प्रदान करना और आकर्षित करना आदि कार्य भी कर रही है ।

सीएलई भारतीय चमड़ा निर्यातकों और दुनिया भर के खरीदारों के बीच एक संपर्क सेतु के रूप में कार्य करता है। सीएलई का पंजीकृत प्रधान कार्यालय चेन्नई में और पांच क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई और मुंबई में और विस्तार कार्यालय आगरा और जालंधर में हैं।

(iv) ईईपीसी इंडिया

ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में स्थापित परिषद है। यह निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (लाभ के लिए नहीं कंपनी) के तहत स्थापित कंपनी है। ईईपीसी इंडिया विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत पूरे देश में इंजीनियरिंग निर्यात के लिए पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने वाली नोडल एजेंसी है। इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली में हैं और उप-क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद (सिकंदराबाद) और जालंधर में हैं। इंजीनियरिंग निर्माताओं और निर्यातकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने और बेहतर पहुंच बनाने के उद्देश्य से, ईईपीसी इंडिया ने देश भर में फैले 15 टियर II/टियर III शहरों में भी अपने चैप्टर्स खोले हैं।

एक सलाहकार निकाय के रूप में, यह भारत सरकार की नीतियों में सक्रिय रूप से योगदान देता है और इंजीनियरिंग उद्योग और सरकार के बीच एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है। 1955 में स्थापित, ईईपीसी इंडिया का सदस्यता आधार अब लगभग 8500 है, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत एसएमई हैं। ईईपीसी इंडिया भारत से सोर्सिंग की सुविधा देता है और एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के बराबर अपना मानक बढ़ाने के लिए बढ़ावा देता है। यह एसएमई को अपने व्यवसाय को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। 'इंजीनियरिंग द फ्यूचर' को आदर्श वाक्य के रूप में रखते हुए, ईईपीसी इंडिया भारत को एक प्रमुख इंजीनियरिंग निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने के अपने प्रयासों में भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है।

(v) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकॉनसिल)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकॉनसिल) की स्थापना 1955 में की गई थी और भारत से प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत किया गया था और यह मुख्य रूप से 3,000 से अधिक निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्लास्टिक कच्चे माल से लेकर अर्ध-तैयार और तैयार वस्तुओं तक प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण/व्यापार करते हैं। प्लेक्सकॉनसिल के पूरे भारत में पांच कार्यालय है - मुंबई (मुख्यालय) और दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय है ।

परिषद को वर्तमान में निम्नलिखित उत्पाद पैनलों की निर्यात संवर्धन गतिविधियों का काम सौंपा गया है:

- उपभोक्ता एवं घरेलू बर्तन उत्पाद
- कॉर्डेज, फिशनेट और मोनोफिलामेंट्स
- एफआईबीसी, बुने हुए बोरे, बुने हुए कपड़े, तिरपाल

- फर्श कवरिंग, चमड़े का कपड़ा और लेमिनेट
- एफआरपी और कंपोजिट
- मानव बाल और संबंधित उत्पाद
- प्लास्टिक की मेडिकल वस्तुएं
- विविध उत्पाद और वस्तुएं
- पैकेजिंग आइटम - लचीला, कठोर
- प्लास्टिक फिल्में और चादरें
- प्लास्टिक पाइप और फिटिंग
- प्लास्टिक कच्चा माल
- लेखन उपकरण और स्टेशनरी
- व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात

प्लास्टिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, प्लेक्सकॉनसिल सदस्यों के साथ-साथ विदेशों में भारतीय मिशनों के परामर्श से भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने में सक्षम बनाता है; समर्पित क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करता है; उद्योग की ओर से विभिन्न प्राधिकरणों को नीतिगत अभ्यावेदन देता है; और 50 से अधिक श्रेणियों में शीर्ष निर्यातकों को सम्मानित करने के लिए द्विवार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, परिषद एक मासिक ई-पत्रिका प्रकाशित करती है, जो प्लास्टिक निर्यात आंकड़ों का व्यापक कवरेज; बाज़ार अंतर्दृष्टि और उद्योग अपडेट प्रदान करती है।

(vi) खेल सामान ईपीसी

खेल सामान निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी) की स्थापना वर्ष 1958 में भारत से खेल सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। वर्ष 2001 में खिलौनों के निर्यात को बढ़ावा देने का काम भी एसजीईपीसी को सौंपा गया। एसजीईपीसी का प्रबंधन प्रशासन समिति (सीओए) द्वारा किया जाता है, जिसमें भारतीय खेल सामान और खिलौना उद्योग के निर्वाचित प्रतिनिधि और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रशासन समिति (सीओए) का एक अध्यक्ष होता है।

एसजीईपीसी की गतिविधियों की श्रृंखला में एक ओर ऐसी गतिविधियाँ शामिल हैं जो भारतीय खेल सामान और खिलौना उद्योग के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती हैं और दूसरी ओर वे गतिविधियाँ भी शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। एसजीईपीसी भारत से खिलौनों और खेल के सामानों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अन्य गतिविधियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय भागीदारी, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के दौरे, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रचार अभियान आदि जैसे व्यापार संवर्धन गतिविधियों का आयोजन करता है।

(vii) शैलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना जून 1957 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी, जिसे 08.02.2007 को शेलैक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (शेफेक्सिल) का नाम दिया गया था। परिषद का पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी कोई अतिरिक्त शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। शेफ़ेक्सिल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, अर्क/वानस्पतिक, जड़ी-बूटियाँ, ग्वार गम, शैलैक और लैक आधारित उत्पादों जैसे प्रमुख उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नामित नोडल एजेंसी है।

शेफ़ेक्सिल को 8 विशिष्ट पैनलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य किया गया है:

- न्यूट्रास्यूटिकल्स
- सब्जियों के रस और अर्क
- पौधे और पौधे के अंश (जड़ी-बूटियाँ)
- ग्वार गम
- शैलैक और लैक आधारित उत्पाद
- अन्य वनस्पति सामग्री
- स्थिर वनस्पति तेल, केक और अन्य
- उत्तर पूर्व क्षेत्र

(viii) भारतीय भेषज निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्सिल)

निर्यात प्रोत्साहन के लिए भारतीय भेषज उद्योग की अनूठी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 2004 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारतीय भेषज निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी। परिषद का मुख्यालय हैदराबाद में है, क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और नई दिल्ली में हैं, और शाखा कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में हैं। परिषद में 4450 सदस्य हैं।

फार्मेक्सिल के दायरे में आने वाले उत्पाद और सेवाएँ बल्क ड्रग्स और इसके मध्यवर्ती हैं; सूत्रीकरण; बायोटेक और जैविक उत्पाद; नैदानिकी; सर्जिकल; न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मा उद्योग से संबंधित सेवाएँ; सहयोगात्मक अनुसंधान; अनुबंध विनिर्माण; क्लिनिकल परीक्षण एवं परामर्श; फार्मा संबंधी सेवाएं.

सरकार के साथ एक इंटरफेस के रूप में कार्य करने के अलावा, परिषद अपने सदस्यों को पेटेंट मुद्दों, नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यापार संबंधी सहायता आदि जैसे क्षेत्रों में व्यवसायिक सलाह भी प्रदान करती है। फार्मेक्सिल एक नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करना। परिषद विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेती है और भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और क्रेता-विक्रेता बैठकें भी आयोजित करती है।

(ix) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

एसईपीसी भारत से सेवाओं के निर्यात की सुविधा के लिए भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक निर्यात संवर्धन परिषद है। एसईपीसी सेवा उद्योग और सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार की नीतियों के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देता है।

यह भारतीय सेवा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए भारत और विदेश दोनों में बड़ी संख्या में प्रचार गतिविधियों जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम), व्यापार मेले/प्रदर्शनियां, और भारतीय सेवा उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए चयनित प्रदर्शनियों में भारत मंडप/सूचना बूथ का आयोजन करता है। एसईपीसी सदस्य भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

एसईपीसी की भूमिका और कार्य

एसईपीसी सेवा क्षेत्र उद्योग और सरकार में नीति निर्माताओं के बीच बातचीत के एक मंच के रूप में कार्य करता है। विशेष रूप से, यह निम्नलिखित कार्य करता है:

- लेखांकन/लेखापरीक्षा और बहीखाता सेवाएँ
- विज्ञापन सेवाएँ
- वास्तुशिल्प सेवाएँ
- परामर्श सेवाएँ
- संवितरण सेवाएँ
- शैक्षिक सेवाएँ
- दृश्य-श्रव्य सेवाओं सहित मनोरंजन सेवाएं
- पर्यावरण सेवाएँ
- स्वास्थ्य सेवाएँ
- होटल एवं पर्यटन संबंधी सेवाएं
- कानूनी सेवाएं
- समुद्री परिवहन
- विपणन अनुसंधान और जनमत सर्वेक्षण सेवाएँ/प्रबंधन सेवाएँ
- मुद्रण एवं प्रकाशन
- अन्य

(x) भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), सरकार द्वारा स्थापित एक निर्यात संवर्धन परिषद निम्नलिखित में से किसी भी मॉड्यूल में अनुबंधित विदेशी परियोजनाओं को शामिल करने वाली परियोजना निर्यात की सुविधा के लिए एक शीर्ष समन्वय एजेंसी है:

- सिविल निर्माण परियोजनाएं
- टर्नकी परियोजनाएं इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (अवधारणा से कमीशनिंग तक) सहित और अनिवार्य रूप से सिविल कार्य/निर्माण कार्य और इन टर्नकी परियोजनाओं के लिए विशिष्ट सभी आपूर्तियें सहित
- प्रक्रिया और इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएँ और
- परियोजना निर्माण सामग्री (स्टील और सीमेंट को छोड़कर):
- निर्माण इंजीनियरिंग उत्पाद (फिटिंग और फिक्स्चर/सामग्री)
- निर्माण उपकरण और सहायक उपकरण
- अन्य परियोजना सामान

पीईपीसी वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण में एक स्वायत्त सोसायटी है।

(क) विकास के क्षेत्र

पीईपीसी, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लगभग सभी क्षेत्रों जैसे बांधों, पनबिजली और ताप विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक संयंत्रों, उपयोगिता भवनों, बड़े पैमाने पर तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों और परिसरों, मोटरमार्गों, सुरंगों और पुलों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों, बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाओं, ऊंची इमारतों और प्रतिष्ठा भवन, होटल और पर्यटक रिसॉर्ट्स, आदि का निर्माणमें परियोजना निर्यात के विकास और प्रचार में सक्रिय रूप से लगी हुई है।

(ख) बाजार

भारतीय प्रक्रिया और निर्माण इंजीनियरिंग ठेकेदारों और सलाहकारों के लिए मुख्य बाजार रहे हैं और यह निम्नलिखित हैं:

- एशिया (सार्क, मध्य पूर्व और सुदूर पूर्व)
- अफ्रीका
- रूस और सीआईएस
- यूरोप
- लैटिन अमेरिका

(xi) ईओयू और एसईजेड इकाइयों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

निर्यात-उन्मुख इकाइयां (ईओयू) योजना मुख्य रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाकर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1981 की शुरुआत में शुरू की गई थी। इसे साठ के दशक में शुरू की गई मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) योजना की पूरक योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह एसईजेड (पूर्ववर्ती ईपीजेड) के समान उत्पादन व्यवस्था को अपनाता है लेकिन स्थानों में व्यापक विकल्प प्रदान करता है।

निर्यात-आयात नीति के अनुसार, डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन का निर्यात करने वाली इकाइयों को निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के रूप में जाना जाता है। ईओयू विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंधित विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में अर्थात भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के तहत कार्य करते हैं।

ईओयू विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 6 के प्रावधानों और इसकी प्रक्रियाओं द्वारा अभिशासित होते हैं, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीएच) में निहित है।

30 सितंबर 2022 को 1638 ईओयू की तुलना में 30 सितंबर 2023 तक ईओयू योजना के तहत 1560 इकाइयां परिचालन में हैं।

(xii) भारतीय तिलहन एवं उपज निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी) तिलहन, तेल और खली के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका गठन 23 जून 1956 को हुआ था। आईओपीईपीसी, जिसे पहले आईओपीईए के नाम से जाना जाता था, छह दशकों से अधिक समय से निर्यातकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, परिषद भारत में तिलहन की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसानों, विक्रेताओं, प्रोसेसरों, सर्वेक्षणकर्ताओं और निर्यातकों को प्रोत्साहित करके घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी काम करती है।

(xiii) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योग के शीर्ष व्यापार निकाय, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने इसके मौजूदा वर्ष मे अपने 57 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 26 अक्टूबर 2023 तक इसके 9482 सदस्य हैं। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र भारत के अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले क्षेत्रों में से एक है। राजकोषीय वर्ष 2023-24 (सितंबर, 2023 तक) के दौरान भारत से रत्न और आभूषण के निर्यात ने पिछले वर्ष की समान अवधि के 20,715.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 15,691.54 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निष्पादन दर्ज किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम और इज़राइल रत्न और आभूषण निर्यात के लिए कुछ प्रमुख बाजार हैं।

(छ) सलाहकार निकाय व्यापार बोर्ड (बीओटी)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित बातचीत के लिए जिम्मेदार मंच, व्यापार विकास और संवर्धन परिषद (सीटीडीपी) को 17 जुलाई 2019 की अधिसूचना के माध्यम से परामर्श प्रक्रिया में अधिक सुसंगतता के लिए व्यापार और उद्योग के साथ चर्चा और परामर्श के लिए एक सलाहकार निकाय, व्यापार बोर्ड (बीओटी) में विलय कर दिया गया और नया मंच व्यापार बोर्ड के रूप में बना हुआ है। वर्तमान में 29 गैर-सरकारी सदस्य, 25 पदेन सदस्य तथा 39 सरकारी सदस्य सम्मिलित हैं महानिदेशक, विदेश व्यापार महानिदेशालय सदस्य सचिव के रूप में, सदस्य के रूप में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापार और वाणिज्य के प्रभारी मंत्री और माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री अध्यक्ष के रूप में व्यापार बोर्ड का गठन करते हैं।

वाणिज्य विभाग ने नियमित रूप से विभिन्न उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ हितधारकों से परामर्श किया है। परामर्श के भाग के रूप में, 13.9.2022 को व्यापार बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। व्यापार बोर्ड की बैठक में निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली रणनीतियों और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। व्यापार बोर्ड, अन्य बातों के अलावा, भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सरकार को सलाह देता है। यह व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक मंच प्रदान करता है। यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय विकास के बारे में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराने के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

व्यापार बोर्ड की बैठक के दौरान, भारत के आयात/निर्यात निष्पादन, वाणिज्य विभाग के पुनर्गठन, एफटीए और आगे की राह, राज्यों के निर्यात निष्पादन, निर्यात हब के रूप में जिले, नई प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति, व्यापार-उपचार, सीमा शुल्क द्वारा किए गए व्यापार सुविधा उपाय, सरकारी ई-बाज़ार आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं।

राज्यों के मंत्रियों ने बैठक में हस्तक्षेप किया, अपने राज्य-विशिष्ट सुझाव दिए, और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की पहल के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया।

बैठक में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और प्रमुख मंत्रालयों और राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, सभी प्रमुख व्यापार और उद्योग निकायों, निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों ने भाग लिया।

(ज) अन्य संगठन

(i) भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ)

एफआईईओ केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, पत्तनों, रेलवे, भूतल परिवहन और निर्यात व्यापार सुविधा में कार्य कर रहे सभी लोगों के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय के बीच महत्वपूर्ण इंटरफ़ेस प्रदान करता है। एफआईईओ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के प्रत्येक उद्योग और सेवा क्षेत्र के 200,000 से अधिक निर्यातकों के हितों के लिए कार्य करता है। एफआईईओ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में हैं, और इसके चैप्टर जयपुर, कानपुर, लुधियाना, अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, कोच्चि, बेंगलुरु, कोयंबटूर, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, रांची और गुवाहाटी में हैं। एफआईईओ आईएसओ 9001:2015 से प्रमाणित है और अपने सदस्यों और सहयोगियों को एक समान और गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करता है।

(ii) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) की स्थापना 1978 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत हीरे, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करके की गई थी। आईडीआई भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद की एक परियोजना है। आईडीआई डायमंड मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड ग्रेडिंग, ज्वैलरी डिजाइनिंग और ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग और जेमोलॉजी के क्षेत्रों में व्यावसायिक शैक्षिक स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, जिससे एक ही छत के नीचे रत्न और आभूषण के पूरे स्पेक्ट्रम का प्रशिक्षण कवर होता है। संस्थान सोने के मूल्यांकन, रफ डायमंड सॉर्टिंग और डायमंड ग्रेडिंग पहलुओं पर सीमा शुल्क अधिकारियों के कौशल का उन्नयन/प्रदान करता है। संस्थान गुजरात सरकार के उद्यम विकास केंद्र (सीईडी) की कौशल वृद्धि योजना के तहत एमएसएमई रत्न एवं आभूषण इकाइयों के मौजूदा कर्मचारियों के कौशल को भी उन्नत करता है। आईडीआई को उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार द्वारा एंकर इंस्टीट्यूट जेम्स एंड ज्वैलरी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। संस्थान ने हाल ही में कौशल्या कौशल विश्वविद्यालय, गुजरात सरकार द्वारा संबद्ध 03 साल का कार्यक्रम "बीएससी इन ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग" शुरू किया है।

(iii) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)

"नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन (एनसीटीआई) ने मंत्रिमंडल की 17.12.2020 की बैठक में एनसीटीआई के समापन/स्वैच्छिक परिसमापन को मंजूरी देने के बाद अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं। वर्तमान में, एनसीटीआई का परिसमापन प्रक्रिया के अधीन है।"

(iv) मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट (पीएसएफटी)

मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट को 11 सितंबर 2003 को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में नाबार्ड और वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 10 साल की अवधि के लिए शुरू की गई मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना को लागू करने के लिए पंजीकृत किया गया था। वाणिज्य विभाग द्वारा इन वस्तुओं की लगातार कम कीमतों के कारण कॉफी, चाय, रबड और तंबाकू के उत्पादकों को होने वाली कठिनाई को कम करने के लिए। ट्रस्ट को 11/9/2013 से आगे दस साल की अवधि के लिए यानी 11 सितंबर 2023 तक फिर से पंजीकृत किया गया था। पीएसएफटी की गतिविधियां 31 मार्च 2015 को बंद कर दी गई थीं।

(v) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। आईबीईएफ का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी बाजारों में ब्रांड इंडिया के बारे में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता को बढ़ावा देना और भारतीय उत्पादों और सेवाओं के बारे में ज्ञान के प्रसार की सुविधा प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, आईबीईएफ सरकार और उद्योग जगत के हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।

अध्याय 2

वैश्विक आर्थिक और व्यापार स्थिति

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन सहित अन्य झटकों से उबर रही है। कई कारकों से पुनर्प्राप्ति में बाधा आ रही है जिनमें महामारी के दीर्घकालिक प्रभाव, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ते भू-आर्थिक विखंडन शामिल हैं। हालाँकि रिकवरी धीमी और असमान बनी हुई है, लेकिन भारत का उबरना उल्लेखनीय रहा है। वैश्विक आर्थिक गतिविधियां अभी भी अपने महामारी-पूर्व की प्रवृत्ति से खासकर उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में पीछे हैं। 2023 में हुई वैश्विक मंदी 2024 में जारी रहने की प्रत्याशा है।

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) अक्टूबर 2023 के अनुसार, कोविड -19 महामारी से एक मजबूत प्रारंभिक पलटाव के बाद रिकवरी की गति धीमी हो गई है। वैश्विक विकास के लिए प्रतिकूल जोखिमों की संख्या सुखद रही है। जिसमें जलवायु और भू-राजनीतिक झटकों के बीच वस्तु की कीमतों में अस्थिरता, मुद्रास्फीति की निरंतरता, भू-आर्थिक विखंडन में वृद्धि, चीन की आर्थिक वृद्धि में मंदी आदि शामिल है। आईएमएफ डब्ल्यूईओ अक्टूबर 2023 के अनुसार, वैश्विक विकास दर 2022 से 3.5 प्रतिशत से घटकर 2023 में 3.0 प्रतिशत और 2024 में 2.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। आईएमएफ का अनुमान ऐतिहासिक (2000-19) औसत 3.8 प्रतिशत से नीचे है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से यूरो क्षेत्र में विकास में मंदी अधिक ध्यान देने योग्य है।
- यूरो क्षेत्र में उम्मीद से कम वृद्धि के कारण 2022 में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) का कुल उत्पादन 2023 में 1.5 प्रतिशत और 2024 में 1.4 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। आईएमएफ के अनुसार 2023 में लगभग 90 प्रतिशत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कम वृद्धि देखने की संभावना है। इसके विपरीत, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) का कुल उत्पादन 2022 में 4.1 प्रतिशत की तुलना में 2023 और 2024 दोनों में 4.0 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। आईएमएफ के विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार विकास अनुमान निम्नलिखित हैं:

वैश्विक विकास अनुमान (%)

		अनुमान		जुलाई 2023 डब्ल्यूईओ अद्यतन से अंतर	
	2022	2023	2024	2023	2024
विश्व उत्पादन	3.5	3.0	2.9	0.0	(-) 0.1
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.6	1.5	1.4	0.0	0.0
संयुक्त राज्य अमेरिका	2.1	2.1	1.5	0.3	0.5
यूरो क्षेत्र	3.3	0.7	1.2	(-) 0.2	(-) 0.3
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई)	4.1	4.0	4.0	0.0	(-) 0.1
उभरता और विकासशील एशिया	4.5	5.2	4.8	(-) 0.1	(-) 0.2
चीन	3.0	5.0	4.2	(-) 0.2	(-) 0.3
भारत	7.2	6.3	6.3	0.2	0.0

स्रोत: आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अक्टूबर 2023

वैश्विक विकास में प्रवृत्ति

स्रोत: आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अक्टूबर 2023
नोट: *अनुमानित

2. वैश्विक व्यापार

- वैश्विक व्यापार में मंदी देखी जा रही है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार कई चुनौतियों का सामना कर रही है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुसार, विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा 2022 में 3.0 प्रतिशत की तुलना में 2023 में 0.8 प्रतिशत और 2024 में 3.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। डब्ल्यूटीओ का वर्तमान पूर्वानुमान 2023 के लिए विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि, अप्रैल 2023 के पूर्वानुमान से कम है। व्यापार मंदी व्यापक-आधारित प्रतीत होती है, जिसमें बड़ी संख्या में देश और वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला विशेष रूप से निर्माताओं की कुछ श्रेणियां जैसे लोहा और इस्पात कार्यालय और दूरसंचार उपकरण, वस्त्रों और कपड़े, मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें, अमेरिकी डॉलर की सराहना और भू राजनीतिक तनाव सभी मंदी में योगदान दे रहे हैं। पूर्वानुमान में कई जोखिम हैं, जिनमें चीन में उम्मीद से अधिक तीव्र मंदी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का पुनरुत्थान शामिल है।
- विभिन्न क्षेत्रों/देशों में व्यापार पैटर्न भिन्न-भिन्न हैं। निर्यात के मामले में स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि के अनुसरण द्वारा उत्तरी अमेरिका में 2023 में 3.6 प्रतिशत की सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। अफ्रीका को छोड़कर अधिकांश अन्य क्षेत्रों में निर्यात में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है, जहां निर्यात में 1.5 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। आयात के मामले में, मध्य पूर्व (12.5 प्रतिशत) और अफ्रीका (5.1 प्रतिशत) को अनुसरण द्वारा सीआईएस में 25 प्रतिशत की सबसे मजबूत आयात वृद्धि दर्ज करने की उम्मीद है। अन्य क्षेत्रों में मामूली गिरावट होने की उम्मीद है। 2024 में, सीआईएस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में निर्यात और आयात की मात्रा में सकारात्मक वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, जहां 2023 में मजबूत उछाल के बाद आयात में गिरावट की उम्मीद है।
- डब्ल्यूटीओ द्वारा 2023 और 2024 में दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार वृद्धि का अनुमान इस प्रकार है:

पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा में वृद्धि

(वार्षिक % परिवर्तन)

	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
विश्व पण्यवस्तु व्यापार की मात्रा	0.4	(-) 5.0	9.6	3.0	0.8	3.3
निर्यात						
उत्तरी अमेरिका	0.4	(-) 8.9	6.5	4.2	3.6	2.7
दक्षिण और मध्य अमेरिका	(-) 1.6	(-) 4.9	6.5	2.2	1.7	0.6
यूरोप	0.4	(-) 7.7	8.0	3.4	0.4	2.2
सीआईएस	0.0	(-) 1.0	(-) 1.8	(-) 4.5	3.0	1.9
अफ्रीका	0.1	(-) 6.8	5.2	(-) 0.8	(-) 1.5	4.1
मध्य पूर्व	(-) 1.0	(-) 6.5	(-) 0.4	7.7	2.0	3.8
एशिया	0.8	0.6	13.1	0.4	0.6	5.1
आयात						
उत्तरी अमेरिका	(-) 0.6	(-) 5.9	12.5	6.0	(-) 1.2	2.2
दक्षिण और मध्य अमेरिका	(-) 2.0	(-) 10.5	26.2	3.6	(-) 1.0	3.3
यूरोप	0.2	(-) 7.2	8.5	5.7	(-) 0.7	1.6
सीआईएस	8.5	(-) 5.4	10.3	(-) 5.5	25.0	(-) 4.0
अफ्रीका	4.4	(-) 15.2	8.3	6.3	5.1	3.1
मध्य पूर्व	11.4	(-) 9.0	12.8	13.7	12.5	4.6
एशिया	(-) 0.5	(-) 0.8	10.6	(-) 0.5	(-) 0.4	5.8

स्रोत: डब्ल्यूटीओ प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 5 अक्टूबर 2023
नोट: *अनुमानित

3. अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत का व्यापार

नीचे दी गई तालिका चयनित अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत, जापान, कोरिया, यूके और यूएसए के निर्यात (पण्यवस्तु + सेवाओं) की वृद्धि की तुलना करती है। डब्ल्यूटीओ के आंकड़ों के अनुसार, यूके को छोड़कर जहां जनवरी 2023 से विकास सकारात्मक रहा है, और कोरिया जहां जनवरी 2023 से विकास नकारात्मक रहा है, निर्यात वृद्धि ने इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित की हैं।

कुल निर्यात: माह-वार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)

माह	आस्टेलिया	ब्राजील	कनाडा	चीन	भारत	जापान	कोरिया गण राज्य	यूके	यूएसए
जनवरी 2023	14.7	17.2	8.8	-11.8	12.3	-3.0	-16.5	10.4	11.6
फरवरी 2023	9.5	-9.8	0.1	-1.6	10.2	-4.0	-8.1	9.5	7.0
मार्च 2023	5.3	11.4	-7.7	13.5	1.2	-3.5	-13.3	10.2	4.6
अप्रैल 2023	-8.9	-5.3	-7.1	6.8	-5.1	3.2	-14.6	8.2	-2.6
मई 2023	-8.0	10.2	-10.1	-7.0	-3.3	-1.0	-13.1	10.3	-2.5
जून 2023	-16.0	-8.6	-12.5	-12.4	-10.1	-0.1	-6.5	12.2	-3.9
जुलाई 2023	-4.2	-3.1	-7.4	-14.2	-3.0	1.1	-14.8	9.0	-4.2
अगस्त 2023	-9.5	2.8	-2.2	-9.8	5.6	-3.8	-8.2	3.3	-1.6
सितंबर 2023	NA	1.4	1.4	-7.3	-2.6	3.5	-4.7	2.9	0.2

स्रोत: डब्ल्यूटीओ डेटाबेस
टिप्पणी: किसी विशेष माह की वृद्धि दर उसके पूर्व वर्ष के समान माह की तुलना में आंकलित है

नीचे दी गई तालिका चयनित अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, भारत, जापान, कोरिया, यूके और यूएसए के निर्यात (पण्यवस्तु + सेवाओं) की वृद्धि की तुलना करती है। जनवरी 2023 से इन सभी अर्थव्यवस्थाओं में आयात में वृद्धि में मिश्रित प्रवृति देखी गई है। डब्ल्यूटी के आंकड़ों के अनुसार, भारत के लिए फरवरी 2023 से आयात वृद्धि नाकारात्मक रही हैं।

कुल आयात: माह-वार वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)

माह	आस्टेलिया	ब्राजील	कनाडा	चीन	भारत	जापान	कोरिया गण राज्य	यूके	यूएसए
जनवरी 2023	20.5	3.6	13.5	-18.3	2.9	4.1	-1.3	2.3	4.3
फरवरी 2023	-6.7	-7.0	6.3	7.1	-0.5	-3.0	4.6	0.5	-0.3
मार्च 2023	-9.3	-0.9	-4.3	2.6	-0.8	-2.0	-4.2	-5.4	-9.1
अप्रैल 2023	-6.5	-7.0	-7.1	-4.3	-13.0	-5.3	-11.7	-1.3	-7.0
मई 2023	0.5	-10.5	-0.1	0.4	-4.4	-9.9	-10.9	7.7	-7.0
जून 2023	-9.6	-16.8	-3.6	-4.0	-14.2	-11.0	-8.6	3.7	-9.4
जुलाई 2023	-1.1	-14.7	-4.5	-8.7	-14.3	-12.0	-19.5	8.1	-6.0
अगस्त 2023	-11.7	-17.8	-4.0	-2.9	-2.5	-19.4	-20.0	1.4	-6.6
सितंबर 2023	NA	-17.5	-1.9	-3.4	-14.1	-14.0	-11.8	4.9	-5.4

स्रोत: डब्ल्यूटीओ डेटाबेस
टिप्पणी: किसी विशेष माह की वृद्धि दर उसके पूर्व वर्ष के समान माह की तुलना में आंकलित है

अध्याय 3

भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्तियां

1. सिंहावलोकन

- भारत का कुल (वस्तु + सेवा) निर्यात 14.76 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 2021-22 में 676.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2022-23 में 776.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल-दिसंबर 2023* की अवधि के लिए कुल निर्यात 565.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था।
- 2022-23 में कुल आयात 898.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18.15 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-दिसंबर 2023* की अवधि के लिए कुल आयात 634.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान यह 683.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर था , इस प्रकार (-) 7.24 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई ।
- 2022-23 में समग्र व्यापार घाटा 121.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2023* की अवधि के दौरान समग्र व्यापार घाटा सुधरकर 69.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान यह घाटा 108.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर था ।
- पिछले दस वर्षों में समग्र निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन की प्रवृत्तियां नीचे दिए गए ग्राफ़ में दर्शाई गई हैं:

ग्राफ़ 1: पिछले 10 वर्षों में भारत का समग्र (वस्तु और सेवाएँ) व्यापार

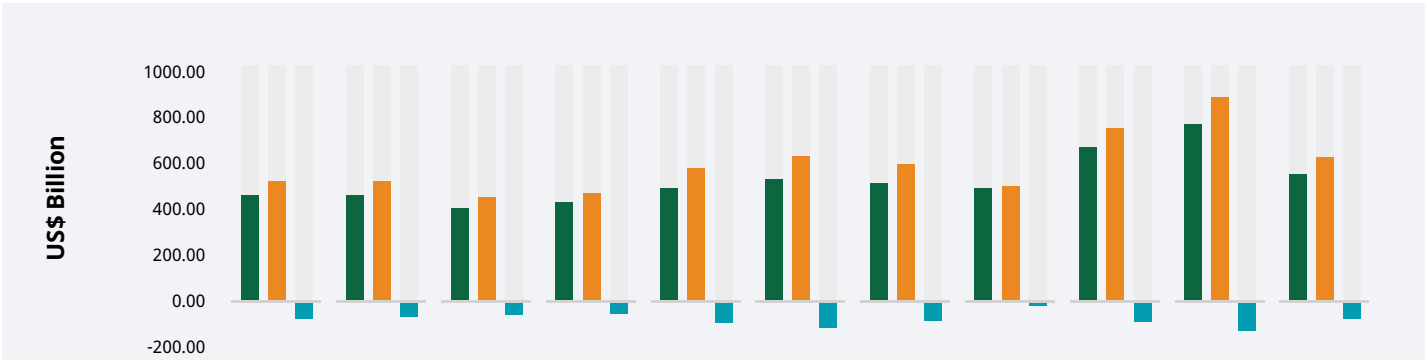

	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	Apr-Dec 2023*
Exports	466.22	468.45	416.60	440.05	498.62	538.08	526.55	497.90	676.53	776.40	565.04
Imports	528.95	529.61	465.64	480.21	583.11	640.14	602.98	511.96	760.06	898.01	634.39
Trade Balance	-62.73	-61.17	-49.04	-40.16	-84.49	-102.06	-76.43	-14.06	-83.53	-121.62	-69.34

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, आरबीआई डेटाबेस और आरबीआई प्रेस विज्ञप्तियाँ
*** नोट:** आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के लिए नवीनतम आंकड़े नवंबर 2023 के लिए हैं। दिसंबर 2023 का आंकड़ा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई द्वारा बाद में जारी आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया जाएगा। (ii) अप्रैल-दिसंबर 2022 और अप्रैल-सितंबर 2023 के आंकड़ों को तिमाही भुगतान संतुलन आंकड़ों का उपयोग करके आनुपातिक आधार पर संशोधित किया गया है।

2. भारत का पण्यवस्तु व्यापार

- 2022-23 में अब तक का सबसे अधिक 451.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापारिक निर्यात हासिल किया गया। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान यह 336.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2023 (पी) के दौरान पण्य वस्तुओं का निर्यात 317.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- पण्य वस्तुओं का आयात 2021-22 में 613.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 16.79 प्रतिशत बढ़कर 2022-23 में 715.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2023 (पी) के दौरान आयात 505.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा , जो अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 548.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 7.93 प्रतिशत कम है ।
- 2022-23 में व्यापार घाटा 264.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 में व्यापार घाटा 191.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2022 में 212.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2023 (पी) में, व्यापार घाटा 188.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया ।
- पिछले दस वर्षों में पण्य वस्तु निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन की प्रवृत्तियां नीचे तालिका में दी गई हैं।

पण्य वस्तु व्यापार

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि %	आयात	वृद्धि %	व्यापार संतुलन
1	2013-14	314.41	4.66	450.20	-8.26	-135.79
2	2014-15	310.34	-1.29	448.03	-0.48	-137.69
3	2015-16	262.29	-15.48	381.01	-14.96	-118.72
4	2016-17	275.85	5.17	384.36	0.88	-108.50
5	2017-18	303.53	10.03	465.58	21.13	-162.05
6	2018-19	330.08	8.75	514.08	10.42	-184.00
7	2019-20	313.36	-5.06	474.71	-7.66	-161.35
8	2020-21	291.81	-6.88	394.44	-16.91	-102.63
9	2021-22	422.00	44.62	613.05	55.43	-191.05
10	2022-23	451.07	6.89	715.97	16.79	-264.90
	अप्रैल-दिसंबर 2023 (पी)	**317.12**	**-5.70**	**505.15**	**-7.93**	**-188.02**

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस,पी का अर्थ अनंतिम है

3. भारत का सेवा व्यापार

- सेवा निर्यात 2022-23 में समग्र निर्यात वृद्धि में अग्रणी रहा और 2021-22 (254.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 27.82 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 325.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया रिकॉर्ड स्थापित किया । अप्रैल-दिसंबर 2022 (यूएस $ 239.50 बिलियन) की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2023* (यूएस $ 247.92 बिलियन) के दौरान सेवा निर्यात 3.52 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है ।
- सेवा आयात 2021-22 में 147.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2022-23 में 182.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 23.83 प्रतिशत की वृद्धि है। अप्रैल-दिसंबर 2023* के दौरान सेवाओं का आयात 129.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 135.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में (-) 4.47 प्रतिशत की गिरावट आई है ।
- 2022-23 में सेवा व्यापार में 143.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष उत्पन्न हुआ। अप्रैल-दिसंबर 2023* में सेवा व्यापार अधिशेष 118.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है ।
- पिछले दस वर्षों में सेवा निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन की प्रवृतियां नीचे तालिका में दी गई हैं।

सेवा व्यापार

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	वर्ष	निर्यात	वृद्धि %	आयात	वृद्धि %	सेवाओं का निवल
1	2013-14	151.81	4.21	78.75	-2.50	73.07
2	2014-15	158.11	4.15	81.58	3.59	76.53
3	2015-16	154.31	-2.40	84.63	3.75	69.68
4	2016-17	164.20	6.41	95.85	13.25	68.34
5	2017-18	195.09	18.81	117.53	22.61	77.56
6	2018-19	208.00	6.62	126.06	7.26	81.94
7	2019-20	213.19	2.50	128.27	1.75	84.92
8	2020-21	206.09	-3.33	117.52	-8.38	88.57
9	2021-22	254.53	23.50	147.01	25.09	107.52
10	2022-23	325.33	27.82	182.05	23.83	143.28
	अप्रैल-दिसंबर 2023*	**247.92**	**3.52**	**129.24**	**-4.47**	**118.68**

स्रोत: आरबीआई डेटाबेस और आरबीआई प्रेस विज्ञप्तियाँ

*** नोट:** आरबीआई द्वारा जारी सेवा क्षेत्र के लिए नवीनतम आंकड़े नवंबर 2023 के लिए हैं। दिसंबर 2023 का आंकड़ा एक अनुमान है, जिसे आरबीआई की बाद की रिलीज़ के आधार पर संशोधित किया जाएगा। (ii) अप्रैल-दिसंबर 2022 और अप्रैल-सितंबर 2023 के आंकड़ो को तिमाही भुगतान संतुलन डेटा का उपयोग करके आनुपातिक आधार पर संशोधित किया गया है।

4. निर्यात और आयात की प्रमुख वस्तुएं

वर्ष 2022-23 में शीर्ष 10 वस्तुओं के निर्यात

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रैंक	वस्तु	2021-22	2022-23	अप्रैल-नवंबर 2023(पी)	2021-22 की तुलना में 2022-23 में वृद्धि %	शेयर %
1	पेट्रोलियम उत्पाद	67.47	97.47	55.20	44.46	21.61
2	मोती, कीमती, अर्ध-कीमती पत्थर	27.68	25.23	12.98	-8.84	5.59
3	औषधि निर्माण, जैविक	19.00	19.46	14.01	2.41	4.31
4	लोहा और इस्पात	22.91	13.40	7.53	-41.51	2.97
5	दूरसंचार उपकरण	7.38	12.85	10.15	74.19	2.85
6	सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण	11.06	12.35	8.29	11.72	2.74
7	इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण	10.35	10.96	8.11	5.92	2.43
8	लोहे और इस्पात के उत्पाद	8.79	9.77	6.39	11.19	2.17
9	जैविक रसायन	10.95	9.64	4.78	-11.93	2.14
10	सभी वस्त्रों का आरएमजी	9.04	9.33	5.00	3.18	2.07
	कुल	422.00	451.07	278.67	6.89	100

डेटा स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता, पी का अर्थ अनंतिम है

वर्ष 2022-23 में शीर्ष 10 वस्तुओं के आयात

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रैंक	वस्तु	2021-22	2022-23	अप्रैल-नवंबर 2023(पी)	2021-22 की तुलना में 2022-23 में वृद्धि %	शेयर %
1	पेट्रोलियम: कच्चा तेल और उत्पाद	122.45	162.21	88.45	32.47	22.66
2	कोयला, कोक और ब्रिकेट आदि।	31.72	49.74	25.84	56.8	6.95
3	पेट्रोलियम उत्पाद	39.36	47.21	25.21	19.95	6.59
4	सोना	46.17	35.02	32.93	-24.15	4.89
5	मोती, कीमती, अर्ध-कीमती पत्थर	31.01	30.70	15.23	-0.99	4.29
6	इलेक्ट्रॉनिक्स घटक	25.94	25.13	21.42	-3.13	3.51
7	वनस्पति तेल	18.99	20.84	10.53	9.72	2.91
8	जैविक रसायन	17.77	18.35	9.97	3.26	2.56
9	प्लास्टिक के कच्चे माल	14.99	17.88	11.43	19.32	2.50
10	लोहा और इस्पात	12.61	17.72	12.35	40.48	2.47
	कुल	613.05	715.97	446.89	16.79	100

डेटा स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता, पी का अर्थ अनंतिम है

5. प्रमुख निर्यात गंतव्य और आयात स्रोत

वर्ष 2022-23 में भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्य

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रैंक	देश	2021-22	2022-23	अप्रैल-नवंबर 2023(पी)	2021-22 की तुलना में 2022-23 में वृद्धि %	शेयर %
1	यूएसए	76.18	78.55	50.33	3.11	17.41
2	संयुक्त अरब अमीरात	28.04	31.61	20.77	12.71	7.01
3	नीदरलैंड	12.55	21.62	13.48	72.32	4.79
4	चीन	21.26	15.33	10.28	-27.90	3.40
5	बांग्लादेश	16.16	12.22	7.01	-24.39	2.71
6	सिंगापुर	11.15	11.99	7.86	7.55	2.66
7	यूके	10.50	11.46	8.35	9.13	2.54
8	सऊदी अरब	8.76	10.73	7.08	22.48	2.38
9	जर्मनी	9.88	10.14	6.29	2.55	2.25
10	इंडोनेशिया	8.47	10.03	4.44	18.32	2.22
	कुल	**422.00**	**451.07**	**278.67**	**6.89**	**100**

डेटा स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता, पी का अर्थ अनंतिम है

वर्ष 2022-23 में भारत के शीर्ष 10 आयात स्रोत

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

रैंक	देश	2021-22	2022-23	अप्रैल-नवंबर 2023(पी)	2021-22 की तुलना में 2022-23 में वृद्धि %	शेयर %
1	चीन	94.57	98.51	68.01	4.16	13.76
2	संयुक्त अरब अमीरात	44.83	53.23	27.83	18.73	7.44
3	यूएसए	43.31	50.86	28.95	17.43	7.10
4	रूस	9.87	46.21	40.49	368.21	6.45
5	सऊदी अरब	34.10	42.04	20.46	23.27	5.87
6	इराक	31.93	34.39	19.09	7.70	4.80
7	इंडोनेशिया	17.70	28.82	15.40	62.80	4.03
8	सिंगापुर	18.96	23.60	14.53	24.43	3.30
9	कोरिया आरपी.	17.48	21.23	14.41	21.46	2.96
10	ऑस्ट्रेलिया	16.76	19.01	11.15	13.46	2.66
	कुल	**613.05**	**715.97**	**446.89**	**16.79**	**100**

डेटा स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता, पी का अर्थ अनंतिम है

6. भारत और वैश्विक व्यापार प्रदर्शन

- वैश्विक स्तर पर, माल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कैलेंडर वर्ष (सी वाई) 2014 में 1.68 प्रतिशत से बढ़कर सी वाई 2022 में 0.17 प्रतिशत के बदलाव के साथ 1.85 प्रतिशत हो गई है। सेवा निर्यात हिस्सेदारी में 1.3 प्रतिशत का प्रभावशाली परिवर्तन हुआ है, जो 2014 के 3 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 4.3 प्रतिशत हो गया है। आयात पक्ष में, व्यापारिक आयात में हमारी हिस्सेदारी सी वाई 2014 में 2.4 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 2.9 प्रतिशत हो गई है। सी वाई 2022 में प्रतिशत 0.5 प्रतिशत का परिवर्तन दर्शाता है। जबकि सेवाओं के आयात का हिस्सा सी वाई 2014 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर सी वाई 2022 में 3.8 प्रतिशत हो गया है, जो 1.3 प्रतिशत का परिवर्तन दर्शाता है।

वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भागीदारी

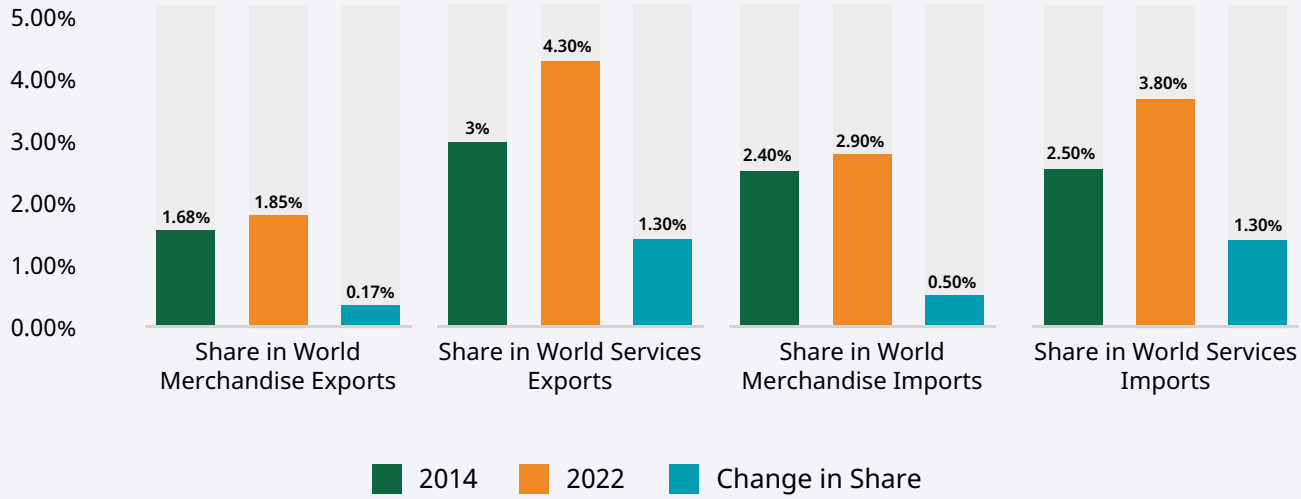

स्रोत: व्यापार मानचित्र और यूएन सीटीएडी

- 2023 (जनवरी से दिसंबर) में वैश्विक व्यापार के लिए यूएन सीटीएडी अनुमान ने वैश्विक व्यापार में (-) 4.5 प्रतिशत की गिरावट, व्यापारिक व्यापार में (-) 7.5 प्रतिशत की गिरावट और सेवा व्यापार में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया है। भारत का निर्यात प्रदर्शन कुल मिलाकर अच्छी प्रगति कर रहा है, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2023 के दौरान 0.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूएन सीटीएडी के वैश्विक व्यापार अनुमानों की तुलना में, जनवरी से दिसंबर 2023 तक भारत के व्यापारिक निर्यात में गिरावट (-) 4.7 प्रतिशत कम रही है, जबकि सेवाओं के निर्यात में वृद्धि का अनुमान इसी अवधि की तुलना में 7.9 प्रतिशत अधिक तेज़ रहा है। भारत इस समय व्यापार में वैश्विक स्तर पर अनुमान से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।

अध्याय 4

विदेश व्यापार नीति, आयात निर्यात व्यापार और प्रमुख योजनाएँ

1. परिचय

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 को 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी विदेश व्यापार नीति 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो भारत को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करने और इसे विश्वसनीय और भरोसेमंद व्यापार भागीदार बनाने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करता है। नीति में एफ़टीपी विवरण, प्रक्रियाओं की पुस्तिका, परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र शामिल हैं। जबकि एफटीपी आयात और निर्यात के लिए नीति/योजनाएं निर्धारित करता है, विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से पालन की जाने वाली प्रक्रिया (निर्यातक या आयातक द्वारा या लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकरण या किसी प्राधिकरण द्वारा) को प्रक्रिया पुरस्तक अधिसूचित करती है। प्रक्रियाएँ निम्नलिखित दस्तावेज़ों में निहित हैं:

- प्रक्रिया पुस्तिका
- परिशिष्ट एवं आयत निर्यात प्रपत्र एवं
- मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एस आईओ एन)

नया एफटीपी 2023 धीरे-धीरे प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था से दूर जा रहा है और 'आत्मनिर्भर भारत' और लोकल गोज ग्लोबल के दर्शन का समर्थन करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रहा है। एफटीपी 2023 जागरूकता, क्षमता निर्माण, आउटरीच और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के माध्यम से जिला स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन को बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ एक सहयोगी साझेदारी की आवश्यकता को भी सामने लाता है।

2. विदेश व्यापार नीति उद्देश्य

भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए डीजीएफटी और वाणिज्य विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहल भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बताए गए आदर्शों, सिद्धांतों और नीतियों द्वारा निर्देशित हैं, जैसे एफडीआई के लिए नए क्षेत्रों को खोलना, पर्यावरण में सुधार, नियामक बाधाओं को दूर करना, स्टार्टअप को मान्यता देना और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और नौकरियां पैदा करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाएं शुरू की गईं। अपने केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत ने वर्ष 2022-23 में 776 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया।

नई एफटीपी 2023 पहल का उद्देश्य एक पूर्वानुमानित और न्यायसंगत वातावरण का निर्माण करना, सर्वोत्तम और टिकाऊ व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना, वैश्विक बाजार में गहरी, व्यापक और अधिक मूल्य वर्धित पैठ प्रदान करना, लेनदेन लागत को कम करके दक्षता में सुधार और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बनना है।

इसे प्राप्त करने के लिए, तकनीकी उन्नयन, लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे का विस्तार, निरंतर डिजिटल परिवर्तन, कार्यबल की री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग, डिजिटल कॉमर्स को उच्च महत्व प्रदान करना, महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार, लघु और मध्यम उद्यमों, असंगठित क्षेत्र और वैश्विक बाजार और इष्टतम उत्पादन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर देश के पिछड़े क्षेत्रों, उत्तर पूर्व और पहाड़ी क्षेत्रों का समर्थन करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

हालांकि अधिकांश उच्च मूल्य विकास-उन्मुख क्षेत्रों में तकनीकी उन्नयन महत्वपूर्ण है, कुछ पारंपरिक रोजगार-उन्मुख क्षेत्रों में विशेष रूप से उत्तर-पूर्व क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्रों और अन्य पहाड़ी राज्यों में कारीगरों और जनजातीय लोगों के जातीय मूल्य ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जातीय मूल्यों के प्रति उच्च संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पारंपरिक पारिस्थितिकी तंत्र में बाधा डाले बिना उत्पादन तकनीकों में न्यूनतम या वृद्धिशील तकनीकी हस्तक्षेप पर जोर दिया जाता है। इस नीति का उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन की दिशा में राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न अन्य विभागों द्वारा की गई कई पहलों को एकीकृत करना है जो वैश्विक स्तर पर निर्यात केंद्र बनने की अपनी रणनीतिक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने में मदद करेगा।

3. प्रमुख योजनाएँ

(क) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी):

- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट की योजना (आरओडीटीईपी) उन करों/शुल्कों/लेवी की प्रतिपूर्ति के लिए एक तंत्र बनाती है, जिन्हें वर्तमान में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत वापस नहीं किया जाता है, लेकिन जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं। ऐसे करों का प्रमुख घटक विद्युत शुल्क और परिवहन/वितरण में प्रयुक्त ईंधन पर वैट है।

- आरओडीटीईपी योजना को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी), राजस्व विभाग द्वारा एंड-टू-एंड आईटी वातावरण में कार्यान्वित किया जा रहा है।

- आरओडीटीईपी के तहत पात्र निर्यात वस्तुओं की अनुसूची परिशिष्ट 4 द के तहत अधिसूचित की गई है जिसमें 10,610 पात्र निर्यात वस्तुएं (8 अंकों के स्तर पर एचएस लाइनें) और उनकी छूट की संबंधित दरें शामिल हैं। सूची को मई 2023 से नई सीटीएच लाइनों के साथ सुसंगत बना दिया गया है।

- आरओडीटीईपी योजना एक बजटीय ढांचे के तहत संचालित होती है और. वित्त वर्ष 2023-24 में योजना को लागू करने के लिए 15,070 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आरओडीटीईपी योजना के अंतर्गत दिनांक 01.01.2021 से 31.03.2023 तक निर्यातकों को 27,018 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए हैं।

- आरओडीटीईपी योजना को 01.10.2023 से 30.06.2024 तक किए गए निर्यात के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ख) भारत पण्यवस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस):

- विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत निर्दिष्ट बाजारों में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात के लिए भारत पण्यवस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस) और अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) शुरू की गई थी।

- निम्नलिखित तालिका में वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 तक) के दौरान स्क्रिप के मूल्य के साथ एमईआईएस और एसईआईएस के तहत स्क्रिप को जारी करने का विवरण दर्शाया गया है:

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ		वित्त वर्ष 2022-2023 में	वित्त वर्ष 2023-24 में (अक्टूबर 23 तक)
भारत पण्यवस्तु निर्यात योजना (एमईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	16,509	362
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपये)	1,201.19	68.84
भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	3,382	1,140
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपये)	2,600.52	649.66

(ग) पूर्व विदेश व्यापार नीतियों के तहत अन्य निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ

विभिन्न योजनाओं के तहत भी स्क्रिपें जारी की जाती हैं। (i) फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस), (ii) फोकस बाजार योजना (एफएमएस), (iii) विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई), (iv) वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना, (v) भारत से सेवा योजना और (vi) स्टेटस होल्डर इंसेंटिव स्क्रिप (एसएचआईएस)। वर्ष 2021-22, 2022-23 और अप्रैल-नवंबर 2023-24 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्क्रिप के मूल्य और निर्यात के एफओबी मूल्य के साथ स्क्रिप जारी करने का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रु. में)

निर्यात प्रोत्साहन योजनाएँ		2021-22	2022-23	अप्रैल-नवम्बर 2023-24
फोकस मार्केट स्कीम (एफएमएस)	स्क्रिप की संख्या	28	18	0
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपये)	5	2	0
	निर्यात का एफओबी मूल्य (करोड़ रुपये)	138	46	0
फोकस उत्पाद योजना (एफपीएस)	स्क्रिप की संख्या	297	233	0
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपये)	46	18	0
	निर्यात का एफओबी मूल्य (करोड़ रुपये)	1387	548	0
विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई)	स्क्रिप की संख्या	5	4	0
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपये)	0	0	0
	निर्यात का एफओबी मूल्य (करोड़ रुपये)	4	3	0
भारत से सेवा योजना (एसएफआईएस)	स्क्रिप की संख्या	0	0	0
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपये)	0	0	0
स्थिति धारक प्रोत्साहन स्क्रिप (एसएचआईएस)	स्क्रिप की संख्या	0	0	0
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपये)	0	0	0
वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (आईईआईएस)	स्क्रिप की संख्या	2	33	0
	स्क्रिप का मूल्य (करोड़ रुपये)	1	8	0

निम्नलिखित चित्र में वर्ष 2021-22, 2022-23 और अप्रैल-नवंबर 2023-24 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जारी किए गए स्क्रिप की संख्या को दर्शाया गया है।

विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत स्क्रिप जारी करना

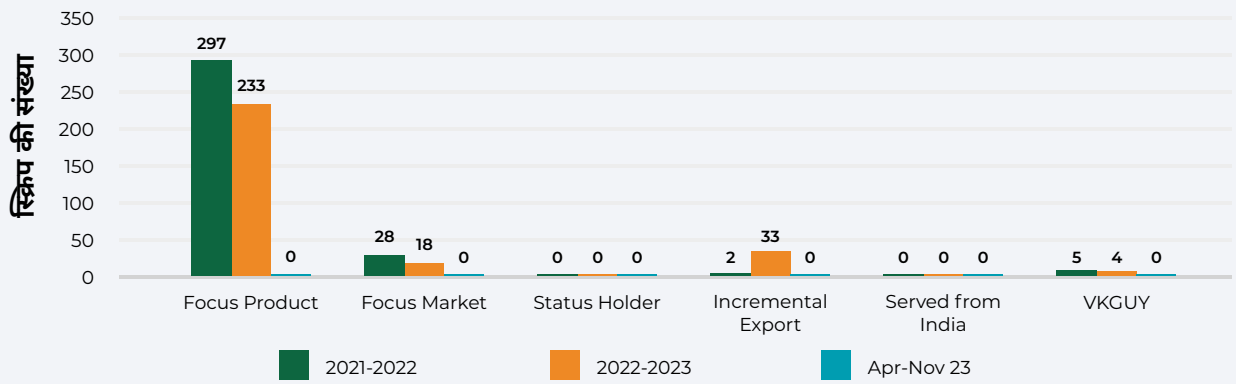

निम्नलिखित चित्र में वर्ष 2021-22, 2022-23 और अप्रैल-नवंबर 2023-24 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जारी किए गए स्क्रिप के मूल्य को दर्शाया गया है।

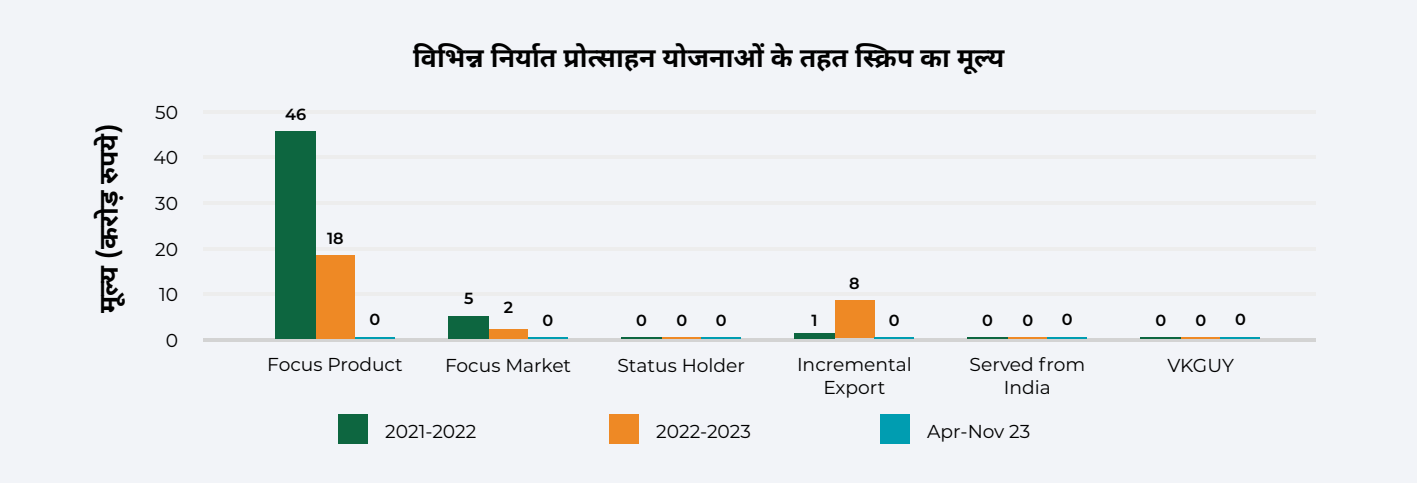

निम्नलिखित चित्र में वर्ष 2021-22, 2022-23 और अप्रैल-नवंबर, 2023-24 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाया गया है।

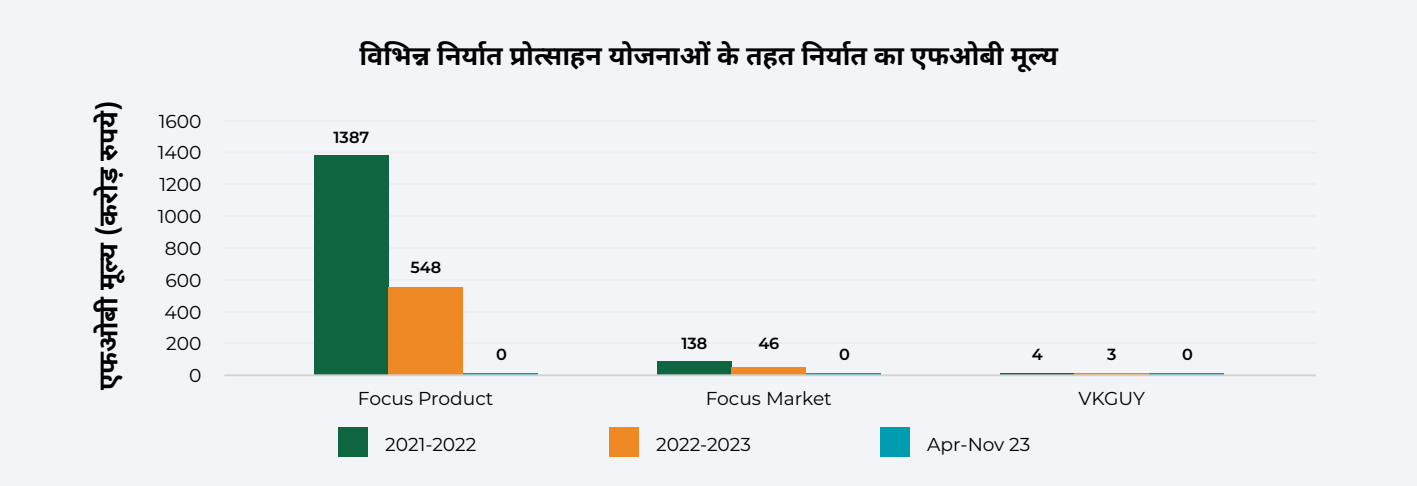

(घ) शुल्क माफी योजनाएं

शुल्क निराकरण/छूट योजनाएं सरकार के सिद्धांत और प्रतिबद्धता पर आधारित हैं कि "वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किया जाना है, न कि करों और लेवी का"। इसका उद्देश्य इनपुट के शुल्क मुक्त आयात/खरीद की अनुमति देना या उपयोग किए गए इनपुट या उपयोग किए गए इनपुट पर शुल्क घटक की पुन:पूर्ति की अनुमति देना है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) योजना

अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) डब्ल्यूटीओ अनुरूप एक शुल्क छूट योजना है जिसका विवरण नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अध्याय 4 के तहत दिया गया है। एए योजना इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देती है, जो भौतिक रूप से शामिल होते हैं या निर्यात उत्पाद बनाने में उपयोग किए जाते हैं। एए योजना के तहत, इनपुट पर सभी आयात शुल्क, जैसे मूल सीमा शुल्क, आईजीएसटी, उपकर, एंटी-डंपिंग शुल्क आदि से छूट दी गई है। इसके अलावा, एए के तहत सीधे आयात के स्थान पर इनपुट की स्थानीय खरीद की अनुमति है, जिसमें इनपुट आपूर्ति के लिए आईजीएसटी वापस कर दिया जाता है। इनपुट की आवश्यक मात्रा की गणना मानक इनपुट आउटपुट नॉर्म्स (एस आई ओ एन) के आधार पर की जाती है। एए का उपयोग वहां किया जाता है जहां एक आवेदक आम तौर पर पहले आयात करता है और फिर अपने निर्यात में आयातित इनपुट का उपयोग करता है। हालाँकि, प्राधिकार पत्र धारक पुन:पूर्ति के आधार पर भी इनपुट आयात कर सकते हैं।

सहायक निर्माताओं से जुड़े सभी निर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक एए का लाभ उठाने के पात्र हैं। इनपुट को एए की वैधता के भीतर आयात करने की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर एए जारी होने की तारीख से 12 महीने है। निर्यात आमतौर पर एए जारी होने की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरा किया जाना होता है। इस योजना के तहत 15% मूल्यवर्धन (जी एंड जे सेक्टर के लिए कम) बनाए रखा जाना है। एए के मोचन के लिए निर्यात के पूरा होने के बाद विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान के प्रमाण के साथ निर्यात का प्रमाण डीजीएफटी के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत करना होता है और आरए निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र (ईओडीसी) जारी करता है।

यह योजना इस अर्थ में अधिक व्यापार अनुकूल है कि यह निर्यातक को इनपुट के आयात के समय सीमा शुल्क और आईजीएसटी के भुगतान से अग्रिम छूट देती है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करता है कि कार्यशील पूंजी का कोई अवरोध न हो क्योंकि यह अग्रिम छूट प्रदान करता है।

(ii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए)

दिनांक 1 मई 2006 से चालू डीएफआईए योजना के तहत, निर्यात पूरा होने के बाद उन उत्पादों के लिए निर्यात के बाद के आधार पर शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र एस आई ओ एन जारी किया जाएगा जिनके लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) अधिसूचित किए गए हैं। योजना का एक उद्देश्य निर्यात पूरा होने के बाद एसआईओएन के अनुसार प्राधिकरण या आयातित इनपुट के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना है। डीएफआईए योजना के प्रावधान अग्रिम प्राधिकार पत्र योजना के समान हैं। योजना के तहत न्यूनतम 20% मूल्यवर्धन आवश्यक है। उन वस्तुओं के लिए जहां परिशिष्ट में अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत उच्च मूल्यवर्धन निर्धारित किया गया है, वही मूल्यवर्धन डीएफआईए के लिए भी लागू होगा। एफ़टीपी 2015-2020 में पूर्व-निर्यात डीएफआईए को बंद कर दिया गया है।

(iii) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए योजनाएं

रत्न एवं आभूषण निर्यात हमारे कुल पण्यवस्तु निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है। यह एक रोजगारोन्मुख क्षेत्र है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण इस क्षेत्र से निर्यात को काफी नुकसान हुआ। नामांकित एजेंसियों से कीमती धातु (सोना/चांदी/प्लैटिनम) का शुल्क मुक्त आयात/खरीद या तो अग्रिम रूप से या पुनःपूर्ति के रूप में की अनुमति है। शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र योजना रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी। रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए योजनाएँ इस प्रकार हैं:

- नामांकित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम खरीद/पुनःपूर्ति
- रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकरण
- उपभोग्य सामग्रियों के लिए पुनः पूर्ति प्राधिकार पत्र
- कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

उद्योग द्वारा उठाई गई मांग को देखते हुए, पोस्ट, पुश बैक, ताले जैसे आभूषणों को एक साथ रखने में मदद करने वाले ताले, जिनमें 3 कैरेट और 22 कैरेट की अधिकतम सीमा तक सोना होता है, को भी शुल्क छूट योजना के तहत अनुमति दी गई है।

इसके दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से, सोने के पदकों और सिक्कों और पूरी तरह से मशीनीकृत आभूषणों के निर्यात के लिए कीमती धातुओं के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र योजना को बंद कर दिया गया है।

शुल्क माफी योजनाओं के तहत प्राधिकार पत्र जारी करना

प्राधिकार पत्र विभिन्न योजनाओं, जैसे अग्रिम प्राधिकार पत्र, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) और पुनःपूर्ति लाइसेंस (रत्न और आभूषण) के तहत जारी किए जाते हैं। वर्ष 2021-22, 2022-23 और अप्रैल-नवंबर, 2023-24 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की संख्या, आयात का सीआईएफ मूल्य और निर्यात का एफओबी मूल्य का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रु. में)

शुल्क माफी योजनाएँ		2021-22	2022-23	अप्रैल-नवम्बर 2023-24
अग्रिम प्राधिकार पत्र	प्राधिकार पत्र की संख्या	23,031	22,322	15,463
	आयात का सीआईएफ मूल्य (करोड़ रुपये)	2,64,870	2,48,599	2,01,392
	निर्यात का एफओबी मूल्य (करोड़ रुपये)	3,95,094	5,01,528	3,51,510
शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए)	प्राधिकार पत्र की संख्या	2,458	2,046	2,009
	आयात का सीआईएफ मूल्य (करोड़ रुपये)	4,830	5,442	4,922
	निर्यात का एफओबी मूल्य (करोड़ रुपये)	9,129	7,277	5,828
पुनःपूर्ति लाइसेंस (रत्न एवं आभूषण)	प्राधिकार पत्र की संख्या	59	0	0
	आयात का सीआईएफ मूल्य (करोड़ रुपये)	68	0	0
	निर्यात का एफओबी मूल्य (करोड़ रुपये)	429	0	0

निम्नलिखित चित्र में वर्ष 2021-22, 2022-23 और अप्रैल-नवंबर 2023-24 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जारी किए गए प्राधिकार पत्रों की संख्या को दर्शाया गया है।

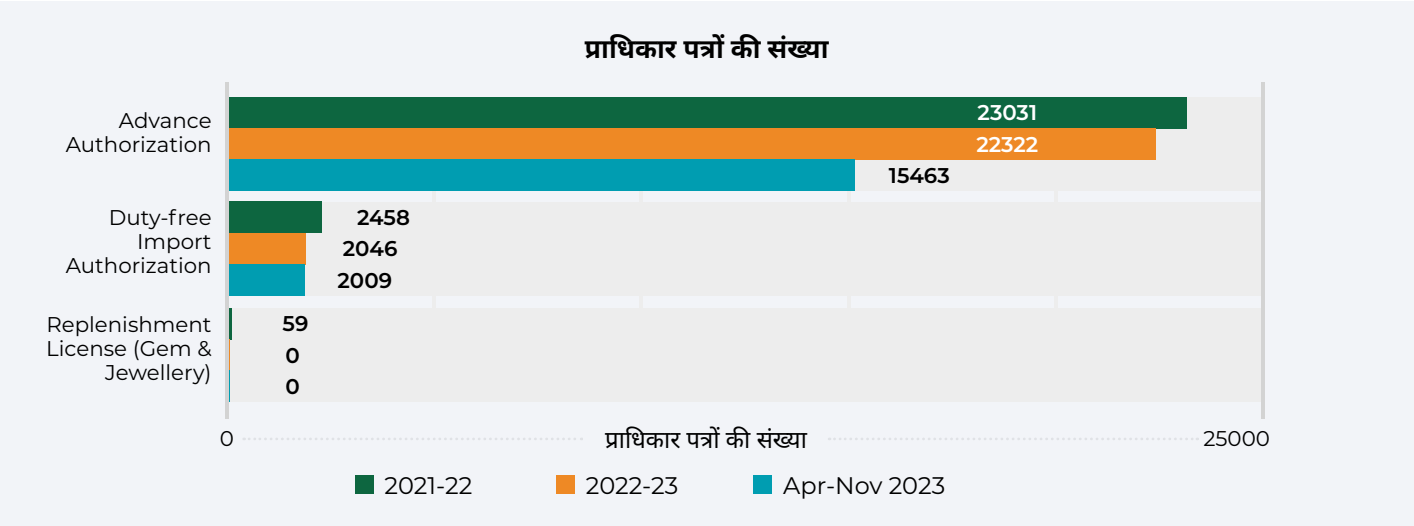

निम्नलिखित चित्र वर्ष 2021-22, 2022-23 और अप्रैल-नवंबर 2023-24 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आयात के सीआईएफ मूल्य को दर्शाता है।

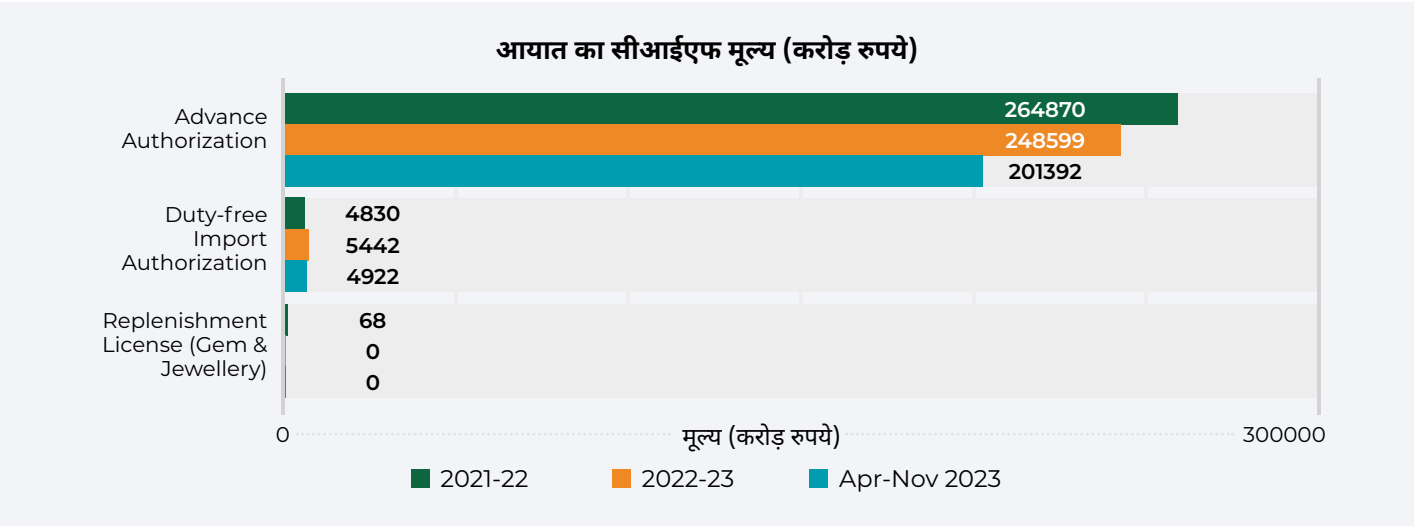

निम्नलिखित चित्र में वर्ष 2021-22, 2022-23 और अप्रैल-नवंबर 2023-24 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत निर्यात के एफओबी मूल्य को दर्शाया गया है।

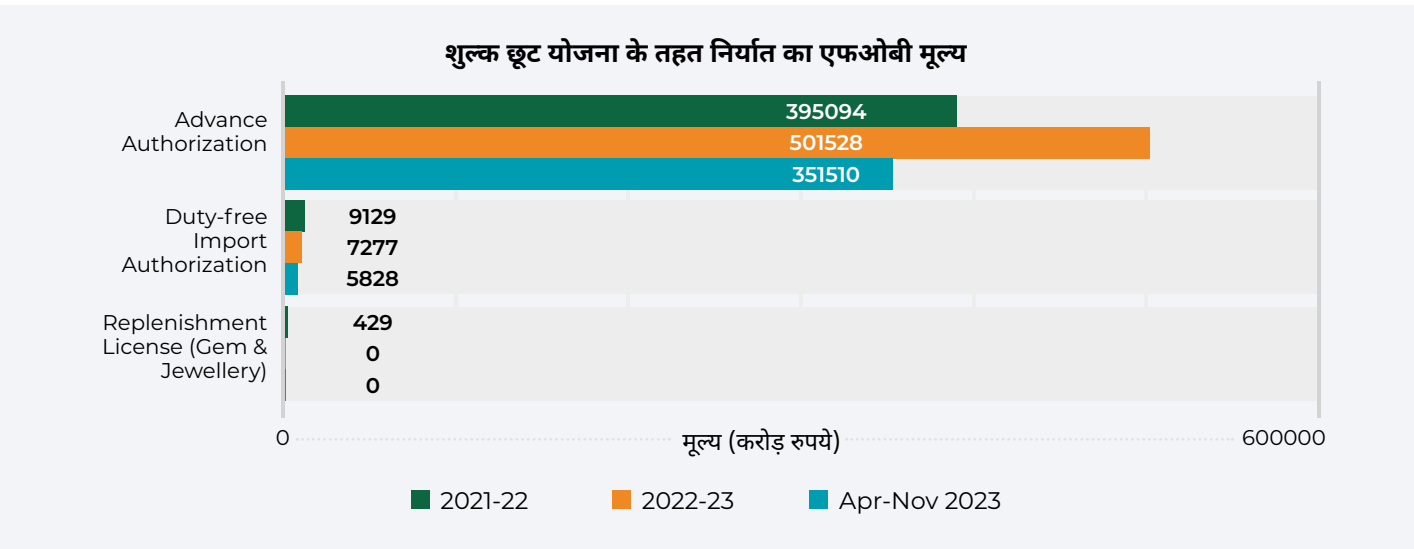

निम्नलिखित चित्र अप्रैल-नवंबर, 2023-24 के दौरान कुल स्क्रिप को जारी करने में विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि अप्रैल-नवंबर 2023-24 के दौरान एए योजना के तहत सबसे अधिक 49.54% स्क्रिप जारी किए गए, इसके बाद ईपीसीजी योजना 33.75% के साथ रही है।

अप्रैल-नवंबर 2023-24 के दौरान स्क्रिप/प्राधिकार पत्र जारी करने में विभिन्न योजनाओं का प्रतिशत हिस्सा

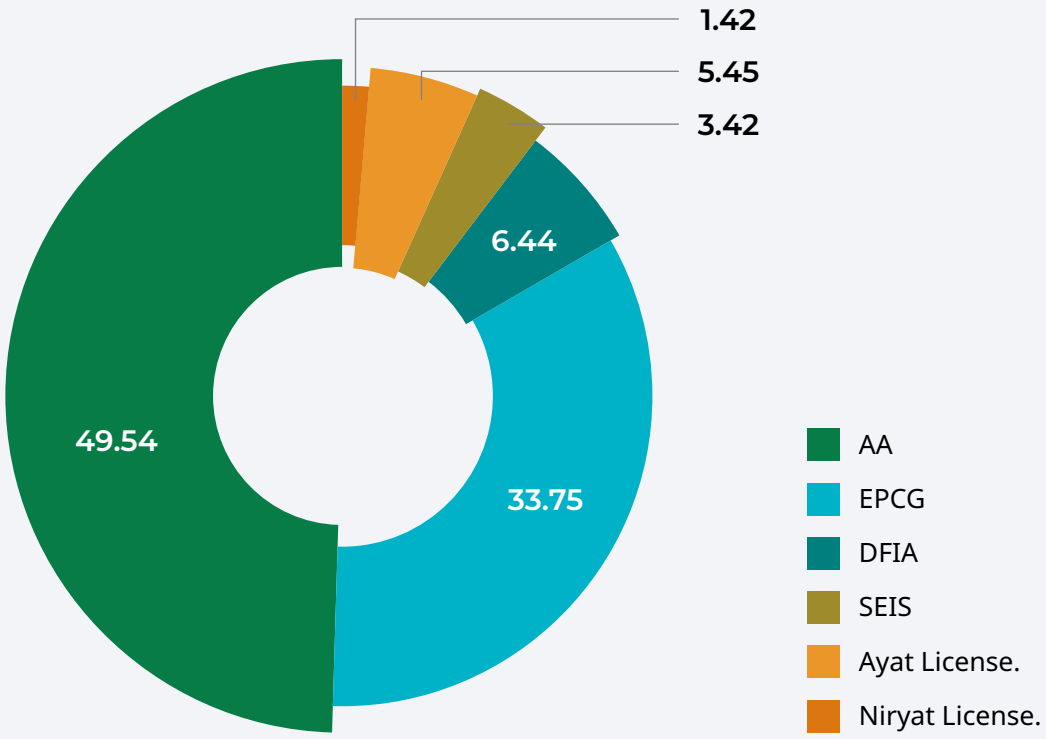

(ङ) प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज समकरण योजना:

निर्यातकों को उनके प्री और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों में लाभ देने के लिए ब्याज समकरण योजना तैयार की गई है। यह योजना 01.04.2015 से 5 साल की अवधि के लिए शुरू की गई थी और बाद में समय-समय पर कैबिनेट की मंजूरी से 30.06.2024 तक बढ़ा दी गई ताकि भारतीय निर्माता निर्यातकों को समकक्ष देशों की तुलना में दरों पर क्रेडिट तक पहुंच प्राप्त करके विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। . योजना का व्यापक उद्देश्य निर्यातकों को प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट कार्यों के लिए रुपया ऋण का किफायती स्रोत प्रदान करना है।

सभी विनिर्माताओं और व्यापारी निर्यातकों के लिए 4 अंकों वाली आईटीसी एचएस (इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज्ड सिस्टम) कोड स्तर पर 410 पहचानी गई टैरिफ लाइनों के लिए पूर्व एवं पश्च रुपया निर्यात क्रेडिट पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज समकरण की दर उपलब्ध है, और किसी भी एचएस लाइन के तहत निर्यात करने वाले सभी एमएसएमई निर्माताओं के लिए प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध है। यह योजना पहचाने गए निर्यात क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने और निर्यात प्रदर्शन के उच्च स्तर को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है।

यह योजना आरबीआई के माध्यम से लागू की गई है। योजना के तहत पात्र निर्यातक बैंक से ब्याज छूट का अग्रिम लाभ लेने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके बाद, निर्यातकों को सबवेंशन ब्याज दर के रूप में दी गई राशि की प्रतिपूर्ति डीजीएफटी/वाणिज्य विभाग द्वारा संबंधित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को आगे जारी करने के लिए आरबीआई को की जाती है।

(च) पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना

ईपीसीजी योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना और भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। ईपीसीजी योजना शून्य सीमा शुल्क पर पूर्व-उत्पादन, उत्पादन और उत्पादन के बाद के लिए पूंजीगत वस्तुओं (परिशिष्ट 5 एफ में नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) के आयात की अनुमति देती है। भौतिक निर्यात के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के तहत आयातित पूंजीगत वस्तुओं को भी आईजीएसटी और मुआवजा उपकर से छूट दी गई है। प्राधिकार पत्र धारक एफटीपी के पैराग्राफ 5.07 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत सामान भी खरीद सकता है। प्राधिकार पत्र इसके जारी होने की तारीख से 24 महीने के लिए आयात के लिए वैध होगा।

ईपीसीजी योजना के प्रयोजन के लिए पूंजीगत वस्तुओं में शामिल होंगे:

- अध्याय 11 में परिभाषित पूंजीगत सामान, जिसमें सीकेडी/एसकेडी की स्थिति भी शामिल है;
- कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो आयात किए जाने वाले पूंजीगत सामान का हिस्सा हैं;
- पुर्जे, सांचे, डाई, जिग्स, फिक्स्चर, उपकरण और रिफ्रैक्टरीज; और
- प्रारंभिक चार्ज और एक बाद के चार्ज के लिए उत्प्रेरक।

ईपीसीजी योजना सहायक निर्माता(ओं) के साथ या उसके बिना निर्माता निर्यातकों, सहायक निर्माता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को कवर करती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजना में ऐसे सेवा प्रदाता को भी शामिल किया गया है, जो डीजीएफटी-मुख्यालय, वाणिज्य विभाग द्वारा निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर में या प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और परिधान पार्क (पीएम मित्र) में सामान्य सेवा प्रदाता (सीएसपी) के रूप में प्रमाणित है।

ईपीसीजी योजना के तहत आयात पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्कों, करों और उपकर के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व (ईओ) के अधीन होगा, जिसे प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 6 वर्षों में पूरा किया जाना है। ईओ को प्राधिकरण धारक द्वारा उन वस्तुओं के निर्यात के माध्यम से पूरा किया जाएगा जो उसके या उसके सहायक निर्माता / उसके द्वारा प्रदान की गई सेवा द्वारा निर्मित हैं, जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रदान किया गया है। योजना के तहत ईओ, विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, सहित समग्र ईओ अवधि के भीतर उसी और समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आवेदक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर से अधिक होगा; ऐसा औसत उसी और समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात प्रदर्शन का अंकगणितीय माध्य होगा। ईओ को भौतिक निर्यात के साथ-साथ मानित निर्यात दोनों द्वारा पूरा किया जा सकता है। मान्य निर्यात आपूर्ति भी एफटीपी के पैराग्राफ 7.03 के तहत उपलब्ध लाभों के लिए पात्र होगी।

निर्यात में तेजी लाने की दृष्टि से, ऐसे मामलों में जहां प्राधिकार पत्र धारक ने विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75% या अधिक और अब तक औसत निर्यात दायित्व; निर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व अवधि के आधे या आधे से कम समय में यदि कोई हो का 100% पूरा किया हो तो, शेष निर्यात दायित्व माफ कर दिया जाएगा। हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातकों के लिए, विशिष्ट ईओ निर्धारित ईओ का 75% होगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में स्थित विनिर्माण इकाइयों के लिए विशिष्ट ईओ, ईओ का 25% होगा।

एफटीपी, 2023 में डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है। पीएम मित्र योजना को ईपीसीजी की सीएसपी योजना के तहत लाभ का दावा करने के लिए पात्र एक अतिरिक्त योजना के रूप में जोड़ा गया है। इसके अलावा, सभी प्रकार के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी), वर्टिकल फार्मिंग उपकरण, अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन प्रणाली और वर्षा जल फिल्टर, और ग्रीन हाइड्रोजन को हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों में जोड़ा गया है, यानी वे कम निर्यात दायित्व आवश्यकता के लिए पात्र होंगे।

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में डिफ़ॉल्ट के एकमुश्त निपटान के लिए 01.04.2023 को एक माफी योजना अधिसूचित की गई है।

वर्ष 2021-22, 2022-23 और सितंबर 2023-24 तक ईपीसीजी योजना के तहत जारी प्राधिकार पत्र का विवरण निम्नानुसार तालिका में दिया गया है:

(मूल्य करोड़ रु. में)

ईपीसीजी योजना के तहत प्राधिकार पत्र जारी करना			
वर्ष	2021-22	2022-23	अप्रैल-सितंबर 2023-24
प्राधिकार पत्र की संख्या	13045	13825	7437
माफ की गई शुल्क राशि (करोड़ रुपये)	21122	7567	766
निर्यात का एफओबी मूल्य (करोड़ रुपये)	120722	145669	89321

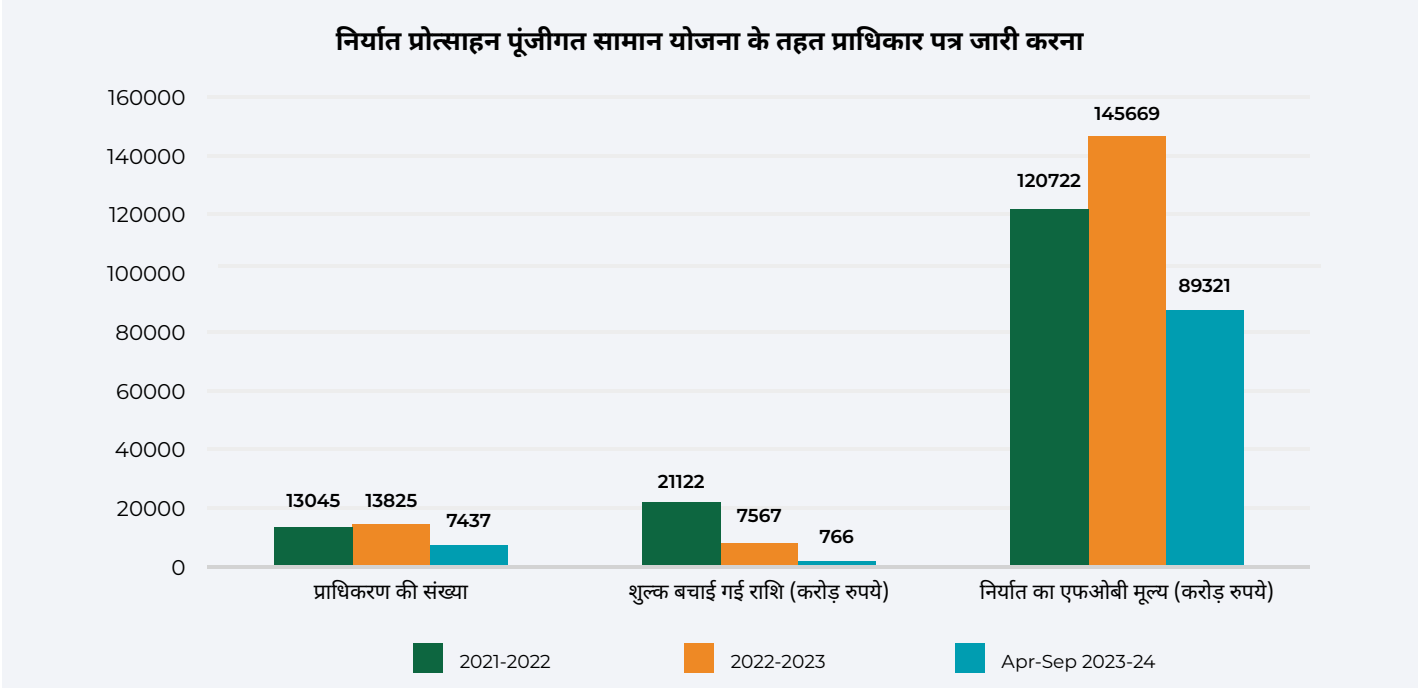

(छ) निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और बायो-टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी)

इन योजनाओं का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा आय बढ़ाना, निर्यात उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए निवेश आकर्षित करना है। वस्तुओं और सेवाओं के अपने संपूर्ण उत्पादन (डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) का निर्यात करने का उपक्रम करने वाली इकाइयाँ, योजनाओं के तहत स्थापित की जा सकती हैं। ट्रेडिंग इकाइयाँ इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

इस योजना के तहत, ईओयू आदि को सीमा शुल्क जैसा कि सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के तहत प्रदान किया गया है और धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के तहत लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क यदि कोई हो और राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए जाने वाले एकीकृत कर और जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान के बिना डीटीए या डीटए में बंधुआ गोदाम से या भारत में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी से आयात और/या खरीद करने की अनुमति है।

इसके अलावा, डीटीए से जीएसटी के तहत आने वाले सामानों की खरीद लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर होगी। ईओयू लागू उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची में आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य सामान भी खरीद सकते हैं। डीटीए से ईओयू को आपूर्ति के लिए जीएसटी का रिफंड आपूर्तिकर्ता को जीएसटी नियमों और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के तहत उपलब्ध होगा। निर्यात के लिए अपने निर्माण में उपयोग के लिए डीटीए से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयों को आपूर्ति एफटीपी के अध्याय 7 के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। डीटीए आपूर्तिकर्ता आपूर्तिकर्ता पर निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, के निर्वहन के अलावा, एफटीपी के अध्याय 7 के तहत प्रासंगिक अधिकारों के लिए पात्र है।

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाइयां निम्नलिखित की हकदार हैं:

- भारत में निर्मित वस्तुओं पर केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति। यदि पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर मामले का निपटान नहीं किया जाता है, तो सीएसटी के रिफंड में देरी पर 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा (जैसा कि एचबीपी के पैरा 11.10 में है)
- भारत में निर्मित ऐसे सामानों पर डीटीए से खरीदे गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में आने वाले सामानों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

सीएसटी की प्रतिपूर्ति की योजना को 302.35 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित 54 करोड़ रुपये की राशि में से नवंबर, 2023 तक 38.54 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(ज) मानित निर्यात

विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन के लिए "मानित निर्यात" उन लेनदेन को संदर्भित करता है जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं, और ऐसी आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है। एफटीपी में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति को "मानित निर्यात" माना जाएगा, बशर्ते कि सामान भारत में निर्मित किया गया हो।

उद्देश्य

- कुछ निर्दिष्ट मामलों में जैसा कि सरकार समय-समय पर निर्णय ले सकती है घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना, और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना।
- भारत में निर्मित उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त आयात और शुल्क छूट/रिफंड प्रदान करना।
- आयात पर निर्भरता कम करना।

लाभ

मानित निर्यात माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किसी भी/सभी लाभों के लिए पात्र होगा, जो मानित निर्यात के रूप में अर्हता प्राप्त है: -

- शुल्क छूट: अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए योजनाओं के तहत निर्माण और आपूर्ति के लिए शुल्क मुक्त इनपुट प्रदान करना।
- टेड रिफंड/छूट: मानित निर्यात आपूर्ति पर भुगतान किए गए अंतिम उत्पाद शुल्क का रिफंड या ऐसे शुल्कों का भुगतान करने से छूट।
- ड्यूटी ड्रॉबैक रिफंड: मानित निर्यात की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए माल के विनिर्माण और आपूर्ति में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क का रिफंड।
- आपूर्ति किए जाने और ऐसी आपूर्ति के तहत भुगतान प्राप्त होने के बाद डीजीएफटी के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रस्तुत दावों के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है।

सीएसटी की प्रतिपूर्ति की योजना को 695 करोड़ रु. के कुल परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित 126 करोड़ रुपये की राशि में से नवंबर, 2023 तक 81.24 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है।

4. निर्यात संवर्धन योजनाओं और डेटा विश्लेषण की निगरानी

निर्यात संवर्धन योजनाओं और डेटा विश्लेषण की निगरानी- विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन के लिए, डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग द्वारा निर्यात संवर्धन योजनाओं 2023 पर एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट जारी की गई थी। एमआईएस रिपोर्ट भी मासिक आधार पर संकलित की जा रही है जो डीजीएफटी वेबसाइट के होम पेज पर सांख्यिकी रिपोर्ट के तहत उपलब्ध है और लिंक ***https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=bulletin-foreign-trade-statisics.*** है। विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्क्रिप जारी करने और प्राधिकार का विस्तृत दृश्य वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर मॉनिटरिंग डैशबोर्ड में ***https://dashboard.commerce.gov.in/commercedashboard.aspx*** लिंक पर उपलब्ध है।

दिसंबर 2017 में एफटीपी (2015-20) की मध्यावधि समीक्षा के बाद डीजीएफटी के सांख्यिकी प्रभाग में एक डेटा विश्लेषण इकाई (डीएयू) के गठन के बाद से, विदेश व्यापार सांख्यिकी का एक मासिक बुलेटिन लाया जा रहा है जो त्वरित अनुमान, अनंतिम और अंतिम 8 अंकों केस्तर के अनुमानों पर प्रमुख वस्तुओं और प्रमुख देशों पर भारत के निर्यात आयात आंकड़ों पर

एक तैयार संदर्भ और विश्लेषण प्रदान करता है। बुलेटिन राज्य-वार निर्यात डेटा भी प्रदान करता है, जो होम पेज पर सांख्यिकी रिपोर्ट के तहत डीजीएफटी वेबसाइट पर उपलब्ध है और लिंक ***https://www.dgft.gov.in/CP/?opt=bulletin-foreign-trade-statistic*** है। डेटा एनालिटिक्स यूनिट (डीएयू), सांख्यिकी प्रभाग, डीजीएफटी ने वाणिज्य विभाग के मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड नाम से दो डैशबोर्ड विकसित किए हैं।

5. पण्यवस्तु निर्यात 2023-2024 के लिए लक्ष्य निर्धारण और निगरानी

वर्ष 2022-23 में भारत से पण्यवस्तु निर्यात 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। इसके अलावा, 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात को क्षेत्रों और देशों के साथ-साथ उत्पाद/वस्तु समूहों के संदर्भ में विभाजित किया गया था। वाणिज्य विभाग ने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत रणनीति तैयार की और एक विस्तृत निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।

कड़ी निगरानी के कारण, निर्यात संवर्धन उपायों द्वारा समर्थित, भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, भारत ने 2021-22 में 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्राप्त किया है, जो भारतीय इतिहास में पहली बार है माल निर्यात को हम 330 बिलियन डॉलर के अवरोध से मुक्त करने में कामयाब रहे हैं जो कि अतीत में सबसे अधिक था।

वित्त वर्ष 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर, 2023) के पहले 9 महीनों में, भारत ने 317.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात प्राप्त किया है, जो कि 508 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनंतिम निर्यात लक्ष्य का 62% है। विभिन्न स्तरों पर देश/क्षेत्र/मिशन/उत्पाद/वस्तु समूहों/निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा कड़ी निगरानी के साथ, निर्यात संवर्धन उपायों द्वारा समर्थित, भारत को इस वर्ष भी लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है।

6. निर्यात पोर्टल

निर्यात निष्पादन की ऑफ़लाइन निगरानी को पूरक करने के लिए, निर्दिष्ट निर्यात लक्ष्य (31 वस्तु समूहों द्वारा 200 देशों/क्षेत्रों के लिए) हेतु एक वास्तविक समय ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समय पर नीति निर्माण/हस्तक्षेप की सुविधा के लिए डिजिटली कृत डेटा-संचालित ढांचे के माध्यम से। वाणिज्य विभाग ने एक पोर्टल विकसित किया है- निर्यात (व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात-निर्यात रिकॉर्ड), जिसे 23 जून, 2022 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। पोर्टल 31 कमोडिटी समूहों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार निर्यात निष्पादन भी प्रदर्शित करता है।

निर्यात पोर्टल डोमेन नाम: https://niryat.gov.in पर उपलब्ध है। यह सरकारी हितधारकों (दूतावासों/उच्चायोगों/मिशनों सहित) और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी)/कमोडिटी बोर्ड/प्राधिकरणों आदि के लिए व्यक्तिगत लॉगिन और पासवर्ड के माध्यम से उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के निर्यात निष्पादन की नियमित निगरानी और आवश्यक कार्रवाई, जहां भी आवश्यक हो करने के लिए उपलब्ध है। हाल ही में, सार्वजनिक पोर्टल बनाया गया और अब यह सभी के लिए सुलभ है।

7. निर्यात बंधु योजना

निर्यात बंधु योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 2013 में शुरू हुई थी। निर्यात बंधु योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यक्तिगत और ऑनलाइन मोड में कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जो उन व्यक्तियों/फर्मों की प्रारंभिक कौशल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो निर्यात बंधु के भाग के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उद्यम करते हैं। योजना के तहत 2013-14 से देश भर में एक लाख से अधिक व्यक्तियों (1,15,000 से अधिक) को प्रशिक्षित किया गया है।

देश भर में निर्यात केंद्रों के रूप में विकासशील जिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यातकों के सम्मेलन, सेमिनार और खरीदार-विक्रेता बैठक जैसी गतिविधियों के लिए अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में निर्यात बंधु योजना के तहत भी सहायता दी जाती है।

8. निर्यात से संबंधित मामले

क. निर्यात हब के रूप में जिले:

विदेश व्यापार महानिदेशालय के माध्यम से वाणिज्य विभाग हमारे देश के प्रत्येक जिले को निर्यात हब बनाने के लिए क्षमता एवं विविध पहचान चैनलाइज करने हेतु राज्यों और जिलों के साथ काम कर रहा है। निर्यात हब के रूप में जिलों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्यात संवर्धन, विनिर्माण और रोजगार सृजन को लक्षित करना है। भारत को एक निर्यात महाशक्ति बनाने में राज्यों और जिलों को सार्थक हितधारक और सक्रिय भागीदारी बनाना, जिससे आत्मनिर्भर मिशन में योगदान दिया जा सके और नए व्यवसायों को निर्यात के लिए प्रेरित करने के लिए देश के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में रूचि और आर्थिक गतिविधि पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शहरी क्षेत्रों से विनिर्माण और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि करके दुनिया के लिए मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल होने के दृष्टिकोण को विकसित करना है। संभावित निर्यात हब के रूप में जिलों पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात पर बढ़ते फोकस से भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ अधिक निकटता से एकीकृत करने और कृषि, समुद्री, कपड़ा, फार्मास्युटिकल, रसायन और कई सारे इंजीनियरिंग उत्पाद में विविधता और प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाकर भारत को एक महत्वपूर्ण निर्यातक बनने के लिए प्रेरित करने की संभावना है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं (जीआई उत्पादों, कृषि समूहों, खिलौना समूहों आदि सहित) की पहचान की गई है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) के रूप में संस्थागत तंत्र और निर्यात संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करने और जिलों में निर्यात वृद्धि की बाधाओं को दूर करने के लिए देश के सभी जिलों में जिला स्तर पर जिला निर्यात संवर्धन समितियां (डीईपीसी) बनाई गई हैं। डीईपीसी का प्राथमिक कार्य केंद्र, राज्य और जिले के सभी संबंधित हितधारकों के सहयोग से जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना (डीईएपी) तैयार करना और लागू करना है।

पर्याप्त मात्रा में और अपेक्षित गुणवत्ता के साथ निर्यात योग्य उत्पादों का उत्पादन करने में स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को सहायता देने और एसईपीसी और डीईपीसी के बाहर संभावित खरीदारों तक पहुंचने के लिए आवश्यक विशिष्ट कार्यों की पहचान करने वाली जिला विशिष्ट निर्यात कार्य योजना का गठन सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया है। 570 जिलों के लिए जिला कार्य योजना का मसौदा तैयार किया गया। 734 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं को चिन्हित किया गया है।

ख. रुपया व्यापार:

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने भारतीय रुपये (आईएनआर) में अंतरराष्ट्रीय व्यापार निपटान यानी चालान, भुगतान की अनुमति देने के लिए अधिसूचना संख्या 33/2015-20 दिनांक 16 सितंबर 2022 के माध्यम से विदेश व्यापार नीति में संशोधन किया है और भारतीय रुपये में निर्यात/आयात आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 10 दिनांक 11 जुलाई 2022 के साथ समन्वयित है, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रुपयें में निर्यात वसूली के लिए निर्यात लाभ प्रदान करने और निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए डीजीएफटी अधिसूचना 43/2015-20 दिनांक 09.11.2022 और सार्वजनिक सूचना 35/2015-2020 दिनांक 09.11.2022 के माध्यम से विदेश व्यापार नीति में और परिवर्तन किए गए है। भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में बढ़ती रुचि को देखते हुए, भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और इसमें सुगमता लाने के लिए दिए गए नीतिगत संशोधन किए गए हैं।

आयात/निर्यात पर भुगतान और प्राप्तियों से संबंधित मुद्दे का विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.52 और 2.53 के तहत विस्तृत वर्णन किया गया है।

ग. नई विदेश व्यापार नीति:

मौजूदा अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए निर्यात संवर्धन परिषदों प्रमुख निर्यातकों और उद्योग निकायों से प्राप्त अनुरोधों पर चर्चा और विचार-विमर्श के बाद नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गई है। विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यात को सुविधाजनक बनाने वाली समय-परीक्षणित योजनाओं की निरंतरता के साथ-साथ एक दस्तावेज है जो व्यापार आवश्यकताओं के लिए कुशल और उत्तरदायी है। सरकार विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अग्रणी सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है, जो वैश्विक स्तर पर निर्यात केंद्र बनने की अपनी रणनीतिक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करने में मदद करेगी।

घ. हितधारक परामर्श और व्यापार मंडल की बैठक:

17 जुलाई 2019 की अधिसूचना संख्या 11/2015-20 के तहत व्यापार विकास और संवर्धन परिषद को व्यापार बोर्ड के साथ विलय करके व्यापार बोर्ड (बीओटी) का पुनर्गठन किया गया है। व्यापार बोर्ड, अन्य बातों के अलावा, सरकार को भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति से जुड़े नीतिगत उपायों पर सलाह देता है।

यह व्यापार नीति पर राज्य-उन्मुख दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक मंच प्रदान करता है। यह भारत के व्यापार को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय विकास के बारे में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अवगत कराने के लिए भारत सरकार के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। यह उद्योग निकायों, संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारों के साथ व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। व्यापार बोर्ड की इस बैठक में पहली बार 29 नए गैर सरकारी सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था।

वाणिज्य विभाग ने नियमित रूप से विभिन्न उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ हितधारकों से परामर्श किया है। परामर्श के भाग के रूप में, 16.01.2024 को व्यापार बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और प्रमुख मंत्रालयों और राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, सभी प्रमुख व्यापार और उद्योग निकायों, निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों ने भाग लिया।

व्यापार बोर्ड की बैठक में निर्यात लक्ष्य निर्धारण, नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), और घरेलू विनिर्माण और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली रणनीतियों और उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। व्यापार मंडल की बैठक के दौरान, भारत के आयात/निर्यात प्रदर्शन, वाणिज्य विभाग के पुनर्गठन, एफटीए और आगे की राह, राज्यों के निर्यात प्रदर्शन, निर्यात केंद्रों के रूप में जिले, नई प्रस्तावित विदेश व्यापार नीति, व्यापार सुधार, सीमा शुल्क द्वारा किए गए व्यापार सुविधा उपाय सरकारी ई-मार्केटप्लेस आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने बैठक के दौरान ई-प्लेटफॉर्म "ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म के लिए पहल" लॉन्च की।

राज्यों के मंत्रियों ने बैठक में हस्तक्षेप किया, अपने राज्य-विशिष्ट सुझाव दिए, और बाहरी व्यापार को बढ़ावा देने में केंद्र सरकार की पहल के लिए अपना समर्थन भी व्यक्त किया।

ङ. विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (स्कोमेट):

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और दायित्वों के दिशानिर्देशों और नियंत्रण सूची के साथ-साथ दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात से संबंधित बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के अनुरूप, भारत ने सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, परमाणु संबंधित वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया है। स्कोमेट (विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी) भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है जिसमें विदेश व्यापार नीति के तहत बनाए गए सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सहित दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं, युद्ध सामग्री और परमाणु संबंधित वस्तुओं की सूची है और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर), वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह सहित सभी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं और सम्मेलनों की नियंत्रण सूचियों से जुड़ा हुआ है। स्कोमेट सूची को निर्यात और आयात वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 के तहत डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित किया गया है। दोहरे उपयोग की वस्तुओं को नियंत्रित करने के प्रावधानों को 2010 में संशोधित विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) (एफटीडीआर) अधिनियम, 1992 के अध्याय IV ए में शामिल किया गया है।

स्कोमेट सूची को श्रेणी 0 से श्रेणी 8 तक की वस्तुओं की नौ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्कोमेट वस्तुओं का निर्यात विनियमित है और केवल डीजीएफटी या इस उद्देश्य के लिए नामित अन्य एजेंसी द्वारा जारी स्कोमेट लाइसेंस के आधार पर ही अनुमति दी जा सकती है। हाल के दिनों में, डीजीएफटी द्वारा आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाकर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने, थोक लाइसेंसिंग और सामान्य प्राधिकार पत्र प्रावधान जैसे कि रसायनों के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईसी), भारत में मरम्मत के बाद निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईआर), इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएआईसीटी), ड्रोन के निर्यात के लिए सामान्य प्राधिकार पत्र (जीएईडी), रिपीट ऑर्डर प्राधिकार पत्र, स्टॉक और बिक्री नीति आदि के माध्यम से कुछ वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के मामले में स्कोमेट नीति को उदार बनाकर निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। स्कोमेट सूची को अगस्त, 2023 में विभिन्न निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के तहत शामिल किए गए हालिया परिवर्तनों के अनुसार भी अद्यतन किया गया था।

च. प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र

डीजीएफटी का निर्यात सेल निर्यात और आयात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के तहत वस्तुओं की निर्यात नीति से संबंधित है, जिन्हें 'मुक्त' / 'प्रतिबंधित' या 'निषिद्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से नहरीकृत आइटम हैं। वस्तुओं की निर्यात नीति की समीक्षा वाणिज्य विभाग और मंत्रालय/संबंधित विभाग के संबंधित विषय वस्तु प्रभाग के परामर्श से की जाती है और समय-समय पर अधिसूचित की जाती है। तदनुसार, निर्यात सेल व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों या संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा मांगे जाने पर वस्तुओं की निर्यात नीति पर स्पष्टीकरण/व्याख्याएं प्रदान करता है। निर्यात के लिए आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 में 'प्रतिबंधित' के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं का निर्यात प्राधिकरण/लाइसेंस के अधीन है।

9. आयात से संबंधित मामले

डीजीएफटी में आयात नीति प्रभाग को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय-2 के तहत निर्धारित आयात के संबंध में सामान्य प्रावधान सौंपे गए हैं और इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) आईटीसी (एचएस) के तहत निर्धारित मद विशिष्ट आयात नीतियों को तैयार/संशोधित/विनियमित किया जाता है। यह वस्तुओं के आयात और निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधानों को तैयार और अद्यतन भी करता है।

प्रभाग व्यापार संबंधी प्रमाणपत्रों/अनिवार्य अनुपालनों कि जैसे आयातक निर्यातक कोड (आईईसी); पंजीकरण सह निर्माता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी); नि:शुल्क बिक्री प्रमाणपत्र (एफएससी), आरईएक्स, उदगम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) जारी करने के लिए एजेंसियों की सूची, धातु अपशिष्ट और स्क्रैप के आयात के लिए पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की मान्यता पर कार्य करता है।

आयात प्रभाग ने व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न गैर- प्रशुल्क व्यापार उपाय किए हैं जिन्हें अनुसूची-I (आयात नीति) के विभिन्न अध्यायों के तहत शामिल किया गया था।

आयात नीति प्रभाग तरजीही प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) और मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) प्रशुल्क दर कोटा के तहत कोटा आवंटित करने के अलावा "प्रतिबंधित" वस्तुओं के लिए आयात प्राधिकार पत्र भी देता है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों की सिफ़ारिशों पर और प्रासंगिक हितधारकों के साथ परामर्श के बाद विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के सिद्धांतों के अनुसार लगाए गए ऐसे प्रमुख पहलों और गैर-प्रशुल्क उपायों की एक सूची निम्नानुसार है।

प्रतिबंध: विभिन्न वस्तुओं की आयात नीति को 'प्रतिबंधित' बना दिया गया है, ताकि डीजीएफटी से आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद ही इन वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जा सके। हाल के दिनों में प्रतिबंधित की गई कुछ वस्तुओं में रक्षा/सुरक्षा वस्तुएं, नए वायवीय टायर, जीवित जानवर और पक्षी, सोना और चांदी, टेलीविजन सेट, पारा, अदरक, पावर टिलर और उसके घटक, अगरबत्ती, अनाज, पालतू जानवर, जैव ईंधन, मूंग, तरबूज के बीज, अपशिष्ट और स्क्रैप आइटम, पेट कोक, पूंजीगत वस्तुओं के अलावा सेकेंड हैंड/प्रयुक्त सामान, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन (एचएफसी) आदि। हाल ही में, डीजीएफटी ने एचएसएन 8471 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर, सर्वर शामिल है के आयात पर प्रतिबंध लागू किया है।

निषिद्ध: मानव, पशु या पौधे के जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत निर्धारित प्रतिबंधों के सिद्धांतों के आधार पर 2019 से कुछ वस्तुओं के आयात को निषिद्ध किया गया है। इन वस्तुओं में वन्य जीवन (पशु और पक्षी) और उनके उत्पाद, ओजोन क्षयकारी पदार्थ, शार्क पंख, प्लास्टिक अपशिष्ट, बिना आईएमईआई/ईएसएन वाले मोबाइल, लेपित कागज के स्टॉक लॉट, रेफ्रिजरेटर और ड्रोन के साथ एयर कंडीशनर शामिल हैं।

न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी): सस्ते/कम चालान वाले आयातों की पाटन को प्रतिबंधित/कम करने और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए, काजू, सुपारी, काली मिर्च, संगमरमर और ग्रेनाइट, सूखे नारियल, मच्छर नाशक रैकेट, सेब, सिगरेट लाइटर और स्क्रू सहित विभिन्न वस्तुओं पर एमआईपी लगाया गया है।

10. 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार में व्यापार करने में सुगमता' के लिए की गई पहल

डीजीएफटी ने व्यवसाय करने में सुगमता (ईओडीबी) के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों की एक श्रृंखला शुरू की है जो भारतीय उद्यमों की विदेश व्यापार संबंधी गतिविधियों और समग्र "आत्मनिर्भर भारत" अभियान को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी। वे निम्नानुसार हैं:

- एक नया डीजीएफटी ई-प्लेटफॉर्म चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। नया प्लेटफ़ॉर्म केंद्रीकृत और क्लाउड-आधारित डेटा स्टोरेज, ओपन फ्रेमवर्क आधारित विकास, पहचान और पहुंच प्रबंधन, समर्पित हेल्पडेस्क सुविधाओं, बिजनेस एनालिटिक्स और एक एआई संचालित वर्चुअल असिस्टेंट के साथ नवीनतम तकनीक का उपयोग करता है। नए प्लेटफ़ॉर्म ने साबित किया है कि (क) डीजीएफटी दस्तावेज़ जारी करने में लगने वाले समय को काफी कम कर देता है (ख) व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ वास्तविक समय डेटा इंटरचेंज सुनिश्चित करता है (ग) आवेदनों की स्थिति वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से निर्यातकों/आयातकों को पारदर्शिता प्रदान करता है (डी) आवेदनों का कागज रहित, संपर्क रहित प्रक्रिया को सुनिश्चित करना।
- नए प्लेटफॉर्म पर डिजीटल व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) आधारित आयात/निर्यात नीति और अन्य दस्तावेजों की उपलब्धता से व्यापार हितधारकों को सूचना विषमता से संबंधित मुद्दों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, निर्यातकों/आयातकों के प्रोफ़ाइल डेटा के उपयोग के माध्यम से, अधिसूचना, आवेदन की स्थिति आदि से संबंधित समय पर जानकारी एसएमएस और ईमेल संचार के माध्यम से सूचित की जाती है।
- विदेश व्यापार नीति अपडेट, आयात/निर्यात नीति, निर्यात/आयात सांख्यिकी, आवेदनों की स्थिति, 24x7 आभासी सहायता पर सभी जानकारी डीजीएफटी व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।
- तरजीही उदगम प्रमाणपत्र और गैर-तरजीही उदगम प्रमाणपत्र दोनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध हैं। 140 से अधिक ईपीसी, कमोडिटी बोर्ड और वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ई-कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

- नई डीजीएफटी आईटी प्रणाली सीबीआईसी, सीबीडीटी, एमसीए, पीएफएमएस सहित अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ सुव्यवस्थित ऑनलाइन डेटा विनिमय प्रदान करती है। यह प्रणाली को निर्बाध बनाता है और संबंधित निर्यातकों/आयातकों को संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- यह प्रणाली आयातकों/निर्यातकों और डीजीएफटी के बीच एक कागज रहित, संपर्क-रहित इंटरफेस प्रदान करने के लिए दो-तरफा ऑनलाइन संचार और प्रसंस्करण, डीजीएफटी द्वारा जारी दस्तावेजों और प्राधिकार पत्रों की प्रामाणिकता के ई-सत्यापन की सुविधा प्रदान करती है।
- डीजीएफटी ने 19.10.2023 से प्रतिबंधित आयात प्राधिकार पत्रों को भौतिक रूप से जारी करना बंद कर दिया है। अब ईडीआई पत्तनों के लिए सभी आयात प्राधिकार पत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं और आवेदक आयातक और सीमा शुल्क को प्रेषित किए जाते हैं।
- सीमा शुल्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक रीयल-टाइम डेटा एक्सचेंज ने डीजीएफटी द्वारा संचालित निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लिए पेपर कॉपी को खत्म कर दिया है।
- सिस्टम एए/ईपीसीजी/डीएफआईए/आयात/निर्यात लाइसेंसिंग आदि के समय चक्र के प्रबंधन के लिए कागज रहित, इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं प्रदान करता है। विभिन्न पूर्व व्यापार प्रक्रियाओं के तहत किसी भी दस्तावेज़ को भौतिक रूप से जमा करने या किसी कार्यालय दौरे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- ई- आईईसी (आयातक निर्यातक कोड) का 24x7 ऑटो-जनरेशन। आईईसी के लिए किसी अनुमोदन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आईईसी विवरण स्वचालित रूप से सीबीडीटी, एमसीए और पीएफएमएस सिस्टम के तहत मान्य होते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार विवादों को पारदर्शी तरीके से हल करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध है। यह प्रणाली डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरणों, विदेश में भारतीय मिशनों, वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार क्षेत्रीय प्रभागों को एक मंच पर एक साथ लाती है। ऑनलाइन मॉड्यूल शिकायतकर्ता को ऑनलाइन शिकायतें प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और उनकी स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने और देखने की सुविधा भी देता है।
- वर्तमान अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, वाणिज्य विभाग और डीजीएफटी ने रूस/यूक्रेन व्यापार संबंधी मुद्दों पर हितधारकों के सामने आने वाली स्थिति और संबंधित कठिनाइयों की निगरानी करने का काम किया है। वाणिज्य विभाग/डीजीएफटी ने भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों के समर्थन और उचित समाधान खोजने के लिए एक रूस-यूक्रेन व्यापार हेल्पडेस्क का संचालन किया है।
- नीतिगत छूट समिति, ईपीसीजी समिति आदि के अनुरोधों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने और उन पर विचार करने के लिए ई-मीटिंग प्रबंधन प्रणाली जारी की गई।
- विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं के तहत निर्यातकों/आयातकों को उनके अनुरोधों को प्रबंधित करने के लिए एक पूर्ण 360-डिग्री दृश्य प्रदान करने के लिए एक उन्नत बिल रिपोजिटरी के साथ एक एकल साइन-ऑन निर्यातक-आयात डैशबोर्ड।
- व्यापार संबंधी किसी भी प्रश्न का उत्तर 24x7 ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट (चैटबॉट) लागू किया गया है।

डीजीएफटी निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करके एक मजबूत नियम-आधारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) प्रदान करने का भी प्रयास करता है। दी गई प्रणालियों में व्यवस्थित रूप से 'कुल निर्यातक नेटवर्क' के रूप में विकसित होने की क्षमता है ताकि सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी सेवाएं एक ही प्रणाली और विंडो के माध्यम से प्रदान की जा सकें।

11. अन्य योजनाएँ

(क) निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस)

भारत सरकार 2019-20 से निर्यात योजना हेतु व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) योजना लागू कर रही है। वित्त वर्ष 2017-18 का उद्देश्य राज्यों से निर्यात की वृद्धि के लिए उचित अवसंरचना ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना है। यह योजना केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली एजेंसियों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात अवसंरचना ढांचे की स्थापना या उन्नयन के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अवसंरचना ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की सहायता अनुदान सहायता के रूप में है, जो आम तौर पर कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लगाई जाने वाली इक्विटी या परियोजना में कुल इक्विटी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है (पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित परियोजनाओं के मामले में) जम्मू-कश्मीर सहित हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुदान कुल इक्विटी का 80 प्रतिशत तक हो सकता है)। इसके अलावा, जिन राज्यों में अपेक्षाकृत खराब निर्यात अवसंरचना ढांचा है, अच्छी डीपीआर तैयार करने के लिए संस्थागत क्षमता की कमी है, लेकिन सकारात्मक निर्यात क्षमता है, यह अनुदान कुल इक्विटी का 80 प्रतिशत तक हो सकता है। प्रत्येक परियोजना के लिए अनुदान सहायता सामान्यतः 20 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन है। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका कुल परिव्यय रु. 360 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 (8 नवंबर 2023 तक) के दौरान, टीआईईएस पर अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक 14 जुलाई 2023 को आयोजित की गई है।

टीआईईएस के तहत अब तक (8 नवंबर 2023) कुल 66 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और ये असम, तमिलनाडु, चंडीगढ़, राजस्थान, मणिपुर, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और बिहार में स्थित हैं।

(ख) बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) योजना

बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) योजना नए बाजारों की खोज और भारतीय निर्यात के लिए मौजूदा बाजारों को मजबूत करने की दिशा में आवश्यक पहल और परियोजनाएं शुरू करने के लिए पात्र एजेंसियों जैसे कि निर्यात संवर्धन परिषदों, शीर्ष व्यापार निकायों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करके भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने में एक उत्प्रेरक भूमिका निभाती है। एमएआई योजना के तहत समर्थित गतिविधियों में मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के अलावा निर्यात में प्रशिक्षण, बाजार अनुसंधान, क्षमता निर्माण, ब्रांडिंग, आयात बाजारों में वैधानिक नियमों को पूरा करना आदि शामिल है। सामान्य साझाकरण पैटर्न 65%:35% है, यानी 65% व्यय सरकारी अनुदान द्वारा और 35% उद्योग जगत के योगदान द्वारा

कवर किया जाता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के मामले में, सरकार और उद्योग के योगदान के बीच हिस्सेदारी 90%:10% के अनुपात में है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र कृषि और खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, जीआई उत्पाद, कालीन, चमड़ा, खेल के सामान और खिलौने, रेशम, ऊन, जूट और लघु वन उत्पाद हैं। इसके अलावा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पहाड़ी क्षेत्रों के निर्यातकों की भागीदारी, एससी/एसटी से संबंधित निर्यातक और महिला निर्यातक भी प्राथमिकता क्षेत्र के वित्तपोषण में सहायता के लिए पात्र होंगे।

एमएआई योजना 2021: सरकार ने 31 मार्च 2021 से आगे पांच वर्षों की अवधि में, यानी 31 मार्च 2026 तक, 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, संशोधित रूप में बाज़ार अभिगम पहल (एमएआई) योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

एमएआई योजना 2021 की मुख्य विशेषताएं

- मानकों और विनियमों, निर्यात पैकेजिंग, निर्यात-उन्मुख कौशल विकास और निर्यात हब के रूप में जिलों के विकास पर निर्यातकों की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- पारंपरिक भारतीय उत्पादों और सेवाओं जैसे आयुष, योग, जीआई उत्पाद, शिल्प और खिलौने, आदिवासी उत्पाद आदि सहित कारीगर उत्पादों को बढ़ावा देने; ई-बिजनेस टूल, संचार प्रौद्योगिकी आदि को बढ़ावा देना; पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- मौजूदा हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन, चमड़ा, खिलौने, खेल के सामान, जूट सहित लघु वन उपज, खाद्य पदार्थों सहित कृषि के अलावा ऊन, रेशम और जीआई के रोजगार पैदा करने वाले कृषि आधारित क्षेत्रों को प्राथमिकता क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पहाड़ी क्षेत्रों के निर्यातक और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग और महिला निर्यातक प्राथमिकता क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए पात्र होंगे और उन्हें इस योजना के तहत गतिविधियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। ।
- कोविड-19 जैसी महामारी स्थितियों से निपटने के लिए, भौतिक सेटिंग्स में गतिविधियों/घटनाओं के अलावा डिजिटल/हाइब्रिड निर्यात संवर्धन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ बड़ी संख्या में निर्यातकों तक पहुंचे, किसी विशेष व्यापार मेले/प्रदर्शनी में अधिकतम तीन बार भाग लेने वाले केवल एमएआई सहायता के लिए पात्र होंगे, यानी, वे सदस्य जिन्होंने किसी विशेष मेले/प्रदर्शनी के लिए तीन बार (विगत मामले सहित) सहायता प्राप्त की है उसके बाद उस मेले में स्वयं भाग लेना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं से संबंधित निर्यातकों और एक वर्ष में 50 करोड़ रुपये या उससे कम मूल्य के निर्यात के लिए,एफ.ओ.बी. वाले निर्यातकों के मामले में किसी विशेष कार्यक्रम में 5 भागीदारी की अनुमति है।
- छोटे निर्यातकों को विदेश में अनुमोदित निर्यात संवर्धन गतिविधियों में भाग लेने के लिए हवाई किराए पर खर्च की प्रतिपूर्ति मिलती है। ऐसे हवाई किराया प्रतिपूर्ति के लिए निर्यात कारोबार की पात्रता 30 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है।
- साझाकरण के आधार पर और अधिकतम सीमा के अधीन, विदेश में सांविधिक अनुपालन पर निर्यातकों द्वारा किया गया व्यय (जैसे कि फार्मा-स्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी, रसायन/कृषि-रसायन, कृषि/पशु/समुद्री उत्पाद, खाद्य उत्पादों के मामले में भुगतान किया गया पंजीकरण प्रभार; इंजीनियरिंग उत्पादों का परीक्षण शुल्क), जिन्हें निर्यात आदि के लिए विदेश में अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता होती है) संबंधित ईपीसी के माध्यम से निर्यातकों को प्रदान किया जाता है।
- भारत में आयोजित रिवर्स बायर-सेलर मीट में विकसित देशों/बाजारों से विदेशी खरीददारों की मेजबानी पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।

324.34 करोड़ रुपये रुपये की सहायता वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भौतिक/वर्चुअल/हाइब्रिड मोड में निर्यात संवर्धन गतिविधियों को शुरू करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों आदि से 434 प्रस्तावों के लिए बाज़ार अभिगम पहल योजना के तहत और 15 क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए 1.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बाज़ार अभिगम पहल योजना के लिए किया गया बजटीय आवंटन और योजना के तहत किया गया उपयोग निम्नानुसार है:

(मूल्य करोड़ रु. में)

वर्ष	बीई प्रावधान	आरई प्रावधान	वास्तविक व्यय
2019-20	300.00	325.00	325.00
2020-21	300.00	171.40	171.40
2021-22	200.00	140.00	140.00
2022-23	200.00	190.00	190.00
2023-24 (31.10.2023 तक)	200.00	--	113.34

(ग) चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस)

- सेवा क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव के सबसे गतिशील पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी, एफडीआई प्रवाह, निर्यात और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 2022-23 में भारत से सेवाओं का निर्यात 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- भारत सरकार ने रुपये की एक निर्धारित निधि के निर्माण के लिए चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) सेवाओं में चैंपियन क्षेत्रों के लिए पहचाने गए नोडल मंत्रालयों/विभागों की क्षेत्रीय पहलों को सहायता करने के लिए 5000 करोड़ रुपये की निर्धारित निधि के निर्माण हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। इन सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, चिकित्सा मूल्य यात्रा, परिवहन और रसद सेवाएं, लेखांकन और वित्त सेवाएं, ऑडियो विजुअल सेवाएं, कानूनी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं, पर्यावरण सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ और शिक्षा सेवाएँ शामिल हैं।
- सीएसएसएस के तहत उपयोग की जाने वाली 5000 करोड़ रुपये की कुल समर्थित निधि में से 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए 3839.25 करोड़ रुपये की क्षेत्रीय योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और ये योजनाएं संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के अधीन हैं।

अध्याय 5

निर्यात संवर्धन तंत्र

1. निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी)

निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं, जो कंपनी अधिनियम/सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत गैर-लाभकारी संगठनों के रूप में पंजीकृत हैं। इन परिषदों की भूमिकाएं और कार्य विदेश व्यापार नीति द्वारा निर्देशित होते है, जिसमें उन्हें निर्यातकों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में भी मान्यता दी गई है। वर्तमान में, तेरह निर्यात संवर्धन परिषदें (ईपीसी) हैं। विभिन्न ईपीसी का विवरण इस प्रकार है:

(क) रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी)

रत्न एवं आभूषण क्षेत्र भारत में सबसे बड़े पण्य वस्तु निर्यातकों में से एक है। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र भारत के अग्रणी विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले क्षेत्रों में से एक है। तथापि, हाल के दिनों में, उद्योग को सुस्त अमेरिकी अर्थव्यवस्था, विश्व भर में अनियंत्रित मुद्रास्फीति, रूस-यूक्रेन संघर्ष, चीन में हीरे की मांग में गिरावट के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप निर्यात में मंदी है - वित्तीय वर्ष 2023-24 (सितंबर 2023 तक) के दौरान भारत से रत्न और आभूषण निर्यात में 15231.27 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निष्पादन दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की उसी अवधि के लिए 20515.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 25.76 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) ने निम्नलिखित प्रदर्शनियां आयोजित की:

- आईजीजेएस जयपुर - 1 से 3 अप्रैल 2023
- आईआईजेएस प्रीमियर 2023 जेआईओ वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर (3 से 7 अगस्त)
- और बॉम्बे एक्जीबिशन सेंटर, एनईएससीओ, गोरेगांव (4 से 8 अगस्त) के दो स्थानों पर
- आईजीजेएस दुबई - 10 से 12 अक्टूबर 2023
- शिल्पकार पुरस्कार का छठा संस्करण - मई 2023
- इंडिया जेम एंड ज्वेलरी अवार्ड्स (आईजीजेए) का 49 वां संस्करण - अप्रैल 2023

बीएसएम और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी लैब में भागीदारी

- ग्रोन डायमंड बीएसएम 2023, भारत, 5 से 7 अप्रैल 2023
- जेसीके लास वेगास 2023, यूएसए, 2 से 5 जून 2023
- ज्वैलरी एंड जेम एशिया हांगकांग 2023, हांगकांग, 22 से 25 जून 2023
- 15 वाँ भारत सप्ताह, डीडीसी, न्यूर्याक 2023, यूएसए, 21 वाँ -24 वाँ अगस्त 2023
- विसेंज़ा ओरो फॉल 2023, इटली, 8 से 10 सितंबर 2023
- ज्वैलरी एंड जेम वर्ल्ड हांगकांग 2023, हांगकांग, 18 से 24 सितंबर 2023
- 8 वां इंडिया रफ जेमस्टोन्स सोर्सिंग शो 2023 भारत, 29 अगस्त से 19 सितंबर 2023
- जी एंड जे बीएसएम 2023, भारत, 29 से 30 सितंबर 2023

सूरत इंटरनेशनल डायट्रेड सेंटर (एसएनजेड- विशेष अधिसूचित क्षेत्र)

सूरत में बनाया गया एसएनजेड पिछले कुछ वर्षों से सफलतापूर्वक अपरिष्कृत हीरों की प्रदर्शनी कर रहा है। विश्व की दो प्रमुख खनन कंपनियाँ नियमित रूप से अपनी समीक्षाएँ आयोजित कर रही हैं। इसने आगामी भविष्य के लिए विश्व की बाकी प्रमुख खनन कंपनियों की रुचि को आकर्षित किया है और इसे भारतीय हीरा उद्योग से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, विशेष रूप से एमएसएमई को लाभ हो रहा है, प्रति प्रदर्शनी आगंतुकों की औसत संख्या 181 है और प्रति प्रदर्शनी कंपनियों की औसत संख्या 71 है। एसआईडीसी की स्थापना के बाद से यानी अगस्त 2022 से, 0.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 9.14 मिलियन कैरेट से अधिक अपरिष्कृत हीरे प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शित हीरे डी बीयर्स-सिंगापुर और रियो टिंटो-एनवी जैसी प्रमुख विदेशी खनन कंपनियों से प्राप्त किए गए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान व्यापार संवर्धन गतिविधियाँ आरंभ की गईं

प्रयोगशाला में विकसित हीरे के उत्पादन में प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए, आईआईटी मद्रास को 5 वर्षों की अवधि में 242.96 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक शोध परियोजना सौंपी गई है।

(ख) चर्म निर्यात परिषद (सीएलई)

चर्म निर्यात परिषद (सीएलई) ने अप्रैल-दिसंबर 2023 के दौरान 17 निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम किए हैं [13 बाजार पहुंच पहल योजना (एमएआईएस) समर्थन के तहत और 4 कार्यक्रम स्व-वित्तपोषण के आधार पर], जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	आयोजन	प्रतिभागियों की संख्या	योजना
1	एक्सपो रीवा शुह गार्डा फेयर, इटली का 99वां संस्करण (17 से 20 जून 2023)	45	एमएआईएस
2	शेडोंग इंटरनेशनल टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपो, क़िंगदाओ, शेडोंग, चीन (28 से 30 जून 2023)	3	स्व वित्त पोषण
3	ग्लोबल सोर्सिंग एक्सपो, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया (11 से 13 जुलाई 2023)	18	एमएआईएस
4	जूते और चमड़ा मेला, हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम (12 से 14 जुलाई 2023)	19	एमएआईएस
5	फैशन गुडस एंड एक्सेसरीज एक्सपो (लिफ्ट स्टाइल एक्सपो), टोक्यो, जापान (19 से 21 जुलाई 2023)	12	एमएआईएस
6	आईएलएफ –इंडो लेदर एंड फुटवियर एक्सपो, इंडोनेशिया (3 से 5 अगस्त, 2023)	05	स्व वित्त पोषण
7	जूते और चमड़ा उद्योग प्रतिनिधिमंडल का ताइवान दौरा (9 से 12 अगस्त 2023)	10	स्व वित्त पोषण
8	61 वां बी2बी फैशन फेयर स्टाइल और 61 वां बी2बी फुटवियर और लेदरवेयर मेला काबो, ब्रनो, चेक गणराज्य (19 वां -21 अगस्त 2023)	05	स्व वित्त पोषण
9	एवाईएमओडी अंतरराष्ट्रीय फुटवियर फैशन मेला, इस्तांबुल, तुर्की (6 से 9 सितंबर 2023)	01	एमएआईएस
10	एमआईपीएल-द बैग शो, मिलानो, इटली (17 से 20 सितंबर 2023)	15	एमएआईएस
11	लिनेपेल, मिलान, इटली (19 वीं -21 सितंबर 2023)	25	एमएआईएस
12	मैजिक न्यूयॉर्क, यूएसए(19 वीं -21 सितंबर 2023)	17	एमएआईएस
13	इंडिया फुटवियर एंड लेदर प्रोडक्ट्स शो, मैड्रिड, स्पेन (5 से 6 अक्टूबर 2023)	25	एमएआईएस
14	इंडिया फुटवियर एंड लेदर प्रोडक्ट्स शो, यूके (18 से 20 अक्टूबर 2023)	41	एमएआईएस
15	लेदरटेक बांग्लादेश, ढाका (2-4 नवंबर 2023)	23	एमएआईएस
16	फुटवियर एंड लेदर शो, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया (21 से 23 नवंबर 2023)	28	एमएआईएस
17	दुबई अंतरराष्ट्रीय फुटवियर एंड लेदर प्रदर्शनी, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (11 से 13 दिसंबर 2023)	40	एमएआईएस*

वर्ष 2023-24 के शेष भाग के दौरान, सीएलई द्वारा निम्नलिखित 9 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे:

क्र.सं.	आयोजन	अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या	योजना
1	एक्सपो रीवा शुह गार्डा मेला, इटली (13 से 16 जनवरी 2024)	35	एमएआईएस
2	डिज़ाइनर्स फेयर, चेन्नई (पहली से तीसरी फरवरी , 2024)	35 डिज़ाइनर 170 आगंतुक	एमएआईएस
3	स्पोगा हॉर्स फेयर, कोलोन, जर्मनी (3 से 5 फरवरी 2024)	35	एमएआईएस
4	मैजिक शो (13 से 15 फरवरी 2024)	15	एमएआईएस
5	लिनेपेल मेला (20 वीं -22 फरवरी 2024)	13	एमएआईएस*
6	एपीएलएफ लेदर फेयर, हांगकांग (19 वीं -21 मार्च 2024)	30	एमएआईएस
7	फैशन एक्सेस, हांगकांग (19 वीं -21 मार्च 2024)	10	स्व-वित्तपोषण
8	इंडिया फ़ुटवियर एंड लेदर प्रोडक्ट्स शो, यूएसए	40	एमएआईएस
9	दिल्ली अंतरराष्ट्रीय लेदर एक्सपो-रिवर्स बीएसएम, नई दिल्ली (4-5 मार्च, 2024)	200 भारतीय प्रतिभागी 225 खरीदार	एमएआईएस

* एमएआईएस अनुदान के लिए आवेदन किया गया

वेबिनार

वर्ष 2023-24 के दौरान, सीएलई ने सदस्यों के लाभ के लिए विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित 5 वेबिनार आयोजित किए।

1	निर्यातकों के लिए डाक विभाग सेवाएँ	10 मई 2023
2	अग्रिम प्राधिकरण और ईपीसीजी योजना के लिए डीजीएफटी द्वारा घोषित माफी योजना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर अग्रिम प्राधिकरण के तहत 'पूर्व आयात' की शर्त को यथावत रखा गया है।	9 जून 2023
3	जीएसटी ई-चालान	4 अगस्त 2023
4	अधिकृत आर्थिक संचालक कार्यक्रम	8 अगस्त 2023
5	अवशिष्ट चमड़े से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाना। वेनर, स्विट्जरलैंड द्वारा प्रस्तुति	9 नवंबर 2023

(ग) मूल रसायन, कॉस्मेटिक्स और डाई निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)

मूल रसायन, कॉस्मेटिक्स एंड डाईज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल) की स्थापना 1963 में हुई थी और कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत है। परिषद की कुल सदस्यता 4174 है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन और वाणिज्य विभाग की समग्र देखरेख में कार्य करती है। सीओए में दो सरकारी नामिती हैं अर्थात एक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग से और एक वाणिज्य विभाग से हैं:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान केमेक्सिल ने निम्नलिखित निर्यात संवर्धन कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित कीं:

अंतरराष्ट्रीय आयोजन

क्र.सं.	एमएआई योजना के तहत कार्यक्रम
1	चेम्सपेक यूरोप 2023 (उत्तम और विशिष्ट रसायनों के लिए 36 वीं अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी) 24 से 25 मई 2023 तक
2	24वीं चीन अंतरराष्ट्रीय कृषि रसायन और फसल संरक्षण प्रदर्शनी (सीएसी 2023-24) 23 से 25 मई 2023 तक
3	कलर एंड स्पीकेम वियतनाम और एग्री वियतनाम 2023 के संयोजन में कोटिंग एक्सपो वियतनाम 2023 14 से 16 जून 2023 तक
4	इंडो ब्यूटी एक्सपो 2023, जकार्ता, इंडोनेशिया 21 से 23 सितंबर 2023 तक
5	5 अक्टूबर 2023 तक एलएसी क्षेत्र - अर्जेंटीना और चिली में क्रेता-विक्रेता बैठक
6	42वां डाई+केम बांग्लादेश 2023, 13 से 16 सितंबर 2023 तक
7	खिमिया 2023, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक
	एमएसएमई योजना के अंतर्गत कार्यक्रम
8	कोरिया केम एक्सपो 2023 18 से 21 अप्रैल 2023 तक सीआई कोरिया 2023 के साथ मेल होगा
9	बिना किसी सरकारी अनुदान (सहायता) के इंटरचार्म कोरिया 2023 30 अगस्त -2023 से 1 सितंबर 2023 तक
10	22वीं चीन अंतरराष्ट्रीय डाई उद्योग, पिग्मेंट्स और कपड़ा रसायन प्रदर्शनी (चीन इंटरडाई 2023) 26 से 28 जुलाई 2023 तक शंघाई, चीन में
क्र.सं.	**एमएआई के तहत घरेलू कार्यक्रम**
1	3-4 अगस्त 2023 के दौरान नई दिल्ली में सीआईआई इंडिया एलएसी कॉन्क्लेव

निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियाँ

क्र.सं.	तारीख	विषय
1	12 अप्रैल 2023	बीआईएस मास्टरक्लास पर वेबिनार
2	10 अप्रैल 2023	विदेश व्यापार नीति 2023 पर सेमिनार
3	18 अप्रैल 2023	विदेश व्यापार नीति 2023-निर्यात वृद्धि के अवसर
4	27 अप्रैल 2023	रुपये में भुगतान के तहत ईरान/रूस को रसायनों के निर्यात पर वेबिनार
5	26 अप्रैल 2023	"विदेश व्यापार नीति 2023" पर वेबिनार
6	24 मई 2023	अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत पूर्व-आयात शर्त पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्लेषण और निहितार्थ पर वेबिनार
7	30 मई 2023	चीन को विक्रय पर वेबिनार - कर निहितार्थ और लाभ प्रत्यावर्तन
8	12 जून 2023	निर्यात वृद्धि के अवसर'' विदेश व्यापार नीति 2023, निर्यात वित्त को सरल बनाने और विदेशी मुद्रा लागत को कम करने पर एक चर्चा
9	15 जून 2023	"आरओडीटीईपी प्रक्रिया और दावा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया" पर वेबिनार
10	23 जून 2023	निर्यात प्राप्तियों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों पर वेबिनार (विभिन्न मुद्रा में निपटान)
11	14 जुलाई 2023	"खतरनाक वस्तुओं का परिवहन-चुनौतियाँ और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता" पर वेबिनार
12	26 जुलाई 2023	ओडीओपी उत्पाद और व्यापार संबंधी मुद्दों पर डीआईसी ठाणे के साथ सेमिनार
13	27 जुलाई 2023	"ऑस्ट्रेलियाई औद्योगिक रसायन परिचय योजना (एआईसीआईएस) को समझना" पर वेबिनार
14	28 जुलाई 2023	रासायनिक विनियमों के वैश्विक अवलोकन और केकेडीआईके (तुर्की पहुंच) की तैयारी पर सेमिनार (क्षमता निर्माण पहल)
15	18 अगस्त 2023	स्कोमेट प्राधिकरण पर वेबिनार
16	25 अगस्त 2023	वेबिनार विषय: एईओ और इसकी प्रक्रियाओं का परिचय
17	24 अगस्त 2023	पीएफएएस पर वैश्विक नियामक विकास पर वेबिनार: वैश्विक उत्पाद अनुपालन के साथ भारतीय उद्योगों के लिए चुनौती
18	1 सितंबर 2023	वेबिनार विषय: सीमा शुल्क मूल्यांकन
19	21 सितंबर 2023	वैश्विक उत्पाद अनुपालन के सहयोग से चीन के नए रासायनिक पदार्थ पंजीकरण (मी ऑर्डर नंबर 12) को समझने पर वेबिनार
20	5 अक्टूबर 2023	वैश्विक उत्पाद अनुपालन के साथ जापानी औद्योगिक मानकों जेआईएस और जीएचएस दायित्वों के परिचय पर वेबिनार
21	12 अक्टूबर ,2023	यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) पर वेबिनार - भारतीय रसायन उद्योग के लिए अवसर और जोखिम
22	13 अक्टूबर 2023	वेबिनार विषय: निर्यात आयात दस्तावेज़ीकरण
23	20 अक्टूबर 2023	वेबिनार विषय: रासायनिक उद्योग पर फोकस के साथ निर्यात प्रोत्साहन
24	26 अक्टूबर 2023	तुर्की में वेबिनार केकेडीआईके दायित्व और कॉस्मेटिक अनुपालन
25	31 अक्टूबर 2023	निर्यातकों द्वारा भरे जाने वाले आरओडीटीईपी डेटा प्रारूप पर इंटरैक्टिव सत्र पर वेबिनार
26	3 नवंबर 2023	आईएनसीओटीईआरएमएस 2020 पर वेबिनार
27	4 नवंबर 2023	सेमिनार इग्नाइट महाराष्ट्र उद्योग - समावेशी परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए सरकारी नेटवर्किंग
28	9 नवंबर 2023	सेमिनार "इग्नाइट महाराष्ट्र उद्योग - समावेशी परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए सरकारी नेटवर्किंग, नियोजन भवन, पहली मंजिल, कलेक्टर कार्यालय, ठाणे (डब्ल्यू) जिला ठाणे"
29	10 नवंबर 2023	वेबिनार निर्यातों में एफटीए की भूमिका
30	16 नवंबर 2023	वेबिनार के-रीच और एसडीएस दायित्व
31	17 नवंबर 2023	वेबिनार वर्तमान अनुपालन और निर्यात में परिवर्तन

(घ) प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकॉन्सिल)

प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1955 में की गई थी और भारत से प्लास्टिक और लिनोलियम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत किया गया था। परिषद की कुल सदस्यता 2791 है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन और वाणिज्य विभाग की समग्र देखरेख में कार्य करती है। सीओए में दो सरकारी नामिती अर्थात रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग तथा वाणिज्य विभाग से हैं ।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्लेक्सकॉन्सिल ने निम्नलिखित निर्यात संवर्धन कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित कीं:

क्र.सं.	एमएमआई योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम
1	जेईसी वर्ल्ड 2023, 25 से 27 अप्रैल 2023 तक
2	इंटरपैक 2023, 4 से 10 मई 2023 तक
3	टी-प्लास 20 से 23 सितंबर 2023 तक
4	प्लास्टिमाजेन 7 नवंबर से 10 नवंबर 2023 तक
5	एलएसी (ग्वाटेमाला) में क्रेता-विक्रेता बैठक - 3 नवंबर 2023

क्र.सं.	एमएआई योजना के तहत घरेलू कार्यक्रम
1	15 से 17 जून 2023 तक प्लेक्सकनेक्ट इंडिया में रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक

निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियाँ

क्र.सं.	तारीख	विषय
1	08.04.2023	नई विदेश व्यापार नीति-2023 को डिकोड करने पर वेबिनार
2	10.05.2023	अग्रिम प्राधिकरण और ईपीसीजी योजना के लिए एमनेस्टी योजना पर वेबिनार
3	07.07.2023	जीएसटी व्यवस्था के तहत विवादों के क्षेत्रों पर वेबिनार
4	11.08.2023	प्लास्टिक रीसाइक्लिंग के माध्यम से उभरते व्यावसायिक अवसरों पर वेबिनार
5	15.09.2023	शून्य प्रभाव शून्य दोष (जेडईडी) और एमएसएमई योजना के अन्य लाभों के लिए लाभ और सरल दस्तावेज़ीकरण पर वेबिनार
6	09.10.2023	नागपुर, महाराष्ट्र में आयोजित इग्नाईट महाराष्ट्र सेमिनार: समावेशी परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए उद्योग-सरकारी नेटवर्किंग में भाग लिया ।
7	10.10.2023	प्लेक्सकॉन्सिल ने वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और प्लास्टिक निर्यात के अवसरों पर प्रस्तुतियाँ दीं।
8	10.10.2023	प्लेक्सकॉन्सिल ने धुले, महाराष्ट्र में आयोजित इग्नाईट महाराष्ट्र सेमिनार: समावेशी परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए उद्योग-सरकारी नेटवर्किंग में भाग लिया।
9	13.10.2023	प्लेक्सकॉन्सिल ने जलगांव, महाराष्ट्र में आयोजित इग्नाईट महाराष्ट्र सेमिनार: समावेशी परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए उद्योग-सरकारी नेटवर्किंग में भाग लिया।
10	14.10.2023	प्लेक्सकॉन्सिल ने अहमदनगर, महाराष्ट्र में आयोजित इग्नाईट महाराष्ट्र सेमिनार: समावेशी परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए उद्योग-सरकारी नेटवर्किंग में भाग लिया।
11	16.10.2023	प्लेक्सकॉन्सिल ने नासिक, महाराष्ट्र में आयोजित इग्नाईट महाराष्ट्र सेमिनार: समावेशी परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए उद्योग-सरकारी नेटवर्किंग में भाग लिया।
12	27.10.2023	सूचना अंतर्दृष्टि के साथ वैश्विक ऋण वसूली समाधान और व्यवसाय को सशक्त बनाने पर वेबिनार

(ड.) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल)

एक प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषद, कैपेक्सिल की स्थापना 1958 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत की गई थी। वर्तमान में परिषद की कुल सदस्य संख्या 4847 है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कैपेक्सिल ने निम्नलिखित निर्यात प्रचार कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित कीं:

निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियाँ

क्र. सं.	तारीख	विषय
1	6 मई 2023	कैपेक्सिल ने 16 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2023 के दौरान यूरोपीय आयोग के खाद्य और पशु चिकित्सा कार्यालय से निरीक्षण टीम के दौरे के संबंध में 06/05/2023 को लखनऊ, यूपी में पशु मूल उत्पादों के सदस्य-निर्यातकों के साथ इंटरएक्टिव मीट का आयोजन किया।
2	12 मई 2023	कैपेक्सिल ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी और मैमर्स कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, चेन्नई के साथ वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया।
3	30 मई 2023	कैपेक्सिल ने "विदेश व्यापार नीति - 2023" पर एक वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया।
4	2 जून 2023	कैपेक्सिल ने ईसीजीसी लिमिटेड और यस बैंक के साथ एमएसएमई सदस्य निर्यातकों के लिए एक इंटरैक्टिव सत्र सह सेमिनार का आयोजन किया
5	14 जून 2023	कैपेक्सिल ने श्री एस. शक्तिवेल, महाप्रबंधक, फामे.टीएन, चेन्नई द्वारा "तमिलनाडु (फामे.टीएन) के एमएसएमई की सुविधा, तमिलनाडु सरकार" के साथ वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया।
6	14 जुलाई 2023	चेन्नई सीमाशुल्क, चेन्नई के साथ "अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर योजना" पर वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया।
7	28 अगस्त 2023	कैपेक्सिल ने "वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, चेन्नई के साथ वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया।
8	31 अगस्त 2023	कैपेक्सिल ने भारत से सेनेटरी वेयर उत्पादों के आयात पर जीसीसी द्वारा शुरू की गई पाटन-रोधी जांच के संबंध में एक जागरूकता कार्यक्रम (वर्चुअल) का आयोजन किया।
9	1 सितंबर' 2023	कैपेक्सिल ने जीसीसी-टीएसएआईपी द्वारा चीन जन.गण और भारत से बने सेनेटरी वेयर (चीनी मिट्टी के बरतन या चीनी चीनी मिट्टी के बरतन या अन्य) के आयात पर पाटन-रोधी जांच के संबंध में आभासी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
10	13 सितंबर 2023	कैपेक्सिल ने भारत से सेनेटरी वेयर उत्पादों के आयात पर जीसीसी द्वारा शुरू की गई पाटन-रोधी जांच की स्थिति के संबंध में तीसरा जागरूकता कार्यक्रम (वर्चुअल) आयोजित किया।
11	16 सितंबर 2023	कैपेक्सिल ने पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्कृष्ट निर्यात प्रदर्शन के लिए मेधावी सदस्य निर्यातकों की सुविधा के लिए निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है।
12	29 सितंबर 2023	"तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड, चेन्नई और एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय, चेन्नई और मैसर्स भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड चेन्नई के साथ वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया।
13	16 अक्टूबर 2023	कैपेक्सिल ने पशुपालन विभाग के सहयोग से यूरोपीय आयोग के खाद्य और पशु चिकित्सा अधिकारियों (एफवीओ) लेखा परीक्षा दल के साथ पशु बी-उत्पादों और यूरोपीय संघ में निर्यात के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाले संयंत्रों के लेखा परीक्षा के लिए उद्घाटन बैठक का आयोजन किया।
14	17 अक्टूबर 2023	कैपेक्सिल ने वर्चुअल मोड के माध्यम से "निर्यात-आयात वित्त और लागत को कम करने के लिए इसकी कार्यनीतियों" पर वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया।
15	27 अक्टूबर 2023	कैपेक्सिल ने वाणिज्य विभाग के सहयोग से यूरोपीय आयोग के खाद्य और पशु चिकित्सा अधिकारियों (एफवीओ) लेखा परीक्षा दल के साथ यूरोपीय संघ में निर्यात के लिए पशु बी-उत्पाद और व्युत्पन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाले संयंत्रों का लेखा परीक्षा करने के लिए समापन बैठक आयोजित की।
16	31 अक्टूबर 2023	कैपेक्सिल ने आईटीसी ग्रैंड चोला, चेन्नई में सीआईआई, चेन्नई के साथ संयुक्त रूप से "मुक्त व्यापार समझौतों से उभरते अवसरों पर क्षमता निर्माण सत्र - उद्योग परिप्रेक्ष्य" पर कार्यक्रम आयोजित किया।
17	17 नवंबर 2023	कैपेक्सिल ने होटल ताज वेलिंगटन म्यूज़, चेन्नई में सीआईआई, चेन्नई के साथ संयुक्त रूप से "तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2023" आयोजित किया।
18	29 नवंबर 2023	कैपेक्सिल ने वर्चुअल मोड के माध्यम से "सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई कस्टम्स हाउस, चेन्नई और सहायक प्रोफेसर, स्कूल ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के साथ वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया।

(च) शैलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल)

शेलैक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक गैर-लाभकारी कंपनी है जिसकी स्थापना जून, 1957 में कंपनी अधिनियम, 1956 (अब, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत की गई थी। 8 फरवरी, 2007 को इसका नाम बदलकर शैलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल) कर दिया गया। कुल सदस्यता संख्या 977 है। परिषद अपनी प्रशासन समिति (सीओए) के मार्गदर्शन और वाणिज्य विभाग की समग्र देखरेख में कार्य करती है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान शेफ़ेक्सिल ने निम्नलिखित निर्यात प्रचार कार्यक्रम/गतिविधियाँ आयोजित कीं:

आयोजन नाम	क्षेत्र	देश	आयोजन की आरंभ तिथि	आयोजन की समाप्ति तिथि
विटाफूड्स यूरोप 2023	यूरोप	स्विट्ज़रलैंड	9 मई 2023	11 मई 2023
सप्लाईसाइड वेस्ट 2023	नाफ्टा	संयुक्त राज्य अमेरिका	25 अक्टूबर 2023	26 अक्टूबर 2023
फूड इन्ग्रीडेन्ट्स यूरोप 2023	यूरोप	जर्मनी	28 नवंबर 2023	30 नवंबर 2023

निर्यात निष्पादन

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	निर्यात संवर्धन परिषद	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	अप्रैल-नवंबर 2023
1	कैपेक्सिल	22490.53	25787.63	31263.83	29176.61	19325.52*
2	केमेक्सिल	18267.42	17533.04	24313.88	23781.13	13205.42
3	प्लेक्सकॉन्सिल	10011.11	9860.99	13352.23	11967.00	7,404.8
4	शेफ़ेक्सिल	2608.72	2362.30	2779.66	3679.07	2098.55

(छ) खेल सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद (एसजीईपीसी)

एसजीईपीसी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन/संचालन करने की योजना बनाई है:

क्र.सं.	आयोजन का नाम	क्षेत्र	देश	वस्तु का नाम	आयोजन की आरंभ तिथि	आयोजन की समाप्ति तिथि
1	खिलौने 2023 के लिए एसजीईपीसी इंडिया आरबीएसएम	-	मुंबई, भारत	खिलौने	31/08/2023	02/09/2023
2	न्यूयॉर्क खिलौना मेला 2023	नाफ्टा	संयुक्त राज्य अमेरिका	खिलौने	30/09/2023	03/10/2023
3	आईएसपीओ 2023	यूरोप	जर्मनी	खेल का सामान	28/11/2023	30/11/2023
4	हांगकांग खिलौने एवं खेल मेला 2024	एनईए	हांगकांग	खिलौने	08/01/2024	11/01/2024
5	स्पीलवेयरनमेस अंतरराष्ट्रीय खिलौना मेला 2023	यूरोप	जर्मनी	खिलौने	30/01/2024	03/02/2024
6	ऑस्ट्रेलियाई खिलौना हॉबी और लाइसेंसिंग मेला 2024	ओशिनिया	ऑस्ट्रेलिया	खिलौने	11/02/2024	14/02/2024
7	खेल सामग्री 2023 के लिए एसजीईपीसी इंडिया आरबीएसएम	-	नई दिल्ली, भारत	खेल का सामान	19/03/2024	20/03/2024

(ज) भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)

प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल ऑफ़ इंडिया (पीईपीसी), सरकार द्वारा स्थापित एक निर्यात संवर्धन परिषद, विदेशी परियोजनाओं सहित परियोजना निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शीर्ष समन्वयक एजेंसी है ।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 (अप्रैल से सितंबर) के दौरान परियोजना निर्यातों की प्रगति

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अप्रैल –सितम्बर 2023)
मूल्य करोड़ रु. में	30,165.00	12,822.00	24,224.00	37,044.40	37,293.42
मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर	4,211.00	1,744.00	3,242.00	4,499.94	4,546.77

गतिविधियाँ 2023-24

- पीईपीसी ने 26 मई 2023 को अहमदाबाद (भौतिक) में परियोजना निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया
- पीईपीसी 5 और 6 जून 2023 को अदीस अबाबा- इथियोपिया में ब्रिक्सा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित पूर्वी अफ्रीका परिवहन और अवसंरचना सम्मेलन के 8वें संस्करण के लिए एंडोर्समेंट पार्टनर था
- आर्थिक कार्यनीति को बढ़ावा देने के लिए '3टी (व्यापार, पर्यटन और प्रौद्योगिकी) कार्यनीति का पालन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय मिशनों को दिए गए आग्रह के संदर्भ में पीईपीसी ने अपनी सदस्य कंपनियों के साथ टीम इंडिया स्टेकहोल्डर्स की बैठक में भाग लिया।
- पीईपीसी ने अपनी सदस्य कंपनियों के साथ 'भारत-लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार और आर्थिक संबंध' पर हितधारक चर्चा और आगामी सीआईआई इंडिया-एलएसी बिजनेस कॉन्क्लेव में भाग लिया।
- पीईपीसी ने 25 अगस्त 2023 को मुंबई में(भौतिक) परियोजना निर्यातकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया
- पीईपीसी 18-19 सितंबर, 2023 को अदीस अबाबा- इथियोपिया में ब्रिक्सा कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित 5वें संस्करण पावर टेक अफ्रीका के लिए एंडोर्समेंट पार्टनर था।
- पीईपीसी और इसकी सदस्य कंपनियों ने 2 सितंबर 2023 को मुंबई में एक्जिम बैंक द्वारा आयोजित निर्यात पर हितधारकों की कार्यशाला में भाग लिया।

(झ) ईईपीसी भारत

ईईपीसी इंडिया इंजीनियरिंग क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में स्थापित परिषद है।

(i) इंजीनियरिंग निर्यात परिदृश्य

इंजीनियरिंग निर्यात भारत के कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग एक चौथाई और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है। इस क्षेत्र के भीतर, एमएसएमई क्षेत्र का कुल निर्यात का 35-40% हिस्सा है।

अप्रैल-नवंबर 2023 में भारत का इंजीनियरिंग निर्यात 69.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 70.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 1.81% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान कुल व्यापारिक निर्यात में इंजीनियरिंग निर्यात की हिस्सेदारी 24.92% थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 23.72% थी। अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान, 34 में से 18 पैनलों ने वर्ष दर वर्ष सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित की। अप्रैल-नवंबर 2022 की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज करने वाले पैनल लीड और उत्पाद (80% की वृद्धि), तांबा और उत्पाद (48% की वृद्धि), प्रोजेक्ट गुड्स (28% की वृद्धि), टिन और उत्पाद (36% की वृद्धि), प्राइम माइका और माइका उत्पाद (37% की वृद्धि), क्रेन, लिफ्ट और विनचेस (31% की वृद्धि), अन्य निर्माण मशीनरी (29% की वृद्धि) और प्रोजेक्ट गुड्स (28% की वृद्धि) थी।

क्षेत्रीय आधार पर, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय संघ भारत के कुल इंजीनियरिंग निर्यात में क्रमशः 21 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ इंजीनियरिंग निर्यात के लिए भारत के शीर्ष गंतव्य बने रहे। सीआईएस ने अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 110 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि दर्ज की, इसके बाद डब्ल्यूएएनए (20 प्रतिशत की वृद्धि), अन्य यूरोप (9 प्रतिशत की वृद्धि), उत्तर-पूर्व एशिया (6 प्रतिशत की वृद्धि) और ओशिनिया (1 प्रतिशत की वृद्धि) का स्थान रहा।

(ii) ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग

भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों और सेवाओं की "मेड इन इंडिया" इंजीनियरिंग गुणवत्ता और क्षमताओं की ब्रांड छवि को बढ़ाकर निर्यात में तेजी लाने के लिए, वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में ईईपीसी इंडिया, 2014 से ब्रांड "इंडिया इंजीनियरिंग" अभियान चला रहा है। यह पहल इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से क्रियान्वित की गई है, जो वाणिज्य विभाग के अधीन एक ट्रस्ट है। वर्ष 2023-24 में, ईईपीसी को आईबीईएफ द्वारा तीन आयोजनों अर्थात ऑटोमैकेनिका, दुबई 2023, इंडी केन्या और बिग 5, दुबई 2023 के लिए ब्रांड "इंडिया इंजीनियरिंग" अभियान के लिए समर्थन दिया गया है ।

ईईपीसी इंडिया ने पूरे विश्व में प्रदर्शनियों का आयोजन करके ब्रांड इंडिया की छवि बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस) दुनिया भर में मार्केटिंग ब्रांड इंडिया में नवीनतम अवधारणा बन गया। आईईएसएस -एक्स(16 – 18 मार्च 2023) ने ब्रांड इंडिया इंजीनियरिंग को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्टिकल के तहत 149

उत्पादों को प्रदर्शित किया, जिसमें सबकॉन्ट्रैक्टिंग, मेटल और शॉप-फ्लोर, औद्योगिक मशीनरी और उपकरण, ऊर्जा और इलेक्ट्रिकल्स और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

विदेशी बाजारों में 'मेड इन इंडिया' ब्रांड छवि को लोकप्रिय बनाने के लिए, ईईपीसी के प्रचार कार्यक्रम में विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों, क्रेता-विक्रेता बैठकों और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में परिषद की 'मेड इन इंडिया' नामक फिल्म की स्क्रीनिंग करना शामिल है, जिसमें भारत की औद्योगिक छवि पर प्रकाश डाला गया है। इस फिल्म की प्रतियां भारत और विदेश स्थित वाणिज्य चैम्बरों और व्यापार परिसंघों में, चिन्हित थ्रस्ट बाजारों में भारतीय मिशनों और भारत में विदेशी मिशनों में वितरित की जाती हैं।

(iii) इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन की पहल

वाणिज्य विभाग, ईईपीसी इंडिया के साथ साझेदारी में, उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जाने के तरीके तैयार करने का प्रयास कर रहा है। प्रमुख पहलों में से एक पहल इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन को सक्षम करना है। अत्याधुनिक निर्यातोन्मुखी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अग्रणी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और उद्योग के बीच की खाई को पाटने के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, अनुसंधान एवं विकास सहायता के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए विशिष्ट औद्योगिक समूहों में प्रौद्योगिकी बैठकों/उद्योग-अकादमिक बातचीत का आयोजन किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए उपलब्ध विभिन्न सरकारी स्कीमों के बारे में संवेदनशील बनाना और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण में उद्योग की आवश्यकताओं के परामर्श से प्रौद्योगिकी विकास पहलों को कार्यान्वित करना है।

वर्ष के दौरान ईईपीसी इंडिया द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी उन्नयन पहलों में शामिल हैं:

- ईईपीसी इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर ने 3डी डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर द्वारा की गई पहलों के माध्यम से एडिटिव टेक्नोलॉजी और रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा अपने एमएसएमई सदस्यों को विभिन्न तकनीकी समाधान प्रदान किए हैं।
- ईईपीसी इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर ने सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल के सहयोग से मिश्रित सामग्री के साथ मैनहोल कवर भी विकसित किया है जिसमें अच्छी तन्यता, मज़बूती, अपघर्षक, संक्षारण और प्रभाव प्रतिरोध होने के साथ-साथ ढलवां लोहे के उत्पादों की तुलना में 30% हल्का है।
- ईईपीसी इंडिया द्वारा एमएसएमई को उन्नत करने के नवीनतम ज्ञान के साथ सशक्त बनाने, उत्पादों के मूल्य संवर्धन को सक्षम बनाने और भारत में इंजीनियरिंग समूहों के साथ जुड़ने और अग्रणी आर एंड डी विशेषज्ञ पैनल और आर एंड डी प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कई सेमिनार/कार्यशालाएं/वेबिनार आयोजित किए गए थे।
- ईईपीसी ने तकनीकी सहयोग के लिए निम्नलिखित संस्थानों/प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं:
  - भारतीय एमएसएमई को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को अधिक ग्राही बनाने और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय एमएसएमई के बीच प्रौद्योगिकीय अंतर को दूर करने और उन्नत बनाने के लिए उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का उपयोग करने के लिए यूरोपीय व्यापार और प्रौद्योगिकी केन्द्र (ईबीटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन।
  - परीक्षण, निरीक्षण और परामर्श के लिए अपनी उत्कृष्ट प्रयोगशाला सुविधाओं का उपयोग करने के लिए श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली के साथ ।
  - सीएसआईआर-सीईईआरआई, जयपुर अपनी अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं का उपयोग करने और क्यूसी/क्यूए सहायता प्राप्त करने के लिए।

(iv) निर्यात कार्यनीति पेपर

- ईईपीसी इंडिया ने "अनलॉकिंग इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल" शीर्षक से एक कार्यनीति पत्र तैयार किया है। यह व्यापक पेपर उन विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है जो वर्तमान में भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को प्रभावित करते हैं और इसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए निर्धारित 2030 तक 300 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में उद्योग की मदद करने के लिए कार्यनीतिक सिफारिशें की गई हैं।

(v) निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ

- वाणिज्य विभाग ईईपीसी इंडिया के माध्यम से विभिन्न निर्यात संवर्धन कार्यकलाप चलाता है। इन गतिविधियों में भारत में क्रेता-विक्रेता बैठक और उत्पाद-विशिष्ट सेमिनार/सम्मेलन, निर्यात जागरूकता कार्यक्रम आदि के साथ अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस) का आयोजन, भारत के बाहर विशिष्ट भारत इंजीनियरी प्रदर्शनियों (आईएनडीईई) का आयोजन, चुनिंदा देशों में उत्पाद-विशिष्ट शिष्टमंडलों का आयोजन, विभिन्न उत्पाद-विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों आदि में भागीदारी सहित भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और ब्रांड "इंडिया इंजीनियरिंग" द्वारा प्रचारित सही मूल्य के साथ विदेशी खरीदारों को प्रदान करना है।वैश्विक व्यापार प्रदर्शनियों में भागीदारी भारतीय निर्यातकों को व्यापक श्रोताओं के लिए अपने नवाचारों का प्रदर्शन करने, मूल्यवान साझेदारी को बढ़ावा देने और नए बाजारों के द्वार खोलने में सक्षम बनाती है।
- इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो (आईईएसएस): यह इंजीनियरिंग क्षेत्र में विभाग का प्रमुख कार्यक्रम है, और इसे इंजीनियरिंग उत्पादों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए भारत के भीतर आयोजित सबसे बड़ा सोर्सिंग शो माना जाता है। इस आयोजन का दसवां संस्करण मार्च 2023 में चेन्नई में आयोजित किया गया था, जिसमें सार्क, आसियान, अफ्रीका, ईयु, सिआईएसऔर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के 300 से अधिक प्रदर्शकों और 450 विदेशी खरीदारों ने भाग लिया था।
- भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (आईएनडीईई): ईईपीसी इंडिया भारतीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी (आईएनडीईई) का आयोजन करता है जो पूर्णत: भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में भारतीय इंजीनियरिंग में तेजी से प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आईएनडीईई को 1977 में लॉन्च किया गया था और अब तक विश्व भर में इस आयोजन के 44 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। आईएनडीईई ईईपीसी के विदेश में प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरा है और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए मौजूदा/नए बाजारों में अपनी ताकत दिखाने के लिए एक मंच है।

- भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024: इस विभाग के समग्र मार्गदर्शन में मोबिलिटी क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में भारत की विशेषज्ञता को हाईलाइट करने के लिए 1 से 3 फरवरी, 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक वैश्विक एक्सपो 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024' का आयोजन किया जा रहा है। भारत मोबिलिटी 2024 एक ही शीर्ष के अंतर्गत पूरी मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीन दिवसीय कार्यक्रम होगा और इसमें एसीएमए ऑटोमैकेनिक का ऑटो शो, एक बड़े पैमाने पर टायर प्रदर्शनी, नवीनतम इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का प्रदर्शन, ड्रोन, बैटरी, चार्जिंग स्टेशन जैसे शहरी मोबिलिटी सॉल्यूशंस, विविध ऊर्जा स्रोत और इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड, हाइड्रोजन, सीएनजी/एलएनजी, इथेनॉल/ जैव ईंधन आदि मेकरिंग एज आटोमोटिव एवं सूचना प्रौद्योगिकी पहलों जैसी विशिष्ट प्रदर्शनियां होंगी।
- वर्ष के दौरान ईईपीसी ने अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित इंजीनियरिंग कार्यक्रमों अर्थात ऑटोमैकेनिका दुबई 2023, संयुक्त अरब अमीरात - मध्य पूर्व और अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोटिव आफ्टरमार्केट ट्रेड शो; हनोवर मेसे 2023, जर्मनी – विश्व के सबसे बड़े व्यापार मेलों में से एक; जीआईएफए 2023, जर्मनी - फाउंड्री प्रौद्योगिकी के लिए विश्व का अग्रणी मेला; एक्सपोमैफे 2023, ब्राजील- मशीन टूल्स और औद्योगिक स्वचालन क्षेत्र में लैटिन अमेरिका में सबसे बड़े आयोजनों में से एक; सीडब्लूआईईएमई 2023- संपूर्ण कॉइल वाइंडिंग, इलेक्ट्रिक मोटर, ट्रांसफार्मर, जनरेटर और ई-मोबिलिटी आपूर्ति श्रृंखला के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम; इंड्समच अफ्रीका 2023, तंजानिया- अफ्रीका के मेगा औद्योगिक उपकरण, उपकरण और मशीनरी व्यापार प्रदर्शनी; अरब फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एक्सपो - संपूर्ण फार्मा विनिर्माण और कई और अधिक पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी भाग लिया ।
- उपरोक्त के अलावा, ईईपीसी ने इस वर्ष के दौरान भारत रेलवे सोर्सिंग सप्ताह 3.0 और भारत एमएसएमई रक्षा सप्ताह और आरबीएसएम 2023 सहित कुछ आभासी प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया।
- अपने नियमित एजेंडे का विस्तार करते हुए, ईईपीसी इंडिया ने सदस्यों को अपने वैश्विक पदचिह्नों को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय रुझानों और अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए कई रिपोर्ट/अध्ययन भी प्रकाशित किए।

(ञ) सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी)

एसईपीसी एक निर्यात संवर्धन परिषद है जिसकी स्थापना वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत से सेवाओं के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है।

(i) अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान एसईपीसी द्वारा की गई प्रमुख प्रचार गतिविधियां/कार्यक्रम इस प्रकार हैं

- एसईपीसी ने 26 से 28 अप्रैल 2023 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, दुबई,यूएई में आयोजित वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शनी (गेटेक्स) में भाग लिया। गेटेक्स 2023 में भारत की भागीदारी अब तक की सबसे बड़ी थी, जिसमें भारत के विभिन्न हिस्सों के 30 संस्थानों ने अपनी शैक्षिक प्रस्तावों का प्रदर्शन किया।
- एसईपीसी ने चेन्नई में 29 और 30 अप्रैल 2023 को तमिलनाडु के पर्यटन विभाग (टीटीडीसी) द्वारा आयोजित तमिलनाडु एमवीटी समिट 2023 में भाग लिया। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य तमिलनाडु आने वाले अंतरराष्ट्रीय रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ावा देना और एक वैश्विक मंच बनाना था।
- एसईपीसी ने अवसरों का अन्वेषण और निर्यात सेवाओं में व्यवसाय प्रदान करने के लिए 10 जून, 2023 को रायपुर में एनएसआईसी के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया।
- एसईपीसी ने 16 जून, 2023 को एचएसबीसी के सहयोग से द ललित, होटल, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में "सेवा निर्यातकों के लिए एफईएमए विनियम" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एफईएमए विनियमों का उपयोग करने की व्यापक समझ प्रदान करना था जिससे उनकी उत्पादकता को अनुकूलित किया जा सके और विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- एसईपीसी ने 28 जून 2023 को भारत के महावाणिज्य दूतावास, न्यूयॉर्क के कार्यालय में भारत-अमेरिका विधिक क्षेत्र – संबंधो को रीडिफाईन करने पर एक सम्मेलन का आयोजन किया।
- एसईपीसी ने 15 सितंबर, 2023 को ले-मेरिडियन होटल, नई दिल्ली में सीईएआई (कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया) के सहयोग से डिजाइन, इंजीनियरिंग, आर एंड डी, और पर्यावरण सेवाओं: सतत ऊर्जा, परिवहन और अवसंरचना सेवाओं पर ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने विनिर्माण और डिजाइन इंजीनियरिंग परामर्श, इंजीनियरिंग, आर एंड डी, और पर्यावरण सेवाओं सहित इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए सीमा पार व्यापार में चुनौतियों और अवसरों पर विमर्श करने के लिए 100+ उद्योग विशेषज्ञों और अग्रणियों को एक साथ लाया।
- एसईपीसी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से केन्स, फ्रांस में 16 से 19 अक्टूबर 2023 तक मिपकॉम 2022 में एक इंडिया पवेलियन का आयोजन किया। भागीदारी का उद्देश्य भारत को मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना था। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण "पोजिशनिंग इंडिया एज ए कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड" लोगो का विमोचन था।
- एसईपीसी ने नई दिल्ली में 30-31 अक्टूबर 2023 को सीआईआई द्वारा आयोजित "व्यवसायों का वैश्वीकरण: विधिक सहायता और संस्थागत समाधान" पर विधिक सेवा कॉन्क्लेव में भाग लिया।
- एसईपीसी ने एक्सेल लंदन में 6 से 8 नवंबर 2023 तक एक इंडिया पवेलियन का आयोजन किया। इंडिया पवेलियन में 25 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया।

(ii) एसईपीसी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन

- एसईपीसी ने केंद्रित और मॉनिटरिंग कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से उपभोक्ता अनुसंधान, अंतर्दृष्टि और विश्लेषण सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2023 को द मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया (एमआरएसआई) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- एसईपीसी ने 4 मई 2023 को फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया (एफएफएफएआई) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य केंद्रित और मॉनिटरिंग कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाओं में भारतीय कंपनियों के व्यापार के अवसरों और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

- एसईपीसी ने ज्ञान साझा करण, प्रशिक्षण, कौशल और क्षेत्रीय / राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों / प्रदर्शनी आदि के संचालन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री परिवहन और लॉजिस्टिक सेवा क्षेत्रों के लाभ के लिए 4 मई 2023 को द एयर कार्गो एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएएआई) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- एसईपीसी ने एफबीए सदस्यों के घरेलू आरबीएसएम मॉडल के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बीएसएम मॉडल के लिए कारोवारी विकास को डिजाइन/विकसित और निष्पादित करने और अवसरों की उत्पत्ति के लिए 5 मई 2023 को फेडरेशन ऑफ बायिंग एजेंट्स के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- एसईपीसी ने 14 अगस्त, 2023 को मीडिया और मनोरंजन कौशल विकास परिषद (एमईएसई) के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य केंद्रित और निगरानी कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से मीडिया और मनोरंजन सेवाओं में भारतीय कंपनियों के व्यावसायिक अवसरों और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

(iii) भारत का सेवा व्यापार

(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	2018-19	2019-20	2020-2021	2021-2022	2022-23 (पी)	अप्रैल-सितंबर 2023(*)
निर्यात	208	213	206	254	325	247
आयात	126	128	117	147	182	129

स्रोत: आरबीआई(*-अनंतिम)

(iv) एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया

एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया का 7वां संस्करण 17 से 19 अगस्त 2023 तक महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, गांधीनगर , गुजरात में आयोजित किया गया था। एजेंसियों सहित दुनिया भर से विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं की भागीदारी थी। एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया ने दुनिया में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के सबसे बड़े और अनूठे प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। एएचसीआई का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा मूल्य यात्रा क्षेत्र में प्रगति, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा उद्योग के पेशेवरों, हितधारकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है।

इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी, सम्मेलन (क्षेत्रीय मंच, सीईओ गोलमेज सत्र, विषयगत सत्र), बी2बी बैठकें, अस्पताल दौरे और एमओयू पर हस्ताक्षर, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक कार्यक्रम शामिल था और इसमें सभी प्रमुख भारतीय अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, कल्याण संगठनों, सरकारी संगठन, और विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञों की भागीदारी थी।

(ट) भारतीय तिलहन और उपज निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी)

क्रमांक	गतिविधि	भौतिक	वित्तीय
1	विश्व खाद्य मास्को 2023	**लक्ष्य** विभिन्न देशों के संभावित खरीदारों के साथ सफल बैठके करना खरीदारों को यह आभास दिलाना भारत विश्व में उत्तम तिलहनों का निरंतर आपूर्तिकर्ता है। **प्राप्ति** इस महत्वपूर्ण व्यापार मेले में भाग लेने के कारण, हमारे निर्यातक विभिन्न देशों के संभावित खरीदारों से सफलतापूर्वक बैठकें कर सके। इस प्रकार की बैठकों खरीदारों को यह आभास दिलाती है कि भारत विश्व को तिलहनों का निरंतर आपूर्तिकर्ता है।	**लक्ष्य** मूंगफली रूस का तीसरा सबसे बड़ा तिलहन आयात है, जो 9% (221,200,927 अमरिकी डॉलर) है, इसके बाद तिल आता है, जो आयात व्यापार का 1% (30,360491 अमरिकी डॉलर) है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस का कुल मूंगफली आयात लगभग 1.63 लाख मी.टन. है। भारत मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जो रूस के कुल आयात का 1.5% हिस्सा है। रूस का तिल का कुल आयात लगभग 16634 मीट्रिक टन. है। भारत रूस को तिल का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो रूस के कुल आयात का 86% हिस्सा है। हम रूस के मूंगफली और तिल के आयात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। **प्राप्ति** हमारे सदस्य निर्यातकों ने 125 पूछताछ की और 15.28 करोड़ रुपये का व्यवसाय उत्पन्न कर पाए। हमारे निर्यातक प्राप्त पूछताछ, किए गए समझौता ज्ञापन और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से अधिक व्यवसाय उत्पन्न करने की उम्मीद कर रहे हैं।

क्रमांक	गतिविधि	भौतिक	वित्तीय
2	अनुगा 2023	**लक्ष्य** यूरोपीय संघ तिलहन और तेलों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण बाज़ार है। यूरोपीय संघ का मूंगफली और तिल का कुल आयात लगभग क्रमश: 7,00,000 मी.टन और 1,46,000 मी.टन है। निर्यात को और बढ़ावा दिए जाने की काफी गुंजाइश है। हमारे निर्यातक चीन, ग्रीस, कनाडा, कोरिया आदि जैसे विभिन्न देशों के संभावित खरीदारों से सफलतापूर्वक मिल सकते हैं ताकि खरीदारों को यह आभास हो सके कि भारत दुनिया भर में तिलहनों का निरंतर आपूर्तिकर्ता है। **प्राप्ति** हमारे निर्यातक चीन, ग्रीस, कनाडा, कोरिया आदि जैसे विभिन्न देशों के संभावित खरीदारों से सफलतापूर्वक बैठकें कर सके। विभिन्न देशों के व्यापार और खाद्य सेवा क्षेत्र के खरीदारों के साथ बैठके करके हमारे निर्यातक आयातक देशों की गुणवत्तापूर्ण आवश्यकताओं, संबंधित देशों द्वारा अपनाए जा रहे विनियमों को समझते हैं। इसके अलावा, हमारे निर्यातक यूरोपीय संघ के खरीदारों को ईटीओ, साल्मोनेला और कीटनाशकों के मुद्दों पर काबू पाने के बारे में अपडेट कर सके। वे भारतीय तिल की गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हुए। इससे हमारे निर्यातकों को अगले 2 से 3 वर्षों में यूरोपीय संघ के आयातकों का विश्वास और बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिलेगी।	**लक्ष्य** 2019 तक, भारत का यूरोपीय देशों को तिल का निर्यात लगभग 75000 मीट्रिक टन था। जो पिछले तीन से चार वर्षों में घटकर 25,000 से 30,000 मीट्रिक टन रह गया है। निर्यात में इस गिरावट के पीछे का कारण मुख्य रूप से ईटीओ और कुछ हद तक साल्मोनेला और कीटनाशकों का मुद्दा था। लेकिन आईओपीईपीसी द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया शुरू करने और निर्यातों के लिए पिछले एकीकरण के प्रयासों के कारण हम ईटीओ मुद्दे पर पूरी तरह से काबू पा सके। अगले दो से तीन वर्षों में हमें यूरोपीय बाजार में बड़ी हिस्सेदारी फिर से हासिल करने का भरोसा है। **प्राप्ति** इस आयोजन में भाग लेने के कारण हमारे सदस्य निर्यातक 50 पूछताछ सृजित कर सके और 11 करोड़ रुपये का कारोबार कर सके। हमारे निर्यातक प्राप्त पूछताछ के साथ-साथ भविष्य में होने वाली पूछताछ के माध्यम से अधिक व्यवसाय उत्पन्न करने की उम्मीद कर रहे हैं।
3	गल्फूड 2024	**लक्ष्य** मध्य पूर्व खाद्य उद्योग फल-फूल रहा है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि, तेजी से बढ़ती खाद्य सेवा और पुन: निर्यात बाजार, विविध और समृद्ध उपभोक्ता नए रुझानों, स्वाद और उत्पादों की मांग कर रहे हैं, जो भारत से तिलहन और तेल के निर्यातकों के लिए इसे अत्यधिक महत्व देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात को मध्य पूर्व क्षेत्र का प्रवेश द्वार माना जाता है जो दुनिया में खाद्य पदार्थों का सबसे बड़ा आयातक है **प्राप्ति** भाग लेना है	**लक्ष्य** 2021-22 के दौरान भारत से संयुक्त अरब अमीरात को तिल और मूंगफली का निर्यात क्रमश: 5424 मीट्रिक टन और 18589 मीट्रिक टन था। भारत से संयुक्त अरब अमीरात में तिल और मूंगफली के आयात में भारत की हिस्सेदारी को और बढ़ाना **प्राप्ति** भाग लेना है

(ठ) वस्त्र

- वाणिज्य विभाग, अपनी बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के तहत, वस्त्र और परिधान निर्यात के संवर्धन में लगी विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और व्यापार निकायों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि का आयोजन करने एवं उनमें भागीदारी करने के लिए वित्तीय सहायता देता आ रहा है।
- वस्त्र उत्पादों के संवर्धन के लिए 10397.42 लाख के परिव्यय के साथ एमएआई योजना की सहायता के तहत 2023-24 के दौरान 144 आयोजनों (129 अंतरराष्ट्रीय आयोजन और 15 आरबीएसएम) को मंजूरी दी गई थी।
- वस्त्र ईपीसी द्वारा नई दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता और ग्रेटर नोएडा में आरबीएसएमएस आयोजित किए गए।
- परिधान/गारमेंट्स (अध्याय-61 और 62) और मेड-अप्स (अध्याय-63) के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों तथा लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है।
- अन्य कपड़ा उत्पाद (अध्याय 61, 62 और 63 को छोड़कर), जो आरओएससीटीएल के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) के तहत लाभ, यदि कोई हो, प्राप्त करने के पात्र हैं।
- एफटीपी 2023 के तहत मौजूदा 39 के अलावा, चार नए शहरों-फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर , मुरादाबाद और वाराणसी को निर्यात उत्कृष्टता के शहरों (टीईई) के रूप में नामित किया गया है, जो प्राथमिकता के आधार पर एमएआई योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं । मौजूदा 39 निर्यात उत्कृष्टता के शहरों में से 22 वस्त्र क्षेत्र में हैं।

(ड) फार्मास्यूटिकल्स निर्यात संवर्धन परिषद (फार्मेक्ससिल)

भारतीय औषधि निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 2004 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्यात संवर्धन के लिए भारतीय औषधीय उद्योग की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

(i) निर्यात प्रदर्शन

2022-23 के दौरान, भारतीय फार्मा निर्यात 3.25% बढ़कर 25.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 5.7% का योगदान रहा। वर्ष 2022-23 में भारत के शीर्ष 5 फार्मा निर्यात स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, यूके, ब्राजील और नीदरलैंड थे।

अप्रैल- नवंबर 2023 के दौरान फार्मा निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 8.04% की वृद्धि के साथ 17.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया । अप्रैल- नवंबर 2023 के दौरान निर्यात का श्रेणी-वार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

उत्पाद श्रेणी	2022-23	अप्रैल-नवंबर 2022	अप्रैल-नवंबर 2023	% विकास	% शेयर
औषधि निर्माण एवं जैविक	18,446.65	12,040.91	13,173.17	9.40	73.51
थोक औषधि एवं औषधि मध्यवर्ती	4,681.29	3,023.26	3,029.04	0.19	16.90
आयुष एवं जड़ी-बूटियाँ	628.47	407.92	403.64	-1.05	2.25
सर्जिकल	620.01	406.19	470.31	15.79	2.62
टीके	1,017.63	709.75	844.74	19.02	4.71
कुल	**25,394.05**	**16,588.03**	**17,920.91**	**8.04**	**100.00**

स्रोत: डीजीसीआईएस,

एलएसी (लैटिन अमेरिका और कैरेबियन), अफ्रीका और एशिया के अप्रयुक्त लेकिन संभावित बाजारों में भारतीय निर्माताओं के लिए एक बड़ा बाजार अवसर उभर रहा है। इसके अलावा, अपने कौशल, लागत और वितरण लाभों के कारण, अनुबंध अनुसंधान और विनिर्माण सेवाओं (सीआरएएमएस), नैदानिक अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव-सूचना विज्ञान, आदि के लिए आउटसोर्सिंग स्थान के रूप में भारत के लिए मजबूत विकास संभावनाएं हैं।

(ii) ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फार्मा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 से ब्रांड इंडिया फार्मा परियोजना शुरू की गई है और इस क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने तथा गुणवत्ता और वहनीयता के कारण भारत को पसंदीदा स्थान के रूप में पेश करने के लिए "मेड इन इंडिया" लोगो पर जोर दिया जा रहा है। फार्मेक्सिल ने फार्मास्यूटिकल्स में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोरिया, चीन, फिलीपींस, यूक्रेन आदि जैसे विभिन्न देशों के अनुसंधान संघों और परिषदों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए। लक्षित देशों के विनियामक प्राधिकरणों के बीच परस्पर मान्यता समझौतों पर भी प्राथमिकता आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। दक्षिण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीकी क्षेत्रों जैसे व्यापार भागीदारों द्वारा भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता दिया जाना भी एक प्राथमिकता है। निरंतर प्रयासों के बाद, भारतीय फार्माकोपिया को अफगानिस्तान और घाना ने स्वीकार कर लिया है।

(iii) एपीआई के आयात पर निर्भरता कम करना

भारत घरेलू क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ फॉर्मूलेशन के निर्माण के लिए सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई)/प्रमुख प्रारंभिक सामग्री (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। देश की दवा सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देने के लिए, आत्मनिर्भरता पहल के तहत, फार्मेक्सिल ने वाणिज्य विभाग के वित्तीय सहयोग से फार्मास्यूटिकल्स विभाग के लाभ के लिए एपीआई/केएसएम/इंटरमीडिएट्स पर भारत की आयात निर्भरता को कम करने के तरीकों पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद, सरकार ने महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ उच्च मूल्य वाले फार्मास्युटिकल उत्पादों जैसे कि जैव-फार्मास्यूटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं, पेटेंट दवाएं या पेटेंट समाप्ति के होने की दवाएं उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) की योजनाएं शुरू की हैं। देश भर में तीन बल्क ड्रग पार्क और चार मेडिकल डिवाइस पार्क के विकास के लिए भी योजना शुरू की गई हैं, जो इन पार्कों में सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

(iv) उद्योग को सहायता

वाणिज्य विभाग विदेश में उत्पाद पंजीकरण के लिए दो करोड़ रूपये प्रति वर्ष तक की प्रतिपूर्ति की अपनी बाजार पहुँच पहल (एमएआई) योजना के माध्यम से फार्मा उद्योग की सहायता करता है ताकि इस उद्योग को नए और संभावित बाजारों में अधिक उत्पादों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्ष 2022-23 के दौरान फार्माक्सिल ने उत्पादन पंजीकरण प्रतिपूर्ति के लिए एमएआई योजना के तहत अपने सदस्यों को 31.87 करोड़ रूपये की राशि वितरित की। वाणिज्य विभाग विदेशी सरकारों, वैश्विक नियामक एजेंसियों और भारतीय मिशनों के साथ भी गहन बातचीत कर रहा है ताकि विदेशी बाजारों तक पहुंचने में भारतीय उद्योग के समक्ष आ रहे विनियामक और बाजार पहुंच के मुद्दों का समाधान किया जा सके। वाणिज्य विभाग भी कम व्याप्त/संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों जैसे जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया लैटिन अमेरीका क्षेत्र, अफ्रीका आदि में अपनी पहचान बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारतीय उद्योग को वैश्विक नियामक मानकों और विनियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करने के अपने प्रयासों के तहत फार्माक्सिल ने 15 सितंबर, 2023 को अगले 5 महीनों के दौरान 10 शहरों में गुणवत्ता अनुपालन और रोगी सुरक्षा पर एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा ।

(v) ग्लोबल आउटरीच और बी2बी क्रियाकलाप

2023-24 के दौरान फार्मेक्सिल द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

- 13 अप्रैल 2023 को मॉस्को क्षेत्र, रूस में भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए अवसरों पर वेबिनार
- 18-21 अप्रैल 2023 तक किनटेक्स, सियोल, कोरिया में कोरिया फार्म एंड बायो
- आईपीए के साथ साझेदारी में भारत के प्रमुख निर्यात बाजारों में फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बाजार पहुंच बाधाओं पर रिपोर्ट तैयार करना - अप्रैल 2023
- 8 अप्रैल 2023 को प्रेसिडेंट मुंबई, आईएचसीएल सेलेक्सन में मास्को क्षेत्र का आधिकारिक रोड शो मॉस्को क्षेत्र के फार्मास्युटिकल और केमिकल मार्केट में अवसर
- 26 मई 2023 तक बेलारूस के मिंस्क में बेलारूसी हेल्थकेयर/बेलारूस मेडिका में इंडिया पैविलियन
- 5-7 जुलाई 2023 तक हाइटेक्स प्रदर्शनी केंद्र, हैदराबाद में फार्मेक्सिल द्वारा आईपीएचईएक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया गया।
- 3-5 अगस्त 2023 तक हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम में वियतनाम मेडी-फार्म एक्सपो
- 6 सितंबर 2023 को ली मेरिडियन, नई दिल्ली में नाइजीरिया-भारत प्रेसिडेंसियल गोलमेज सम्मेलन और सम्मेलन के दौरान बी2बी बैठक
- 26 सितंबर 2023 को आईटीसी काकतिया, हैदराबाद में फार्मा और एक्सपोर्ट फाइनेंस में गुणवत्ता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- 27-29 सितंबर 2023 तक तेहरान, ईरान में ईरान फार्मा 2023
- 6 अक्टूबर 2023 को ललित, चंडीगढ़ में "गुणवत्ता अनुपालन और रोगी सुरक्षा का महत्व – उद्योग प्रथाएँ और नियामक अपेक्षाएँ" पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- 24-26 अक्टूबर 2023 तक बार्सिलोना, स्पेन में सीपीएचआई वर्ल्डवाइड
- 2 नवंबर 2023 को ताज पैलेस, दिल्ली में सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के सीईओ के साथ गोलमेज चर्चा
- 9 नवंबर 2023 को एसीजी ऑडिटोरियम साइंस-टेक सेंटर, मुंबई में "फार्मास्युटिकल गुणवत्ता अनुपालन और विदेशी व्यापार" पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- 15-25 नवंबर तक केन्या, इथियोपिया, नाइजीरिया और बेनिन में बीएसएम अफ्रीका
- 15 दिसंबर 2023 को कैपिटल होटल, बैंगलोर में "गुणवत्ता अनुपालन और रोगी सुरक्षा का महत्व - उद्योग प्रथाओं और नियामक अपेक्षाओं" पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- 20 दिसंबर 2023 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में रोसकांग्रेस फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

2. अन्य संगठन

(क) फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (एफआईईओ)

एफआईआईईओ केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे, भूतल परिवहन और निर्यात व्यापार सुविधा में लगे सभी संबंधित के साथ भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुदाय के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है।

प्रमुख गतिविधियां और उपलब्धियां:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, फियो ने भारत के साथ-साथ विदेशों में रणनीतिक रूप से स्थित कुल 740 निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें निर्यातकों के लिए अपने उत्पादों की निर्बाध मार्केटिंग के लिए रणनीति तैयार की गई और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया।
- फियो सक्रिय रूप से संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क करके निर्यातकों की चिंताओं को संबोधित करता है ताकि शीघ्र समाधान की सुविधा मिल सके।
- फियो विभिन्न संचार चैनलों के माध्यम से, निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों पर अपने विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन चर्चा में संलग्न होने का अवसर प्रदान करता है, ताकि उन्हें नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
- फियो नीति निर्माताओं के साथ इंटरैक्टिव सत्रों की व्यवस्था करता है, यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण व्यापार मामलों को तेजी से समाधान के लिए सरकार के ध्यान में लाया जाए।
- केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों और टास्क फोर्स, जैसे कि व्यापार बोर्ड, संसदीय स्थायी समिति का एक अभिन्न अंग होने के नाते, फियो व्यापार नीतियों की एक श्रृंखला पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- पूरे वर्ष, फियो ने विभिन्न देशों में भारतीय राजदूतों के साथ इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापार संवर्धन, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा को बढ़ावा दिया गया।
- इसके अतिरिक्त, फियो ने विभिन्न देशों के साथ व्यापार संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए भौतिक और वर्चुअल दोनों तरह से बीटूबी बैठकों, प्रदर्शनियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी की एक श्रृंखला आयोजित की।
- फियो को यूपीआईटी 2023 के पहले संस्करण के दौरान माननीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार श्री नारायण राणे से सर्वश्रेष्ठ सहायक संगठन के रूप में मान्यता और सम्मान मिला। फियो को लगातार दूसरे वर्ष 2022-23 के लिए "इंस्टीट्यूशनल गेम चेंजर" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर और वाणिज्य मंत्रालय के समर्थन से, फियो ने भव्य यूपीआईटीएस शो के लिए 400 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी को सफलतापूर्वक सुविधाजनक बनाया। यह मील का पत्थर फियो के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो संगठन के इतिहास में इस तरह की उपलब्धि का पहला उदाहरण है।

- फियो ने डीजी और सीईओ के मार्गदर्शन में एक सक्रिय वॉर रूम की स्थापना की, जिसमें क्षेत्रीय प्रमुख और प्रमुख अधिकारी शामिल थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान स्थिति का आकलन करना और एक्ज़िम समुदाय के भीतर चिंताओं को तुरंत दूर करना है, ताकि तेजी से और निर्बाध निर्यात सुनिश्चित किया जा सके।
- भारतीय व्यापार पोर्टल, – फियो द्वारा विकसित और अनुरक्षित भारत का वन स्टॉप इन्फॉर्मेशन ट्रेड पोर्टल, वर्तमान में 98 देशों (वर्ष में जोड़े गए 10 नए देशों सहित) पर जानकारी प्रदान करता है, जो दुनिया के कुल आयात का 95% और भारत के निर्यात का 91% प्रतिनिधित्व करता है।
- भारतीय एक्ज़िम समुदाय को अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास के बारे में सूचित रखने के लिए, फियो ने 2800 से अधिक व्यापार अलर्ट, 950 समाचार अपडेट प्रकाशित किए हैं, और भारतीय व्यापार पोर्टल के माध्यम से 4000 से अधिक व्यापार और निविदा संबंधी पूछताछ का जवाब दिया है।
- इंडियन बिजनेस पोर्टल एकमात्र ऐसा मार्केटप्लेस है जो भारत में पंजीकृत निर्यातकों के लिए विशिष्ट है और इस इकोसिस्टम के निर्माण के लिए एकीकृत बीस्पोक सुविधाओं और प्रासंगिक भागीदारों की एक श्रृंखला के साथ निर्यातकों का समर्थन करने के लिए कस्टम-निर्मित है। भारतीय व्यापार पोर्टल के रणनीतिक उद्देश्य हैं; भारतीय निर्यातकों को डिजिटाइज़ करना और उन्हें ऑनलाइन खोज योग्य बनने में मदद करना; सभी भारतीय राज्यों से निर्यात को बढ़ावा देना; उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला में भारत की ताकत का प्रदर्शन; खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आभासी बैठकों को प्रोत्साहित करना; और विदेशी खरीदारों को भारतीय निर्यातकों का एक विश्वसनीय नेटवर्क प्रदान करना।
- 14000 से अधिक एसएमई एफआईईओ ग्लोबल लिंकर प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हैं और उनमें से 2000 से अधिक पहले से ही भारतीय व्यापार पोर्टल पर सूचीबद्ध 40,000 से अधिक उत्पादों और सेवाओं के साथ जुड़ चुके हैं।
- फियो ने "ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल" लॉन्च किया, जो निर्यातकों और रसद सेवा प्रदाताओं को व्यापार पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए एक मंच पर लाने के लिए फियो की एक पहल है।
- फियो निर्यात मित्र मोबाइल ऐप भारतीय निर्यातकों के लिए एक मूल्यवान उपकरण है, क्योंकि यह उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को निर्यात करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक ही मंच प्रदान करता है। निर्यात मित्र मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों उपकरणों पर 1 लाख से अधिक डाउनलोड और 4.8 की उत्कृष्ट रेटिंग के साथ उपलब्ध है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, फियो ने नियमित रूप से सरकार के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे बढ़ाया है जिनका अंततः समाधान हो गया है:

- अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकरण धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एकमुश्त निपटान के लिए माफी योजना।
- ईपीसीजी योजना के तहत इंस्टॉलेशन प्रमाणपत्र जमा करने में देरी में छूट।
- 1 अक्टूबर 2023 तक निर्यात और आयात के लिए अतिरिक्त क्वालीफायर की आवश्यकता को स्थगित करना
- औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने से एकमुश्त छूट और कोविड-19 महामारी के कारण निर्दिष्ट ईपीसीजी प्राधिकरणों के लिए ईओ अवधि में विस्तार का लाभ उठाने का विकल्प।
- एए योजना के तहत निर्यात दायित्व अवधि ईओपी के मामले में संरचना शुल्क लगाने की प्रक्रिया में सरलीकरण।
- विदेश व्यापार नीति (2009-14) (31.03.2015 तक विस्तारित) के तहत जारी ईपीसीजी प्राधिकरणों में उपयोग किए गए अतिरिक्त शुल्क को कवर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क जमा करने में एक बार की छूट।
- आरए को ऐसे सभी एमईआईएस/एसईआईएस आवेदनों को फिर से खोलना और जांचना होगा, जिन्हें एचबीपी 2015-20 के पैरा 3.06 के प्रावधानों के तहत लंबित रखा गया है और आरए में कमी है।
- खाद्य खेपों (दूध और मांस उत्पादों) के आयात के साथ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
- बुकिंग डाकघर ई-कॉम निर्यात के लिए खेपों को स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं।
- आयात के समय कंटेनर पर पहले से चिपकाए गए टैग, ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर भी सीमा शुल्क और एकीकृत कर से छूट के लिए पात्र हैं।
- डीजीएफटी के अधिकारी ऑनलाइन सहायता के लिए सायन निर्धारण प्रदान करने के लिए हर दिन सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उपलब्ध रहेंगे।
- 15.12.2022 से 30.09.2023 तक किए गए निर्यात के लिए आरओडीटीईपी के तहत परिशिष्ट 4आर में अध्याय 28,29,30 और 73 में निर्यात क्षेत्रों/वस्तुओं को शामिल करना।

उपरोक्त के अलावा, फियो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं पर व्यापार और उद्योग को अद्यतन रखने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर कई मासिक और साप्ताहिक बुलेटिन, रिपोर्ट, लेख आदि प्रकाशित करता है। फियो निर्यातकों और निर्यात सुविधाकर्ताओं को मान्यता देता है और निर्यातकों को वर्ष-दर-वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्रमशः "निर्यात श्री" और "निर्यात बंधु" पुरस्कार प्रदान करता है।

(ख) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ)

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। आईबीईएफ का मुख्य उद्देश्य विदेशी बाजारों में ब्रांड इंडिया के बारे में अंतरराष्ट्रीय जागरूकता पैदा करना और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जानकारी बढ़ाना है। इस प्रयोजनार्थ, आईबीईएफ सरकार और उद्योग के हितधारकों के साथ मिलकर काम करता है।

आईबीईएफ ने वर्ष 2023-24 में प्रमुख पहलों और क्षेत्रों की सहायता करने के लिए कई ब्रांडिंग कार्यकलाप किए। कुछ प्रमुख पहलों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

आईबीईएफ की गतिविधियां

- वाणिज्य विभाग की जी20 संबंधित गतिविधियों के लिए ब्रांडिंग इनपुट और सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, वाणिज्य विभाग के लिए आईबीईएफ द्वारा एक पीएमयू इकाई की स्थापना और प्रबंधन किया गया था।

- एक ब्रांड अभियान और अन्य गतिविधियों के निर्माण के लिए एक एजेंसी के चयन के लिए संस्कृति मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ मिलकर काम किया।
- एपीडा के सहयोग से गल्फूड दुबई और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में भारत की भागीदारी की ब्रांडिंग और प्रचार।

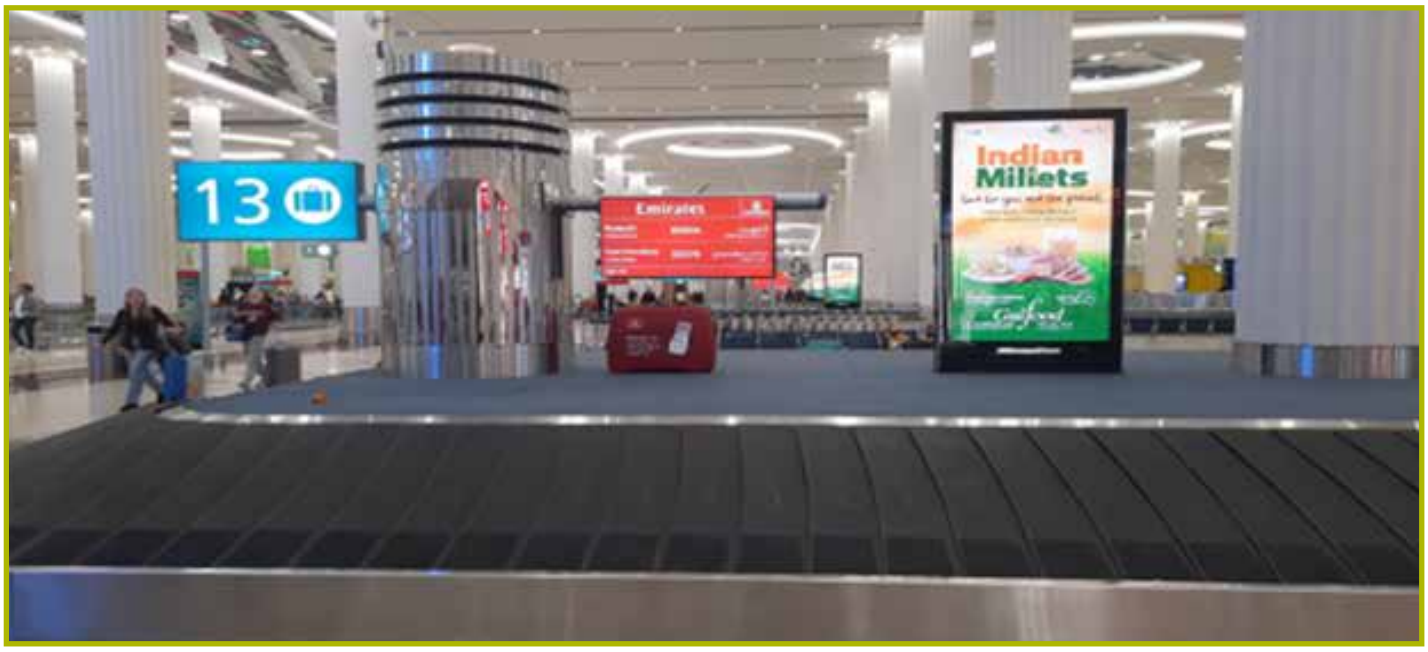

गल्फूड दुबई में भारत की भागीदारी की ब्रांडिंग और प्रचार

- ईईपीसी और आईएनडीईई, आईईएसएस आदि आयोजनों के लिए ब्रांडिंग और डिज़ाइन सहायता प्रदान की गई।

आईईएसएस उद्घाटन

- नई विदेश व्यापार नीति के लिए ब्रांडिंग और डिज़ाइन सहायता।

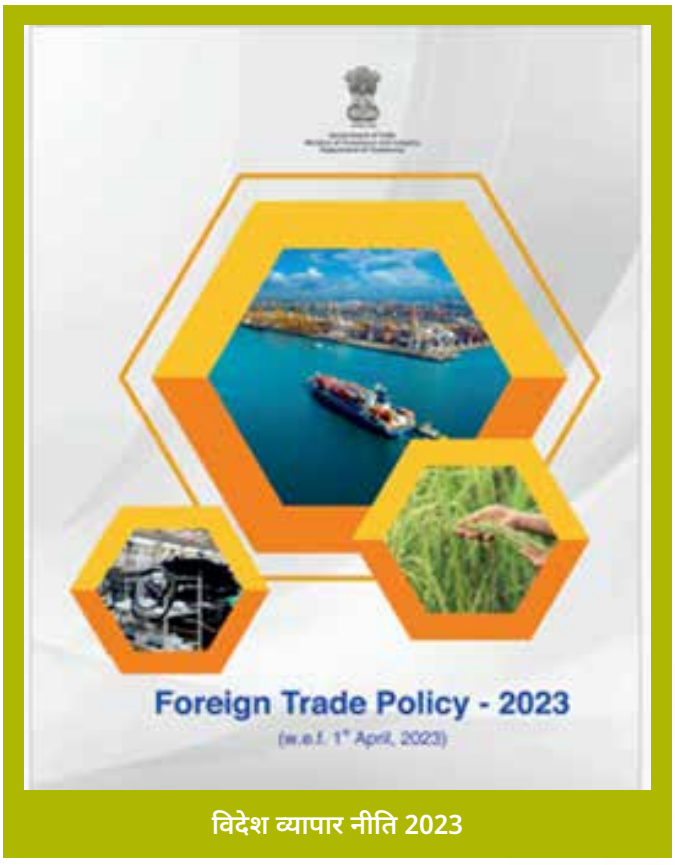

विदेश व्यापार नीति 2023

- एपीडा के सहयोग से श्री अन्न "इंडियन मिलेट्स" लोगो और ब्रांडिंग रणनीति विकसित की।
- वाणिज्य विभाग की 9 साल की उपलब्धियों की पुस्तिका तैयार की।

3. राज्य/संघ, राज्यक्षेत्र विशिष्ट निर्यात कार्यनीतियां

राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के साथ बेहतर समन्वय करने के लिए, वाणिज्य विभाग ने अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है ताकि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित और प्रभावी समन्वय और सम्प्रेषण हेतु एक तंत्र को संस्थागत रूप दिया जा सके।

नामित नोडल अधिकारी वाणिज्य विभाग से जुड़े राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल संपर्क बिंदु हैं। नोडल अधिकारी समय-समय पर अपने आवंटित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का दौरा करते हैं। वे व्यापार संबंधी विभिन्न मामलों पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें 'निर्यात कार्यनीति' का निर्माण/कार्यान्वयन और व्यापार के किसी भी मुद्दे या बाधाओं का समाधान करना शामिल है।

वाणिज्य विभाग देश से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक समर्थकारी वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है और उनके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा वह राज्य की क्षमता के आकलन के आधार पर एक व्यापक निर्यात कार्यनीति तैयार करने में उनकी सहायता कर रहा है। राज्यों के साथ मिलकर निर्यात निष्पादन में सुधार लाने के लिए, राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे निर्यात क्षमता वाली वस्तुओं की पहचान करें। राज्य की निर्यात कार्यनीति तैयार करने के लिए विभाग द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। अब तक, 24 राज्यों ने अपनी निर्यात कार्यनीतियां तैयार की हैं। 07 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों (बिहार, हरियाणा, मणिपुर, राजस्थान, पंजाब, केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर) की निर्यात कार्यनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अध्याय 6

वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन

1. दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार

आसियान क्षेत्र

(i) प्रस्तावना

भारत ने पूर्वी आसियान देशों के साथ अधिक जुड़ाव की दृष्टि से 1991 में अपनी 'पूर्व की ओर देखो नीति' की घोषणा की। 2014 में, नीति को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में अपग्रेड किया गया था, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पड़ोस के विस्तार पर केंद्रित है। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' की आर्थिक सहयोग सामग्री को संबोधित करने के लिए, आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ) देशों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाता है अर्थात ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिखर सम्मेलन स्तर की भागीदारी, मंत्रिस्तरीय बैठकें और आधिकारिक स्तर की चर्चाएं आयोजित की जाती हैं।

(ii) व्यापार ढांचा

(क) आसियान के साथ समझौते

13 अगस्त 2009 को भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) के व्यापक ढांचे के तहत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के संबंध में 1 जनवरी 2010 को और अन्य आसियान देशों के मामले में, 2010 और 2011 में अलग-अलग तारीखों पर लागू हुआ।

भारत और आसियान सदस्य देशों ने नवंबर 2014 में सेवाओं में व्यापार पर समझौते और निवेश पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते 1 जुलाई 2015 से लागू हुए ।

भारत और आसियान ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। 16 सितंबर 2022 को आयोजित 19 वें एईएम-भारत परामर्श में मंत्रियों ने एआईटीआईजीए की समीक्षा के दायरे का समर्थन किया और समीक्षा करने के लिए एआईटीआईजीए संयुक्त समिति को सक्रिय किया। एआईटीआईजीए संयुक्त समिति की अब तक दो बैठकें मई 2023 और अगस्त 2023 में हो चुकी हैं। एआईटीआईजीए संयुक्त समिति के संदर्भ की शर्तें, एआईटीआईजीए समीक्षा वार्ता की कार्य योजना और एआईटीआईजीए की समीक्षा के लिए वार्ता संरचना को अंतिम रूप दिया गया है और 21 अगस्त 2023 को आयोजित 20 वें एईएम-भारत परामर्श के दौरान मंत्रियों द्वारा एआईटीआईजीए संयुक्त समिति और इसका समर्थन किया गया।

(ख) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)

29 जून 2005 को सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अगस्त 2005 से लागू हुआ। भारत-सिंगापुर सीईसीए की पहली समीक्षा 1 अक्टूबर 2007 को संपन्न हुई और दूसरी समीक्षा 1 जून 2018 को संपन्न हुई। भारत-सिंगापुर सीईसीए की तीसरी समीक्षा 1 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। समीक्षा के दायरे को दोनों पक्षों के बीच अंतिम रूप दिया जा रहा है। भारत बाजार पहुंच और लाभ बढ़ाने के लिए सीईसीए में सेवा अनुसूची का विस्तार करना चाहता है।

(iii) हाल की व्यापार संबंधी गतिविधियाँ

(क) 13 वीं भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार आयोग की बैठक

भारत-थाईलैंड संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की 13 वीं बैठक 20 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव/डीजी स्तर पर आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की और अपने निर्यातकों के सामने आने वाली बाजार पहुंच के मुद्दों और तकनीकी बाधाओं पर चर्चा की। भारत ने समुद्री, पोल्ट्री और मांस उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। दोनों पक्षों ने मजबूत साझेदारी के लिए संभावित वस्तुओं और क्षेत्रों की एक श्रृंखला की भी पहचान की, जैसे मूल्यवर्धित समुद्री उत्पाद, स्मार्ट फोन, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, सेवाएं और फार्मास्यूटिकल्स।

(ख) 5 वीं भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग (जेटीएससी) की बैठक

भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग (जेटीएससी) की 5 वीं बैठक 8 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में अतिरिक्त सचिव/उप मंत्री स्तर पर आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग पर प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार में व्यापाक अप्रयुक्त क्षमता को प्रकट करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए कृषि, मत्स्य पालन, कपड़ा, जूते, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, उर्वरक, मशीनरी और उपकरण, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे संभावित क्षेत्रों की पहचान की। भारतीय पक्ष ने निर्यात के लिए भारतीय मत्स्य और मांस प्रतिष्ठानों के लंबित पंजीकरण, भारतीय दवा कंपनियों के लिए दवाओं की सार्वजनिक खरीद में प्रतिबंधित बाजार पहुंच और भारतीय पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न उत्पादों और सोर्बिटोल पर लगाए गए उच्च एंटी-डंपिंग शुल्क के मुद्दों को उठाया ।

(ग) आसियान-भारत वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों और आर्थिक मंत्रियों की वार्षिक बैठकें

आसियान सचिवालय द्वारा आयोजित 37 वीं और 38 वीं एसईओएम-भारत परामर्श (आसियान-भारत वरिष्ठ आर्थिक अधिकारियों की बैठक) क्रमशः 26 मई 2023 को जकार्ता, इंडोनेशिया में और 14 जुलाई 2023 को सुरबाया, इंडोनेशिया में आयोजित की गईं। इन बैठकों के बाद 21 अगस्त 2023 को सेमारंग, इंडोनेशिया में 20 वीं एईएम - भारत परामर्श (आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक) आयोजित की गई। मंत्रिस्तरीय बैठक में व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा की गई, आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की समीक्षा की प्रगति का स्वागत किया गया और एआईटीआईजीए समीक्षा के लिए एआईटीआईजीए संयुक्त समिति के संदर्भ की शर्तों, कार्य योजना और वार्ता संरचना का समर्थन किया गया।

(iv) आसियान व्यापार

वर्ष 2022-23 के दौरान आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार 131.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2023-24 (अप्रैल-नवंबर (अ.)) के दौरान 77.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इस क्षेत्र में भारत के निर्यात और आयात के प्रमुख गंतव्य इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम हैं। निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, कार्बनिक रसायन, गोजातीय मांस, रत्न और आभूषण, टर्बोजेट और आईसी इंजन, फ्लोटिंग संरचनाएं और हल्के-जहाज आदि शामिल हैं। आयात की प्रमुख वस्तुओं में कोयला, वनस्पति तेल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और घटक, प्लास्टिक और सामग्री और लोहा एवं इस्पात शामिल हैं।

आसियान क्षेत्र के लिए देश-वार व्यापार आंकड़े

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	देश	2022-23			2023-24 (अप्रैल-नवंबर) अनंतिम		
		निर्यात	आयात	कुल व्यापार	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
1	ब्रुनेई	69.48	303.99	373.47	46.43	63.25	109.68
2	कंबोडिया	220.43	146.02	366.45	121.44	149.40	270.84
3	इंडोनेशिया	10,024.30	28,820.41	38,844.71	4,438.09	15,402.48	19,840.57
4	लाओ पीडी गणतंत्र	16.98	74.30	91.28	8.83	54.83	63.66
5	मलेशिया	7,156.16	12,734.94	19,891.10	4,327.12	7,421.33	11,748.45
6	म्यांमार	807.00	954.74	1,761.74	450.96	686.80	1,137.76
7	फिलिपींस	2,094.15	959.59	3,053.74	1,301.19	921.81	2,223.00
8	सिंगापुर	11,992.94	23,595.35	35,588.29	7,861.56	14,525.51	22,387.07
9	थाईलैंड	5,709.81	11,193.36	16,903.17	3,292.52	6,812.08	10,104.60
10	वियतनाम	5,909.16	8,794.73	14,703.89	3,519.20	6,215.12	9,734.32
आसियान का कुल व्यापार		**44,000.41**	**87,577.43**	**1,31,577.84**	**25,367.33**	**52,252.61**	**77,619.94**
भारत का कुल व्यापार		**4,51,070.00**	**7,15,968.90**	**11,67,038.90**	**2,78,767.53**	**445,143.21**	**7,23,910.74**
भारत के कुल व्यापार में % हिस्सेदारी		**9.75**	**12.23**	**11.27**	**9.10**	**11.74**	**10.72**

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

2. उत्तर पूर्व एशिया के साथ व्यापार

(i) भारत-कोरिया सीईपीए उन्नयन वार्ता

- 9वां दौर 3 से 4 नवंबर 2022 तक सियोल में आयोजित किया गया था जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, उत्पत्ति के नियमों और सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव और मुख्य वार्ताकार ने किया। 10 वां राउंड 30 से 31 जनवरी 2024 तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
- भारत और कोरिया ने 2030 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया है।
- 2023 दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 50वां वर्ष था।

(ii) कोरिया में व्यापार और निवेश रोड शो

- भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने और कोरिया में भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, डीपीआईआईटी सचिव के नेतृत्व और सियोल में भारतीय मिशन के समर्थन में 16 से 18 अक्टूबर 2023 तक दक्षिण कोरिया में एक व्यापार और निवेश रोड शो आयोजित किया गया था। निवेश के लिए सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीएस, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों और व्यापार में प्रचार के लिये कपड़ा और खाद् य प्रसंस्करण क्षेत्र थे|
- डीपीआईआईटी, वाणिज्य विभाग, डीएचआई, कपड़ा मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो और भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अधिकारियों ने व्यापार और निवेश रोड शो में भाग लिया।

(iii) ताइवान में डब्ल्यूजीटी बैठक और रोड शो

- 11 अगस्त 2023 को ताइवान में भारत और ताइवान के बीच व्यापार पर 8वीं कार्य समूह (जेएस-डीजी स्तर) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बाजार पहुंच, गैर-टैरिफ बाधाएं, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में सहयोग और एपीआई के लिए आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
- व्यापार पर 8वें कार्य समूह की तर्ज पर, श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव के नेतृत्व में एक व्यापार संवर्धन और निवेश रोड शो 10 से 12 अगस्त 2023 तक ताइवान में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के चमड़े और जूते, कपड़ा और फार्मा क्षेत्रों की भागीदारी थी।

(iv) भारत-जापान सीईपीए

- भारत जापान सीईपीए 1 अगस्त 2011 को लागू हुआ। इस समझौते में वस्तुएं, सेवाएं, उत्पत्ति के नियम, प्राकृतिक व्यक्तियों की आवाजाही, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, निवेश, आईपीआर, सरकारी खरीद, स्वच्छता और अन्य क्षेत्र में पादप स्वच्छता उपाय, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और सहयोग शामिल हैं।
- भारत ने जापान के साथ सीईपीए की समीक्षा की मांग की है।

(v) जापान के साथ द्विपक्षीय व्यापार

- भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2014-15 में 15.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 21.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- दोनों देश सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दिशा में एक कदम के रूप में ई-सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को स्वीकार करने पर सहमत हुए हैं।

(vi) चीन

- भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2014-15 में 72.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 113.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

3. दक्षिण एशिया के साथ व्यापार

- **01.06.2023 को भारत-नेपाल पारगमन संधि पर हस्ताक्षर:** संशोधित पारगमन संधि भारत के क्षेत्र के माध्यम से नेपाल से आने वाले और नेपाल जाने वाले तीसरे देश के कार्गो की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी। इस तरह की गतिविधि से भारतीय क्षेत्र में संपत्ति का उपयोग होगा और परिणामस्वरूप संबंधित लागतें वहन होंगी।
- **26-27 सितंबर 2023 को भारत-बांग्लादेश के बीच संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 15वीं बैठक:** 15वीं जेडब्ल्यूजी बैठक में पत्तन प्रतिबंधों को हटाने, सीईपीए की शुरुआत पर जमीनी स्तर पर कार्य, समन्वय जैसे कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। मानकों और मानकों की पारस्परिक मान्यता, बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, सड़क और रेल बुनियादी ढांचे का विकास, मल्टी-मॉडल परिवहन के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों/एकीकृत जांच चौकियों, सीमा हाटों आदि में बुनियादी ढांचे का निर्माण/सुदृढ़ीकरण।
- **बाज़ार पहुंच पहल:** वर्ष 2023-24 में अब तक निम्नलिखित व्यापार प्रचार कार्यक्रम हुए हैं:
    - **बांग्ला एमईडी एक्सपो 2023** एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय मंच है, जो 22 से 24 सितंबर 2023 तक बांग्लादेश में ईईपीसी इंडिया द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को चिकित्सकों, पेशेवर खरादारों, डीलरों और वितरकों के साथ जोड़ना है। यह अत्याधुनिक इमेजिंग उपकरणों से लेकर सबसे अधिक लागत प्रभावी डिस्पोज़ेबल्स तक, स्वास्थ्य सेवाओं में नवीनतम नवाचार सर्जरी में विकास से लेकर प्रोस्थेटिक्स में प्रगति।
    - आयोजन का प्राथमिक लक्ष्य निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को चिकित्सकों, पेशेवर खरादारों, डीलरों और वितरकों से जोड़ना है। यह अत्याधुनिक इमेजिंग उपकरणों से लेकर सबसे अधिक लागत प्रभावी डिस्पोज़ेबल्स तक, सर्जरी में विकास से लेकर प्रोस्थेटिक्स में प्रगति तक स्वास्थ्य सेवा में नवीनतम नवाचार भी लेकर आया है।
    - **41वां डाई+केम बांग्लादेश एक्सपो 2023** डाईस्टफ और केमिकल्स के खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा समागम स्थल है और यह प्रदर्शकों को डिस्प्ले/सीधी वार्ता के माध्यम से व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच भी प्रदान करता है। इसका आयोजन सीएचईएमईएक्ससीआईएल द्वारा बांग्लादेश में 4 से 7 सितंबर तक किया गया था। यह आयोजन सहक्रिया प्रभाव को बढ़ाएगा और उद्योग से शीर्ष स्तर के पेशेवरों को आकर्षित करेगा, जिससे प्रौद्योगिकी, फोकस और एक्सपो के आगंतुकों में वृद्धि होगी।
    - **इंटेक्स साउथ एशिया-बांग्लादेश** दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे स्थापित अंतरराष्ट्रीय कपड़ा सोर्सिंग शो है, जो 22 से 24 जून 2023 तक बांग्लादेश में पीडीईएक्ससीआईएल द्वारा आयोजित किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े परिधान विनिर्माण क्षेत्रों में से एक के लिए नवीन और ट्रेंडी कपड़ों और सहायक उपकरण की बढ़ती मांग को पूरा करना है।
    - **इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो सह बीएसएम** भारतीय निर्यातकों के लिए नेपाल और आसपास के क्षेत्र में बहु-क्षेत्रीय निर्णायकों से जुड़ने के लिए एक विशेष मंच है। यह कार्यक्रम एफआईईओ द्वारा 1 से 3 सितंबर 2023 तक नेपाल में आयोजित किया गया था। आयोजन का उद्देश्य ऑटो और ऑटो पार्ट्स, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, भवन निर्माण सामग्री, विनिर्माण, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली के भारतीय निर्यातकों को थोक सौदे करने में सक्षम बनाना है।
    - **ढाका इंटरनेशनल यार्न एंड फैब्रिक** शो का आयोजन एसआरटीईपीसी द्वारा 13 से 16 सितंबर 2023 तक बांग्लादेश में किया गया था। इस मेले में धागे और कपड़े की पूरी श्रृंखला प्रदर्शित की गई।
    - **इंटेक्स दक्षिण एशिया-श्रीलंका** अप्रयुक्त दक्षिण एशियाई अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के लिए मंच है, जो उद्योग के विकास, नेटवर्किंग के अवसरों और दक्षिण एशिया और दुनिया भर के अन्य वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ रणनीतिक पहल तक पहुंच प्रदान करके उद्योग और व्यापार को एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे विस्तारित करने में मदद करता है। यह मेला वर्ल्डएक्स इंडिया एक्जीबिशन एंड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया है, इसे 9 से 11 अगस्त 2023 तक उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय (श्रीलंका सरकार), श्रीलंका निर्यात विकास बोर्ड (ईडीबी), संयुक्त परिधान एसोसिएशन फोरम (जेएएएफ) और कई अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उद्योग संघ और चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा समर्थन दिया गया है।
    - **निर्माण और ऊर्जा श्रीलंका** उन सभी उद्योगों के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है जो निर्माण शक्ति और ऊर्जा से जुड़े हैं और प्रतिभागियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को दिखाने का मौका देगा जो उद्योग से संबंधित सभी क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कार्यक्रम एसोचैम द्वारा 7 से 9 जुलाई 2023 तक श्रीलंका में आयोजित किया गया था।

4. अफ्रीका के साथ व्यापार

(i) भारत-इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र

भारत-इथियोपिया जेटीसी का छठा सत्र 6 से 7 नवंबर 2023 तक अदीस अबाबा, इथियोपिया में आयोजित किया गया था। बैठक की सह-अध्यक्षता सुश्री प्रिया पी. नायर, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी और श्री टेजेस मुलुगेटा, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण के प्रमुख कार्यकारी, व्यापार और क्षेत्रीय एकीकरण मंत्रालय, इथियोपिया, इथियोपिया में भारत के राजदूत और दोनों पक्षों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जेटीसी में भाग लिया।

जेटीसी के दौरान, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार में बाधा डालने वाले कई मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों का पता लगाया। भारतीय पक्ष ने इथियोपियाई पक्ष को इथियोपिया के एथस्विच के साथ भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा, भारतीय पक्ष ने इथियोपिया से स्थानीय मुद्रा में व्यापार लेनदेन के निपटान की संभावना तलाशने का भी आग्रह किया, जिससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा के संरक्षण में मदद मिलेगी।

(ii) 18वां सीआईआई - एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव

भारत-अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप थीम पर 18वां सीआईआई - एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव, जिसका विषय "साझा भविष्य बनाना" था, 14 से 16 जून 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस सभा में प्रमुख भारतीय उद्योग सहित और 45 अफ्रीकी देशों सहित लगभग 67 देशों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे। कॉन्क्लेव में बुनियादी ढांचे, वित्तपोषण, अंतरिक्ष, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा, विनिर्माण, व्यापार, आईसीटी, महत्वपूर्ण खनिज, कौशल विकास, त्रिपक्षीय साझेदारी, जल, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्युटिकल और बिजली और ऊर्जा सहित विविध क्षेत्रीय सत्रों को शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय सीआईएम, माननीय विदेश मंत्री और माननीय विदेश राज्य मंत्री और भारत के कई अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि की प्रतिष्ठित भागीदारी देखी गई।

(iii) अफ्रीका प्रभाग में भारतीय मिशनों के साथ बैठक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के एक सहयोगात्मक प्रयास में, वाणिज्य विभाग ने एक सामरिक यात्रा शुरू की है। उप-सहारा अफ्रीका (एसएसए) क्षेत्र के महत्व को पहचानते हुए, पूरे अफ्रीका में भारतीय मिशनों के राजदूतों और वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के साथ आभासी बैठकें बुलाई गईं। इन चर्चाओं का उद्देश्य भारत और एसएसए क्षेत्र के देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की जटिलताओं को समझना था। इन आभासी गतिविधियों के दौरान, हितधारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और मौजूदा अवसरों और चुनौतियों पर अंतर्दृष्टि साझा की। उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में प्रत्येक देश के लिए निर्धारित निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मिशनों के वाणिज्यिक प्रतिनिधियों से भारतीय निर्यातकों और निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ चल रही वार्ता को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखने का आग्रह किया गया।

5. पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका (वाना) के साथ व्यापार

(i) भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की पहली संयुक्त समिति (संयुक्त समिति) की बैठक

भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) की संयुक्त समिति (संयुक्त समिति) की बैठक का पहला सत्र 11 से 12 जून 2023 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। संयुक्त समिति की सह-अध्यक्षता डीओसी के संयुक्त सचिव डॉ. श्रीकर के रेड्डी और संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्रालय के औद्योगिक विकास क्षेत्र के सहायक अवर सचिव महामहिम श्री अब्दुल्ला अल शम्सी ने की। संयुक्त समिति के दौरान दोनों पक्षों ने अन्य बातों के अलावा, सीईपीए के तहत द्विपक्षीय व्यापार की समीक्षा की सीईपीए के तहत स्थापित समितियों/उप-समितियों/तकनीकी परिषद को संचालित करने पर सहमति व्यक्त की, प्रभावी निगरानी के लिए त्रैमासिक आधार पर तरजीही व्यापार आंकड़ों के पारस्परिक आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की। सीईपीए ने समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा की और किसी भी मुद्दे को संबोधित करने पर सहमति व्यक्त की जो संभावित रूप से सीईपीए कार्यान्वयन या दोनों पक्षों के व्यवसायों द्वारा इसके उपयोग में बाधा बन सकता है। दोनों पक्ष सेवाओं में व्यापार पर एक नई उप-समिति के गठन पर भी सहमत हुए। दोनों पक्षों ने डब्ल्यूटीओ मामलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

(ii) छठा भारत अरब साझेदारी सम्मेलन

अरब-भारतीय सहयोग मंच के तत्वावधान में, "निवेश, व्यापार और सेवाओं में नए क्षितिज" विषय पर छठा भारत-अरब साझेदारी सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें अरब राज्यों और भारत के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और लीग ऑफ अरब स्टेट्स (एलएएस) द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), फेडरेशन ऑफ अरब बिजनेसमैन (एफएबी) और यूनियन ऑफ अरब चैंबर्स (यूएसी) के साथ साझेदारी में किया गया था। इस कार्यक्रम में वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

(iii) भारत-ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) वार्ता

भारत और ओमान सामरिक साझेदार हैं और उनके बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से फले-फूले हैं, जिसे 2008 में सामरिक साझेदारी में अद्यतन किया गया था। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2021-2022 में 82.64 प्रतिशत बढ़कर 9.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2022-2023 में यह बढ़कर 12.39 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2020-2021 में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में पिछले दो वर्षों में दोगुने से भी अधिक है।

दोनों देशों ने औपचारिक रूप से नवंबर 2023 में सीईपीए वार्ता शुरू की। भारत-ओमान सीईपीए वार्ता का पहला दौर 27 से 29 नवंबर 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि दूसरा दौर 9 से 11 दिसंबर

को मस्कट, ओमान में आयोजित किया गया था। प्रस्तावित भारत-ओमान सीईपीए भारत के लिए एक लंबे समय से चले आ रहे व्यापार भागीदार के साथ अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने, ओमानी बाजार में अपनी उपस्थिति को सुदृढ करने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।

सीईपीए मौजूदा व्यापार बाधाओं को दूर करके अप्रयुक्त निर्यात क्षमता को साकार करने में सहायता करेगा। यह हमारे प्रमुख हित के क्षेत्रों में मौजूदा गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने में सहायता करेगा। भारत-ओमान सीईपीए भारत की सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के अवसरों, विशेष रूप से लेखांकन, लेखा परीक्षा और बहीखाता सेवाओं, इंजीनियरिंग सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं और कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं आदि जैसी पेशेवर सेवाओं का विस्तार करेगा।

(iv) वाना देशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से व्यापार संवर्धन के प्रयास

विशेष रूप से भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए समग्र द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए वाना क्षेत्र में भारतीय मिशनों और संबंधित भारतीय निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग निकायों और शीर्ष वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के साथ समय-समय पर डीवीसी आयोजित किए गए।

वाना क्षेत्र में भारतीय मिशनों ने कई व्यापार संवर्धन उपाय किए, जिनमें व्यापार कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन, क्रेता-विक्रेता बैठकें, रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकें, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारतीय व्यवसायों की भागीदारी की सुविधा, व्यापार मिलान, विवाद निवारण आदि शामिल हैं।

(v) भविष्य निवेश पहल (एफआईआई) शिखर सम्मेलन

श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 24 से 25 अक्टूबर 2023 तक रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव (एफआईआई) के 7 वें संस्करण में भाग लिया। श्री गोयल की उपस्थिति ने सातवें एफआईआई में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को और बढ़ाने की नींव रखी।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने "द कमिंग इन्वेस्टमेंट मैंडेट" शीर्षक वाले एक पूर्ण सत्र में एफआईआई के 7 वें संस्करण को संबोधित किया। उन्होंने केएसए निवेश मंत्री के साथ "जोखिम से अवसर तक: नई औद्योगिक नीति युग में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए रणनीतियाँ" विषय पर एक कॉन्क्लेव सत्र की सह-अध्यक्षता भी की। इसके बाद एक द्विपक्षीय बैठक हुई जहां दोनों संबंधित मंत्रियों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के विस्तार पर विचार-विमर्श किया।

एचसीआईएम ने केएसए के वाणिज्य मंत्री महामहिम माजिद बिन अब्दुल्ला अलकासाबी, उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री महामहिम बंदार बिन इब्राहिम अलखोरायफ, सीईओ एनईओएम श्री नदमी अल नासर और गवर्नर पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (पीआईएफ) महामहिम यासिर रुम्माय्यन के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। चर्चा द्विपक्षीय संबंधों, विशेषकर वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी।

मंत्री ने फेडरेशन ऑफ सऊदी चैंबर्स में आयोजित बिजनेस राउंड टेबल में भाग लिया और भारत द्वारा पेश किए गए कई अवसरों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। भारतीय उद्योग परिसंघ और फेडरेशन ऑफ सऊदी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ने वाणिज्यिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए मंत्री की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

(vi) एचएलटीएफआई के दौरान माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की वार्ता जिसके दौरान सीईपीए निष्पादन हुआ

निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल ('संयुक्त कार्य बल') की 11 वीं बैठक 5 अक्टूबर 2023 को अबू धाबी में आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता प्रबंध निदेशक महामहिम शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए), और श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, भारत सरकार ने की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2013 में संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई थी। इसने दोनों देशों में निवेश के अवसरों और संभावनाओं पर चर्चा के साथ-साथ दोनों देशों के निवेशकों के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान किया है।

बैठक के दौरान, सह-अध्यक्षों ने संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति की समीक्षा की, जो मई 2022 में लागू हुआ। ऐतिहासिक समझौता सहयोग दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के एक नए युग को शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया था। दोनों पक्षों ने नोट किया की सीईपीए ने 80 प्रतिशत से अधिक उत्पाद लाइनों पर टैरिफ को कम करने, व्यापार में बाधाओं को खत्म करने और निवेश और संयुक्त उद्यमों के लिए नए रास्ते बनाने में मदद की है। सीईपीए के पहले 12 महीनों में, द्विपक्षीय गैर-तेल व्यापार 50.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो एक साल पहले की इसी अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। दोनों देश 2030 तक गैर-तेल व्यापार में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

(vii) जी20 से इतर द्विपक्षीय वार्ताएँ

भारत-सऊदी अरब- माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और महामहिम डॉ. माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी, वाणिज्य मंत्री, सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय बैठक 23 अगस्त 2023 को जी-20 टीआईडब्ल्यूजी और टीआईएमएम के मौके पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने एंटी-डंपिंग, एफटीए, एमसी13 की संभावनाओं, रुपये में भुगतान के मुद्दों, भेदभावपूर्ण कर, संप्रभु निधि पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक प्रतिबंध और सहयोग के क्षेत्रों (अंतरिक्ष, नवाचार और स्टार्ट-अप, ऊर्जा, निवेश और एक्ज़िम सहयोग) से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

भारत-ओमान- माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और महामहिम श्री क़ैस अल यूसुफ, वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री, ओमान के बीच द्विपक्षीय बैठक 23 अगस्त 2023 को जी-20 टीआईडब्ल्यूजी और टीआईएमएम के मौके पर आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने एफटीए, रूपे कार्ड और यूपीआई, निवेश आदि की संभावनाओं से संबंधित मामलों पर चर्चा की।

भारत-यूएई- एचसीआईएम और महामहिम डॉ. थानी बिन अहमद अल ज़ायौदी , विदेश व्यापार राज्य मंत्री, अर्थव्यवस्था मंत्रालय, संयुक्त अरब अमीरात के व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक (टीआईएमएम) के बीच द्विपक्षीय बैठक 24 अगस्त 2023 को आयोजित की गई थी। जी-20 टीआईडब्ल्यूजी और टीआईएमएम के इतर बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने एमसी13 परिणामों, व्यापार संबंधी मुद्दों - गैर-बासमती चावल निर्यात छूट, फार्मास्युटिकल क्षेत्र के मुद्दों आदि पर चर्चा की।

6. लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन के साथ व्यापार

भारत-एलएसी व्यापार

2022-23 के दौरान 43 देशों वाले लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार 39.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें 17.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 21.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ। लैटिन अमेरिका स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक कई खनिजों का एक स्थापित उत्पादक है और नए खनिजों में विविधता लाने के लिए अपने सुस्थापित खनन क्षेत्र का निर्माण कर सकता है।

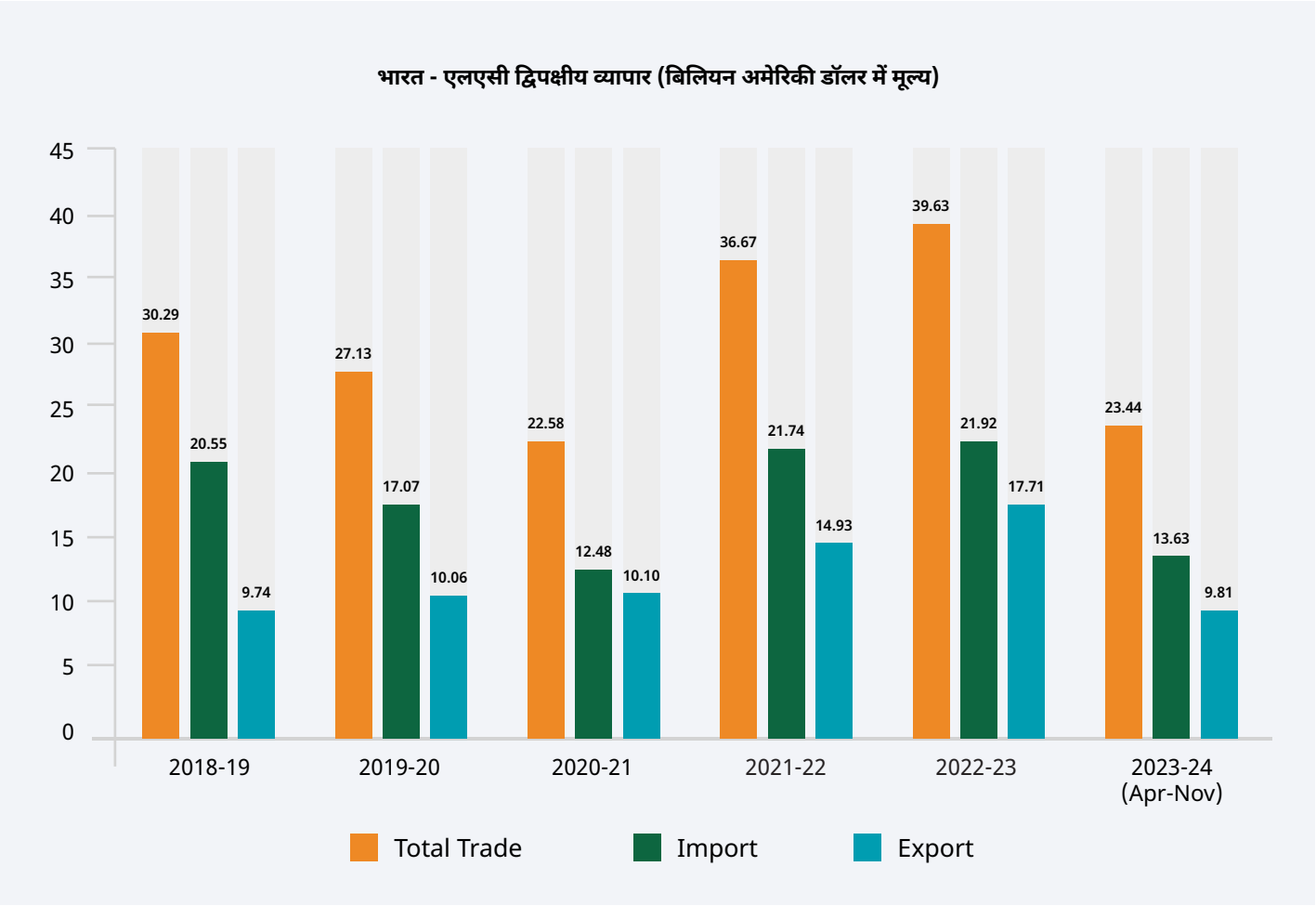

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

- 2022-23 के दौरान भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार ब्राजील (42 प्रतिशत), अर्जेंटीना (12 प्रतिशत), कोलंबिया (10 प्रतिशत), पेरू (8 प्रतिशत), बोलीविया (7 प्रतिशत), चिली (7 प्रतिशत), इक्वाडोर (4 प्रतिशत), डोमिनिक गणराज्य (2 प्रतिशत), पनामा गणराज्य (2 प्रतिशत) और ग्वाटेमाला (1 प्रतिशत)थे।
- वर्ष 2023-24 के लिए, भारत ने एलएसी क्षेत्र के लिए 20.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें से 9.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर (कुल लक्ष्य का 48.3 प्रतिशत) नवंबर 2023 तक हासिल कर लिया गया है। समय-समय पर भारतीय मिशनों, कमोडिटी डिवीजनों और क्षेत्रीय ईपीसी के परामर्श से निर्यात लक्ष्यों की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

[भारत ने वर्ष 2022-23 के लिए एलएसी क्षेत्र के लिए 17.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया था और वर्ष 2022-23 के दौरान 17.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर (101 प्रतिशत) का निर्यात हासिल किया गया था।]

(i) व्यापार संवर्धन

- **इनबाउंड आउटरीच कार्यक्रम, 9वां सीआईआई इंडिया-एलएसी कॉन्क्लेव नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ**
  - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 9 वें सीआईआई इंडिया-एलएसी कॉन्क्लेव में उन प्रमुख कारकों को एक साथ लाया गया जो भारत और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन (एलएसी) क्षेत्र के बीच सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। 3 से 5 अगस्त 2023 के दौरान आयोजित कॉन्क्लेव में 26 से अधिक एलएसी देशों और 10 गैर-एलएसी देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ भारत के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आयोजन स्थल पर 500 से अधिक बी2बी औपचारिक बैठकें आयोजित की गईं।

- श्री पीयूष गोयल माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कॉन्क्लेव के दौरान एक विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग के चार प्रमुख स्तंभों पर जोर दिया: (i) आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, (ii) संसाधन साझेदारी, (iii) विकासात्मक अनुभवों को साझा करना, और (iv) वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना।
- कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोटिव, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, सुरक्षा और रक्षा उद्योग और रासायनिक मूल्य श्रृंखलाओं को शामिल करते हुए क्षेत्रीय सत्र आयोजित किए गए। बी2बी बैठकें भी समानांतर में आयोजित की गईं। इस आयोजन का उद्देश्य एलएसी क्षेत्र में भारत की पहुंच को बढ़ाना था और वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भी समापन सत्र के दौरान प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डाला और भारत-एलएसी द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार के महत्वपूर्ण दायरे पर सकारात्मक थे।

- **आउटबाउंड व्यापार संवर्धन कार्यक्रम (2023-24)**
  - वर्ष 2023-24 के लिए, बाजार पहुंच पहल स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए वाणिज्य विभाग की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 28 आयोजनों/मेलों को मंजूरी दी गई थी जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पैराग्वे, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, अलसाल्वडोर, ग्वाटामाला, पेरू और होंडुरास जैसे कई देशों को शामिल किया गया था। इन आयोजनों में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर, भवन/निर्माण सामग्री, रसायन और सौंदर्य प्रसाधन, प्लास्टिक, प्रिंटिंग और पैकेजिंग, सेवाएं, खेल के सामान और कपड़ा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। लगभग 25 प्रतिशत कार्यक्रम शेष हैं जो 2024 की पहली तिमाही में होंगे।

(ii) जारी वार्ताएं

- **भारत पेरू व्यापार समझौता:** भारत पेरू के साथ एक व्यापार समझौते पर वार्ता कर रहा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार शामिल है। व्यापार समझौते की वार्ता अगस्त 2017 में शुरू हुई और वार्ता का आखिरी (5वां) दौर अगस्त 2019 में आयोजित किया गया। पहले निर्धारित 6वां दौर कोविड के व्यवधानों के कारण आयोजित नहीं किया जा सका। वार्ता अब फिर से शुरू हो गई है और एक विशेष आभासी दौर भारत और पेरू के बीच 10 से 11 अक्टूबर 2023 के दौरान दौर आयोजित किया गया था। ट्रैक लीड बेहतर विकास के लिए व्यापार का विस्तार करने के लिए आम सहमति तक पहुंचने के लिए अंतर-सत्रीय वार्ता कर रहे हैं। छठे दौर की वार्ता फरवरी 2024 में होने की उम्मीद है।
- **भारत-मर्कोसुर पीटीए का विस्तार:** भारत ने मर्कोसुर (दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में एक व्यापारिक गुट, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं) के साथ तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। बोलीविया, पहले एक सहयोगी सदस्य, ने दिसंबर 2023 में पूर्ण सदस्यता प्राप्त की। मौजूदा पीटीए के तहत, भारत और मर्कोसुर ने क्रमशः 450 और 452 टैरिफ लाइनों पर एक दूसरे को मार्जिन ऑफ प्रेफरेंस प्रदान किया है। भारत और मर्कोसुर पीटीए के विस्तार की संभावना तलाश रहे हैं और 4 अक्टूबर 2023 को ब्रासीलिया में आयोजित भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र की 6वीं बैठक के दौरान, पीटीए के तहत संयुक्त प्रशासन समिति (जेएसी) को फिर से चालू करने का निर्णय लिया या।
- **भारत-चिली पीटीए का विस्तार:** भारत ने 8 मार्च 2006 को चिली के साथ तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे पहली बार 16 मई 2017 से विस्तारित किया गया था। विस्तारित पीटीए के तहत, भारत ने रियायतें 178 टीएल से बढ़ाकर 1034 टीएल और चिली ने 296 टीएल से बढ़ाकर 1798 टीएल कर दी। भारत और चिली पीटीए के दूसरे विस्तार के लिए वार्ता कर रहे थे जिसके लिए अब तक तीन दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता का आखिरी दौर (तीसरा) 6 से 7 अक्टूबर 2021 के दौरान आयोजित किया गया था। चिली भारत के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) पर हस्ताक्षर करने का इच्छुक है। दोनों देश बेहतर व्यापार अवसरों और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के रास्ते तलाश रहे हैं। भारत और चिली के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रेमवर्क समझौते को अनुच्छेद 4 के संदर्भ में एक संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया गया है।

(iii) द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से जुड़ाव

- **भारत-इक्वाडोर जेटको:** दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की भावना के तहत 9 अक्टूबर 2015 को भारत इक्वाडोर जेटको पर हस्ताक्षर किए गए थे। जेटको की पहली बैठक 17 मई 2017 को हुई थी। भारत और इक्वाडोर के बीच जेटको की दूसरी बैठक 21 सितंबर 2023 को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी।
- **भारत-ब्राजील व्यापार निगरानी तंत्र (टीएमएम):** भारत-ब्राजील टीएमएम की स्थापना अक्टूबर 2008 में नई दिल्ली में तीसरे आईबीएसए व्यापार शिखर सम्मेलन के मौके पर भारतीय प्रधान मंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के परिणामस्वरूप की गई थी। ब्राज़ील-भारत व्यापार निगरानी तंत्र की 6ठवीं बैठक 4 अक्टूबर 2023 को ब्रासीलिया में आयोजित की गई ।
- भारत अपने विदेशी समकक्ष के परामर्श से भारत-अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की चौथी बैठक और भारत कोस्टा रिका जेटको की पहली बैठक जल्द से जल्द आयोजित करने की संभावना तलाश रहा है।

7. स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) के साथ व्यापार

स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) में रूसी संघ, आर्मेनिया गणराज्य, अजरबैजान गणराज्य, बेलारूस गणराज्य, जॉर्जिया, मोल्दोवा, यूक्रेन गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिस्तान गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान गणराज्य शामिल हैं।

इन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

भारत और सीआईएस देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वर्ष	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	कुल व्यापार की % वृद्धि	व्यापार का संतुलन
2016-2017	2793.95	9322.76	12116.7	27.95	(-)6528.83
2017-2018	3007.37	12875.6	15883	31.08	(-)9868.24
2018-2019	3467.04	9442.97	12910	-18.72	(-)5975.93
2019-2020	4191.84	11916.5	16108.4	24.77	(-)7724.67
2021-2022	4708.49	14020.8	18729.28	16.28	(-)9312.3
2022-2023	4675.3	48032.28	52707.58	181.41	(-)43356.98
अप्रैल-नवंबर 2023-24	3630.08	40970.36	44600.44		(-)37340.28

डेटा स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता

2023-24 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान भारत के कुल निर्यात में सीआईएस क्षेत्र की हिस्सेदारी 1.30 प्रतिशत और कुल आयात में 9.20% थी।

सीआईएस क्षेत्र में निर्यात की प्रमुख वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्युटिकल उत्पाद, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, इलेक्ट्रोनिक सामान, सिरेमिक उत्पाद और कांच के बने पदार्थ, समुद्री उत्पाद, अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, तंबाकू, मांस और डेयरी उत्पाद शामिल हैं।

सीआईएस क्षेत्र से भारत में आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएँ खनिज ईंधन और तेल, पशु या वनस्पति वसा और तेल, प्राकृतिक या कृत्रिम मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, उर्वरक, प्लास्टिक, लोहा और इस्पात, अकार्बनिक रसायन, परमाणु रिएक्टर और बॉयलर कागज और पेपरबोर्ड हैं।

(i) रूसी संघ

रूसी संघ, जो पूर्व यूएसएसआर का एक बड़ा हिस्सा है, इस क्षेत्र में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, जो 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग 96.89 प्रतिशत है। विदेश मंत्रालय भारत और रूसी संघ के बीच अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल मंत्रालय है। भारत और रूसी संघ के पास व्यापार और आर्थिक सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह के साथ-साथ व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में बाधाओं के उन्मूलन पर एक उप-कार्य समूह है जिसका नेतृत्व वाणिज्य विभाग करता है।

(ii) मध्य एशियाई गणराज्य

कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई गणराज्य का गठन करते हैं। वाणिज्य विभाग (डीओसी) क्रमशः किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) और संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) के लिए नोडल विभाग है। विदेश मंत्रालय तुर्कमेनिस्तान के साथ आईजीसी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कजाकिस्तान के साथ आईजीसी की देखरेख करता है।

(iii) अन्य सीआईएस देश

आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, मोल्दोवा और यूक्रेन इस समूह का निर्माण करते हैं। रूस के बाद, यूक्रेन सीआईएस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जो 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान सीआईएस क्षेत्र के साथ भारत के कुल व्यापार का लगभग 0.83% है।

वाणिज्य विभाग अज़रबैजान के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) बेलारूस के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) के लिए नोडल विभाग है। विदेश मंत्रालय आर्मेनिया, जॉर्जिया और यूक्रेन के साथ अंतर-सरकारी आयोग (आईजीसी) मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है।

(iv) सीआईएस क्षेत्र में प्रमुख पहल

- **यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (ईएईयू) के साथ व्यापार समझौते के लिए वार्ता की शुरुआत: ईएईयू के साथ एफटीए :** ईएईयू में पांच देश शामिल हैं, अर्थात् आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस। 17 जनवरी 2023 को भारत और ईएईयू के मुख्य वार्ताकार के बीच बैठक हुई। दोनों पक्षों ने अधिकांश टैरिफ लाइनों को कवर करते हुए एक व्यापक-आधारित समझौते की संभावनाओं पर चर्चा की। श्री व्लादिमीर सेपिकोव, निदेशक, ईईसी व्यापार नीति विभाग और श्री मनीष चड्ढा, संयुक्त सचिव, डीओसी के बीच एक बैठक 20 सितंबर, 2023 को हुई। इस बैठक में, भारत ने ईएईयू से नवीनतम व्यापार आंकड़े साझा करने का अनुरोध किया ताकि एक प्रभावी समझौते को लागू किया जा सके।
- **जॉर्जिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की शुरुआत:** भारत और जॉर्जिया के बीच एफटीए की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए एक संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस) की घोषणा 11 अप्रैल, 2017 को की गई और अगस्त 2018 में पूरा हुआ। जेएफएसजी रिपोर्ट के निष्कर्षों को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया है और 11 जनवरी 2019 को एफटीए के लिए वार्ता शुरू करने के लिए संयुक्त रूप से एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में, जॉर्जियाई पक्ष ने भारत और जॉर्जिया के बीच एफटीए पर वार्ता शुरू करने पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया और वाणिज्य विभाग, भारत गणराज्य और जॉर्जिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने पर संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव की जांच कर रहा है।

- **उज़्बेकिस्तान के साथ पीटीए के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस):** भारत और उज़्बेकिस्तान गणराज्य के बीच पीटीए की क्षमता का पता लगाने के लिए संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन (जेएफएस) शुरू करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर 25 सितंबर 2019 को ताशकंद में हस्ताक्षर किए गए थे। जेएफएस ने 6 अगस्त 2021 को अपनी अंतिम रिपोर्ट दी और सिफारिश की कि दोनों देशों को वस्तु में तरजीही व्यापार समझौता करना चाहिए। जेएफएस की सिफारिशों की जांच के बाद, पीटीए शुरू करने के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान ईएईयू में पर्यवेक्षक बन गया है और उनके ईएईयू का हिस्सा बनने की संभावना है।

8. उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) देशों के साथ व्यापार

(क) यूएसए

संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कुल व्यापारिक व्यापार 2021-22 में 119.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में 129.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो वर्ष के दौरान 8.31 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में पहले आठ महीनों (अप्रैल-नवंबर) के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के वस्तु के निर्यात ने 50.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हासिल कर लिया है।

एफटी (नाफ्टा) प्रभाग और संबंधित मिशन और पोस्ट नियमित रूप से व्यापार और वाणिज्यिक मामलों पर अमेरिकी सरकार के साथ वार्ता करते हैं। इनमें यूएसटीआर के साथ भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ), भारत-अमेरिका सीईओ फोरम और वाणिज्य विभाग के साथ वाणिज्यिक वार्ता, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर चर्चा शामिल है।

"व्यापार और निवेश पर सहयोग की रूपरेखा" के तहत स्थापित भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम समय-समय पर बकाया व्यापार मामलों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने में द्विपक्षीय भागीदारी का प्रमुख स्तंभ है। यह एचसीआईएम और यूएसटीआर की सह-अध्यक्षता में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत-संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) की 13 वीं मंत्री-स्तरीय बैठक 11 जनवरी 2023 को वाशिंगटन, डीसी में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान "अनुकूल व्यापार" पर एक नया कार्य समूह बनाया गया था।

14वीं टीपीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक 12-13 जनवरी 2024 को नई दिल्ली, भारत में निर्धारित है। "अनुकूल व्यापार" कार्य समूह व्यापार सुविधा, स्थायी वित्त जुटाने, नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने, परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण से संबंधित मामलों पर काम करेगा। स्थायी जीवन शैली विकल्पों को बढ़ावा देना और विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर तीसरे देशों के साथ और/में संयुक्त रूप से काम करना।

अब टीपीएफ के अंतर्गत कुल छह कार्य समूह हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- बौद्धिक संपदा कार्य समूह
- कृषि कार्य समूह
- गैर-कृषि वस्तु कार्य समूह
- निवेश कार्य समूह
- सेवा कार्य समूह
- अनुकूल व्यापार कार्य समूह

डब्ल्यूटीओ में चल रहे सभी 7 विवादों को सुलझाने के लिए इस साल कई दौर की बैठकें हुईं। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय रूप से सभी 7 डब्ल्यूटीओ विवादों को सफलतापूर्वक हल किया है, जिनमें से 6 विवादों को जून 2023 में प्रधान मंत्री की यूएसए यात्रा के दौरान हल किया गया था और आखिरी विवाद सितंबर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए पोटस की यात्रा के दौरान हल किया गया था। यह इतिहास में अभूतपूर्व है।

इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के स्थायी आर्थिक विकास, व्यापार और निवेश माहौल में सुधार की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत-यूएसए वाणिज्यिक वार्ता को फिर से शुरू किया गया और इसकी सह-अध्यक्षता दोनों तरफ से अमेरिकी वाणिज्य सचिव और वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा की गई है। 5वीं भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता और सीईओ फोरम की बैठक 10 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी, जिसकी सह-अध्यक्षता भारतीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य, सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल और माननीय अमेरिकी वाणिज्य सचिव, सुश्री जीना रायमोंडो ने की थी और इसके परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

प्रमुख परिणाम: भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता के ढांचे के तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने पर समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

अन्य प्रमुख परिणाम: कई अन्य परिणाम भी हुए हैं जिनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

- उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार, रोजगार को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय एसएमई सहयोग को सुविधाजनक बनाने, महामारी के बाद आर्थिक सुधार और विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा, नवाचार और समावेशी विकास पर एक नए कार्य समूह का शुभारंभ। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर फर्मों के पदचिह्न को साझा कर उनका लाभ उठाना है, कम प्रतिनिधित्व वाली आबादी को फिर से कौशल प्रदान करने में कंपनियों की भूमिका को पहचानने के लिए एक सीईओ फोरम का प्रस्ताव रखा गया है।
- दोनों पक्षों के गतिशील स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को ऊपर उठाने और जोड़ने, सहयोग के लिए विशिष्ट नियामक बाधाओं को संबोधित करने और विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों में आगे नवाचार और रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक वार्ता के तहत "इनोवेशन हैंडशेक" की घोषणा की गई।
- भारत वैश्विक स्तर पर विविध और स्थाई महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास में तेजी लाने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी) में नवीनतम भागीदार के रूप में शामिल हुआ।
- यात्रा और पर्यटन कार्य समूह को फिर से लॉन्च किया गया।
- विदेश मंत्री और सचिव रायमोंडो ने निर्यात नियंत्रण, उच्च प्रौद्योगिकी वाणिज्य को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए "सामरिक व्यापार वार्ता" शुरू की।

श्री अरुण वेंकटरमन, सहायक सचिव और अमेरिकी विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक की यात्रा के दौरान 18 अक्टूबर 2023 को वाणिज्यिक वार्ता की मध्य-वर्षीय समीक्षा भी आयोजित की गई थी।

भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता के ढांचे के तहत "इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाना" पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू गहरे तकनीकी क्षेत्रों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और आईसीईटी के तहत महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त प्रतिबद्धता का संकेत देता है।

(ख) कनाडा

- वित्त वर्ष 2022-23 में 8.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ कनाडा नाफ्टा क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। कनाडा को भारत का व्यापारिक निर्यात 2021-22 में 3.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 4.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 9.19 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करता है। 8 महीने की अवधि (अप्रैल-नवंबर 2023) के दौरान, कनाडा का माल निर्यात 2.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

(ग) मेक्सिको

वित्त वर्ष 2022-23 में 9.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ मेक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। वित्त वर्ष 2022-23 में, मेक्सिको को भारत का माल निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 के 4.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5.20 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो इस अवधि में 17.43 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। 8 महीने की अवधि (अप्रैल-नवंबर 2023) के दौरान, मेक्सिको को वस्तु निर्यात 3.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

दोनों पक्ष मेक्सिको सिटी में हमारे मिशन के माध्यम से संयुक्त अध्ययन समूह (जेएसजी) के गठन और इसके संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर चर्चा कर रहे हैं।

9. ओशिनिया क्षेत्र के साथ व्यापार

एफटी (ओशिनिया) प्रभाग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तिमोर लिस्टे और प्रशांत द्वीप समूह देशों (फिजी, किरिबाती, पापुआ न्यू गिनी, नाउरू, समोआ, सोलोमन द्वीप, टोंगा, तुवालु, वानुअतु आदि) के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से संबंधित है।

(क) ऑस्ट्रेलिया

हाल के वर्षों में भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक संबंध काफी बढ़े हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक प्रोफ़ाइल और ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए व्यावसायिक प्रासंगिकता को ऑस्ट्रेलिया में संघीय और राज्य दोनों स्तरों पर मान्यता प्राप्त है। ऑस्ट्रेलिया भारत का एक महत्वपूर्ण सामरिक साझेदार है और दोनों देश चार देशों के क्वाड, त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल (एससीआरआई) और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम (आईपीईएफ) का हिस्सा हैं।

ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार के आंकड़े

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

ऑस्ट्रेलिया को भारत का निर्यात	6,951
ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात	19,011
कुल	25,962
घाटा / अधिशेष	**-12,060**

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डीजीसीआईएंडएस के अनुसार वस्तुओं के आंकड़े।

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए)

- 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए) 29 दिसंबर, 2022 को लागू हुआ।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए ने वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने और आपसी हित के कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रवेश द्वार खोलने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और भरोसे की गहराई को दर्शाता है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से मौजूद करीबी और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार संपूरकताएं हैं। उम्मीद है कि इस समझौते के लागू होने से, वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और साथ ही दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के तहत, जो एक दशक से भी अधिक समय में किसी विकसित राष्ट्र के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 100 प्रतिशत टैरिफ लाइनों के लिए भारत को शून्य शुल्क पहुंच प्रदान की है, जिसमें 98.3 प्रतिशत टैरिफ लाइनें तत्काल शुल्क-मुक्त पहुँच हैं। उम्मीद है कि इस समझौते से, भारतीय व्यवसायों को कई उत्पाद श्रृंखलाओं में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी, विशेष रूप से रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा और जूते, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, चिकित्सा उत्पाद और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम -गहन क्षेत्रों में। यह निश्चित रूप से हमारे पहले से ही विश्व

स्तर पर प्रतिस्पर्धी उत्पादों के लिए एक अतिरिक्त तुलनात्मक लाभ प्रदान करेगा। जहां तक सेवाओं में व्यापार का संबंध है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के हित के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक प्रतिबद्धताएं प्रदान की हैं जैसे शेफ और योग शिक्षकों के लिए कोटा; 2-4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पारस्परिक आधार पर भारतीय छात्रों के लिए; युवा पेशेवरों के लिए व्यावसायिक सेवाओं और कार्य एवं अवकाश वीजा व्यवस्था की पारस्परिक मान्यता। कुल मिलाकर, यह उम्मीद की जाती है कि इस समझौते के साथ, कुल द्विपक्षीय व्यापार 5 वर्षों में मौजूदा लगभग 31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 45-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा। भारत का वस्तु निर्यात 2026-27 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की संभावना है, और अगले 5 वर्षों में 10 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा होने की संभावना है और दोनों पक्षों के बीच छात्रों, पेशेवरों और पर्यटकों की गतिशीलता बढ़ेगी, जिससे दोनों देशों के बीच लोगों के संबंध और आपस में जुड़ाव मजबूत होगा। इसके अलावा, आईटी/आईटीई से संबंधित दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) के तहत लंबे समय से लंबित मुद्दे को इस समझौते के तहत हल किया गया है, जो उद्योग संघों के अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की वित्तीय बचत प्रदान करेगा।

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)-वार्ता की वर्तमान स्थिति

- भारत-ऑस्ट्रेलिया सीईसीए भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग समझौते (ईसीटीए) द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जो 29 दिसंबर 2022 से लागू हुआ है। सीईसीए एक गहरे और व्यापक समझौते की परिकल्पना करता है, जो भारत-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए के अनुच्छेद 14.5 पर आधारित है। इस प्रावधान के आधार पर, दोनों पक्षों ने फरवरी 2023 में आयोजित पहले दौर की वार्ता शुरू की है। अक्टूबर 2023 तक 7 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है।
- **अन्य सहयोग:** सप्लाई चेन रेजिलिएंस इनिशिएटिव (एससीआरआई) और 14 सदस्यीय इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम (आईपीईएफ) जैसी पहलों के माध्यम से भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक संबंध मजबूत होंगे।

(ख) न्यूजीलैंड

भारत और न्यूजीलैंड (एनजेड) के बीच राष्ट्रमंडल, संसदीय लोकतंत्र और अंग्रेजी भाषा के संबंधों में निहित सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच 1952 में द्विपक्षीय संबंध स्थापित हुए। न्यूजीलैंड ने अक्टूबर 2011 में अधिसूचित अपनी "भारत के लिए दरवाजे खोलना" नीति में भारत को एक प्राथमिकता वाले देश के रूप में पहचाना है, जिसे न्यूजीलैंड ने 2015 में दोहराया था। हालांकि भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते में प्रवेश नहीं किया है, लेकिन इसने गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने या अन्य द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए 1986 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तदनुसार, दोनों देशों के बीच ऐसी सहकारी और सहयोगी गतिविधियों के लिए संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) नामक एक तंत्र स्थापित किया गया है। अंतिम जेटीसी जून 2022 में आयोजित की गई थी। तब से मुद्दों को हल करने के लिए कई द्विपक्षीय बैठकें हुई हैं और सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों को देखने के लिए कार्य समूहों का गठन किया जा रहा है।

न्यूज़ीलैंड के साथ भारत की व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार आंकड़े

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	वस्तुएँ*
न्यूजीलैंड को भारत का निर्यात	547.8
न्यूजीलैंड से भारत का आयात	477.7
कुल व्यापार	1025.6
आधिक्य	70.1

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डीजीसीआईएंडएस के अनुसार वस्तुओं के आंकड़े

(ग) फिजी

भारत फिजी का एक प्रतिबद्ध विकास भागीदार है। भारतीय सहायता, भारतीय तकनीकी औरआर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रमों के तहत मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई है। हर साल, फ़िजी नागरिकों को कई आईटीईसी स्लॉट उपलब्ध कराए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर भारत समय-समय पर मानवीय और आपदा राहत सहायता प्रदान करता है।

फिजी के साथ भारत की व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार आंकड़े

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

	वस्तुएँ*
फिजी को भारत का निर्यात	80.02
फिजी से भारत का आयात	0.10
कुल व्यापार	80.12
आधिक्य	79.92

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डीजीसीआईएंडएस के अनुसार वस्तुओं के आंकड़े

(घ) एक्सपो/क्रेता-विक्रेता बैठक

इन देशों और अन्य प्रशांत द्वीप देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, एफआईईओ, आईसीसी, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स (सीएलई), अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एईपीसी), ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टीपीसीआई) द्वारा एक्स्पो/क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी में विभिन्न स्थानों पर टेक्सप्रोसिल। इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने और इन देशों के साथ सहयोग के क्षेत्रों में वृद्धि होने की संभावना है।

10. यूरोप के साथ व्यापार

एफटी-यूरोप प्रभाग यूरोप के निम्नलिखित देशों के साथ व्यापार संबंधों से संबंधित है:

क्र.सं.	क्षेत्र और देशों की संख्या	देशों का नाम
1	यूरोपीय संघ (ईयू) (27)	ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया , स्पेन और स्वीडन।
2	यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (4)	आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड।
3	अन्य यूरोपीय देश (7)	अल्बानिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम।

वर्ष 2023-24 (अप्रैल -नवंबर) के दौरान यूरोप के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 127.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहाजो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। यूरोप को निर्यात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 62.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 1.48 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 63.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यूरोप से आयात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 4.92 प्रतिशत बढ़कर 61.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 64.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(क) यूरोपीय संघ (ईयू)

27 देशों के एक गुट के रूप में यूरोपीय संघ (ईयू) भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, ईयू के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 88.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। यूरोपीय संघ को निर्यात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 0.61 प्रतिशत बढ़कर 47.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 47.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यूरोपीय संघ से आयात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 38.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 3.74 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 40.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

यूरोपीय संघ पर्यावरण और मानव जीवन की रक्षा के लिए कठोर स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों, तकनीकी मानकों और विनियमों को बनाए रखता है। खाद्य पदार्थों और अन्य कृषि उत्पादों आदि में कीटनाशकों के लिए यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित कठोर अवशेष सीमाएँ कभी-कभी भारत के निर्यात में अनावश्यक बाधाएँ पैदा करती हैं। भारतीय उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले ऐसे बाजार पहुंच मुद्दों को विभाग द्वारा नियमित रूप से स्थापित तंत्र के तहत यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय रूप से उठाया जाता है।

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते

- भारत ने 9 साल के अंतराल के बाद जून 2022 में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए वार्ता फिर से शुरू की है। इससे पहले, भारत और यूरोपीय संघ ने 2007 से 2013 तक एक भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौता (बीटीआईए) पर वार्ता की थी और 2013 तक 16 दौर की वार्ता हुई थी। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा फिर से शुरू की गई वार्ता में, निवेश को एक स्टैंड-अलोन निवेश संरक्षण समझौता के रूप में वार्ता की जा रही है। इसी तरह, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा भौगोलिक संकेतक (जीआई) पर एक अलग समझौते पर वार्ता की जा रही है।
- जून 2022 में तीन समझौतों के लिए वार्ता की औपचारिक शुरुआत के बाद, जून, अक्टूबर, नवंबर/दिसंबर 2022 और मार्च, जून और अक्टूबर 2023 में छह दौर की वार्ता हो चुकी है। वार्ता स्थिर गति से आगे बढ़ रही है और 7वां दौर फरवरी 2024 में निर्धारित है।

(ख) यूनाइटेड किंगडम

ब्रिटेन यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान यूके के साथ द्विपक्षीय व्यापार 13.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.94 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है। यूके को निर्यात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 7.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 14.37 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 8.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यूके से आयात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 6.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 17.5 प्रतिशत घटकर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 5.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता

भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता 13 जनवरी 2022 को माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और यूके के अंतरराष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव द्वारा उनकी भारत यात्रा के दौरान शुरू की गई थी । एफटीए वार्ता 26 नीतिगत क्षेत्रों में हो रही है। 13 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है।

(ग) यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए)

ईएफटीए ट्रेड ब्लॉक में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं। 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, ईएफटीए के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 17.28 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है, जो 13.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ईएफटीए को निर्यात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 1.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 3.38 प्रतिशत घटकर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 1.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ईएफटीए से आयात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 12.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 26.58 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 16.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

भारत-ईएफटीए टीईपीए वार्ता

- भारत और ईएफटीए ने अक्टूबर 2008 में व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) पर वार्ता शुरू की थी। वार्ता 14 ट्रैक/अध्यायों में होनी है, जिसे दोनों पक्ष समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सितंबर 2017 तक कुल 17 दौर की वार्ता हुई है।
- 2017 से 2023 के दौरान, उच्च-स्तरीय चर्चाएँ हुई हैं और दोनों पक्ष मतभेदों को कम करने के लिए भारत-ईएफटीए टीईपीए वार्ता के तहत नीतिगत क्षेत्रों का जायजा लेने में लगे हुए हैं। उच्च स्तरीय चर्चाओं के अलावा, दोनों पक्षों के ट्रैक-विशेषज्ञों के बीच कई अंतर-सत्रीय बैठकें भी हुईं।
- पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते के लिए भारत-ईएफटीए टीईपीए का नया दौर 3 से 7 जुलाई 2023 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस दौर के दौरान, 5 अध्यायों पर वार्ता हुई, अर्थात, वस्तुओं में व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, आईपीआर; और ईएफटीए पक्ष के अनुरोध पर, व्यापार और सतत विकास पर खोजपूर्ण चर्चाएं आयोजित की गईं।
- भारत-ईएफटीए टीईपीए वार्ता का दूसरा नया दौर 17 से 21 अगस्त 2023 के दौरान आयोजित किया गया था और वार्ता 8 अध्यायों में आयोजित की गई थी, अर्थात, वस्तु व्यापार, सेवाओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, आईपीआर, व्यापार और सतत विकास, एसपीएस उपाय, टीबीटी उपाय और व्यापार उपाय।
- भारत-ईएफटीए टीईपीए वार्ता का तीसरा नया दौर 20 से 29 नवंबर 2023 के दौरान जिनेवा में आयोजित किया गया था और वार्ता 9 -अध्यायों में आयोजित की गई थी। सेवाओं में व्यापार, वस्तुओं में व्यापार, उत्पत्ति के नियम, आईपीआर, व्यापार और सतत विकास, एसपीएस उपाय, टीबीटी उपाय, व्यापार उपाय और सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा।
- अध्यायों को बंद करने की दिशा में मतभेदों को कम करने के लिए भारत-ईएफटीए टीईपीए के प्रत्येक नीतिगत क्षेत्र के तहत अंतर- सत्रीय बैठकें 18 से 22 दिसंबर 2023 तक आयोजित की गईं।
- 21 वां दौर 8 से 13 जनवरी 2024 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

(घ) अन्य यूरोपीय देश

2023-24 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान, अन्य छह यूरोपीय देशों यानी अल्बानिया, बोस्निया-हर्जेगोविना, उत्तरी मैसेडोनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और तुर्की के साथ कुल द्विपक्षीय व्यापार 8.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि से 10.82 प्रतिशत की गिरावट दर्ज करता है। इन यूरोपीय देशों को निर्यात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 6.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 5.90 प्रतिशत घटकर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 5.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी प्रकार, आयात 2022-23 (अप्रैल-नवंबर) में 2.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 21.31 प्रतिशत घटकर 2023-24 (अप्रैल-नवंबर) में 2.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

(ङ) द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र

(i) भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद

- भारत-ईयू-व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी पर सामरिक समन्वय और जुड़ाव है। टीटीसी को अप्रैल 2022 में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन की भारत यात्रा के दौरान लॉन्च किया गया था। यूरोपीय संघ के लिए, भारत के साथ टीटीसी दूसरा ऐसा द्विपक्षीय मंच है (पहला अमेरिका के साथ); और भारत के लिए, किसी भागीदार के साथ स्थापित ऐसा पहला मंच है।
- भारत-ईयू टीटीसी की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक 16 मई 2023 को ब्रुसेल्स में आयोजित की गई थी । बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से माननीय विदेश मंत्री, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा की गई। यूरोपीय संघ की ओर से इसकी सह-अध्यक्षता उनके कार्यकारी उपाध्यक्षों द्वारा की गई।
- टीटीसी के ढांचे के भीतर, तीन कार्य समूह स्थापित किए गए हैं। टीटीसी के तहत तीन कार्य समूहों में से एक व्यापार, निवेश और अनुकूल मूल्य श्रृंखला के लिए है, जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव करते हैं। वाणिज्य विभाग ने अपने चार उप-समूहों अर्थात् (i) एफडीआई स्क्रीनिंग (ii) डब्ल्यूटीओ आयाम (iii) अनुकूल मूल्य श्रृंखला, और (iv) बाजार पहुंच के मुद्दों के तहत व्यापार, निवेश और अनुकूल मूल्य श्रृंखलाओं पर चर्चा की।
- 24 नवंबर 2023 को भारत-ईयू टीटीसी की एक आभासी बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता भारत की ओर से संबंधित मंत्रियों और यूरोपीय संघ की ओर से कार्यकारी उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने की। मंत्रियों द्वारा इस स्टॉकटेकिंग बैठक में व्यापार, निवेश और अनुकूल मूल्य श्रृंखला पर कार्य समूह के 4 उप-समूहों की सहमत कार्य बिंदुओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

(ii) संयुक्त आयोग/समितियाँ

कई यूरोपीय देशों, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, फ़िनलैंड, फ़्रांस, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की और यूके के साथ संयुक्त समितियाँ/संयुक्त आयोग स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित संयुक्त समितियों/संयुक्त आयोगों की बैठकें आयोजित की गई हैं:

क्र.सं.	विषय	दिनांक
1	आर्थिक सहयोग के लिए भारत-स्पेन संयुक्त आयोग का 12 वां सत्र।	13 अप्रैल 2023
2	भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पहली बैठक	16 मई 2023
3	भारत-ऑस्ट्रिया संयुक्त आर्थिक आयोग का 16 वाँ सत्र	12 वीं -13 वीं जून 2023
4	भारत-स्लोवाकिया संयुक्त आर्थिक समिति का 11 वाँ सत्र	14 से 15 जून 2023
5	व्यापार और निवेश पर भारत-ईयू उच्च स्तरीय वार्ता की तीसरी बैठक	26 अगस्त 2023
6	भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की आभासी स्टॉक-टेक बैठक	24 नवंबर 2023
7	भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग का 19वां सत्र	24 नवंबर 2023
8	आर्थिक सहयोग के लिए भारत-चेक गणराज्य संयुक्त आयोग का 12वां सत्र	5 दिसंबर 2023

(च) अन्य द्विपक्षीय अनुबंध (मंत्रिस्तरीय)

वर्ष के दौरान, माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों, यूके और ईएफटीए के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सहित कई द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए। (i) यूरोपीय संघ, (ii) यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ता; संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक मामलों पर चर्चा के अलावा, ऐसे कार्यक्रमों के दौरान समय-समय पर ईएफटीए (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता की समीक्षा की गई। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार थे:

(i) ईयू ब्लॉक

- 11 अप्रैल 2023 को पेरिस में फ्रांस सरकार के विदेश व्यापार, आर्थिक आकर्षण और विदेश में फ्रांसीसी नागरिकों के लिए मंत्री प्रतिनिधि श्री ओलिवर बेच से मुलाकात हुई।
- 12 और 13 अप्रैल 2023 को रोम में इटली सरकार के उप प्रधान मंत्री और विदेश कार्यालय में विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री, श्री एंटोनियो ताजानी और उद्यम और मेड इन इटली मंत्री, श्री एडोल्फो उर्सो से मुलाकात की। .
- 15 मई 2023 को ब्रुसेल्स में भारत-ईयू टीटीसी की पहली बैठक के मौके पर यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की से मुलाकात की।
- इलैक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए माननीय वाणिज य एवं उद्योग मंत्री ने माननीय विदेश मंत्री और माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री के साथ 16 मई 2023 को ब्रुसेल्स में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की।

यूरोपीय पक्ष में, इसकी सह -अध्यक्षता कार्यकारी उपाध्यक्षों (ईवीपी), श्री वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की और सुश्री मार्गेरेथे वेस्टेगर द्वारा की गई।

- 14 अगस्त 2023 को पुर्तगाल के राजदूत श्री जोआओ मैनुअल मेंडेस रिबेरो डी अल्मेडा से मुलाकात की।
- एचसीआईएम ने यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष, श्री वाल्डिस डोम्ब्रोव्स्की के साथ 26 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में व्यापार और निवेश पर भारत-ईयू उच्च-स्तरीय वार्ता की तीसरी बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- 5 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में इले-डी-फ्रांस क्षेत्र की अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री, फ्रांसीसी सरकार सुश्री वैलेरी पेक्रेसे से मुलाकात हुई।

(ii) यूनाईटेड किंगडम

- 5 जून 2023 को व्यापार वार्ता महानिदेशक सुश्री अमांडा ब्रूक्स और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री डगलस मैकनील के साथ बैठक की।
- 6 जून 2023, 26 अगस्त 2023, 22 और 29 सितंबर और 13 अक्टूबर 2023 को यूके की व्यवसाय और व्यापार राज्य सचिव सुश्री केमी बडेनोच के साथ बैठक आयोजित की गई।
- 10-12 जुलाई 2023 के दौरान लंदन में अपने यूके समकक्ष सुश्री केमी बेडेनोच, यूके के प्रधान मंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार, श्री डगलस मैक नील और व्यापार और उद्योग हितधारकों के साथ बैठकें कीं।

(iii) ईएफटीए ब्लॉक

- 19 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में नॉर्वेजियन संसद की सदस्य सुश्री ट्राइन लिसे सुंडनेस के नेतृत्व में ईएफटीए देशों के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की।

- 26 अप्रैल 2023 को नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे; सुश्री हेलेन बडलिगर अर्टिडा, स्विस राज्य सचिव, आर्थिक मामलों के राज्य सचिवालय (एसईसीओ) की निदेशक; विदेश मंत्रालय में आइसलैंड राज्य के स्थायी सचिव श्री मार्टिन आइजॉल्फसन; जिनेवा में ईएफटीए, डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र में लिकटेंस्टीन के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि श्री कर्ट जैगर; और श्री हेनरी गेटाज़, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के महासचिव के साथ बैठक हुई।
- बडलिगर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय स्विस प्रतिनिधिमंडल अर्टिडा ने भारत का दौरा किया और 20 सितंबर 2023 को एचसीआईएम के साथ बैठक की।
- 27 अक्टूबर 2023 को स्विस फेडरल काउंसलर श्री गाइ पार्मेलिन के साथ आभासी बैठक हुई।
- भारत-ईएफटीए टीईपीए की प्रगति की समीक्षा करने और ईएफटीए देशों में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए 12 और 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में नॉर्वे के व्यापार और उद्योग मंत्री श्री जान क्रिश्चियन वेस्ट्रे और स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों के राज्य सचिव श्रीमती हेलेन बडलिगर के साथ बैठकें हुईं।

11. अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन

(क) डब्ल्यूटीओ और संबंधित मुद्दे

- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। भारत 1995 से डब्ल्यूटीओ का संस्थापक सदस्य है और डब्ल्यूटीओ में एलडीसी सहित विकासशील देशों की मांगों को उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी) है, जो आमतौर पर हर दो साल में होता है। यह विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को एक साथ लाता है, जिनमें से सभी सीमा शुल्क वाले देश हैं। अब तक 12 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हो चुके हैं, आखिरी बार 2022 में जिनेवा में आयोजित किया गया था। डब्ल्यूटीओ का 13 वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी-13) 26 से 29 फरवरी 2024 तक अबू धाबी में आयोजित होने वाला है ।
- एमसी-13 से पहले 23 और 24 अक्टूबर 2023 को जेनेवा में डीजी डब्ल्यूटीओ द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य फलदायी और सकारात्मक परिणाम के लिए एमसी-13 एजेंडा का मसौदा तैयार करने के लिए शीर्ष से राजनीतिक मार्गदर्शन प्राप्त करके सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को एक साथ लाना था। एसओएम में चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे थे:
  - खाद्य सुरक्षा सहित कृषि
  - विवाद निपटान सुधार
  - व्यापार और विकास
  - मत्स्य पालन अनुदान वार्ता
  - ई-कॉमर्स अधिस्थगन

  खाद्य सुरक्षा सहित कृषि में, सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग, घरेलू समर्थन और बाजार पहुंच, विशेष सुरक्षा तंत्र आदि जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत ने पीएसएच के स्थायी समाधान पर दृढ़ता से जोर देते हुए कहा कि यह पहले के एमसी से अनिवार्य मुद्दा है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- एमसी-13 में कृषि वार्ता में सामंजस्य बनाने और उसे आकार देने के लिए 28 नवंबर 2023 को कृषि पर एक आभासी लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। भारत ने इस लघु मंत्रिस्तरीय आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आमंत्रित लोगों में 27 देशों/समूहों के मंत्रियों के साथ-साथ कृषि विशेष सत्र समिति (सीओए-एसएस) के अध्यक्ष और सामान्य परिषद के अध्यक्ष शामिल थे। भारत से, माननीय सीआईएम ने आभासी लघु-मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया और खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों पर एक प्रस्तुति देकर बैठक के लिए संदर्भ निर्धारित किया और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (पीएसएच) के खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए, एमसी-13 पर लंबे समय से लंबित अनिवार्य मुद्दे पर स्थायी समाधान के लिए जोरदार वकालत की।
- आगामी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान का मुद्दा भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। एलडीसी समेत कई विकासशील देशों के साथ भारत पीएसएच के मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग कर रहा है जो कृषि वार्ता में लंबे समय से लंबित अनिवार्य मुद्दा है। जैसा कि नैरोबी में डब्ल्यूटीओ के दसवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (2015) में निर्णय लिया गया था, भारत चाहता है कि पीएसएच मुद्दे पर अन्य मुद्दों से अलग एक अलग ट्रैक पर वार्ता की जाए। इसके बाद स्थायी समाधान के लिए डब्ल्यूटीओ में जी 33 समूह के हिस्से के रूप में भारत द्वारा कई प्रस्ताव रखे गए। हाल ही में, 31 मई 2022 को, भारत ने लगभग 80 देशों के साथ, जिसमें विभिन्न समूह और एलडीसी देश शामिल हैं, एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीएसएच मुद्दे का स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए संलग्न है।
- डब्ल्यूटीओ में कृषि वार्ताओं में चल रहे विचार-विमर्श में विकसित सदस्य शामिल हैं जो विकासशील देशों से कृषि पर बाजार तक पहुंच बढ़ाने, कम घरेलू समर्थन के माध्यम से नीतिगत स्थान में कमी के साथ-साथ समझौते में मौजूदा दायित्वों के अलावा विषम पारदर्शिता दायित्वों को अपनाने की मांग कर रहे हैं।
- विकसित बनाम विकासशील सदस्यों के अधिकारों में विषमताएं मौजूद हैं और जारी हैं। जबकि विकसित देश विकासशील देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले घरेलू समर्थन को लक्षित कर रहे हैं, भारत कृषि वार्ता में पहले कदम के रूप में, कुछ विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए व्यापार विकृत समर्थन को समाप्त करके एक समान अवसर बहाल करने की मांग कर रहा है।

(ख) मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता

- 17 जून 2022 को एमसी-12 में अपनाए गए मत्स्य पालन सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ समझौते ने अवैध गैर-सूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने और अत्यधिक मछली पकड़ने वाले स्टॉक के तहत हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी पर रोक लगाकर समुद्री स्थिरता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जो विश्व के मछली भंडार की व्यापक कमी का प्रमुख कारक हैं। एमसी-12 के बाद, ओवर कैपेसिटी और ओवर फिशिंग (ओसीओएफ) सहित व्यापक विषयों तक पहुंचने के लिए डब्ल्यूटीओ, जिनेवा में नौ गहन वार्ताएं आयोजित की गई हैं।

- भारत एलडीसी सहित विकासशील देशों के सदस्यों के हितों की सुरक्षा के संबंध में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है और समस्याओं को उठाता रहा है। विशेषता सूचक व्यवहार (एस एंड डीटी) के तहत भारत ने विकासशील देश के सदस्यों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) को स्थायी रूप से अलग करने, दूर के पानी में मछली पकड़ने के लिए 25 साल की परिवर्ती अवधि और मछली पकड़ने या मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए किसी भी भौगोलिक सीमा के बिना मछुआरों की गरीब या आजीविका श्रेणी कम आय या संसाधन के लिए समझौते के तहत विषयों को स्थायी रूप से अलग करने का प्रस्ताव दिया है।
- भारत मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के हिस्से के रूप में 'समान परन्तु विभेदित उत्तरदायित्वों' (सीबीडीआर) के सिद्धांत को शामिल करने की पुरजोर वकालत करता रहा है क्योंकि समुद्री संसाधन मानव जाति की एक साझा विरासत हैं। भारत ने पिछले प्रदूषकों से ओसीओएफ के लिए सब्सिडी को अनुशासित करने के लिए सितंबर 2023 (आरडी/टीएन/आरएल/175) में डब्ल्यूटीओ को दिए गए अपने प्रस्ताव में सीबीडीआर सिद्धांत को शामिल करके अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया।
- भारत लगातार दोहरा रहा है कि दुनिया भर में लाखों कमजोर मछुआरा समुदाय अपनी आजीविका और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं और इसलिए, अनुसमर्थन से पहले समझौते के नतीजों को स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। इसलिए देशों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

(ग) डब्ल्यूटीओ में भारत-अमेरिका व्यापार विवाद समाधान

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार कूटनीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में, भारत ने वर्ष 2023 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विवाद समाधान में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रचनात्मक वार्ता को बढ़ावा देने और सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण, विश्व व्यापार संगठन की समय सीमा के भीतर अमेरिका के साथ राष्ट्र ने छह विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया है। सुलझाए गए विवादों में विभिन्न प्रकार के मुद्दे शामिल हैं, जिनमें प्रतिकारी उपाय, नवीकरणीय ऊर्जा, निर्यात-संबंधी उपाय और विशिष्ट उत्पादों पर शुल्क शामिल हैं।
- इस सफलता के आधार पर, दोनों देशों ने हाल ही में कुछ कृषि उत्पादों के आयात से संबंधित चल रहे सातवें विवाद, डीएस430 के लिए पारस्परिक रूप से समाधान की शर्तों को सहमत होकर अंतिम रूप दिया है। आगे देखते हुए, सातवां विवाद 2024 की पहली तिमाही में समाप्त होने की उम्मीद है।
- ये संकल्प न केवल डब्ल्यूटीओ सिद्धांतों के प्रति भारत के पालन को रेखांकित करते हैं, बल्कि सहयोगात्मक तरीके से व्यापार संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए देश के सक्रिय दृष्टिकोण को भी उजागर करते हैं। यह निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांतों को बनाए रखने और संरचित वार्ता के माध्यम से जटिलताओं को सुलझाने के लिए भारत के समर्पण का भी प्रतीक है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में एक सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करता है।

(घ) विवाद निपटान सुधार

- डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय सदस्यों की नियुक्ति न होने के कारण निष्क्रिय बना हुआ है। जैसा कि एमसी-12 परिणाम दस्तावेज़ में दोहराया गया है, भारत 2024 तक सभी सदस्यों के लिए पूर्ण और अच्छी तरह से कार्यशील विवाद निपटान प्रणाली को सुलभ बनाने की दृष्टि से चर्चा में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता स्थायी अपीलीय निकाय के साथ दो स्तरीय विवाद निपटान प्रणाली की बहाली है ।
- इस उद्देश्य से, प्रक्रिया की अत्यधिक त्वरित, गैर-पारदर्शी और गैर-समावेशी प्रकृति के बारे में भारत की समस्याओं के बावजूद, भारत ने अप्रैल 2022 से चल रही अनौपचारिक चर्चाओं में भाग लिया है। इस प्रक्रिया में, भारत ने अनुपालन और प्रतिशोध प्रक्रियाओं के क्रॉस-प्रतिशोध और अनुक्रमण के संबंध में अपने कुछ ऐतिहासिक प्रश्नों को फिर से प्रस्तुत किया है, और विवाद निपटान पैनलों में भौगोलिक और लैंगिक विविधता सुनिश्चित करने वाले अनिवार्य प्रावधानों का प्रस्ताव दिया है।
- अक्टूबर 2023 में डब्ल्यूटीओ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान, भारत ने अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से हासिल किए गए कार्यों को मान्यता देते हुए, अनौपचारिक चर्चाओं को तत्काल औपचारिक प्रक्रिया में बदलने का आह्वान किया।
- 24 नवंबर 2023 को, भारत ने विवाद निपटान निकाय को मिस्र और दक्षिण अफ्रीका द्वारा सह-प्रायोजित (जेओबी/डीएसबी/7) एक पेपर 'डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली के सुधार का प्रतिबिंब' प्रस्तुत किया। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि अपीलीय निकाय की बहाली किसी भी सुधार चर्चा के मूल में है, भारत ने सुधार प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ संसाधन की कमी वाले सदस्यों की प्रभावी भागीदारी का समर्थन करने के लिए विवाद निपटान निकाय के तत्वावधान में चल रही अनौपचारिक चर्चाओं को तत्काल औपचारिक बनाने का अपना आह्वान दोहराया।

(ङ) भारत द्वारा जुटाए गए एसटीसी

भारत त्रैमासिक रूप से आयोजित डब्ल्यूटीओ एसपीएस और टीबीटी समिति की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जहां सदस्य देश एसपीएस और टीबीटी समझौते और विशिष्ट व्यापार समस्याओं (एसटीसी) का समाधान करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इन बैठकों के दौरान सदस्य देश चिन्हित एसटीसी को आपस में सुलझाने पर चर्चा करते हैं। भारत के हितों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, वर्तमान वर्ष में (21 नवंबर 2023 तक), भारत ने एसपीएस और टीबीटी समिति की बैठकों में 23 विशिष्ट व्यापार समस्याओं को उठाया, 12 का समर्थन किया और 30 का जवाब दिया।

(च) ट्रिप्स छूट

जुलाई 2022 में डब्ल्यूटीओ के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (डब्ल्यूटी/ एमआईएन (22)/30) ने भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित कोविड-19 वैक्सीन के लिए ट्रिप्स छूट प्रस्ताव को अपनाया, सुझाव दिया कि निर्णय को संभवतः सीओवीआईडी-19 डायग्नोस्टिक्स और चिकित्सीयविधान तक पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।

भारत ने टीकों पर एक वैश्विक सौदे का नेतृत्व किया है, जिससे गरीब और विकासशील देशों के लिए बेहतर टीकों की पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार हो सकता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन और व्यापार रहस्यों से संबंधित ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों से इस हद तक अस्थायी छूट की मांग की गई कि वे कोविड -19 उत्पादों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करते हैं।

भारत के रुख को अंततः डब्ल्यूटीओ के 120 से अधिक सदस्यों ने समर्थन दिया और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शिक्षाविदों और विश्व नेताओं से व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इसके अलावा, भारत आगामी एमसी-13 में ट्रिप्स निर्णय के विस्तार पर जोर दे रहा है, और हमारी महत्वपूर्ण मांगों में से एक यह है कि बेहतर वैक्सीन पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए ट्रिप्स निर्णय को भविष्य की महामारी तैयारियों के लिए कोविड-19 डायग्नोस्टिक्स और चिकित्सीयविधान तक बढ़ाया जाए जिससे गरीब और विकासशील देशों को मदद मिल सके।

(छ) एसपीएस घोषणा

एमसी-12 में, सदस्यों ने बढ़ती वैश्विक आबादी, कीटों के प्रसार, बीमारियों, रोग फैलाने वाले जीवों, जलवायु और पर्यावरणीय चुनौतियों और उपकरणों और प्रौद्योगिकियों में नवाचार की बढ़ती गति की चुनौतियों का जवाब देने के लिए एसपीएस घोषणा को अपनाया, जो भोजन, जानवरों और पौधों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। घोषणा के तहत, भारत और अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने "यह पता लगाने के लिए कि एसपीएस समझौते का कार्यान्वयन और आवेदन कैसे समर्थन कर सकता है" कुछ निश्चित पांच विषयों पर एक कार्य कार्यक्रम शुरू किया। इस घोषणा को अपनाने के बाद, घोषणा के पैराग्राफ 8 में पहचाने गए प्रत्येक तत्व के लिए एसपीएस समिति द्वारा पांच विषयगत समूह बनाए गए थे। भारत विषयगत समूहों की बैठक में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इसका लगातार मानना है कि एसपीएस समझौते के अलावा अनुशासन को एसपीएस घोषणा की आड़ में नहीं लाया जाना चाहिए।

भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि खाद्य सुरक्षा और सतत खाद्य प्रणाली (एसएफएस) के साथ एसपीएस समझौते को अलग करने और उभरती चुनौतियों, एमआरएल के संबंध में एसपीएस उपायों के लिए वैज्ञानिक औचित्य, कीट या रोग मुक्त क्षेत्रों और कम कीट वाले क्षेत्रों की पहचान या रोग की व्यापकता को एमसी-13 के कार्यक्रम की मसौदा रिपोर्ट में शामिल किया गया है ।

(ज) व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला (टीबीटी)

वाणिज्य विभाग ने विश्व व्यापार संगठन के सहयोग से, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूटीओएस) और व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के साथ मिलकर 13 से 15 मार्च 2023 तक टीबीटी समझौते पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

डब्ल्यूटीओ और भारत के विषय विशेषज्ञों द्वारा आयोजित कार्यशाला के दौरान सत्र को डब्ल्यूटीओ टीबीटी समझौता कार्यान्वयन में मंत्रालयों/विभागों, निर्यात संवर्धन परिषदों, भारतीय मानक निकायों, नियामक निकायों और निजी क्षेत्र के संगठनों के हितधारकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

(झ) स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) उपायों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

वाणिज्य विभाग ने विश्व व्यापार संगठन के सहयोग से, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र (सीडब्ल्यूटीओएस) और व्यापार और निवेश कानून केंद्र (सीटीआईएल) के साथ मिलकर 17 से 19 अक्टूबर 2023 तक एसपीएस समझौते पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशालाओं के दौरान, एसपीएस समझौते, इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, कोडेक्स और मानकों द्वारा अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) की स्थापना और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ) पर सत्र आयोजित किए गए।

(ञ) विकासशील देशों का विशेष और विशेषता-सूचक व्यवहार और क्रमिक वृद्धि

डब्ल्यूटीओ में एलडीसी सहित विकासशील सदस्यों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार (एस एंड डीटी) प्रावधान डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के बीच विकास के स्तर में अंतर को पहचानते हैं और विकासशील सदस्यों को अपनी घरेलू व्यापार नीति तैयार करने के लिए स्थान देते हैं जिससे वे गरीबी कम कर सकें, रोजगार पैदा कर सकें और वैश्विक व्यापार प्रणाली में सार्थक रूप से एकीकृत हो सकें। भारत एलडीसी सहित विकासशील देशों के लिए विशेष और विभेदक व्यवहार प्रावधानों की निरंतर प्रासंगिकता में विश्वास करता है।

डब्ल्यूटीओ में जी-90 देशों ने 10 डब्ल्यूटीओ करारों में एस एंड डीटी प्रावधानों पर चर्चा शुरू करने के लिए डब्ल्यूटीओ में विचार-विमर्श हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि उन्हें और अधिक सुलभ, प्रभावी और प्रचालनात्मक बनाया जा सके। ये 10 समझौते विशिष्ट प्रस्ताव एस एंड डीटी प्रावधानों पर स्पष्टीकरण और सटीकता चाहते हैं। भारत जी-90 देशों के प्रस्ताव का प्रबल समर्थक रहा है। भारत का मानना है कि एसएंडडीटी विकास के मुद्दों के केंद्र में है और विकासशील देशों और एलडीसी को उनसे महत्वपूर्ण लाभ होगा। इस प्रस्ताव को अफ्रीकी समूह का भी समर्थन प्राप्त है।

एलडीसी देशों ने एलडीसी से विकासशील देशों में उन्नयन होने के दौरान सुचारू संक्रमण के लिए समर्थन उपायों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया है। भारत इस बात को प्रोत्साहित करता है कि सभी सदस्य उन्नयन के बाद उचित समयावधि के भीतर इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए दृष्टिकोण अपनाएं।

एमसी-13 से पहले ये मुद्दे मंत्रिस्तरीय बैठक के परिणाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे।

(ट) व्यापार सुविधा करार का कार्यान्वयन

टीएफए के तहत भारत की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में (टीएफए के अनुच्छेद 232 के अंतर्गत), मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में व्यापार सुविधा पर एक राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) की स्थापना की गई थी। यह समिति बार-बार टीएफए के कार्यान्वयन की आवधिक रूप से समीक्षा करती है और इसके प्रति घरेलू समन्वय को सूकर बनाती है। शीर्ष समिति के रूप में एनसीटीएफ को एक संचालन समिति द्वारा अपने कार्यों में सहायता प्रदान की जाती है जिसकी अध्यक्षता वाणिज्य सचिव और राजस्व सचिव संयुक्त रूप से करते हैं। बदले में, इन समितियों को संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ कार्य समूहों द्वारा समर्थित किया जाता है जिन्हें एक विशिष्ट व्यापार सुविधा उपाय या परियोजना सौंपी जाती है

एनसीटीएफ ने अब तक दो राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजनाएं (एनटीएफएपी) जारी की हैं। वर्तमान में, एनटीएफपी 2020-23 कार्यान्वयन के अधीन है

भारत एनसीटीएफ के समग्र मार्गदर्शन के तहत टीएफए कार्यान्वयन में सक्रिय प्रगति कर रहा है। एनसीटीएफ के तत्वावधान में, भारत अब डब्ल्यूटीओ व्यापार सुविधा समझौते का पूरी तरह से अनुपालन करने वाला बन गया है। व्यापार करने में आसानी और पारदर्शिता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

एनटीएफएपी 2020-23 के तहत की गई कुछ कार्रवाई व्यापार सुविधा और एनटीएफएपी के तहत कार्रवाई बिंदुओं के कार्यान्वयन के लिए समर्पित आउटरीच उपाय, ऑनलाइन लेनदेन में आसानी के लिए डीजीएफटी पोर्टल में वृद्धि, सीओओ/अन्य प्राधिकरणों के इलेक्ट्रॉनिक जारी करने का कार्यान्वयन और आईईसी सत्यापन के लिए राष्ट्रीय रसद पोर्टल (समुद्री) के साथ डीजीएफटी का एकीकरण, एनटीएम के प्रकाशन के लिए एक पोर्टल का निर्माण है।

एनटीएफएपी 2020-23 के तहत श्रेणी बी प्रतिबद्धताओं से संबंधित कार्य बिंदु जैसे टीएफए के तहत अनिवार्य वेबसाइटों के यूआरएल को अधिसूचित करना, व्यापारियों को लागू होने से पहले नए कानून से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है।

हाल ही में, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), विदेश मंत्रालय तथा आर्थिक कार्य विभाग के परामर्श से इस विभाग ने भारत के स्थायी मिशन से अन्य सदस्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए व्यापार सुविधा समझौता सुविधा (टीएफएएफ) के अंतर्गत भारत का पंजीकरण करने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है।

(ठ) पर्यावरण

भारत ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम), वनों की कटाई मुक्त आपूर्ति श्रृंखला के निर्धारण के आधार पर उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, हरित टैरिफ दर कोटा और अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) निर्धारित करने वाले उपायों पर प्रकाश डालते हुए डब्ल्यूटीओ में संरक्षणवादी गैर-टैरिफ उपायों के रूप में पर्यावरणीय उपायों का उपयोग करने की उभरती प्रवृत्ति पर चिंता विषय पर चिंता प्रस्तुत करते हुए एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इसने बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों (एमईए) और डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग पर जोर दिया। भारत द्वारा दस्तावेज परिचालित करने के अनुसरण में, इसने डब्ल्यूटीओ के विभिन्न सदस्य देशों से हस्तक्षेप किया है और कोर थीम पर कई सदस्य देशों से समर्थन भी प्राप्त किया है। अफ्रीकी कैरिबियन और प्रशांत (एसीपी) समूह (62 डब्ल्यूटीओ सदस्यों, 8 डब्ल्यूटीओ पर्यवेक्षकों, 9 गैर-सदस्य गैर-पर्यवेक्षकों), अफ्रीका समूह (44 डब्ल्यूटीओ सदस्यों, 9 डब्ल्यूटीओ पर्यवेक्षकों) और यूरोपीय संघ (27 डब्ल्यूटीओ सदस्यों) की ओर से 28 हस्तक्षेप किए गए थे। इसके बाद, दक्षिण अफ्रीका पूरी तरह से दस्तावेज़ में शामिल हो गया, जिसे 31 मई 2023 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त नाम से फिर से प्रसारित किया गया।

उत्तरी वैश्विक के लापरवाह उपयोग और फेंकने की संस्कृति से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय बाहरीताआं के प्रति भारत की समृद्ध विरासत के बारे में डब्ल्यूटीओ में चर्चा के माध्यम से सूचित करने के उद्देश्य से, भारत द्वारा 2 फरवरी, 2023 को लाईफ (आरडी/सीटीई/216) विषय पर डब्ल्यूटीओं में एक पेपर प्रसारित किया गया था।

भारत ने जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए विकासशील देशों को व्यापार और पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के बीच संबंधों पर पुन: सशक्त चर्चा पर एक रूम डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया। ईएसटी (पर्यावरण की दृष्टि से ध्वनि प्रौद्योगिकियां) के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का मुद्दा जलवायु शमन और अनुकूलन उपायों के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक दक्षिण के देशों में ईएसटी का हस्तांतरण विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के लिए मराकेश समझौते की प्रस्तावना के लिए मौलिक है: पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करने की आवश्यकता है और आर्थिक विकास के विभिन्न स्तरों (एस एंड डीटी सिद्धांत) पर संबंधित जरूरतों और चिंताओं के अनुरूप ऐसा करने के साधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। न्यून कार्बन तकनीकी, ऊर्जा दक्षता, कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस), नवीकरणीय, हाइड्रोजन, परमाणु और ऊर्जा भंडारण के लिए सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान और विकास का प्रसार, व्यापार और पर्यावरण निधि के विचार सहित एक वित्तीय तंत्र, स्वैच्छिक लाइसेंसिंग प्रथाओं को सुव्यवस्थित करना विचार-विमर्श के लिए भारत के पेपर में संलग्न रोडमैप का एक हिस्सा है।

भारत ने कोविड-19 महामारी के जवाब में भारत द्वारा किए गए व्यापार संबंधी उपायों और संबंधित हितधारकों और मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तैयार भविष्य की महामारियों के लिए तैयारी पर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसे वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद, कृषि समिति, बाजार पहुंच समिति, व्यापार सुविधा समिति में प्रकाशित किया गया है। पेपर को मंत्रिस्तरीय घोषणा (एमसी-12) के जवाब में प्रसारित किया गया है, जिसमें सदस्य देशों ने "कोविड-19 महामारी के लिए विश्व व्यापार संगठन की प्रतिक्रिया और भविष्य की महामारियों के लिए तैयारियों पर मंत्रिस्तरीय घोषणा" को अपनाया है। यह दस्तावेज कोविड-19 महामारी जैसे पीढ़ी के संकट से निपटने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों और कोविड-19 के गंभीर संकट से निपटने में भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है।

वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल और इस्पात मंत्रालय, विधुत मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) और ईएफएंडसीसी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने 12 से 16 जून 2023 तक डब्ल्यूटीओ में आयोजित व्यापार और पर्यावरण समिति (सीटीई) और पर्यावरण सप्ताह में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), दोनों का मुख्यालय भारत में है, ने भी पर्यावरण सप्ताह में भाग लिया और अपने काम का प्रदर्शन किया। भारत ने सीटीई और पर्यावरण सप्ताह में निम्नलिखित हस्तक्षेप किया:

- भारत के पेपर जॉब / टीई / 78 को दक्षिण अफ्रीका द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था और व्यापार बाधाओं के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे पर्यावरणीय उपायों पर भारत की चिंताओं पर चर्चा की गई थी।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन (13 जून 2023) की प्रस्तुति उनके काम और अनुभव साझा करने को प्रदर्शित करती है।
- भारत ने डब्ल्यूटीओ में यूके के स्थायी मिशन और स्टील डीकार्बोनाइजेशन पर रिपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संघ (आईईए) द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यक्रम में एक चर्चाकार के रूप में भाग लिया, जिसमें भारत ने ग्रीन स्टील जैसे मापदंडों के मापन के लिए सामान्य कार्यप्रणाली के महत्व पर जोर दिया और कार्बन उत्सर्जन को मापने में विविधता के पहलू कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने उत्सर्जन के आंकड़ों में गुमनामी और गोपनीयता के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही, इस्पात क्षेत्र में हरित संक्रमण के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें एक ही दिशा में 13 टास्क फोर्स का गठन शामिल है।

- सीबीएएम पर यूरोपीय संघ की प्रस्तुति में भारत के हस्तक्षेप में कच्चे माल के दायरे से बाहर करने जैसे पहलुओं पर सवाल उठाना शामिल था जब यूरोपीय संघ उत्पादन के लिए स्क्रैप का भारी उपयोग करता है जिसमें बहुत अधिक एम्बेडेड उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन का औसत होता है यदि उत्पादन श्रृंखला में कई प्रक्रियाएं होती हैं और कुछ पर्यावरण के अनुकूल होती हैं।
- भारत ने यूरोपीय संघ, यूके द्वारा आयोजित विभिन्न कार्बन रिसाव चर्चाओं पर हस्तक्षेप किया और उत्सर्जन, सीमाओं और दायरे को मापने की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, विषमताओं में फैक्टरिंग, कच्चे माल पर विचार, ओईसीडी देशों द्वारा स्क्रैप के उपयोग पर प्रस्तावित प्रतिबंध, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण आदि, कार्बन सत्यापनकर्ताओं की मान्यता और ईयू-ईटीएस के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए छूट, सीबीडीआर-आरसी पर विचार, कार्बन रिसाव परिभाषा, यूके ईटीएस का कामकाज, उत्सर्जन को कम करने में इसका प्रभाव, एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग।
- भारत, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वनों की कटाई और वनीकरण नीतियों, सतत वन प्रबंधन और वनों की कटाई से संबंधित व्यापार उपायों के साथ चिंताओं पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्थायी वन प्रबंधन की दिशा में भारत के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया।

(ड) शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंच

डब्ल्यूटीओ के सदस्यों ने बाली में नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त कोटा मुक्त बाजार पहुंच पर निर्णय की पुन पुष्टि की है और व्यापार एवं विकास समिति को एलडीसी के लिए अधिमानी डीएफक्यूएफ बाजार पहुंच पर वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया पुन शुरू करने का निर्देश दिया है। एलडीसी की प्रगति के लिए भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना (डीएफटीपी) उल्लेखनीय है। भारत ने अगस्त 2008 में एलडीसी के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) योजना अधिसूचित की। डीएफटीपी योजना के तहत, भारत की कुल टैरिफ लाइनों के 85 प्रतिशत तक बाजार पहुंच शुल्क मुक्त थी, 9 प्रतिशत लाइनों पर वरीयता का मार्जिन (एमओपी) प्रदान किया गया था और 6 प्रतिशत टैरिफ लाइनें बहिष्करण सूची के तहत थीं।

भारत ने 29 दिसंबर 2023 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC) को ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस (DFTP) योजना के लाभों का विस्तार किया है। भारत अब 36 एलडीसी को डीएफटीपी योजना का लाभ प्रदान कर रहा है।

(ढ) वैश्वीक व्यापार ताजीही प्रणाली (जीएसटीपी)

वैश्विक व्यापार तरजीही प्रणाली (जीएसटीपी) स्थापित करने वाले समझौते पर 13 अप्रैल 1988 को बेलग्रेड में हस्ताक्षर किए गए थे। टैरिफ रियायतों के आदान-प्रदान के लिए जीएसटीपी वार्ताओं के पहले दौर के परिणामों को 41 देशों द्वारा अनुमोदित किया गया और यह समझौता 19 अप्रैल, 1989 को लागू हुआ। वार्ता का दूसरा दौर 21 नवंबर, 1991 को तेहरान में आयोजित जीएसटीपी की मंत्रिस्तरीय बैठक में शुरू किया गया था जो 1998 में संपन्न हुई थी।वर्तमान में, जीएसटीपी समझौते के तहत मर्कोसुर सहित 42 प्रतिभागी देश हैं, जिनकी सूची https://unctad.org/topic/trade-agreements/global-system-of-trade-preferences पर देखी जा सकती है।

जीएसटीपी वार्ता का तीसरा दौर 2004 में ब्राजील के साओ पाउलो में शुरू हुआ था जो 2010 में संपन्न हुआ। वार्ता के तीसरे दौर के तहत रियायतों की अनुसूची तीस दिनों के बाद लागू की जाएगी जब कम से कम चार प्रतिभागी अपने कार्यक्रम की पुष्टि करेंगे और जीएसटीपी सचिवालय को सूचित करेंगे। प्रशुल्क रियायतें ऐसे चार भागीदारों के बीच कार्यान्वित की जाएंगी और अन्य प्रतिभागी अपनी समय-सारणी का अनुसमर्थन करने के बाद इन रियायतों का लाभ उठाएंगे। अब तक, 3 देशों, अर्थात भारत, मलेशिया और क्यूबा ने रियायतों की अपनी अनुसूची की पुष्टि की है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 23 अगस्त, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में वार्ताओं के तीसरे दौर के अंतर्गत भारत की रियायतों की अनुसूची के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया था। 23 जनवरी 2023 को, ब्राजील ने प्रोटोकॉल की स्वीकृति के अपने साधन को अंकटैड को जमा किया।

(ण) ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका)

ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। मूल रूप से पहले चार को 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले "ब्रिक" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ब्रिक्स प्रेसीडेंसी सदस्य राज्यों द्वारा वार्षिक आधार पर बारी-बारी से आयोजित की जाती है। भारत ने वर्ष 2021 के लिये अपने अध्यक्षीय कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा किया और इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को दे दिया जो वर्ष 2022 में समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने 2023 के लिए अध्यक्षता की। रूस ने 1 जनवरी 2024 से 2024 के लिए अध्यक्षता ग्रहण की है। ब्रिक्स देशों का विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 25.77 प्रतिशत, विश्व जनसंख्या का लगभग 41 प्रतिशत, वर्ष 2022 में वैश्विक वस्तु व्यापार का लगभग 18.4 प्रतिशत योगदान है।

भारत सरकार में वाणिज्य विभाग ब्रिक्स के तहत आर्थिक और व्यापार के मुद्दों को संभालता है जिन पर "आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर संपर्क समूह" (सीजीईटीआई) के रूप में जाना जाने वाले संस्थागत तंत्र के तहत चर्चा की जाती है। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता के तहत, सीजीईटीआई में निम्नलिखित दस्तावेजों पर बातचीत की गई और 7 अगस्त 2023 को आयोजित ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में इन्हें अपनाया गया:

- 13वें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की संयुक्त विज्ञप्ति
- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और विश्व व्यापार संगठन सुधारों को सुदृढ़ करना
- आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन के लिए ढांचा और विविधीकरण
- डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सहयोग
- एमएसएमई के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग

(त) शंघाई सहयोग संगठन (एसीसओ)

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), एक बहुपक्षीय संगठन, 2001 में शंघाई, चीन में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। एससीओ चार्टर, औपचारिक रूप से संगठन की स्थापना, जून 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था और 19 सितंबर 2003 को लागू हुआ था। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन में एससीओ के पूर्ण सदस्य बने। वर्तमान में एससीओ के आठ सदस्य हैं।

वर्ष 2023 के लिये भारत राष्ट्राध्यक्षों की परिषद (सीएचएस) का अध्यक्ष था, जबकि किर्गिज़ गणराज्य शासनाध्यक्षों (सी एच जी) का अध्यक्ष था। वर्ष के दौरान, निम्नलिखित दो प्रस्तावों पर बातचीत की गई और 'विदेशी आर्थिक और विदेश व्यापार गतिविधियों के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों' के संस्थागत तंत्र के तहत अपनाया गया, जिसके लिए वाणिज्य विभाग नोडल विभाग है:

- शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र से खरीदारों और विक्रेताओं की ऑनलाइन बैठक की अवधारणा, और
- डिजिटल व्यापार के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने की पहल।

(थ) राष्ट्रमंडल

राष्ट्रमंडल राष्ट्र, जिसे अक्सर राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, 56 सदस्य देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है , जिनमें से अधिकांश ब्रिटिश साम्राज्य के पूर्व क्षेत्र हैं जहां से यह विकसित हुआ था। संगठन के मुख्य संस्थान लंदन के मार्लबोरो हाउस में स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय हैं , जो अंतर-सरकारी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, और राष्ट्रमंडल फाउंडेशन , जो सदस्य राज्यों के बीच गैर-सरकारी संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। कई संगठन राष्ट्रमंडल से जुड़े हुए हैं और इसके भीतर संचालित होते हैं। यह 2.5 अरब लोगों का घर है, और इसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देश दोनों शामिल हैं। इसके 33 सदस्य छोटे राज्य हैं, जिनमें कई द्वीप राष्ट्र भी शामिल हैं।

राष्ट्रमंडल व्यापार मंत्रियों की बैठक (सीटीएमएम) 5-6 जून 2023 को लंदन में आयोजित की गई थी , इससे पहले 2-3 जून 2023 को राष्ट्रमंडल वरिष्ठ व्यापार अधिकारियों की बैठक (एसटीओएम) हुई थी। निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें अपनाया गया सीटीएमएम मे:

- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करना,
- राष्ट्रमंडल व्यापार और निवेश को बढ़ाना,
- समावेशी और सतत व्यापार,
- डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना।

अगली राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (सीएचओजीएम) अक्टूबर 2024 में एपिया, समोआ में आयोजित की जाएगी।

(द) भारत की जी20 अध्यक्षता - व्यापार और निवेश कार्य समूह

भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के तहत, व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) के लिए, वाणिज्य विभाग ने पांच प्राथमिकता वाले मुद्दों अर्थात् विकास और समृद्धि के लिए व्यापार (पीआई1), व्यापार और लचीला जीवीसी (पीआई2), वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करना (पीआई3), लॉजिस्टिक्स फॉर ट्रेड (पीआई4) और डब्ल्यूटीओ रिफॉर्म (पीआई5) को आगे बढ़ाया है।

जी20 भारत की अध्यक्षता के तहत बैठकें निम्नलिखित स्थानों और तिथियों पर आयोजित की गईं:

क्र.सं.	बैठक	खजूर
1	पहली टीआईडब्ल्यूजी बैठक	28 मार्च - 30 मार्च 2023
2	बेंगलुरु में दूसरी टीआईडब्ल्यूजी बैठक	23 तारीख -25 मई 2023
3	केवडिया में तीसरी टीआईडब्ल्यूजी बैठक	10 वीं -12 वीं जुलाई 2023
4	जयपुर में टीआईडब्ल्यूजी की चौथी बैठक	21 अगस्त -22 अगस्त 2023
5	व्यापार एवं निवेशक मंत्री की बैठक (टीआईएमएम) जयपुर में	24 अगस्त -25 अगस्त 2023

पहली और दूसरी टीआईडब्ल्यूजी बैठकों के दौरान, पांच प्राथमिकता वाले मुद्दों (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) पीआई पर चर्चा की गई थी। इसके अलावा, इन बैठकों के दौरान प्रस्तुतियाँ दी गईं, जिनमें से प्रत्येक विषय और पीआई से उभरने वाले संभावित परिणामों को रेखांकित किया गया। तदनुसार, बैठकों के दौरान प्रत्येक प्राथमिकता वाले मुद्दों से जुड़े निम्नलिखित पांच प्रमुख डिलिवरेबल्स पर चर्चा की गई है।

क्र.सं	कुंजी सुपुर्दगी योग्य	प्राथमिकता मुद्दा
1	व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर उच्च स्तरीय सिद्धांत	व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स (पीआई4)
2	एमएसएमई के लिए मेटा-सूचना पोर्टल बनाने की कार्य योजना	वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करना (पीआई3)
3	जीवीसी की मैपिंग के लिए सामान्य रूपरेखा	व्यापार और लचीलापन जीवीसी (पीआई2)
4	समझौतों की पारस्परिक मान्यता (एमआरए) की सर्वोत्तम प्रथाओं पर सार-संग्रह	विकास और समृद्धि के लिए व्यापार (पीआई1)
5	जी20 नियामक वार्ता	क्रॉसकटिंग

पांच प्रस्तावित प्राथमिकता वाले मुद्दों के अंतर्संबंध के महत्व को जानते हुए, भारतीय प्रेसीडेंसी ने क्रमशः मुंबई, बेंगलुरु और एकता नगर (केवडिया) में व्यापार वित्त, व्यापार और प्रौद्योगिकी और व्यापार बुनियादी ढांचे पर साइड इवेंट सेमिनार भी आयोजित किए थे। इन सेमिनारों का उद्देश्य शासन की सभी परतों में हितधारकों को एक साथ लाना और सामूहिक कार्यों पर विचार-मंथन करना था जो एक मजबूत वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक हैं।

टीआईएमएम के दौरान, प्रतिनिधियों के लिए भारतीय चाय, कॉफी, मसालों और बाजरा की विस्तृत विविधता को प्रदर्शित करने के लिए एक अनुभव क्षेत्र स्थापित किया गया था, और गुलाबी शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए जयपुर अनुभव पर एक प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई थी।

गौरतलब है कि वैश्विक व्यापार के सामने आने वाली विपरीत परिस्थितियों के बीच, व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीआईडब्ल्यूजी) के लिए भारतीय जी 20 की अध्यक्षता पांच ठोस और कार्योन्मुख परिणामों पर आम सहमति बनाने में सफल रही जो अभूतपूर्व है और 2016 में टीआईडब्ल्यूजी की स्थापना के बाद से नहीं देखा गया था। भू-राजनीतिक मुद्दों से संबंधित एक पैरा को छोड़कर सभी को सर्वसम्मति से अपनाया गया। जी20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय (टीआईएमएम) परिणाम दस्तावेज की मुख्य विशेषताएं हैं:

- एक मानचित्रण ढांचा विकसित करके भविष्य के झटकों का सामना करने के लिए लचीली और टिकाऊ वैश्विक मूल्य श्रृंखला (जीवीसी) का निर्माण करना जो कमजोरियों और अवसरों की पहचान करने में मदद कर सकता है
- जीवीसी को विदेशी उद्यमों और घरेलू कंपनियों, विशेष रूप से एमएसएमई के बीच संबंधों को बढ़ावा देकर सतत और समावेशी विकास के लिए काम करना
- व्यापार और व्यापार संबंधी जानकारी प्राप्त करने वाले एमएसएमई के लिए वन स्टॉप हब बनाकर वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करना
- एमएसएमई की तेजी से डिजिटल सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कम प्रवेश बाधाओं के महत्व को रेखांकित करना
- व्यापार लागत को कम करके और कागज रहित व्यापार में परिवर्तन के माध्यम से एमएसएमई के लिए प्रवेश की बाधाओं को कम करके उत्पादकता लाभ और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
- समावेशी विकास और सतत विकास के लिए पुन पुष्टि करना कि एक नियम आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, जिसके मूल में डब्ल्यूटीओ हो, समावेशी विकास और सतत विकास के लिए अपरिहार्य है
- विकासशील देशों और एलडीसी को वैश्विक व्यापार में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए विश्व व्यापार संगठन की "व्यापार पहले के लिए सहायता" के महत्व को मान्यता।
- व्यावसायिक सेवाओं के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता (एमआरए) करने के संबंध में सर्वोत्तम पद्धतियों का सार-संग्रह तैयार करके और उसका प्रसार करके सेवाओं में सीमा पार व्यापार में अनावश्यक बाधाओं को दूर करना
- डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान प्रणाली में सुधारों पर चल रही चर्चाओं के लिए समर्थन व्यक्त करना ताकि इसे 2024 तक सभी सदस्यों के लिए पूरी तरह कार्यात्मक और सभी सदस्यों के लिए सुलभ बनाया जा सके।
- क्षमता निर्माण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से मानक-निर्धारण निकायों और नियामकों के बीच प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना

व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं ने जी20 टीआईएमएम परिणाम दस्तावेज में एक अमिट छाप छोड़ी है और निम्नलिखित ठोस परिणामों में इसका उदाहरण दिया गया है:

- जीवीसी के मानचित्रण के लिए जी20 जेनेरिक फ्रेमवर्क
- जयपुर एमएसएमई के लिए सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए कार्रवाई का आह्वान
- व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण संबंधी उच्च स्तरीय सिद्धांत
- व्यावसायिक सेवाओं के लिए एमआरए पर सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह, और
- जी20 मानक वार्ता आयोजित करना

भारत की जी20 अध्यक्षता के ढांचे के भीतर, भारतीय मानक ब्यूरो ने 2-3 नवंबर 2023 को भारत मंडपम, आईटीपीओ, नई दिल्ली, भारत में जी 20 मानक संवाद 2023 का आयोजन किया। संवाद में 750 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 50 विदेशी प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि 'शून्य दोष और शून्य प्रभाव' प्राप्त करने के लिए समावेशी मानकीकरण और अच्छे नियामक प्रथाओं के माध्यम से स्थिरता को कैसे सामाधान किया जा सकता है। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ आयोजित किया गया था। इस संवाद में अंतराष्ट्रीय प्रतिनिधियों जी20 सदस्यों के राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रतिनिधियों आईएसओ, ईआईसी, आईटीयू आमंत्रित देशों और भारत के उद्योगों, उद्योग संघों, मंत्रालयों, मिशनों और प्रयोगशालाओं ने उत्साहजनक प्रतिक्रिया दी और भागीदारी की।

इसके अलावा, 6 नवंबर को 'मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास' विषय के तहत एक जी20 वेबिनार आयोजित किया गया था, वेबिनार में 'अनलॉकिंग ट्रेड फॉर ग्रोथ' विषय पर एक पैनल चर्चा हुई थी, जिसे वाणिज्य विभाग द्वारा समन्वित किया गया था।

प्रतिभागियों में निर्यात संवर्धन परिषद, उद्योग संघ, एसएमई एसोसिएशन आदि जैसे लगभग 70-80 संगठन शामिल थे। कुल 127 प्रतिभागियों ने डब्ल्यूएएसएमई, ईईपीसीआईआईएफटी, पीईपीसी, सीसीआई, एचईपीसी, टीपीसीआई, सीएचईएमईएक्ससीआईएल, डब्ल्यूडब्ल्यूईईपीसी, एफआईईओ, आदि सहित विभिन्न संगठनों से वास्तविक भागीदारी की पुष्टि की। लगभग 265 प्रतिभागी वस्तुतः शामिल हुए। वेबिनार को वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने में स्केच किया गया था। एनडीएलडी दस्तावेज में दी गई नीतिगत सिफारिशों को आगे बढ़ाने में विभिन्न विकल्पों के गहन परिपेरक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चर्चा की योजना बनाई गई थी। वेबिनार में जयपुर कॉल फॉर एक्शन को साकार करने के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वेबिनार के दौरान बातचीत एमएसएमई को सशक्त बनाने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एकीकृत करने के लिए आवश्यक बहुमुखी दृष्टिकोण पर केंद्रित थी। इस दृष्टिकोण में सूचना तक पहुँच में सुधार करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

(ध) एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी)

भारत संयुक्त राष्ट्र की क्षेत्रीय विकास शाखा, ईएससीएपी के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के लिए मुख्य आर्थिक और सामाजिक विकास केंद्र के रूप में कार्य करता है। 53 सदस्य राज्यों और 9 सहयोगी सदस्यों से मिलकर, भौगोलिक दायरे के साथ जो पश्चिम में तुर्की से पूर्व में किरिबाती के प्रशांत द्वीप राष्ट्र तक फैला हुआ है, और उत्तर में रूसी संघ से दक्षिण में न्यूजीलैंड तक, ईएससीएपी संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रीय आयोगों में सबसे व्यापक है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सेवा करने वाला संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा निकाय भी है।

बैंकॉक, थाईलैंड में अपने मुख्यालय के साथ 1947 में स्थापित, ईएससीएपी इस क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को दूर करना चाहता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है:

- आईसीटी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण
- पर्यावरण और विकास
- सामाजिक विकास
- सांख्यिकी
- विकास के लिए व्यापक आर्थिक नीति और वित्तपोषण
- व्यापार, निवेश और नवाचार
- परिवहन
- ऊर्जा

ईएससीएपी उन मुद्दों पर केंद्रित है जिन्हें क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय या बहु-देश भागीदारी से लाभ वाले मुद्दे शामिल हैं, ऐसे मुद्दे जो प्रकृति में सीमा पार हैं, या जो सहयोगी अंतर-देश दृष्टिकोण से लाभान्वित होंग

(i) ईएससीएपी का वार्षिक सत्र

क्षेत्र में समावेशी और सतत आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और निर्णय लेने, अपने सहायक निकायों और कार्यकारी सचिव की सिफारिशों पर निर्णय लेने, प्रस्तावित कार्य की रणनीतिक रूपरेखा और कार्यक्रम की समीक्षा और समर्थन करने के लिए आयोग हर साल मंत्री स्तर पर बैठक करता है और इसके संदर्भ की शर्तों के अनुरूप कोई अन्य आवश्यक निर्णय लेना।

ईएससीएपी का 79वां सत्र बैंकॉक में और 15-19 मई 2023 तक ऑनलाइन आयोजित किया गया था। सत्र का विषय "सतत विकास के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई में तेजी" था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री नागेश सिंह, राजदूत/असाधारण और पूर्णाधिकारी और ईएससीएपी के स्थायी प्रतिनिधि ने किया था।

(ii) ईएससीएपी में भारत का योगदान

ईएससीएपी के कार्यक्रमों की डिलीवरी क्षेत्रीय संस्था और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समर्थित है। भारत ने वर्ष के दौरान ईएससीएपी के साथ निकट सहयोग में काम किया है। भारत ने ईएससीएपी के निम्नलिखित क्षेत्रीय संस्थानों को निरंतर वित्तीय सहायता देने की भी प्रतिबद्धता जताई है:

- नई दिल्ली में भारत द्वारा आयोजित एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (एपीसीटीटी)।
- सतत कृषि यंत्रीकरण केन्द्र (सीएसएएम), बीजिंग, चीन।
- एशिया और प्रशांत के लिए सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी), चिबा, जापान।
- विकास के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए एशियाई और प्रशांत प्रशिक्षण केंद्र (एपीसीआईसीटी), इंचियोन, कोरिया गणराज्य।

(iii) भारत में उप क्षेत्रीय कार्यालय

यूएन-ईएससीएपी के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करते हुए, भारत से वित्तीय सहायता के साथ नई दिल्ली में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम एशिया के लिए एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ) की स्थापना की गई।

एसआरओ की मुख्य गतिविधियां इस प्रकार हैं:

- उप-क्षेत्र और आयोग मुख्यालय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करके उप-क्षेत्रीय स्तर पर आयोग के एजेंडे को लागू करना
- उप-क्षेत्र के भीतर सदस्य राज्यों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विशिष्ट उप-क्षेत्र प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और समर्थन करना
- ज्ञान प्रबंधन और नेटवर्किंग के लिए उप-क्षेत्रीय नोड्स के रूप में कार्य करें
- तकनीकी सहायता गतिविधियों के वितरण का नेतृत्व करना और उप-क्षेत्र में आयोग की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करना
- उप-क्षेत्रीय देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र के देशों के साथ घनिष्ठ कार्य संबंध स्थापित करना और उप-क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की गतिविधियों के समन्वय को बढ़ावा देना
- क्षेत्रीय ढांचे के साथ उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अन्य उप-क्षेत्रीय अंतर-सरकारी निकायों सहित उप-क्षेत्र में अन्य प्रासंगिक अभिनेताओं के साथ मजबूत भागीदारी और नेटवर्क बनाना

12. सेवाओं में व्यापार

क. मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से सेवा व्यापार को बढ़ाना

भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया के साथ सेवाओं में व्यापार सहित द्विपक्षीय व्यापार समझौतों और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ सेवाओं और निवेश में एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।

- वर्तमान में, भारत यूके, ईयू, ईएफटीए और ओमान के साथ सेवाओं में व्यापार सहित द्विपक्षीय एफटीए वार्ताओं में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। भारत-आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार करार (ईसीटीए) के अंतर्गत सेवा व्यापार में बाजार पहुंच वचनबद्धताओं के आधार पर आस्ट्रेलिया के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर भी वार्ताएं कर रहा है।

- भारत ने श्रीलंका और पेरू के साथ आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की वचनबद्धता के साथ इन देशों के साथ एफटीए वार्ताएं पुन शुरू की हैं। इन वार्ताओं से विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत-श्रीलंका आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते का 12वां दौर 30 अक्टूबर-1 नवंबर 2023 के बीच आयोजित किया गया था। व्यक्तियों के आवागमन सहित सेवा व्यापार और उसमें बकाया मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।
- मुक्त व्यापार करारों के अंतर्गत, भारत के हित के क्षेत्रों जैसे व्यावसायिक सेवाओं, कम्प्यूटर और संबंधित सेवाओं, अन्य व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, पर्यटन और यात्रा संबंधी सेवाओं, दृश्य-श्रव्य सेवाओं और निर्माण एवं संबंधित इंजीनियरी सेवाओं के अंतर्गत गैर-भेदभावपूर्ण, पूर्वानुमेय और उदार व्यवहार करना चाहता है। भारत सेवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी प्रवेश और अपने स्वाभाविक व्यक्तियों के लिए उपस्थिति के लिए गैट्स प्लस प्रतिबद्धताओं का भी अनुसरण करता है। योग प्रशिक्षकों और रसोइयों जैसे पेशेवरों के अस्थायी आवागमन के लिए अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं, अध्ययन के बाद वीजा, कार्य और अवकाश वीजा, आर्थिक आवश्यकता परीक्षण/श्रम बाजार परीक्षणों को हटाने और सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय श्रमिकों के लिए निष्पक्ष कार्य अधिकार आदि अन्य तत्व हैं जिन पर कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, एफटीए के प्रभाव को बढ़ाने तथा सेवा आपूतकर्ताओं को वास्तविक लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत पारस्परिक मान्यता करारों (एमआरए) के माध्यम से विभिन्न धाराओं में अपने व्यावसायिकों की पारस्परिक मान्यता की व्यवस्था करता है।
- भारत द्वारा की जा रही अन्य द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं इस प्रकार हैं
  - व्यापार भागीदारों की संयुक्त समितियों के अंतर्गत गठित संबंधित उप-समूहों में भारत-जापान सीईपीए का कार्यान्वयन और भारत-कोरिया सीईपीए का उन्नयन।
  - भारत-यूएई सीईपीए पर संयुक्त समिति की पहली बैठक जून 2023 में आयोजित की गई थी।
  - भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) तंत्र के सेवा कार्य समूह के अंतर्गत अमरीका के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ता, जिसमें भारत सामाजिक सुरक्षा योग करार (एसएसए) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग चाहता है। (विशेष रूप से लेखांकन, नर्सिंग, वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक सेवाओं को पहचानने के लिए सुव्यवस्थित रास्ते; फिनटेक में सहयोग; टेलीमेडिसिन; और संभावित सहयोग के लिए अन्य उभरते सेवा क्षेत्र।) जनवरी 2023 को मंत्री स्तर की बैठक हुई, जबकि टीपीई के तहत सेवा कार्य समूह की बैठक अप्रैल और अगस्त 2023 में हुई।
  - व्यापार पर कार्य समूह के तहत सेवा मुद्दों में व्यापार पर ताइवान के साथ द्विपक्षीय वार्ता; और व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अंतरसरकारी आयोग के तहत उज्बेकिस्तान के साथ व्यापार वार्ता।
  - जुलाई 2023 में सिंगापुर के साथ एक मंत्री स्तर की बैठक आयोजित की गई, जिसमें, लेखा में एमआरए, नर्सिंग और वास्तुकला सेवाओं जैसे सेवा व्यापार मुद्दे; और पेशेवरों की गतिशीलता पर चर्चा की गई।
  - अगस्त 2023 में भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग (जेटीएससी) की 5वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें अकाउंटेंसी और नर्सिंग में एम आर ए जैसे सेवा क्षेत्र के मुद्दों और ऑडियो-विजुअल, पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा शामिल थी।

ख. बहुआयामी और बहुपक्षीय मंचों पर सेवाओं और ई-कॉमर्स में हितों को जारी रखना

भारत जून, 2022 में सदस्यता द्वारा अपनाई गई 'कोविड-19 महामारी के लिए डब्ल्यूटीओ प्रतिक्रिया और भविष्य की महामारी के लिए तैयारी' पर मंत्रिस्तरीय घोषणा के अनुसरण में विश्व व्यापार संगठन में काम करने के लिए प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी के अनुसरण में, दिनांक 23 फरवरी 2023 के संचार के माध्यम से, भारत ने जनरल काउंसिल और काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

- 'महामारी की प्रतिक्रिया में टेलीमेडिसिन की भूमिका' (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू 366; एस/सी/डब्ल्यू/426, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों से निपटने में टेलीमेडिसिन सेवाओं की सीमा पार आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता पर डब्ल्यूटीओ में बातचीत करना है।
- 'महामारी/प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों के एक पूल का निर्माण' (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू 867; एस/सी/डब्ल्यू/427 जिसका उद्देश्य विश्वमारी/आपदाओं के दौरान सेवाओं की आपुर्ति की निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता को सुकर बनाने के लिए वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य व्यावसायिकों के पूल के निर्माण के लिए बहुपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता पर डब्ल्यूटीओ में वार्ता संचालित करना और गैट्स विषयों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना है।
- एमसी 11 के बाद से, भारत ई-कॉमर्स के मुद्दे पर विश्व व्यापार संगठन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत ने नवंबर 2021 (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू 833) सहित दक्षिण अफ्रीका के साथ कई संयुक्त प्रस्तुतियाँ पेश की थीं, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि विकासशील देशों के लिये ई-कॉमर्स अधिस्थगन पर पुनर्विचार महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से अपने घरेलू उद्योग का पोषण करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के कराधान पर नीतिगत स्थान को संरक्षित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। एम सी12 में, सदस्यता ई-कॉमर्स पर कार्य कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से इसके विकास आयाम के अनुरूप चर्चा को तेज करने पर सहमत हुई। भारत ने 'ई-कॉमर्स में उपभोक्ता संरक्षण' (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू 857) पर प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की हैं; 'ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने में डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डी पी आई) की भूमिका' (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू 863); और 'ई-कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना' (डब्ल्यूटी/जीसी/डब्ल्यू 902), विशेष रूप से विकासशील देशों के दृष्टिकोण से जिसमें वैश्विक ई-कॉमर्स में एकीकृत करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर करना शामिल है।
- भारत ब्रिक्स, जी-20 और एससीओ जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सेवाओं और ई-कॉमर्स में अपने आक्रामक हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रहा है।

13. किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणन योजना

- किम्बरली प्रक्रिया (केपी) उद्योग और नागरिक समाज के पर्यवेक्षकों के साथ भाग लेने वाली सरकारों की एक संयुक्त पहल है जो विवादित हीरे (वैध सरकार के खिलाफ युद्धों को वित्तपोषित करने के लिए विद्रोही आंदोलनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोटे हीरे) के प्रवाह को रोकने के लिए है। किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (केपीसीएस) एक संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य (2000 का यूएनजीए संकल्प 55/56 और यूएनएससी संकल्प 1459 (2003)) अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन योजना है। इसके लिए प्रत्येक प्रतिभागी को किसी न किसी हीरे के उत्पादन और व्यापार पर आंतरिक नियंत्रण लगाने की आवश्यकता होती है। एक गैर-प्रतिभागी के साथ किसी न किसी हीरे में व्यापार की अनुमति नहीं है। अपरिष्कृत हीरे के सभी निर्यातों के साथ एक वैध केपी प्रमाणपत्र होना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि हीरे विवाद मुक्त हैं।
- केपीसीएस में वर्तमान में 59 प्रतिभागी हैं, जो यूरोपीय संघ और उसके सदस्य राज्यों के साथ 85 देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एकल भागीदार के रूप में गिना जाता है। सभी प्रमुख हीरा उत्पादन, व्यापार और पॉलिशिंग केंद्र केपी के सदस्य हैं। नागरिक समाज और उद्योग समूह भी केपी में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। केपी की अध्यक्षता वार्षिक आधार पर बदली जाती है। उपाध्यक्ष का चयन वार्षिक "पूर्ण" बैठक में किया जाता है और अगले वर्ष स्वचालित रूप से अध्यक्ष बन जाता है। केपीसीएस अध्यक्ष केपीसीएस के कार्यान्वयन, कार्य समूहों और समितियों के संचालन और सामान्य प्रशासन की देखरेख करता है। जिम्बाब्वे 2023 के लिए केपी चेयर है और यूएई 2023 वाइस चेयर होने के नाते 2024 में केपी चेयर बन जाएगा।
- भारत केपीसीएस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत वर्ष 2008 और 2019 में किम्बरली प्रक्रिया का अध्यक्ष था।

अध्याय 7

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) और निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू)

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड)

वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) कांडला में स्थापित किया गया था, इसके बाद देश में सात अन्य ईपीजेड की स्थापना की गई थी। तदोपरांत, अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया। इस नीति का उद्देश्य एसईजेड को आर्थिक विकास के लिए एक ऐसे प्रमुख चालक के रूप में बनाना है, जो गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित हो और केंद्र तथा राज्य, दोनों स्तरों पर एक आकर्षक वित्तीय पैकेज के साथ-साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल नियामक ढांचे के साथ पूरक हो। कांडला और सूरत (गुजरात), सांताक्रूज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित पहले से मौजूद सभी 8 ईपीजेड को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) में परिवर्तित किया गया।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 को मई, 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया थाऔर 23 जून, 2005 को इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। एसईज़ेड नियमों द्वारा समर्थित, एसईज़ेड अधिनियम, 2005, 10 फरवरी, 2006 को लागू हुआ।

एसईज़ेड अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं:-

- अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन।
- वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- अवसंरचना सुविधाओं का विकास

एसईज़ेड अधिनियम, 2005 के अनुसार, केंद्र सरकार, किसी एसईज़ेड की स्थापना राज्य सरकार या किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से या अलग-अलग, माल के निर्माण या सेवाएँ प्रदान करने, या दोनों के लिए या एक मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग/माल गोदाम क्षेत्र के रूप में की जा सकती है। ऐसे प्रस्तावों पर, संबंधित राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसा की जाती है, तदोपरांत एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश संचालित पहल होते हैं।

(क) एसईज़ेड का मौजूदा कार्यनिष्पादन

फरवरी, 2006 में एसईजेड नियमों की अधिसूचना के बाद, वाणिज्य विभाग ने 424 एसईजेड की स्थापना के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए हैं, जिनमें से 357 को अधिसूचित किया जा चुका है। एसईजेड में समग्र रूप से 29,84,677 व्यक्तियों को प्रदान किए गए कुल रोजगार में से, 28,49,973 वृद्धिशील रोजगार है, जो फरवरी 2006 के बाद सृजित हुए हैं। यह अवसंरचनात्मक गतिविधियों के लिए विकासकर्ताओं द्वारा सृजित लाखों कार्य-दिवसों के रोजगार के अलावा है। एसईज़ेड से भौतिक निर्यात वर्ष 2021-22 में 9,90,747 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 28% की वृद्धि दर्ज करते हुए 12,63,578 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले अठारह वर्षों (वर्ष 2005-06 से 2022-23) में निर्यात में समग्र तौर पर 5,432% की वृद्धि हुई है। 30 नवंबर, 2023 को एसईजेड से कुल भौतिक निर्यात 8,75,249 करोड़ रुपये का हो गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 7% की वृद्धि को दर्शाता है। 30 सितंबर, 2023 तक एसईजेड में कुल निवेश 6,69,980 करोड़ रुपये है, जिसमें एसईजेड अधिनियम, 2005 के बाद स्थापित किए गए नए अधिसूचित एसईजेड में 6,26,514 करोड़ रुपये शामिल हैं। एसईजेड में स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

वर्ष 2005-06 से प्रचालानात्मक एसईज़ेड से निर्यात निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%) (आईएनआर)
	(मूल्य करोड़ रुपये में)	(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
2005-2006	22,840	5.08	-
2006-2007	34,615	7.69	52
2007-2008	66,638	14.81	93
2008-2009	99,689	21.71	50
2009-2010	2,20,711	46.54	121.40
2010-2011	3,15,868	69.30	43.11
2011-2012	3,64,478	76.01	15.39
2012-2013	4,76,159	87.45	31
2013-2014	4,94,077	81.67	4
2014-2015	4,63,770	75.84	-6.13
2015-2016	4,67,337	71.38	0.77
2016-2017	5,23,637	78.07	12.05
2017-2018	5,81,033	90.15	11
2018-2019	7,01,179	100.28	21

वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%) (आईएनआर)
	(मूल्य करोड़ रुपये में)	(मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	
2019-2020	7,96,669	112.37	13.62
2020-2021	7,59,524	102.32	-4.66
2021-2022	9,90,747	133	30
2022-2023	12,63,578	157.24	28
2023-2024 (up to 30.11.2023)	8,75,249	105.91	7%*

*वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि की निर्यात वृद्धि

वर्तमान में कुल 276 एसईज़ेड निर्यात कर रहे हैं। इनमें से 167 आईटी/आईटीईएस एसईजेड हैं, 25 मल्टी प्रोडक्ट और 84 अन्य क्षेत्र विशेष एसईजेड हैं। एसईज़ेड में अब तक 5,675 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) स्कीम का प्रभाव

एसईज़ेड योजना ने भारत और विदेशों दोनों में निवेशकों के बीच जबरदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न की है, जो देश में निवेश के प्रवाह और अतिरिक्त रोजगार के सृजन से स्पष्ट प्रतीत होता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन और अवसंरचनात्मक विकास के अलावा, एसईजेड ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के क्षेत्र, नई गतिविधियों के उद्भव, खपत पैटर्न में बदलाव और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थानीय क्षेत्र प्रभाव हासिल किया है।

(ग) एसईज़ेड के कुछ महत्वपूर्ण पहलू

(i) एसईज़ेड हेतु भूमि की आवश्यकता

दिनांक 17 दिसंबर 2019 को किए गए एसईज़ेड नियम, 2006 में संशोधन के परिणामस्वरूप, सूचना प्रौद्योगिकी हेतु एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल के अलावा) सेवाओं के अलावा, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र या मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र स्थापित करने के लिए न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता समीपस्थ पचास हेक्टेयर या उससे अधिक का भूमि क्षेत्र है। यदि असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, गोवा या किसी केंद्र शासित राज्यों में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो आवश्यक न्यूनतम भूमि क्षेत्र पच्चीस हेक्टेयर या उससे अधिक है।

सूचना प्रौद्योगिकी या सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं, बायोटेक या स्वास्थ्य (अस्पताल के अलावा) सेवाओं के लिए किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए कोई न्यूनतम भूमि क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। शहरों की श्रेणी के आधार पर न्यूनतम निर्मित प्रसंस्करण क्षेत्र की आवश्यकता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

क्र.खं.	शहरों की श्रेणियाँ	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता
1	श्रेणी 'क'	50,000 वर्ग मीटर
2	श्रेणी 'ख'	25,000 वर्ग मीटर
3	श्रेणी 'ग'	15,000 वर्ग मीटर

(ii) विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की प्रक्रिया

एसईजेड की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के बाद, अनुमोदन बोर्ड भूमि के न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं और एसईजेड अधिनियम और नियमों में निर्धारित अन्य नियमों व शर्तों के अधीन एक विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देता है।राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि एसईज़ेड के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले में, पहली प्राथमिकता बेकार और बंजर भूमि के अधिग्रहण के लिए होनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो एसईज़ेड के लिए एकल फसल कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। यदि दोहरी फसल वाली कृषि भूमि के एक हिस्से को न्यूनतम क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बलपूर्वक अधिग्रहित किया जाना है, विशेष रूप से बहु-उत्पाद एसईजेड के लिए, तो यह एसईजेड के लिए आवश्यक कुल भूमि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार एसईज़ेड के लिए कोई जमीन आवंटित नहीं करती है। एसईज़ेड पर अनुमोदन बोर्ड केवल उन प्रस्तावों पर विचार करता है, जिनकी राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुशंसा की गई है।

इसके अलावा, 5 अप्रैल 2007 को हुई इसकी बैठक में मंत्रियों के उच्चाधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों को 15 जून 2007 को सूचित किया गया है कि अनुमोदन बोर्ड ऐसे किसी भी एसईजेड को मंजूरी नहीं देगा जहां राज्य सरकारों ने 5 अप्रैल 2007 के बाद ऐसे एसईजेड के लिए भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है या प्रस्तावित है।

(iii) एसईज़ेड के तहत भूमि का विवरण

1	7 केंद्रीय सरकार + 12 राज्य/निजी अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र	2,122.35 हेक्टेयर
2	357 अधिसूचित एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र	37,615.91 हेक्टेयर
3	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 35 एसईजेड से संबंधित भूमि क्षेत्र (औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना शेष है)	5,487.33 हेक्टेयर
4	67 औपचारिक रूप से स्वीकृत एसईजेड से संबंधित कुल भूमि क्षेत्र जिसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।	45,225.59 हेक्टेयर
5	सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत 35 एसईजेड से संबंधित भूमि क्षेत्र (औपचारिक अनुमोदन प्राप्त करना शेष है)	21,104 हेक्टेयर
6	भारत के भूमि क्षेत्र के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र का % (328 मि.हे.)	0.012%
7	भारत के कृषि भूमि क्षेत्र के लिए अधिसूचित एसईजेड के क्षेत्र का %(142 मि.हे)	0.025%

(iv) एसईजेड विकासकर्ताओं और इकाइयों को दिए जाने वाले वित्तीय लाभ और शुल्क रियायत

विदेशी निवेश सहित एसईजेड में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से एसईज़ेड इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान की गई हैं:

- एसईज़ेड इकाइयों के विकास, संचालन और रखरखाव हेतु शुल्क मुक्त आयात/माल की घरेलू खरीद ।
- सेज इकाईयों के लिए आईजीएसटी एवं सीजीएसटी की छूट उपलब्ध है।
- आईजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को " शून्य रेटेड आपूर्ति" माना जाता है।
- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्क।
- केंद्र और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए एकल खिड़की (सिंगिल विन्डो) निकासी।

(v) पूर्व में सेज इकाईयों से लाभ

- पहले पाँच वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 10एए के तहत एसईजेड इकाईयों के लिए निर्यात आय पर 100 प्रतिशत आयकर छूट, अगले पाँच वर्षों के लिए 50 प्रतिशत, उसके बाद अगले पाँच वर्षों के लिए पुन: निर्यात लाभ का 50 प्रतिशत । (इकाईयों के लिए सनसेट क्लाज दिनांक 1.4.2021 से प्रभावी हुआ है)
- आयकर अधिनियम की धारा 115जेबी के तहत न्युनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट (दिनांक 1.4.2012 से वापस लिया गया)

(vi) एसईजेड विकासकर्ताओं हेतु उपलब्ध प्रमुख प्रोत्साहनों और सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा अनुमोदित अधिकृत संचालन के लिए एसईजेड के विकास हेतु सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट।
- सेज इकाईयों के लिए आईजीएसटी एवं सीजीएसटी की छूट उपलब्ध है।
- आईजीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को " शून्य रेटेड आपूर्ति" माना जाता है।

(vii) पूर्व में सेज इकाईयों से लाभ

- आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएबी के तहत 15 वर्षों की अवधि में 10 वर्षों के ब्लॉक हेतु एसईजेड के विकास के व्यवसाय से प्राप्त आय पर आयकर छूट। (विकासकर्ताओं हेतु सावधि विधि (सनसेट क्लाउस) दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी हुआ है)

(viii) एसईज़ेड में कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने हेतु हालिया पहल

- निर्देश संख्या 111 दिनांक 29 अगस्त 2022 को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के अंदर ढांचागत विकास/निर्माण गतिविधियों के लिए डेवलपर्स/सह-डेवलपर्स/इकाइयों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं (रेत और मिट्टी) की घरेलू खरीद की अनुमति के लिए जारी किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के संबंध में दिनांक 03.10.2022 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 29ए शामिल किया गया था, जिसमें आयात की प्रक्रियाओं के लिए प्रावधान, भारत में किसी आयातक को आईएफएससी में कोई विमान पट्टे पर देने वाली इकाइयों द्वारा विमान को हटाने, गैर अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एनएसओपी) या अनुसूचित परमिट ऑपरेटर (एसओपी) या किसी अन्य घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) से गैर-अनुसूचित ऑपरेटर परमिट (एनएसओपी) से विमान की खरीद/रिटर्न या आईएफएससी यूनिट द्वारा भारत के बाहर निर्यात की अवधि की समाप्ति पर/आईएफएससी यूनिट द्वारा आपूर्ति की गई थी।
- निर्देश संख्या 112 दिनांक 1 नवंबर 2022 को मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में डिजिटल प्राप्ति और भुगतान कार्यान्वयन के लिए जारी किया गया था।
- दिनांक 08.12.2022 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 के नियम 43ए में एक नियम संशोधन किया गया है ताकि कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को 31.12.2023 तक घर से काम करने की अनुमति दी जा सके।
- दिनांक 23.02.2023 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 21बी डाला गया था, ताकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में एयरक्राफ्ट लीजिंग यूनिट को एयरक्राफ्ट लीजिंग गतिविधि करने के लिए अधिकृत आईएफएससी में स्थापित किसी अन्य इकाई के कार्यालय स्थान या जनशक्ति या दोनों का उपयोग करने की अनुमति दी जा सके।
- नियम 53ए को दिनांक 27.04.2023 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 में प्रतिस्थापित किया गया है, जिसके अनुसार नियम 53 में निहित कुछ भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित किसी ऐसी इकाई पर लागू नहीं होगा जो वित्तीय सेवा प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में एक इकाई द्वारा जहाज के घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) से आयात या निर्यात या खरीद या आपूर्ति की प्रक्रिया की अनुमति देने के लिए 4 जुलाई, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 29बी डाला गया था।
- सॉफ्टेक्स फॉर्म के संबंध में अनुपालन बोझ को कम करने के लिए निर्देश संख्या 113 दिनांक 14 जुलाई 2023 जारी किया गया था।

  दिनांक 07.11.2023 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 के नियम 43ए में एक नियम संशोधन किया गया है ताकि कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को 31.12.2024 तक घर से काम करने की अनुमति दी जा सके।
- 8 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से एसईजेड नियम, 2006 में एक नया नियम 11बी शामिल किया गया था, ताकि डीटीए आईटी/आईटीईएस सेज के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में डीटीए आईटी/आईटीईएस निकायों को संचालन की अनुमति दी जा सके।
- निर्देश संख्या 114 दिनांक 28 दिसंबर 2023 को आईटी/आईटीईएस एसईजेड के गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र में संचालित गैर-एसईजेड आईटी/आईटीईएस इकाइयों के संबंध में शक्तियों के स्पष्टीकरण के लिए जारी किया गया था।

अनुमोदित एसईजेड का राज्यवार वितरण

(दिनांक 31.12.2023 तक)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित केंद्र सरकार के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत दी गई औपचारिक मंजूरी	कुल एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत सहित)	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत दी गई सैद्धांतिक मंजूरी	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल अधिसूचित एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत सहित)	कुल प्रचालनरत एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत सहित)
	(1)	(2)	(3)	(1+2+3)	(4)	(5)	(1+2+5)	(6)
आंध्र प्रदेश	1	0	34	35	4	29	30	25
अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	2	2	0	2	2	2
छत्तीसगढ	0	0	2	2	1	1	1	1
दिल्ली	0	0	2	2	0	0	0	0
गोवा	0	0	7	7	0	3	3	0
गुजरात	1	2	25	28	5	21	24	21
हरयाणा	0	0	25	25	3	22	22	8
झारखंड	0	0	2	2	0	2	2	1
कर्नाटक	0	0	63	63	0	52	52	36
केरल	1	0	26	27	0	22	23	20
मध्य प्रदेश	0	1	12	13	0	7	8	6
महाराष्ट्र	1	0	49	50	12	43	44	38
मणिपुर	0	0	1	1	0	1	1	0
नागालैंड	0	0	2	2	0	2	2	0
ओडिशा	0	0	7	7	0	5	5	5
पुदुचेरी	0	0	1	1	1	0	0	0
पंजाब	0	0	5	5	0	3	3	3
राजस्थान	0	2	5	7	1	4	6	3
सिक्किम	0	0	1	1	0	0	0	0
तमिलनाडु	1	4	57	62	5	54	59	49
तेलंगाना	0	0	63	63	0	57	57	37
त्रिपुरा	0	0	1	1	0	1	1	0
उत्तर प्रदेश	1	1	24	26	1	21	23	14
पश्चिम बंगाल	1	2	7	10	2	5	8	7
कुल योग	7	12	424	443	35	357	376	276

31.12.2023 तक विशेष आर्थिक क्षेत्रों पर तथ्य पत्रक

(समर्पित वेबसाइट: *www.sezindia.nic.in)*

औपचारिक स्वीकृतियों की संख्या *(31.12.2023* तक)	424				
अधिसूचित एसईजेड की संख्या *(31.12.2023* तक)	376 (एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित 7 केंद्र सरकार + 12 राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड सहित)				
सैद्धांतिक स्वीकृतियों की संख्या *(31.12.2023* तक)	35				
कार्यशील एसईजेड *(30th* सितंबर तक)	276				
एसईजेड में स्वीकृत इकाइयाँ *(30th* सितंबर तक)	5,713				
एसईजेड में स्वीकृत इकाइयाँ	एसईजेड अधिनियम, 2005 से पहले अधिसूचित 7 केंद्रीय सरकार. + 12 राज्य सरकार/ निजी एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल अधिसूचित एसईजेड क्षेत्र (1+2)	औपचारिक रूप से स्वीकृत एसईजेड (424-357)	कुल क्षेत्रफल (3+4)
	(1)	*(2)*	*(1)*	*(2)*	*(2)*
(31.12.2023 तक)	2122.35 हेक्टेयर	37615.91 हेक्टेयर	39738.26 हेक्टेयर	5487.33 हेक्टेयर	45225.59 हेक्टेयर
	भूमि राज्य का विषय है. एसईजेड के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार खरीदी जाती है।				

मूल्य करोड़ रुपये में

निवेश	निवेश (फ़रवरी 2006 तक)	वृद्धिशील निवेश	कुल निवेश (30 सितंबर 2023 तक)
			(31.12.2023 तक)
केंद्र सरकार के एसईजेड	2,279.20	28,064.80	30,344
वर्ष 2006 से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी एसईजेड	1,756.31	11,365.69	13,122
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	-	6,26,514	626,514
कुल	**4,035.51**	**6,65,944.49**	**6,69,980**

रोज़गार	रोज़गार *(फरवरी, 2006 तक)*	वृद्धिशील रोजगार	कुल रोजगार *(30 सितंबर 2023 तक)*
केंद्र सरकार के एसईजेड	1,22,236 व्यक्ति	73,748 व्यक्ति	1,95,984 व्यक्ति
वर्ष 2006 से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी एसईजेड	12,468 व्यक्ति	1,06,283 व्यक्ति	1,18,751 व्यक्ति
अधिनियम के तहत अधिसूचित एसईजेड	0 व्यक्ति	26,69,942 व्यक्ति	26,69,942 व्यक्ति
कुल	**1,34,704 व्यक्ति**	**28,49,973 व्यक्ति**	**29,84,677 व्यक्ति**

वर्ष 2021-22 में निर्यात डीटीए बिक्री (समतुल्य निर्यात) डीटीए बिक्री (सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं गिने गए)	**रु. 9,90,747 करोड़ [133 बिलियन अमरीकी डॉलर] (वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 30 प्रतिशत की वृद्धि)** रु. 27,401 करोड़ (कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत) रु. 3,27,642 करोड़ (कुल उत्पादन का 24 प्रतिशत)
वर्ष 2022-23 में निर्यात डीटीए बिक्री (मानित निर्यात) डीटीए बिक्री (सकारात्मक एनएफई के लिए नहीं गिने गए)	**रु. 12,63,578 करोड़ [157.24 बिलियन अमरीकी डॉलर] (वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि)** रु. 28,955 करोड़ (कुल उत्पादन का 2 प्रतिशत) रु. 2,49,761 करोड़ (कुल उत्पादन का 16 प्रतिशत)
वर्ष 2023-24 में निर्यात (30 नवंबर 2023 तक)	**रु. 8,75,249 करोड़ [105.91 बिलियन अमरीकी डॉलर] (वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 7 प्रतिशत की वृद्धि)**

भारत में एसईज़ेड का क्षेत्रवार संवितरण

दिनांक 31.12.2023 के अनुसार कार्यशील एसईज़ेड की संख्या और प्रतिशत (276)

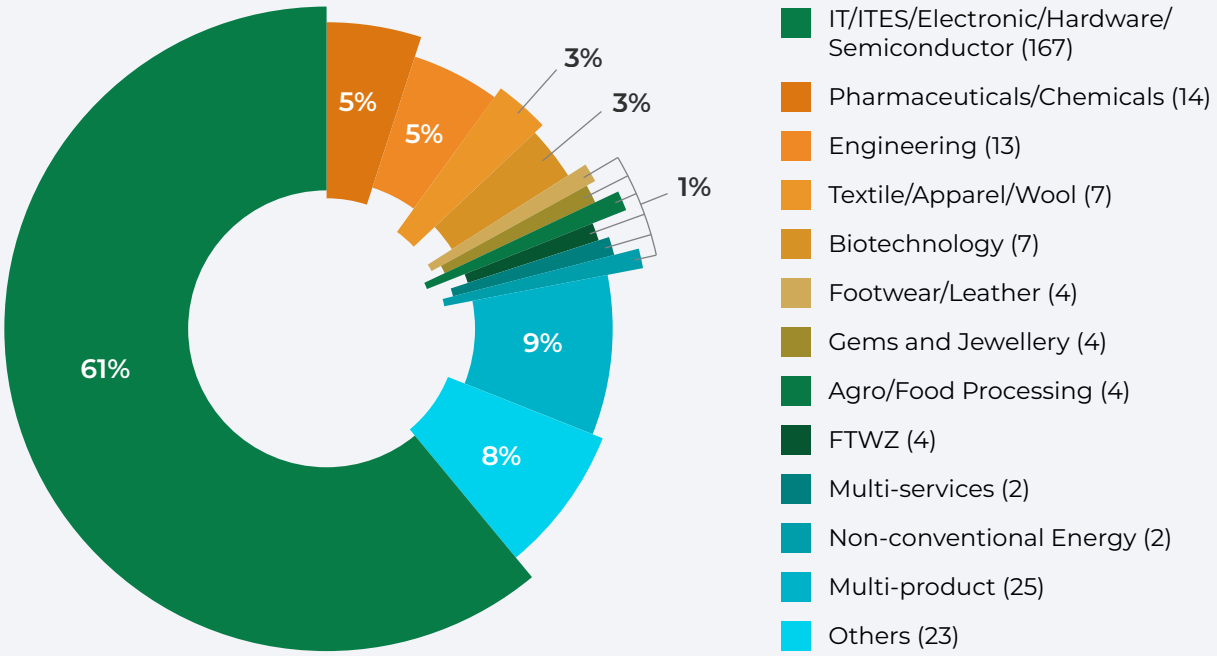

2. निर्यात उन्मुख इकाइयां (ईओयू)

निर्यात उन्मुख इकाइयाँ (ईओयू) स्कीम की शुरुआत वर्ष 1981 मे आरंभ की गयी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाकर निर्यात को बढ़ावा देना था। इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) स्कीम की पूरक योजना के रूप में पेश किया गया था, जिसे साठ के दशक में आरंभ किया गया था। यह एसईजेड (पूर्ववर्ती ईपीजेड) के समान उत्पादन व्यवस्था को अपनाता है, लेकिन स्थानों में यह एक विस्तृत विकल्प प्रदान करता है।

निर्यात-आयात नीति के अनुसार, डीटीए में अनुमेय बिक्री को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन को निर्यात करने वाली इकाइयों को निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) के रूप में संदर्भित किया जाता है। ईओयू विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंधित विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में अर्थात वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं।

ईओयू विदेश व्यापार नीति (एफ़टीपी) के अध्याय 6 और इसकी प्रक्रियाओं के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं, जैसा कि प्रक्रिया पुस्तिका (एचबीपी) में निहित है।

30 सितंबर 2022 को संचालित 1638 ईओयू की तुलना में 30 सितंबर 2023 तक 1560 इकाइयां ईओयू स्कीम के तहत परिचालन में हैं।

कार्यात्मक ईओयू का राज्यवार वितरण (दिनांक 30.09.2023 तक)

क्षेत्र	राज्य	कार्यात्मक ईओयू की संख्या
सीएसईजेड	कर्नाटक	374
	केरल	90
वीएसईजेड	आंध्र प्रदेश	59
	तेलंगाना	122
एमईपीज़	तमिलनाडु	256
	पुदूचेरी	11
एनएसईजेड	चंडीगढ़	2
	दिल्ली	4
	हिमाचल प्रदेश	49
	हिमाचल प्रदेश	3
	जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश	1
	पंजाब	7
	राजस्थान	45
	उत्तर प्रदेश	46
	उत्तराखंड	2
कासेज़	गुजरात	181
सीप्ज़	दादर एवं नगर हवेली	16
	दमन और दीव, गोवा	35
एफएसईजेड	महाराष्ट्र	219
	पश्चिम बंगाल	28
	झारखंड	2
	ओडिशा	1
	मेघालय	1
आईएसइजेड	मध्य प्रदेश	6
कुल		1,560

ईओयू द्वारा निर्यात निष्पादन

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ईओयू निर्यात
2019-20	1,20,172
2020-21	1,25,640
2021-22	1,35,459
2022-23	1,41,603.22
2023-24 (30.09.2023 तक)	50,531.75*

*अनंतिम, क्यों कि कुछ इकाइयों से एपीआर और क्यूपीआर अभी प्राप्त होना बाकी है।

ईओयू मुख्य रूप से कपड़ा और यार्न, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न और आभूषण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, प्लास्टिक, ग्रेनाइट और खनिज/अयस्क में केंद्रित हैं।

अध्याय 8

विशेषीकृत एजेंसियाँ

1. बाग़ान (चाय, कॉफी, रबड़ और मसाले)

बाग़ान क्षेत्र में चाय, कॉफी, रबड़ और मसालों का उत्पादन शामिल है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह बाग़ान उद्योग और उसकी सहायक गतिविधियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष तौर पर नियोजित कई लोगों की आजीविका का मसला है। यह भारी विदेशी मुद्रा कमाने का भी जरिया है। बाग़ान क्षेत्र, भारत के सबसे पुराने संगठित उद्योगों में से एक है और कई राज्यों की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। बाग़ान फसलों का वैशिष्ट्य स्थलांतर किए बगैर, परम्परागत कौशल विकास और सम्पोषणीय ढंग से उसकी विशाल वृद्धि संभावना तथा बेहतर जीवन की व्यापकता में निहित है। ऐतिहासिक तौर पर, भारत में विदेशी मुद्रा का अति अभाव पूरा करने के लिए बाग़ानों को बढ़ावा दिया गया। अत: अपने इस उद्देश्य हेतु इस क्षेत्र को राज्य का पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ। यह इससे जाहिर है कि प्रत्येक फसल के लिए वस्तु बोर्ड स्थापित किए गए और जो इन बोर्ड को बाग़ान विकास हेतु वांछित विभिन्न गतिविधियां चलाने का अधिकार देनेवाले विधान बनाए गए। इसके अलावा, हालांकि कृषि राज्य के अधीन है, फिर भी, निर्यात अर्जन में उसके स्थान को देखते हुए वस्तु बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत रखे गए।

प्रत्येक क्षेत्र के ब्योरों का सार निम्नानुसार हैं:

(क) चाय क्षेत्र

- **चाय उत्पादन:** वर्ष 2022-23 के लिए चाय उत्पादन 1374.97 मिलियन किलोग्राम है, जिसमें उत्तर भारतीय चाय रोपण राज्यों का योगदान 1149.50 मिलियन किलोग्राम (83.60 प्रतिशत) और दक्षिण भारतीय राज्यों का योगदान 225.47 मिलियन किलोग्राम (16.40 प्रतिशत) है। कुल उत्पादन में सीटीसी श्रेणी में 1221.91 मिलियन किग्रा (88.87%) सी.जी.जी., परम्परागत श्रेणी में 133.97 मिलियन किग्रा (9.74%) और ग्रीन टी श्रेणी में 19.09 मिलियन किग्रा (1.41%) शामिल हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान चाय उत्पादन श्रेणीवार नीचे दिया गया है

Category wise Tea Production (Qty in M.Kgs)

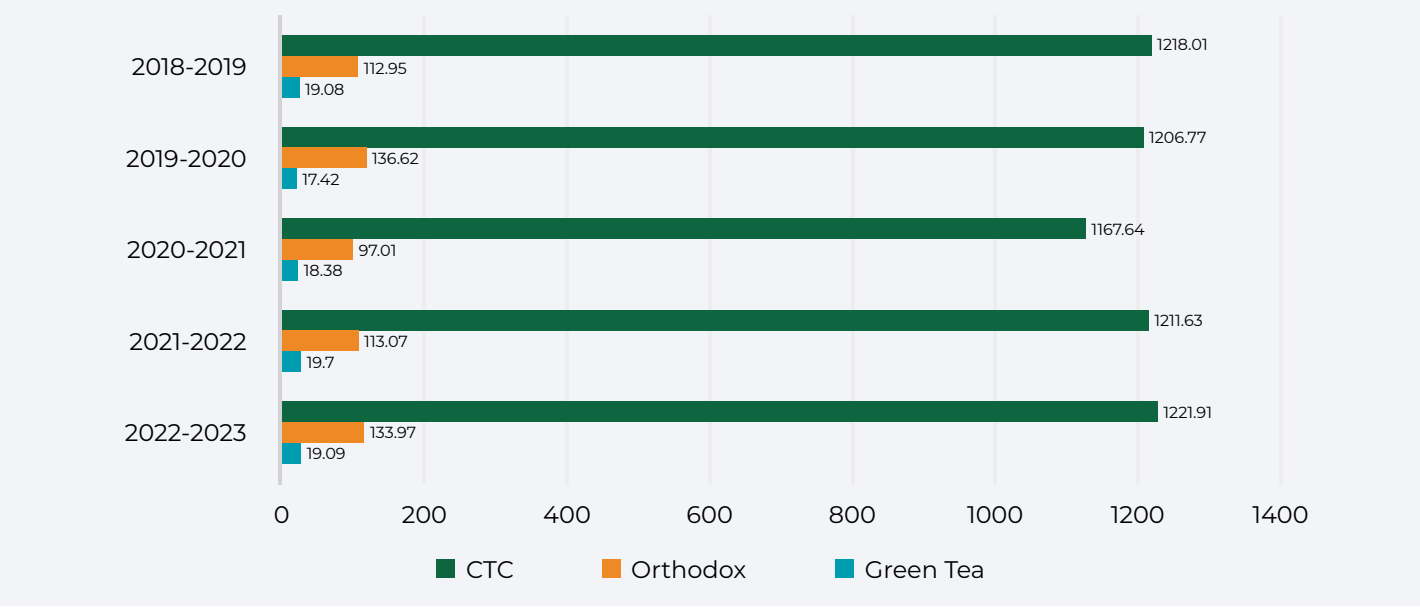

स्रोत: भारतीय चाय बोर्ड

- **उत्पादकता:** वर्ष 2022-23 के दौरान चाय की कुल उत्पादकता 2219 किलोग्राम/हेक्टेयर है। उत्तर भारत की उत्पादकता 2219 किग्रा/हेक्टेयर और दक्षिण भारत की 2218 किग्रा/हेक्टेयर है।
- **चाय का निर्यात:** भारत चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारत दुनिया को चाय की विशाल किस्मों की पेशकश करता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे, दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी, कांगड़ा आदि।वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत ने 6582.14 करोड़ रुपये की मूल्य प्राप्ति के साथ 241.05 मिलियन किलोग्राम की मात्रा का निर्यात किया, जो 817.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। पिछले 10 वर्षों के दौरान चाय का निर्यात नीचे दिया गया है
- **मूल्यवर्धित चाय का निर्यात:** मूल्यवर्धित चाय के निर्यात में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2022-23 के दौरान, मूल्यवर्धित चाय कुल निर्यात मात्रा का 13 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 26 प्रतिशत रही है।
- टी बोर्ड दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक गुवाहाटी, असम में चाय पर खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह (एफएओ-आईजीजी) के 25 वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। खाद्य और कृषि संगठन के तहत चाय पर एफएओ अंतर सरकारी समूह संयुक्त राष्ट्र चाय पर एकमात्र अंतरराष्ट्रीय निकाय है जहां सभी चाय उत्पादक और उपभोक्ता देश दो साल में एक बार भाग लेते हैं और चाय के उत्पादन, उपभोग, व्यापार और कीमतों पर प्रभावशाली चर्चा/विचार-विमर्श करते हैं।

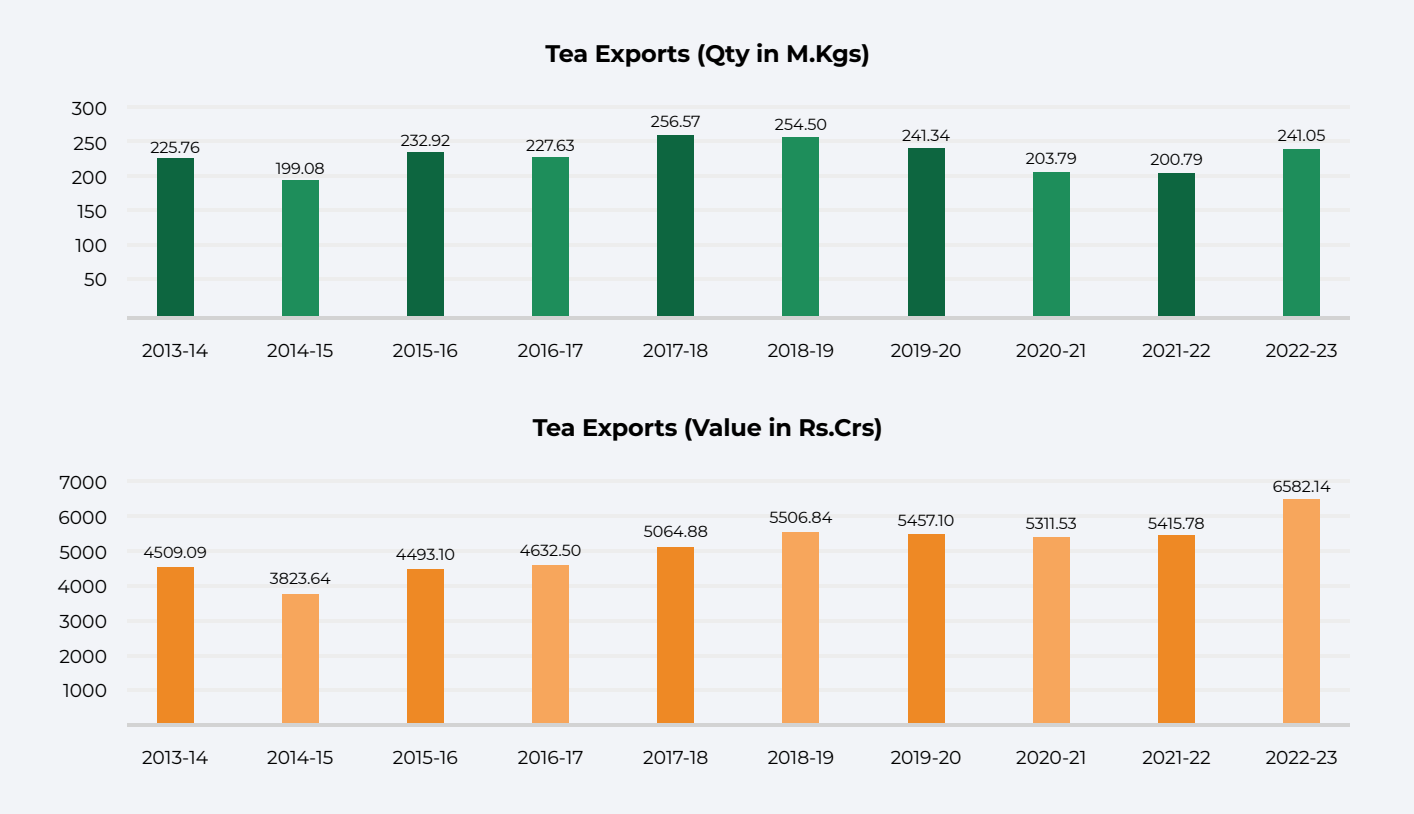

स्रोत: भारतीय चाय बोर्ड

(ख) कॉफी क्षेत्र

- **कॉफी का निर्यात:** भारत ने पिछले वर्ष के दौरान 1.02 बिलियन रुपये 7,656 करोड़ रुपये के बराबर 4,13,942 टन कॉफी की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान, भारत ने 1.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 8,984 करोड़ रुपये के बराबर 3,96,346 टन कॉफी (पुनः निर्यात सहित) का निर्यात किया, का निर्यात किया गया था। मूल्य प्राप्ति के संदर्भ में कॉफी निर्यात ने 2022-23 में 1.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। वर्ष 2023-24 (अप्रैल से दिसंबर) के दौरान, भारत ने 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 7022 करोड़ रुपये के बराबर मूल्य की 2,68,160 टन कॉफी का निर्यात किया।
- **मूल्यवर्धित कॉफी निर्यात का निष्पादन :** मूल्य वर्धित कॉफी के निर्यात में 2013-14 की अवधि के दौरान 85,642 टन के स्तर से महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, कुल कॉफी निर्यात में लगभग 28 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ 2022-23 में 1,40,468 टन हो गई है, जो कुल कॉफी निर्यात में लगभग 35 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। वर्ष 2023-24 (अप्रैल से दिसंबर 2024) की अवधि के दौरान मूल्यवर्धित कॉफ़ी का निर्यात 1,07,191 टन था, जिसकी इसी अवधि के दौरान कुल कॉफ़ी निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी।
- **अनुसंधान उपलब्धियाँ**
  - तीन आशाजनक अरेबिका एफ 1 संकर अर्थात एस.5059, एस.5085, एस.5086 और एस.4202 के पत्तों के नमूने की आपूर्ति की गई थी।
  - विशिष्ट रोबस्टा क्लोनल पौधों की आपूर्ति के लिए प्लान्टर के क्षेत्र में पच्चीस रोबस्टा क्लोनल उद्यान स्थापित किए गए थे।
  - नए कवकनाशी कॉफी पत्ती के रस्ट रोग (क्यूप्रोफिक्स, लूना एक्स-पीरियंस, गैलीलियो वे, ग्लो-इट, बोर्डो टॉप, नैनो कॉपर + लाइम और नैनो कॉपर + कैल्सीकेयर) और काले सड़न और डंठल सड़न रोगों (गैलीलियो वे, गैलीलियो सेन्सा और लूना एक्सपीरियंस, बौनोस और प्रैक्सोर) के प्रबंधन के लिए प्रभावी पाए गए)।
  - 21 जुलाई 2023 को कॉफी बोर्ड और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद के बीच सहयोगी कार्यक्रम " शॅडोग्रोन कॉफी पारिस्थितिकी तंत्र से सीओ 2 प्रवाह का अनुमान" के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- **कॉफी बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए सभी उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं के लिए इंडिया कॉफी ऐप- वन स्टॉप सॉल्यूशन:** कॉफी बोर्ड ने कॉफी क्षेत्र के सभी हितधारकों को अनुसंधान और विकास सेवाओं जैसे बीज कॉफी आपूर्ति, जाल, लालच और जैव नियंत्रण एजेंटों, अनुकूलित सलाह, मृदा नमूना विश्लेषण और मृदा स्वास्थ्य कार्डों के वितरण, डिजिटल कृषि विस्तार सेवाओं, निर्यात सुविधा, गुणवत्ता विश्लेषण आदि का विस्तार करने के लिए 'इंडिया कॉफी ऐप' शुभारंभ किया है। 'इंडिया कॉफी ऐप' वास्तविक समय के आधार पर हितधारकों द्वारा कॉफी बोर्ड के सभी उत्पादों, सूचनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक स्टॉप समाधान है।
- **निर्यात संवर्धन:** कॉफी बोर्ड कई बिचौलियों के बिना प्रत्यक्ष निर्यात के

लिए कॉफी उत्पादकों और नवोदित उद्यमियों के लिए एक मंच बनाने के लिए 'विक्रायम' इनक्यूबेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।

- **5वां विश्व कॉफी सम्मेलन**: कॉफी बोर्ड ने बेंगलुरु में सितंबर 2023 के महीने के दौरान "परिपत्र अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता" विषय के साथ 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो-2023 का आयोजन किया। सम्मेलन में 323 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 2609 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 253 प्रदर्शक थे। इस आयोजन में 18000 से अधिक व्यापारिक आगंतुकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान 347 बी2बी बैठकें आयोजित की गईं। 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन और एक्सपो-2023 के दौरान नेशनल बरिस्ता चैम्पियनशिप, वीमेन स्टार्स ब्रेवर स्किल्स चैंपियनशिप, पहली नेशनल लट्टे आर्ट चैंपियनशिप, पहली नेशनल फिल्टर कॉफी चैंपियनशिप का भी आयोजन किया गया।

India's Coffee Exports during the last 15 years (Tonne)

स्रोत: कॉफ़ी बोर्ड ऑफ़ इंडिया

(ग) प्राकृतिक रबड़ (एनआर) क्षेत्र

- रबड़ की खेती के तहत देश का कुल क्षेत्र 2022-23 के दौरान बढ़कर 8,50,000 हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 8,26,660 हेक्टेयर था। टैप किए गए क्षेत्र की सीमा 2021-22 में 5,26,500 हेक्टेयर से बढ़कर 2022-23 में 5,66,300 हेक्टेयर हो गई और कुल टैप करने योग्य क्षेत्र में टैप किए गए क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 में 73.3 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 76.2 प्रतिशत हो गई थी। टैप किए गए क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में मापी गई औसत उपज पिछले वर्ष के 1,472 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,482 किग्रा/हेक्टेयर हो गई।
- देश ने 2021-22 के दौरान 7,75,000 टन की तुलना में 2022-23 के दौरान 839,000 टन एनआर का उत्पादन किया, जो एक साल पहले दर्ज 8.4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि की तुलना में 8.3 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज कर रहा है।
- अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान प्राकृतिक रबड़ उत्पादन अनंतिम रूप से 526,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उत्पादित 517,000 टन की तुलना में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

एनआर का मासिक उत्पादन (टन)

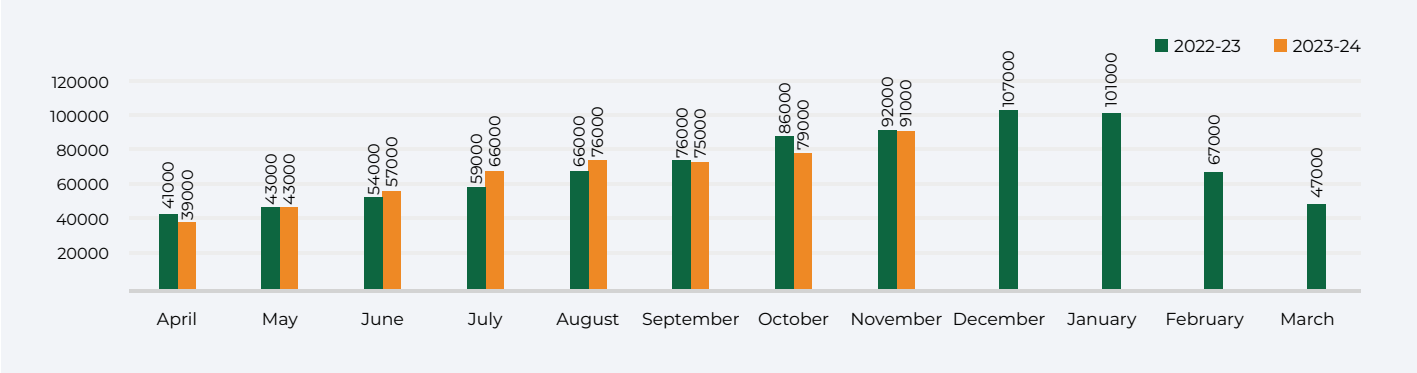

स्रोत: रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया

- वर्ष 2022-23 के दौरान घरेलू एनआर खपत वर्ष 2021-22 के दौरान 12,38,000 टन एनआर खपत से 9.0 प्रतिशत बढ़कर 13,50,000 टन हो गई। ऑटो टायर सेक्टर ने 2022-23 के दौरान 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि 2021-22 के दौरान 15.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। वहीं, सामान्य रबड़ गुड्स सेक्टर में 2021-22 के दौरान दर्ज की गई 5.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2022-23 के दौरान 20.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।
- अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान एनआर की खपत अस्थायी रूप से 9,49,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान खपत 8,98,000 टन की तुलना में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है।

एनआर की मासिक खपत (टन)

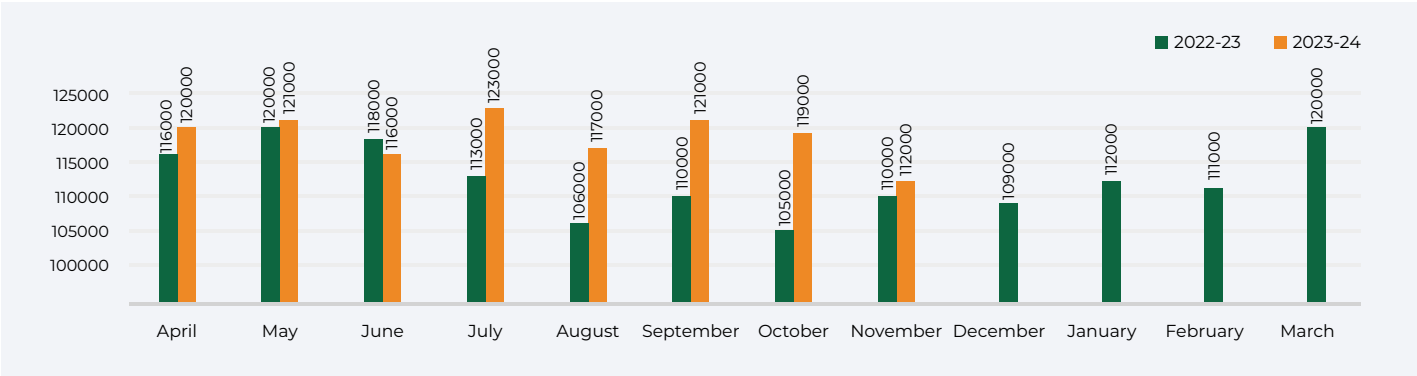

स्रोत: रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया

- वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एवं एस) से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 के दौरान एन आर का आयात 2021-22 के दौरान आयातित 5,46,369 टन से 3.2 प्रतिशत घटकर 5,28,677 टन हो गया।
- प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान 3,30,203 टन एनआर का आयात किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान आयातित 3,78,541 टन एनआर की तुलना में 12.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है।
- देश से एनआर निर्यात की मात्रा 2021-22 में 3,560 टन से बढ़कर 2022-23 में 3,700 टन हो गई। देश ने 2022-23 में 15.3 प्रतिशत रिब्ड स्मोक्ड शीट (आरएसएस), 30.7 प्रतिशत लेटेक्स कंसंट्रेट और 52.4 प्रतिशत तकनीकी रूप से निर्दिष्ट रबड़ (टीएसआर) का निर्यात किया और मुख्य गंतव्य देश श्रीलंका था। वर्ष 2022-23 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का निर्यात 51.6 करोड़ रुपये मूल्य का है।
- भारत ने अप्रैल से नवंबर 2023 के दौरान 34.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,277 टन एनआर का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान निर्यात किए गए 1,690 टन की तुलना में।
- रबड़ बोर्ड ने 18 अप्रैल 2023 को कोट्टायम में एक सार्वजनिक समारोह में रबड़ अधिनियम की प्लेटिनम जुबली मनाई। मुख्य अतिथि के रूप में श्री पीयूष गोयल, माननीय सीआईएम ने एक वीडियो रिकार्डेड भाषण दिया। केरल और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने वीडियो संदेश के माध्यम से बात की। समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ा गया। इस आयोजन के भाग के रूप में, जनता के लिए तीन दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसमें एनआर क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओं/उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान रबड़ अधिनियम के 75 वर्षों को दर्शाने वाले एक स्मारक का भी अनावरण किया गया।

- रबड़ बोर्ड ने 2023 के दौरान 43,478.82 हेक्टेयर में रबड़ रोपण हासिल किया, जिससे 50,000 से अधिक छोटे और सीमांत उत्पादकों को लाभ हुआ जो ज्यादातर पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित हैं। यह एक वर्ष में रबड़ की खेती के तहत लाए गए क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसका मुख्य कारण ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) के तत्वावधान में प्रमुख टायर कंपनियों द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता और रबड़ बोर्ड से तकनीकी सहायता के साथ पांच वर्षों में पूर्वोत्तर में 200,000 हेक्टेयर विकसित करने के लिए सहयोगी परियोजना के तहत किया गया है। परिपक्वता प्राप्त करने पर, रबड़ बागान लाभार्थियों के लिए आर्थिक समृद्धि लाएगा क्योंकि यह 30 वर्षों से अधिक की लंबी अवधि की फसल है और रबड़ उत्पादन में वृद्धि होगी जो इस महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करेगी।
- रबड़ बोर्ड ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, बैंगलोर के साथ अपनी शर्तों के अनुसार गतिविधियां आरंभ कीं : रबड़ और प्रमुख रबड़ उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर वनों की कटाई-मुक्त वस्तुओं से संबंधित ईयू-यूएसए नियमों के प्रभाव का अध्ययन करना ।
  - इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी), रायपुर, छत्तीसगढ़: बस्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती की व्यवहार्यता अध्ययन आरंभ करना। पेड़ों के निष्पादन की निगरानी विश्वविद्यालय और आरआरआईआई द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। रबड़ बोर्ड गैर-पारंपरिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में प्राकृतिक रबड़ के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास में है।
  - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) देहरादून: अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण में सहयोग करना ।
  - आईसीएआर-केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान (सीटीसीआरआई), तिरुवनंतपुरम: उपज पूर्वानुमान, फसल मॉडलिंग, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित जैव कीटनाशकों के विकास और आपसी हित के अन्य अनुसंधान क्षेत्रों जैसे अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों में पार्टियों के सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना।
  - सीएसआईआर-राष्ट्रीय अंत:विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईएसटी), तिरूवनंतपुरम अनुसंधान और विकासात्मक कार्यकलापों में पक्षकारों के सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना जैसे कार्यात्मक रबड़ भराव, जैव-आधारित कार्बन नैनो सामग्री, ग्राफीन ऑक्साइड आदि का उपयोग करके जेडएनओ के लिए स्थानापन्न, एनआर लेटेक्स के लिए अमोनिया मुक्त संरक्षण प्रणाली और लेटेक्स का अमोनीकरण, पेट्रोरसायन आधारित एंटीऑक्सीडेंट के लिए विकल्प, रबड़ उत्पादों में उपयोग किया जाता है, रबड़ बागानों के लिए कॉयर-आधारित रूट ट्रेनर।
  - सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी): रबड़ बोर्ड के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रबड़ ट्रेनिंग (एनआईआरटी) के माध्यम से कौशल विकास सहित पॉलिमर प्रौद्योगिकी में दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के लिए सहयोग करना। दोनों संगठन छात्रों और संबंधित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए प्लास्टिक और रबड़ प्रौद्योगिकियों में आगे बढ़ने के लिए विशेषज्ञता और अवसंरचना का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।
- **सहयोगात्मक इनरोड परियोजना :** इनरोड परियोजना के तहत, प्रमुख टायर कंपनियों के 1000 करोड़ रुपये के योगदान के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 200,000 हेक्टेयर को रबड़ की खेती के तहत लाने की परिकल्पना की गई है। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) द्वारा प्रस्तुत, 68131.49 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण कार्य पूरा हो चुका है।
- **सहयोगात्मक एनईसी परियोजना :** इनरोड रोपण के अभिसरण के लिए उत्तर पूर्वी परिषद से 6.54 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी उत्तर पूर्वी राज्यों में रबड़ वृक्षारोपण विकास गतिविधियों के साथ अभिसरण को बढ़ावा देने की पहल में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एक बार निधि आवंटन पूरा हो जाने के बाद, नियोजित गतिविधियाँ आरंभ की जा सकती हैं जो क्षेत्र में रबड़ बागानों के विकास में और सहायता करेंगी ।
- **रूबेक्स्ट ऐप :** रबड़ बोर्ड ने रबड़ उत्पादक नर्सरी और रोपण स्थलों की भू-स्थानिक मानचित्रण के लिए एक ऐप ' रूबेक्स्ट ' विकसित किया है।
- केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय के सहयोग से भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने पारंपरिक क्षेत्र के लिए रबड़ की खेती के संपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक मोबाइल ऐप (सीआरआईएसपी- व्यापक रबड़ सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म) विकसित किया है, जिसे डॉ. जेडपी पटेल, माननीय कुलपति, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, गुजरात द्वारा 23 मार्च 2023 को शुभारंभ किया गया था।
- भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (आरआरआईआई) ने आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली के लिए त्रिची असॉल्ट राइफल के लिए बट प्लेट विकसित की और उस का तकनीकी हस्तांतरण किया गया।
- इंडो-फ्रेंच सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एडवांस्ड रिसर्च (सीईएफआईपीआरए) से तीन साल (2023-2026) की अवधि के लिए वित्त पोषण के लिए 1.62 करोड़ रुपये की एक शोध परियोजना को मंजूरी दी गई। परियोजना का शीर्षक है "रबड़ में कोरिनेस्पोरा लीफ फॉल रोग के विकास को समझने और आणविक प्रजनन के लिए उम्मीदवार जीन की पहचान करने के लिए एक बहु-ओमिक्स एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से जटिल पौधे-रोगज़नक़ इंटरैक्शन नेटवर्क को विच्छेदित करना"।
- **रबड़ के लिए ई-ट्रेड प्लेटफॉर्म 'एमरूब':** रबड़ बोर्ड ने जुलाई 2022 में प्राकृतिक रबड़ के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेटफॉर्म 'एमरुब' का शुभारंभ किया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अधिक बाजार दृश्यता के साथ एनआर की मौजूदा व्यापार प्रणाली का पूरक है और एनआर की घरेलू आपूर्ति श्रृंखला की प्रभावकारिता को मजबूत करता है। दिसंबर 2023 तक प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1,775 पंजीकरण और 253 करोड़ रुपये मूल्य के 19,114 टन एनआर का कारोबार किया गया।

- भारत ने गुवाहाटी, असम में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2023 तक जी 20 अध्यक्षता के दौरान एक साइड इवेंट के रूप में एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज (एएनआरपीसी) 2023 की वार्षिक बैठकों की मेजबानी की। 13वां वार्षिक रबड़ सम्मेलन दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को "प्राकृतिक रबड़ उद्योग" विषय के तहत आयोजित किया गया। "21 वीं सदी में चुनौतियां और नीति विकल्प" में 8 देशों के 29 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 222 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दिनांक 10 अक्टूबर को आयोजित 45वीं एएनआरपीसी विधानसभा और छठी एएनआरपीसी सार्वजनिक-निजी बैठक के खुले सत्र में लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत को एएनआरपीसी का नया अध्यक्ष चुना गया है और श्री के.आर.पी. रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एम वसंथागेसन ने मलेशिया से कार्यभार संभाला।

(घ) मसाला क्षेत्र

- भारत दुनिया में मसालों का एक प्रमुख उत्पादक, निर्यातक और उपभोक्ता है और 180 से अधिक देशों को मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात करता है।
- 2022-23 के दौरान, भारत ने 31,761.38 करोड़ रुपये (3,952.60 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 14,04,356.95 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया।
- वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एवं एस)/एमओसी के अनुसार, अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात का त्वरित अनुमान 21029.99 करोड़ रुपये (2545.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जबकि अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान यह 19,537.85 करोड़ रुपये (2463.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जिसमें रुपये के संदर्भ में 7.64 प्रतिशत और डॉलर मूल्य के संदर्भ में 3.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- 2022-23 के दौरान, भारतीय मसालों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन (20 प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमेरिका (14 प्रतिशत), बांग्लादेश (7 प्रतिशत), संयुक्त अरब अमीरात (6 प्रतिशत), थाईलैंड (5 प्रतिशत), इंडोनेशिया (4 प्रतिशत), मलेशिया (4 प्रतिशत), ब्रिटेन (3 प्रतिशत), श्रीलंका (3 प्रतिशत), जर्मनी (2 प्रतिशत), नीदरलैंड (2 प्रतिशत), नेपाल (2 प्रतिशत), और सऊदी अरब (2 प्रतिशत) थे, जो मसालों की कुल निर्यात आय में 70 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।

छोटी एवं बड़ी इलायची (एमटी) का उत्पादन

वस्तु	2021-22	2022-23	प्रतिशत परिवर्तन
छोटी इलाइची	23340	24463	(+) 4.81
बडी इलायची	8812	9074	(+) 2.97

स्रोत: मसाला बोर्ड का अनुमान

- वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में इलायची (छोटी) के उत्पादन का अंतिम अनुमान 24463 मीट्रिक टन है, जिसकी औसत उत्पादकता 513.68 किग्रा/हेक्टेयर है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 4.81 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इलायची (बड़ी) के उत्पादन का अंतिम अनुमान 9074 मीट्रिक टन है, जिसकी औसत उत्पादकता 285.76 किग्रा/हेक्टेयर है और पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में 2.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- 14 वीं विश्व मसाला कांग्रेस (डब्ल्यूएससी) का आयोजन विभिन्न व्यापार और निर्यात मंचों के समर्थन से मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से 15 से 17 सितंबर 2023 तक सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में किया गया था। डब्ल्यूएससी के 14 वें संस्करण का विषय था - विज़न 2030: मसाले- स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। डब्ल्यूएससी ने बाजार संबंधों को बनाने और सुदृढ़ करने के लिए लगभग 750 घरेलू और 81 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 136 प्रदर्शकों के लिए एक विशेष बी2बी मंच प्रदान करने के अलावा, भारतीय मसाला क्षेत्र की क्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान, भारत सरकार के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किए। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए पुरस्कार श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ।
- प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक उन्नयन और मूल्यांकन के माध्यम से भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई) द्वारा विकसित एक बेहतर गुणवत्ता वाला इलायची क्लोन (एमसीसी 594) आईसीएआर- एनबीपीजीआर, नई दिल्ली के साथ पंजीकृत किया गया है।

2. तंबाकू बोर्ड

तंबाकू भारत में उगाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। उत्पादन को विनियमित करने, विदेशी विपणन को बढ़ावा देने और आपूर्ति और मांग में बार-बार होने वाली असंतुलन की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए, तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड का गठन किया गया।

तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और इसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष इसके प्रमुख होते है। तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 का उद्देश्य देश में तंबाकू उद्योग का नियोजित विकास करना है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम में उल्लिखित बोर्ड की विभिन्न गतिविधियाँ हैं:

- भारत और विदेशों में मांग के संबंध में वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादन और उपचार को विनियमित करना।
- वर्जीनिया तंबाकू के उत्पादकों, डीलरों और निर्यातकों (पैकर्स सहित) और तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं और अन्य संबंधित लोगों के लिए उपयोगी जानकारी का प्रचार-प्रसार करना।
- उत्पादकों के स्तर पर तंबाकू ग्रेडिंग को बढ़ावा देना।
- पंजीकृत उत्पादकों द्वारा वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्लेटफार्मों की स्थापना और नीलामी प्लेटफार्मों पर नीलामीकर्ता के रूप में कार्य करना।
- मौजूदा बाज़ारों का रखरखाव और सुधार तथा भारत के बाहर नए बाज़ारों का विकास।
- भारत और विदेश दोनों में वर्जीनिया तंबाकू बाजार की निरंतर नजर रखना/निगरानी करना और उत्पादकों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
- भारत सरकार की पूर्व अनुमति से उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक या समीचीन समझे जाने पर उत्पादकों से वर्जीनिया तंबाकू खरीदना।

(i) एफसीवी तंबाकू के उत्पादन को विनियमित करना

तंबाकू बोर्ड अधिनियम की धारा 8 (2) (ए) के अनुसार, भारत और विदेशों में तंबाकू की मांग को ध्यान में रखते हुए तंबाकू बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक एफसीवी तंबाकू के उत्पादन और संसाधन का विनियमन है। यह उद्देश्य हर साल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए फसल स्कीम और एफसीवी तंबाकू के फसल के आकार को अलग-अलग तय करके और वाणिज्यिक माली, तंबाकू उत्पादकों और खलिहान संचालकों को पंजीकृत करके प्राप्त किया जा रहा है।

(ii) भारत में एफसीवी तंबाकू उत्पादन

पिछले दस वर्षों में एफसीवी तंबाकू उत्पादन में साल-दर-साल उतार-चढ़ाव होता रहा है। ये उतार-चढ़ाव उपज के साथ-साथ आपूर्ति की कीमत परिवर्तनीयता के संदर्भ में बाजार की गतिशीलता पर मौसम के प्रभाव को दर्शाते हैं। एफसीवी तंबाकू उत्पादन ने 2013-14 से 2022-23 की अवधि के दौरान (-)2.67 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है।

2022-23 में एफसीवी तंबाकू का उत्पादन 241.00 मिलियन किलोग्राम था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 242.00 मिलियन किलोग्राम का उत्पादन हुआ था। आंध्र प्रदेश में एफसीवी तंबाकू का उत्पादन 181.02 एमकेजी और कर्नाटक में 59.98 एमकेजी था I 2022-23 के फसल सीजन के दौरान लगभग 1,46,538 हेक्टेयर में एफसीवी तंबाकू की खेती की गई थी।

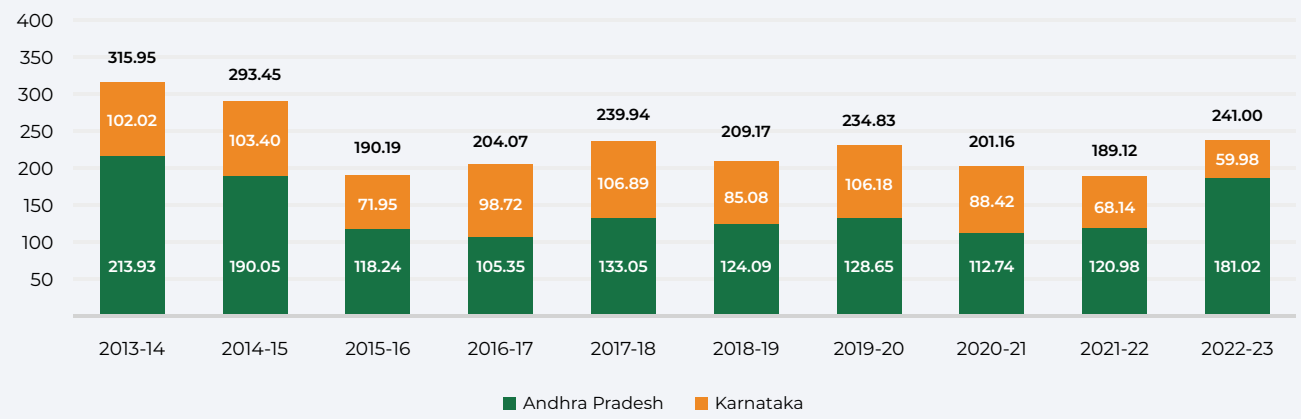

(iii) 2023-24 फसल सीजन के लिए एफसीवी फसल उत्पादन नीति

2022-23 फसल सीज़न की तुलना में 2023-24 फसल सीज़न के दौरान निर्धारित राज्यवार फसल का आकार इस प्रकार है:

(फसल का आकार एम किग्रा.में)

फसल का मौसम	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	कुल
2023-24	142.00	100.00	242.00
2022-23	142.00	100.00	242.00

(iv) विस्तार एवं विकास गतिविधियाँ

तंबाकू बोर्ड भारतीय एफसीवी तंबाकू को अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न विस्तार और विकास स्कीमओं को लागू करता है। तंबाकू बोर्ड अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत पंजीकृत एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को नए और बेहतर पैकेज अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। तंबाकू बोर्ड आईसीएआर-केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान (सीटीआरआई), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम) और तंबाकू कंपनियां के अनुसंधान और विकास विंग के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित फील्ड स्टाफ के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करके उत्पादकों को सहायता और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करता है।

- 2023-24 फसल सीजन के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को आईसीएआर-सीटीआरआई, राजमुंदरी और आईटीसी अनुसंधान प्रभाग के माध्यम से बोर्ड द्वारा कुल 14,134.50 किलोग्राम अनुमोदित किस्मों के बीज की आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी।
- कर्नाटक में 2023-24 फसल मौसम के दौरान किसानों की समिति के माध्यम से उर्वरकों की खरीद और वितरण के लिए एक वैकल्पिक प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू की गई है जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था। उत्पादकों को 21,335.325 मीट्रिक टन उर्वरक वितरित किया गया।
- कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए उत्पादकों को 62,735 किलोग्राम हरी खाद की आपूर्ति की गई, जिससे उत्पादकों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और फसल की गुणवत्ता में सुधार करने में सुविधा होगी। तंबाकू बोर्ड रुपये की सब्सिडी बढ़ा रहा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के उत्पादकों को 200/- प्रति खलिहान, जिन्हें इस मिट्टी की उर्वरता पहल को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड के माध्यम से हरी खाद के बीज की आपूर्ति की गई थी।
- येरुवाका पौर्णमी के उत्सव के दौरान 88 उत्पादकों को नवधन्यालु (मिश्रित दालें, तिलहन, बीज, सब्जी के बीज और अनाज) की आपूर्ति की गई और 0.88 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।
- तंबाकू बोर्ड ने कर्नाटक में पंजीकृत एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को सब्सिडी पर 11.43 लाख नर्सरी ट्रे की आपूर्ति का आयोजन किया है, जिसमें 5,516 पंजीकृत उत्पादकों को शामिल करने वाली सब्सिडी के लिए 47.94 लाख रुपये की राशि दी गई है।
- बोर्ड ने कीटों की आबादी की निगरानी करने और फसल सुरक्षा एजेंटों के उपयोग को कम करने के लिए 102 पंजीकृत एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को 810 फेरोमोन ट्रैप हेतु 0.15 लाख रुपये की सब्सिडी और 802 पीले चिपचिपे जाल के लिए 113 पंजीकृत एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को 0.06 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की।
- बोर्ड ने कर्नाटक क्षेत्र के उत्पादकों को 120 लीटर केआरबी जैव-उर्वरक (पोटेशियम रिलीजिंग बैक्टीरिया) की आपूर्ति की है और 0.24 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी। एसओपी उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए यह पहल की गई थी जो एफसीवी तंबाकू में पत्ती की गुणवत्ता को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख उपाय है।
- बोर्ड ने कर्नाटक राज्य बीज निगम लिमिटेड (केएसएससी लिमिटेड), बेंगलुरु से 500 किलोग्राम बाजरा (48 रुपये प्रति किलो के दर से) और 564 किलोग्राम ज्वार (53 रुपये पीयर किलो के दर से) बीज खरीदे हैं और एफसीवी तंबाकू क्षेत्रों के फील्ड बंड पर सीमा फसल के रूप में रोपण के लिए 0.53 लाख रुपये की सब्सिडी राशि देकर कर्नाटक में एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को आपूर्ति की गई थी जो आईपीएम उपायों के तहत चूसने वाले कीटों के हमले के लिए एक निवारक उपाय के रूप में काम कर सकता है
- जैविक नियंत्रण उपाय के रूप में एफसीवी तंबाकू में मृदा जनित रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए, तंबाकू बोर्ड ने एनआईपीएचएम, हैदराबाद से खरीद करके कर्नाटक में पंजीकृत उत्पादकों को 372 लीटर जैव कीटनाशकों (ट्राइकोडर्मा हरजियानम और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस) की आपूर्ति की है और 0.84 लाख रुपये की राशि का व्यय उठाया।
- बोर्ड ने सीटीआरआई रिसर्च स्टेशन, हुनसूर से रु. 0.75/- प्रति पौधा की दर से 2,32,500 नग गेंदे की 1.74 लाख रुपये की पौध की खरीद की और आईपीएम प्रक्रियाओं के एक उपाय के रूप में एफसीवी तंबाकू फसल में जाल फसल के रूप में उगाने के लिए कर्नाटक के उत्पादकों को आपूर्ति की गई।
- उत्पादकों द्वारा उत्पादित एफसीवी तंबाकू की गुणवत्ता की निगरानी के एक भाग के रूप में सीटीआरआई, राजमुंदरी, एनआईपीएचएम, हैदराबाद और एरुओफिन्स प्रयोगशाला, बेंगलुरु में रासायनिक और कीटनाशक अवशेषों के लिए कुल 387 पत्तियों के नमूनों का परीक्षण किया गया और 19.77 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।
- सूचना के अंतरण के तहत एफसीवी तंबाकू उत्पादकों को हरी खाद फसल, ओरोबैंच परजीवी के प्रबंधन और गैर-तंबाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) से मुक्त स्वच्छ तंबाकू के उत्पादन के लाभों वाले 17,000 पैम्फलेट मुद्रित और वितरित किए गए हैं और आईईसी सामग्री के इस मुद्रण के लिए 0.87 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।
- 16 उत्पादकों को 0.80 लाख रुपये की राशि के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान किया गया है, जिन्होंने प्राकृतिक खेती के तरीकों, किस्मों के परीक्षणों और जैव उर्वरकों (केआरबी) के उपयोग को अपनाकर ऑन फार्म ट्रायल योजना के तहत अपने तंबाकू की खेती की है।
- "कर्नाटक क्षेत्र में एफसीवी तंबाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पोषक तत्वों के अनुपूरक, नेमाटोड/रोग नियंत्रण के लिए जैव-संघ का मूल्यांकन" नामक परियोजना के लिए वित्तीय सहायता के रूप में आईसीएआर-सीटीआरआई को 4.56 लाख रुपये (80 प्रतिशत) की राशि जारी की गई थी।
- तंबाकू बोर्ड द्वारा शारीरिक श्रम को कम करने के लिए तंबाकू के इलाज के लिए विकसित लीफ होल्डिंग क्लिप्ड स्पाइक रॉड के निर्माण पर 1.80 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी और यह परियोजना सीटीआरआई को स्पाइक रॉड की प्रभावकारिता, पत्ती की गुणवत्ता और तंबाकू इलाज प्रक्रिया में श्रम घटक में कमी का परीक्षण करने के लिए आगे के मूल्यांकन के लिए प्रदान की गई थी।
- कर्नाटक में एफसीवी तंबाकू उत्पादकों के लिए 0.99 लाख रुपये के व्यय को पूरा करके अच्छी कृषि पद्धतियों पर दो कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

- कर्नाटक के सभी नीलामी प्लेटफार्मों में सीटीआरआई वैज्ञानिकों, व्यापार अनुसंधान कर्मियों की सहायता से नर्सरी प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन प्रथाओं से संबंधित 40 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 1.37 लाख रुपये का व्यय हुआ।
- तंबाकू बोर्ड ने उत्पादकों और फिएल्ड स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और एनआईपीएचएम के वैज्ञानिकों और कर्मियों से अनुसंधान कर्मियों द्वारा दिया गया है और 2.32 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।
- आईसीएआर-सीटीआरआई, राजामुंदरी में तंबाकू बोर्ड द्वारा "मृदा उर्वरता और स्वास्थ्य, मृदा उर्वरता स्थिति के संबंध में उर्वरक सिफारिश" पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित करके 0.21 लाख रुपये की राशि खर्च की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश के सभी मिट्टी क्षेत्रों के उत्पादकों और सीटीआरआई वैज्ञानिकों ने विचार-विमर्श में भाग लिया।

(v) तंबाकू की नीलामी

एफसीवी तंबाकू की बिक्री के लिए नीलामी प्रणाली पहली बार 1984 में कर्नाटक में और उसके बाद 1985 में आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी।

(vi) वर्ष 2022-23 के दौरान हुई प्रगति

- वर्ष 2023-24 के दौरान, आंध्र प्रदेश में 01.04.2022 से 30.08.2023 तक (नीलामी बिक्री 24 फरवरी 2023 को आरंभ हुई और 30 अगस्त 2023 को संपन्न हुई) 229.40 रुपये प्रति किलोग्राम के औसत मूल्य पर 2022-23 की कुल 160.73 मिलियन किलोग्राम (मिलियन किलोग्राम) आंध्र प्रदेश एफसीवी तंबाकू फसल बेची गई ।
- वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्नाटक में, 25 सितंबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक (नीलामी बिक्री 25 सितंबर 2023 को आरंभ हुई और प्रगति पर है) 236.69 रुपये प्रति किलोग्राम के औसत मूल्य पर 2023-24 कर्नाटक एफसीवी तंबाकू फसल की कुल 10.67 मिलियन किलोग्राम तंबाकू की मात्रा बेची गई ।

(vii) उत्पादक कल्याण निधि पहल

तंबाकू बोर्ड वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन से वर्ष 2009-10 में "तंबाकू बोर्ड के उपजकर्ताओं की कल्याण योजनाओं" की स्थापना करके आन्ध्र प्रदेश, कर्णाटक, तेलंगाना और ओडिशा राज्यों में लगभग 78,000 तंबाकू उपजकर्ताओं और उनके परिवारों का समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय कर रहा है।

कल्याण स्कीम में मृतक उपजकर्ताओं को प्राकृतिक और दुर्घटनात्मक मृत्यु तथा बेटी का विवाह करने, बाल शिक्षा ऋण, बड़ी बीमारी जिसका शल्य चिकित्सा करना अपेक्षित होता है और प्राकृतिक आपदाओं/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त खत्तों की मरम्मत के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना की शुरुआत से 31 मार्च 2023 तक, तंबाकू बोर्ड ने अनुदान और ऋण (15,608 सदस्यों को 63.02 करोड़ रुपये का अनुदान और 4,866 उत्पादकों को 13.39 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण)के रूप में अब तक 20,474 सदस्यों को 76.42 करोड़ रुपये की वित्तीय राहत प्रदान की है ।

वर्ष 2023-24 के दौरान (27 अक्टूबर 2023 तक), 744 उत्पादक सदस्यों को 3.80 करोड़ रुपये की राशि (अनुदान 3.33 करोड़ रुपये और ऋण 0.47 करोड़ रुपये) जारी की गई।

(viii) व्यापारियों का पंजीकरण

तंबाकू बोर्ड तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11-क, 11-ख (i) और 12 के अनुसार कैलेण्डर वर्ष के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के व्यापारियों को पंजीकरण प्रदान करता है। तंबाकू बोर्ड विभिन्न श्रेणियों अर्थात् वर्जीनिया तंबाकू के प्रसंस्करणकर्ता, वर्जीनिया तंबाकू विनिर्माता, तंबाकू निर्यातक, तंबाकू उत्पादों के निर्यातक, तंबाकू के विक्रेता, तंबाकू के विक्रेता, तंबाकू के पैकर और वर्जीनिया तंबाकू के वाणिज्यिक ग्रेडर के अंतर्गत पंजीकरण/नवीकरण प्रदान करता है।

डिजिटल इंडिया पर भारत सरकार की पहल के अनुरूप, तंबाकू बोर्ड ने तंबाकू व्यापार को एक पारदर्शी और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करने के लिए व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण/पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदनों की ई-फाइलिंग के लिए ऑनलाइन प्रणाली आरंभ की थी। पोर्टल www.tobaccoboard.in के माध्यम से सभी श्रेणी के व्यापारियों द्वारा पंजीकरण/पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदनों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। 30 अक्टूबर 2023 तक, पंजीकरण वर्ष 2023 के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत कुल 1,202 व्यापारियों को पंजीकरण प्रदान किया गया/नवीनीकृत किया गया।

(ix) वर्ष 2022-23 के दौरान निर्यात निष्पादन

अनिर्मित तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के भारतीय निर्यात ने वर्ष 2022-23 के दौरान 9,739.75 करोड़ रुपये और 1,213.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया है।

वर्ष 2022-23 के दौरान तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का निर्यात 2,91,181.74 मीट्रिक टन (मिलियन टन) था, जिसका मूल्य 9,739.75 करोड़ रुपये (1,213.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जबकि निर्यात 2,24,955.06 मीट्रिक टन था, जिसका मूल्य 1,213.37 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2021-22 के दौरान 6,880.21 करोड़ रुपये (923.40 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निर्यात किया गया। वर्ष 2022-23 के दौरान, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के निर्यात ने वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए निर्यात की तुलना में मात्रा, रुपये में मूल्य और अमेरिकी डॉलर में मूल्य के संदर्भ में क्रमशः 29 प्रतिशत, 42 प्रतिशत और 31 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। (स्रोत: डीजीसीआईएवंएस, कोलकाता)

(x) वर्ष 2023-24 में निर्यात की प्रगति

अप्रैल-जुलाई 2023 की अवधि के दौरान, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का निर्यात 95,585.17 मीट्रिक टन रहा, जिसका मूल्य 3,448.54 करोड़ रुपये (419.61 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 99,110.67 मीट्रिक टन का मूल्य 3,165.68 करोड़ रुपये (406.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर) था, जो मात्रा के संदर्भ में (-) 4 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। तथापि, रुपए में मूल्य और अमरीकी डॉलर में मूल्य के संदर्भ में इसमें क्रमश 9 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। (स्रोत: डीजीसीआईएवंएस, कोलकाता)

(xi) निर्यात प्रोत्साहन

तंबाकू बोर्ड भारतीय तंबाकू के लिए ब्रांड छवि बनाने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तंबाकू को प्रदर्शित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय तंबाकू विशिष्ट व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान, तंबाकू बोर्ड विशेष रूप से तंबाकू के लिए निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है:

- इंटरटैबैक/इंटरसप्लाई 2023, डॉर्टमुंड, जर्मनी - 14 से 16 सितंबर 2023
- विश्व तंबाकू मध्य पूर्व 2023, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात - 27 से 28 नवंबर 2023

(xii) निर्यात सुविधा

- तंबाकू बोर्ड डीजीएफटी के ई-आरसीएमसी प्लेटफॉर्म पर पात्र निर्यातकों को डिजिटल मोड में ई-आरसीएमसी जारी कर रहा है। 2023-24 के दौरान, 31 अक्टूबर 2023 तक, निर्यातकों को कुल 30 आरसीएमसी जारी किए गए थे।
- तंबाकू बोर्ड डीजीएफटी के ई-सीओओ प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत निर्यातकों को डिजिटल मोड में उद्गम के सभी अधिमानी प्रमाणपत्र जारी कर रहा है।
- तंबाकू बोर्ड यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अनिर्मित तंबाकू की निर्दिष्ट श्रृंखला के निर्यात के लिए प्रामाणिकता प्रमाणपत्र भी जारी कर रहा है। 2023-24 के दौरान, 31 अक्टूबर 2023 तक, पात्र निर्यातकों को कुल 462 प्रमाणपत्र जारी किए गए।
- तंबाकू बोर्ड भी जीएसपी योजना के तहत यूरोपीय संघ को निर्यात की जा रही वस्तुओं केउद्गम के स्व-प्रमाणन के लिए ईयू आरईएक्स प्रणाली के तहत निर्यातकों के पंजीकरण के लिए अधिकृत स्थानीय प्राधिकरणों में से एक है। 31 अक्टूबर 2023 तक, तंबाकू बोर्ड के माध्यम से ईयू आरईएक्स प्रणाली के तहत कुल 48 निर्यातकों को पंजीकृत किया गया है।

(xiii) वित्त एवं लेखा

(क) तंबाकू निधि खाता

अधिनियम 1975 की धारा 17(1) के अनुसार - तंबाकू निधि नामक एक कोष बनाया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा:

- इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत लगाया और एकत्र किया गया शुल्क
- इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की गई कोई धनराशि या कोई ऋण
- कोई भी अनुदान या ऋण जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है
- धारा-8 में निर्दिष्ट उपायों को पूरा करने में बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि, यदि कोई हो

अधिनियम 1975 की धारा 17(2) के अनुसार - निधि का उपयोग धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों की लागत, वेतन, भत्ते और बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा प्राप्त राशि को तंबाकू निधि खाते में जमा किया जाता है और व्यय को इस निधि खाते से पूरा किया जाता है।

(ख) आंतरिक संसाधन

- **सहायता अनुदान:** तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार, केन्द्र सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा संसद द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात्, बोर्ड को अनुदान अथवा ऋण के रूप में ऐसी धनराशि का भुगतान कर सकती है जिसे केन्द्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे।
- **अन्य प्राप्तियाँ:** तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के उपबंधों के अनुसार, बोर्ड के प्रमुख आंतरिक संसाधन नीलामी प्लेटफार्मों पर विपणन किए गए तंबाकू के मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से प्रदान की गई सेवाओं के लिए क्रेताओं और उत्पादकों से एकत्र किए गए सेवा प्रभार, उत्पादकों, डीलरों, निर्यातकों, पैकर्स, प्रसंस्करणकर्ताओं और विनिर्माताओं से पंजीकरण शुल्क हैं। उपर्युक्त के अलावा, बोर्ड समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत उपजकर्ताओं द्वारा उत्पादित अतिरिक्त तंबाकू और अपंजीकृत उपजकर्ताओं द्वारा उत्पादित अनधिकृत तंबाकू पर बिक्री आय के अंशदान की वसूली करता है।

तंबाकू बोर्ड ने प्रति वर्ष अपने बजटीय व्यय को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा आंतरिक संसाधनों की पर्याप्त वसूली के कारण 1991-92 से केंद्र सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया है।

(ग) बजट अनुमान

तंबाकू बोर्ड नियमावली, 1976 के नियम 21(1) के प्रावधान के अनुसार बोर्ड प्रत्येक वर्ष आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान और चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तैयार करेगा और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित की गई तारीखों को अथवा उससे पहले केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा।

तंबाकू बोर्ड के वर्ष 2022-23 (आरई और वास्तविक) और वर्ष 2023-24 (बीई और वास्तविक 09/2023 तक) के लिए आंतरिक संसाधन और व्यय निम्नानुसार हैं:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	2022-23		2023-24 (सितंबर 2023 तक)	
		संशोधित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक (अक्टूबर 2022)
1	आंतरिक संसाधन (प्राप्तियाँ)	110.53	124.90	81.30	92.51
2	व्यय	156.24	104.68	171.06	57.02

लेखा एवं लेखापरीक्षा

तंबाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड समुचित लेखाओं और अन्य संगत रिकार्डों का रखरखाव करेगा और आय एवं व्यय लेखाओं तथा तुलन-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया जाए।

तंबाकू बोर्ड ने तंबाकू बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में वर्ष 2022-23 के लिए बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट और प्रमाणित लेखों को शामिल किया है और इसे संसद के समक्ष रखने के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया है।

3. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा की गई थी।

एपीडा को एपीडा अधिनियम की पहली अनुसूची में किए गए प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

- फल, सब्जियाँ और उनके उत्पाद
- मांस और मांस उत्पाद
- पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद
- डेयरी उत्पादों
- मिष्ठान्न, बिस्कुट और बेकरी उत्पाद
- शहद, गुड़ और चीनी उत्पाद
- कोको और उसके उत्पाद, सभी प्रकार की चॉकलेट
- अल्कोहलिक और गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ
- अनाज और अनाज उत्पाद
- मूंगफली, मूँगफली और अखरोट
- अचार, चटनी और पापड़
- ग्वार गम
- फूलों की खेती और फूलों की खेती के उत्पाद
- हर्बल और औषधीय पौधे
- तेल रहित चावल की भूसी
- नमकीन पानी में हरी मिर्च
- काजू और उसके उत्पाद।

बासमती चावल को एपीडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, एपीडा को चीनी के आयात की मॉनिटरिंग की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एपीडा जैविक निर्यातों के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के तहत प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। निर्यात के लिए "जैविक उत्पादों" को केवल तभी प्रमाणित किया जाना चाहिए जब दस्तावेज़ - "राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी)" में निर्धारित मानकों के अनुसार उत्पादित, संसाधित और पैक किया गया हो ।

(i) वर्ष 2021-26 के लिए एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन योजना

एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना एपीडा द्वारा, संचालित एक निर्यात संवर्धन पहल है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि-उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाना है। यह निम्नलिखित के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है:

- कृषि-निर्यातकों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को समझना।
- इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने और एपीडा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग की आवश्यकता को स्वीकार करना।
- वित्तीय सहायता तीन व्यापक क्षेत्रों नामत: बाजार विकास, निर्यात अवसंरचना का विकास और गुणवत्ता विकास में प्रदान की जाती है,

(ii) बाजार विकास

यह घटक निर्यातकों को नए बाजारों में बाजार पहुंच प्राप्त करने और मौजूदा बाजारों में अपनी उपस्थिति बनाए रखने में सहायता करता है। इसमें खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए संरचित विपणन कार्यनीतियों को बताए गए निर्णय के लिए बाजार आसूचना अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, कौशल विकास, क्षमता निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग शामिल है। इस घटक के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी
- व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का परिवर्तन
- क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन
- नए उत्पादों के लिए पैकेजिंग मानक विकसित करना और मौजूदा मानकों को उन्नत करना

(iii) अवसरंचना विकास

एपीडा मूल्य श्रृंखला में कृषि-उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अवसंरचना के महत्व को चिन्हित करता है। योजना घटक में ताजा उपज और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद दोनों को शामिल किया गया हैं। इस योजना का उद्देश्य स्पायलेज के कारण होने वाले नुकसान को कम करना और कृषि उत्पादों का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करना है। इसके लिए, यह फसल कटाई के बाद की हैंडलिंग सुविधाएं स्थापित करना चाहता है। इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान की जाती है:

- पैकिंग/ग्रेडिंग लाइनों के साथ पैक हाउस सुविधाओं जैसी अवसंरचना
- कोल्ड स्टोरेज और प्रशीतित परिवहन आदि के साथ प्री-कूलिंग इकाइयाँ।
- केले जैसी फसलों की देखभाल के लिए केबल प्रणाली
- सामान्य अवसंरचना सुविधाएं
- आयातक देशों की फाइटो-स्वच्छता आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्री-शिपमेंट उपचार सुविधाएं जैसे विकिरण, वाष्प ताप उपचार (वीएचटी), हॉट वॉटर डिप ट्रीटमेंट (एचडब्ल्यूडीटी)।
- कमियों को दूर करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं (प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र) के लिए अवसंरचना जिसमें एक्स-रे, स्क्रीनिंग, सॉर्टेक्स, फिल्थ/ मेटल डिटेक्टर, सेंसर, वाइब्रेटर या खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आवश्यकताओं के लिए कोई नया उपकरण या प्रौद्योगिकी सहित उपकरण ।

(iv) गुणवत्ता विकास

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने/शामिल होने के लिए, विभिन्न देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है। कई आयातक देश कठोर अधिकतम अवशेष स्तरों (एमआरएल) के अनुपालन की मांग करते हैं। कुछ विकसित आयातक देशों ने बहुत निचले स्तर पर एमआरएल स्थापित

किए हैं। इसके लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उच्च परिशुद्धता उपकरण स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इस घटक के अंतर्गत आयातक देशों को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने में सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के अंतर्गत सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना,
- प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण,
- ट्रैसेबिलिटी सिस्टम और नमूनों आदि के परीक्षण के लिए फार्म स्तर के परिधीय निर्देशांक को कैप्चर करने के लिए हैण्ड हेल्ड उपकरण।
- पानी, मिट्टी, अवशिष्ट या कीटनाशकों, पशु चिकित्सा दवाओं, हार्मोन, विषाक्त पदार्थों, भारी धातु, दूषित पदार्थों आदि का परीक्षण।

(v) वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट विवरण (नवंबर 2023 तक):

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र.सं	विवरण	स्वीकृत बजट 2022-23	प्राप्त राशि	शेष
क	सहायता अनुदान-सब्सिडी	46.0	24.50	21.50
	उप योग (क)	46.0	24.50	21.50
ख	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	23.6	16.50	7.10
	उप योग (ख)	23.6	16.50	7.10
ग	सामान्य सहायता अनुदान	5.0	4.50	0.50
	उप योग (ग)	5.0	4.50	0.50
घ	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर)	5.0	4.50	0.50
	(i) सहायता अनुदान (सामान्य)	2.0	1.0	1.0
	(ii) सब्सिडी	2.0	1.50	0.50
	(iii) पूंजीगत संपत्ति का निर्माण	1.4	1.0	0.40
	उप योग (घ)	5.4	3.50	1.90
	कुल (क+ख+ग+घ)	80.0	49.00	31.00

(vi) एपीडा की ई-गवर्नेंस पहल

एपीडा भारत से कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और व्यापार करने में सुविधा के लिए आईटी प्रणालियों का उपयोग करने में हमेशा अग्रणी रहा है। एपीडा ने मौजूदा ई-गवर्नेंस प्रणालियों को बढ़ाने और हितधारकों के लाभ के लिए नई ऑनलाइन सुविधाएं शुरू करने के लिए पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई पहल की हैं। ई-गवर्नेंस को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए मौजूदा सुविधाओं के सरलीकरण और युक्तिकरण और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों को लाने पर जोर दिया गया है।

(क) एपीडा मिलेट पोर्टल

चूँकि वर्ष 2023 को मिलेट का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, अत: एपीडा ने श्रीअन्न के लिए एक विशेष वेब पोर्टल बनाया है जिसमें श्रीअन्न, स्वास्थ्य लाभ, उत्पादन और निर्यात आँकड़े, अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ एक श्रीअन्न निर्यातक निर्देशिका और भारत की क्षमता का आकलन करने वाला एक व्यापक वैश्विक विपणन अभियान और 30 आयातक देशों और 21 श्रीअन्न उत्पादक राज्यों की ई-कैटलॉग शामिल है। बास्केट ई-कैटलॉग में अलग-अलग देशों की प्रोफ़ाइल की जानकारी, भारतीय श्रीअन्न और श्रीअन्न मूल्यवर्धित टोकरी; श्रीअन्न उत्पादन परिदृश्य, भारत का श्रीअन्न निर्यात; श्रीअन्न के अंतरराष्ट्रीय मानक और देश में निर्यातकों, स्टार्टअप, एफपीओ, आयातकों और भारतीय मिशनों की संपर्क सूची है ।

(ख) अंतरराष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष (आईवाईओएम) 2023 मनाने के लिए डिजिटल पहल

श्रीअन्न और श्रीअन्न आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से निर्यातक, महिला उद्यमी और न्यू स्टार्ट-अप की विस्तृत श्रृंखला को प्रदर्शित करने के लिए वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ) के लिए एक ई-प्लेटफॉर्म बनाया गया है । यह मंच दुनिया भर से खरीदारों और आगंतुकों को प्रदर्शकों के साथ बातचीत करने और उनके श्रीअन्न -आधारित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है । वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ) 365 दिन 24x7, प्रचालन में रहता है।

(ग) ई-फाइटो जारी करने के लिए पीक्यूएमएस-एनपीपीओ प्रणाली के साथ ग्रेपनेट का एकीकरण

यूरोपीय संघ को निर्यात के लिए ग्रेपनेट पर राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (एनपीपीओ) द्वारा ई-फाइटो प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ग्रेपनेट प्रणाली को पीक्यूएमएस प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है। निर्यातक अब अवरोध मुक्त फाइटो सेनेटरी प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है।

(घ) डीजीएफटी पोर्टल से ई-आरसीएमसी जारी करना

एपीडा ने डीजीएफटी व्यापार सूचना संख्या 35/2021-22 के अनुसार ई-आरसीएमसी जारी करने को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। एपीडा डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से ई-आरसीएमसी के प्रसंस्करण और जारी करने के लिए डीजीएफटी पोर्टल पर शामिल हो गया है ।

(ङ) बासमती चावल के लिए आरसीएसी के लिए आवेदन करने हेतु आरसीएसी मोबाइल ऐप

बासमती चावल आरसीएसी के लिए आवेदन करने में आसानी के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आरसीएसी मोबाइल ऐप विकसित किया गया । मोबाइल ऐप में निर्यातकों को आरसीएसी के लिए आवेदन करने और बासमती चावल के लिए आरसीएसी जारी करने के लिए दस्तावेज जमा करने की अनुमति है। निर्यातक अपने आरसीएसी आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं और एपीडा द्वारा उन्हें जारी किए गए आरसीएसी प्रमाणपत्रों की संख्या देख सकते हैं।

(च) निर्यात के लिए पीनट. नेट प्रणाली के लिए डिजिटल प्रशिक्षण वीडियो

आपूर्ति श्रृंखला ट्रैसेबिलिटी सॉफ़्टवेयर प्रक्रिया अर्थात पीनट.नेट में शामिल हितधारकों को शिक्षित करने और जागरूकता लाने के लिए, एपीडा ने मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया और आवश्यकताओं को समझने के लिए हितधारकों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो बनाने की पहल की । वीडियो एपीडा के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है।

(छ) हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मीट.नेट के साथ आई-सीएएस प्रणाली का एकीकरण

मांस और उसके उत्पादों के लिए हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए, मीट.नेट प्रणाली को हलाल प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आई-सीएएस प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है जिससे हलाल प्रमाणपत्र के लिए आयातक देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया जा सके।

(ज) एपीडा मोबाइल ऐप

एपीडा ने पंजीकृत सदस्यों/निर्यातकों/हितधारकों के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कृषि-विनिमय पोर्टल के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया । मोबाइल ऐप हितधारकों को कृषि व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवहार और नवीनतम बाजार समाचार/रुझान आदि से संबंधित सभी प्रासंगिक डेटा प्रदान करता है।

मोबाइल ऐप की कुछ विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- कृषि व्यापार डेटा एनालिटिक्स
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारत का निर्यात डेटा
- प्रिन्सिपल कमोडिटी डेटा
- निर्यात समरी और प्रोफ़ाइल रिपोर्ट
- विक्रय/क्रय ऑफर
- एपीडा द्वारा जारी परिपत्र, दिशानिर्देश, अधिसूचना अर्थात परामर्श
- व्यापार समाचार

(झ) सोशल मीडिया में एपीडा की उपस्थिति

एपीडा सक्रिय रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग, एक डेडीकेटेड सोशल मीडिया टीम एपीडा के उत्पादों, कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण जानकारी कू, ट्विटर, फेस बुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे प्रमुख प्लेटफार्मों में उपस्थिति और प्रचार का प्रबंधन करती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, एपीडा की ट्विटर फॉलोअर्स की 8909 की वृद्धि हुई ।

(vii) नए उत्पादों/नए स्थानों आदि का निर्यात

- **1 दिसंबर 2023**
  - पूर्वांचल से खाड़ी राष्ट्र (यूएई) तक "ताजा आलू" का अब तक का पहला निर्यात
- **23 नवंबर 2023**
  - राष्ट्रीय काजू दिवस के अवसर पर, एपीडा ने बांग्लादेश, कतर, मलेशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए काजू शिपमेंट को हरी झंडी दिखाई। बांग्लादेश को ओडिशा से 2000 किलोग्राम काजू की पहली शिपमेंट प्राप्त होगी
  - काजू दिवस पर कोल्लम, केरल से कैलिफ़ोर्निया, यूएसए तक स्वादयुक्त काजू (गोल्डन हल्दी, पेरी पेरी, समुद्री नमक) की खेप के लिए फ्लैग ऑफ समारोह
  - राष्ट्रीय काजू के अवसर पर, 23 नवंबर 2023 को दो खेप जिनमें एक 15 मीट्रिक टन की दोहा कतर के लिए और दूसरी 16 मीट्रिक टन की पेराक, पश्चिम मलेशिया के लिए, क्रमशः प्रथिपा केश्यू एक्सपोर्ट और स्वाथिनी केश्यूज, से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई।
  -
- **20 नवंबर 2023**
  - एपीडा ने भारत से जातीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों को जारी रखते हुए, एलबीएसआई हवाई अड्डे वाराणसी से संयुक्त अरब अमीरात तक पहली बार वाटर चेस्टनट का समन्वय किया।
- **15 नवंबर 2023**
  - वाराणसी से शारजाह तक पहली बार गेंदे के फूल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिससे पूर्वांचल क्षेत्र से कृषि-निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
- **8 नवंबर 2023**
  - एफएफवी डिवीजन द्वारा बारामती, महाराष्ट्र से नीदरलैंड के लिए केले के परीक्षण शिपमेंट के एक कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
- **4 सितंबर 2023**
  - वाराणसी से संयुक्त अरब अमीरात के लिए केले के पौधे के 3.5 मीट्रिक टन डेरिवेटिव (फूल, फल, पत्ती) का पहला निर्यात
  - **28 अगस्त 2023**
  - अलीगढ़ से गुयाना तक 29 मीट्रिक टन आलू का पहला निर्यात

- **22 अगस्त 2023**
  - वाराणसी से संयुक्त अरब अमीरात के लिए हॉग प्लम और क्रैनबेरी (1750 किलोग्राम) का पहला निर्यात।
- **27 जुलाई 2023**
  - एफएफवी डिवीजन और एपीडा-मुंबई द्वारा आयोजित, अमेरिका के लिए अनार की ट्रायल शिपमेंट को महाराष्ट्र से न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया गया।
- **7 जुलाई 2023**
  - 19400 किलोग्राम मिश्रित सब्जियों की पहली खेप (नए एपीडा पंजीकृत सदस्य) मेसर्स ओंकार एंटरप्राइजेज, नासिक, महाराष्ट्र द्वारा दुबई को निर्यात की गई ।
- **22 जून 2023**
  - माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी पैकहाउस से 25 मीट्रिक टन ताजी सब्जियों हरी मिर्च और 2 मीट्रिक टन आम का पहली बार निर्यात किया गया ।
- **22 जून 2023**
  - मेमर्स वाकाओ फूड्स द्वारा 13 टन के वीगन उत्पादों को कोच्चि से यूएसए के लिए रवाना किया गया।
- **19 जून 2023**
  - ओडिशा से संयुक्त अरब अमीरात के लिए मल्लिका आम (1500 किग्रा) को रवाना किया गया।
- **17 जून 2023**
  - ओडिशा से यूएई के लिए पहली बार पीला तरबूज (150 किलोग्राम) रवाना किया गया।
- **1 जून 2023**
  - ओडिशा से दुबई तक आम्रपाली आम की पहली व्यावसायिक खेप को रवाना करने का कार्यक्रम।
- **22 अप्रैल 2023**
  - दक्षिण कोरिया को निर्यात के लिए मेमर्स निसर्ग फ्रेश प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वीएचटी फैसिलिटी, मुबंई में संसाधित केसर आम की पहली सैम्पल वाणिज्यिक खेप (117 किलोग्राम के 39 बक्से) ।
- **11 अप्रैल 2023**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारतीय आमों के सीज़न की पहली खेप को एमएसएएमबी वीएचटी सुविधा, वाशी महाराष्ट्र से रवाना किया गया।
- **6 अप्रैल 2023**
  - जापान के लिए भारतीय आमों के सीज़न की पहली खेप एमएसएएमबी -वीएचटी सुविधा, वाशी (नवी मुंबई) से रवाना की गई। खेप में केसर और बंगनपल्ली की किस्में शामिल थीं।
- **5 अप्रैल 2023**
  - एपीडा के पंजीकृत एफपीओ मैसर्स ग्लोबल कोकोनट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, पल्लदम, तिरुप्पुर द्वारा " कोको नेक्टर" को "थेनीरा" ब्रांड नाम से यूएसए के लिए रवाना किया गया।

(viii) कृषि निर्यात मूल्य श्रृंखला में एफपीओ/किसानों को शामिल करने के लिए एपीडा के प्रयास की कुछ गाथाएं

(क) एपीडा ने समुद्री मार्ग से केले के सफल निर्यात में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की

(ख) एपीडा ने भारतीय नवाचार को सशक्त बनाया: पुरंदर हाइलैंड्स एफपीसी ने सियाल प्रदर्शनी 2023 में दुनिया के पहले अंजीर जूस और सुपर अंजीर स्प्रेड के लिए वैश्विक मान्यता हासिल की।

(ग) "ब्लासमिंग अन्न: एपीडा के मार्गदर्शन के साथ"एक महिला-नेतृत्व वाले एफपीओ, आरोग्य मिलेट श्रीअन्न की सशक्तता यात्रा की,

(घ) सशक्त कृषि: एपीडा और बनारस ऑर्गेनो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बीच परिवर्तनकारी सहयोग।

(ड.) "स्वतंत्रता की स्वीट सिम्फनी: बहरीन में मैंगो उत्सव"

(च) सफलता के बीज: एपीडा के लिए कृषि व्यवसाय एक्सपो 2023 में अवसरों में बढ़ोतरी"

(ix) एपीडा द्वारा कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा।

- मेसर्स गौरीशंकर फूड इंडस्ट्रीज, शिगगांव, एपीडा ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के अपने दृढ़ संकल्प के अनुसार द्वारा श्रीअन्न आधारित खाद्य उत्पाद। बैंगलोर से सिडनी, ऑस्ट्रेलिया तक "श्रीअन्न आधारित खाद्य उत्पादों" के 148 खुदरा पैक के सफल निर्यात को सुविधाजनक बनाया। 10,50,300 रू. मूल्य के इस निर्यात उद्यम का संचालन शिगगांव में महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप, मेसर्स गौरीशंकर फूड इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया था। यह उपलब्धि न केवल विविध कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एपीडा के समर्पण को दर्शाती है, बल्कि इस क्षेत्र में उभरते स्टार्टअप को सहारा देने में इसकी भूमिका को भी दर्शाती है।
- 'हेक्टैपी' ब्रांड के तहत बसानीएग्रो फूड्स का ताइवान को निर्यात एपीडा द्वारा महिला उद्यमी और पंजीकृत निर्यातक मेसर्स बसानीएग्रो फूड्स, को उसकी वैश्विक आकांक्षाओं के साथ स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रोत्साहित किया । इस उद्यम ने "हेक्टैपी" ब्रांड के तहत ताइवान को नाश्ता अनाज के रूप में रागी स्प्राउट मिक्स का निर्यात शामिल किया। यह स्टार्टअप खाने के लिए तैयार श्रीअन्न -आधारित नाश्ते की चीजों की एक श्रृंखला को निर्यात करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल है, जो कृषि खाद्य उद्योग में नवोन्मेषी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एपीडा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- मेसर्स श्री श्री वेद सत्व प्रा. लिमिटेड द्वारा कोदो श्रीअन्न के लड्डू। एपीडा में एक अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में, बेंगलुरु से बर्लिन तक कोडो श्रीअन्न लड्डू के 330 बक्सों की शिपमेंट की सुविधा प्रदान की। मैसर्स श्री श्री वेद सत्व प्रा. लिमिटेड द्वारा निष्पादित यह निर्यात सफलता श्रीअन्न -आधारित उत्पाद क्षेत्र में स्टार्टअप को सहारा देने में एपीडा के प्रयासों का एक प्रमाण है। एजेंसी ने इस स्टार्टअप को वैश्विक मंच पर अपनी पाक कला उत्कृष्टता प्रदर्शित करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- बेंगलुरु में महिला उद्यमियों के श्रीअन्न चमत्कारों का प्रदर्शन। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एपीडा की प्रतिबद्धता को 23 से 25 मई 2023 तक बेंगलुरु में जी20 - द्वित्तीय व्यापार और निवेश कार्य समूह (टीडब्ल्यूआईजी) की बैठक के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। एजेंसी ने महिला उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए श्रीअन्न और श्रीअन्न आधारित उत्पादों के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान किया । इसने न केवल इन स्टार्टअप्स के नवाचार और कौशल का जश्न मनाया, बल्कि कृषि और खाद्य उद्योग में उनके योगदान को आगे बढ़ाने देने में एपीडा की भूमिका पर भी प्रकाश डाला।

(x) अन्य पहल

- एपीडा ने वित्त वर्ष 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात के लिए आम और अनार पूर्व निकासी (प्रीक्लीयरेंस) कार्यक्रम के लिए यूएसडीए अफीस के साथ प्रीक्लीयरेंस को-ऑपरेटर भुगतान योजना पर हस्ताक्षर किए, जो एनपीपीओ इंडिया और यूएसडीए अफीस के बीच ओडब्ल्यूपी का हिस्सा है।
- एपीडा ने आम और अनार निर्यातकों की मांग के आकलन के आधार पर वाशी, नासिक, अहमदाबाद और बैंगलोर में विकिरण सुविधा संयंत्रों में पूर्व-निकासी कार्यक्रम के लिए अमेरिकी निरीक्षकों की उपस्थिति की मांग की।
- एपीडा ने 32 अंगूर पैक हाउसों और बगीचों को मंजूरी दी और भारत से चीन को अंगूर निर्यात करने के लिए 2024 सीज़न के लिए जीएसीसी द्वारा अनुमोदन के लिए 20 नए पैक हाउसों और बगीचों की एक सूची शामिल की। जीएसीसी ने 2024 सीज़न के लिए 52 पैक हाउस और बगीचों को मंजूरी दी।
- एपीडा ने चीन को निर्यात के लिए 38 सब्जी उद्यमों के जीएसीसी पंजीकरण की सुविधा प्रदान की।
- एपीडा ने दक्षिण कोरिया को आम निर्यात के निरीक्षण कार्यक्रम के लिए दक्षिण कोरियाई निरीक्षकों को आमंत्रित किया, जिसके परिणामस्वरूप 2022 सीज़न की तुलना में निर्यात में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- जैविक उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं को बढ़ाने के लिए एक परामर्शी बैठक और दक्षता परीक्षणों के दो राउण्ड सहित किए गए प्रयासों से जैविक प्रयोगशालाओं की संख्या 38 से बढ़कर 62 हो गई।
- एपीडा ने एफएओ, रोम में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) के 46 वें सत्र में भाग लिया और भारत को सीएसी की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में चुना गया।
- 17 अप्रैल 2023 से भारत से डेयरी उत्पादों के निर्यात के लिए दो डेयरी प्रतिष्ठानों, मेसर्स शिबर डायनामिक्स डेयरीज़ लिमिटेड और मेसर्स पराग फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दे दी है।
- वर्ल्ड फूड मॉस्को यात्रा के दौरान एफएसवीपीएस के साथ चर्चा का उद्देश्य अधिक भारतीय मांस प्रतिष्ठानों को मंजूरी देना और रूस को भैंस के मांस के निर्यात के लिए अनुमोदित मांस प्रतिष्ठानों पर अस्थायी प्रतिबंध हटाना था।
- एपीडा ने पशुपालन और डेयरी विभाग के साथ मिलकर श्रीलंका को टेबल अंडों के निर्यात की सुविधा प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप 72.64 करोड़.रू. मूल के 121.07 मिलियन अंडों का निर्यात हुआ
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही जैविक एमआरए प्रक्रिया में प्रगति, तुलनात्मक मूल्यांकन से काफी हद तक समानता का संकेत मिलता है। पारस्परिक मान्यता समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ऑनसाइट ऑडिट प्रस्तावित है।
- उच्च परिवहन और हवाई माल ढुलाई लागत को संबोधित करने के लिए एनईआर राज्यों के लिए गुवाहाटी में 'कृषि उड़ान 2.0' योजना पर जागरूकता का आयोजन किया गया।

(xi) एपीडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र

- एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)। 2023-24 में (नवंबर 2023 तक) एपीडा ने 5985 आरसीएमसी जारी किए।
- एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों को पंजीकरण-सह- आवंटन प्रमाणपत्र (आरसीएसी)। 2023-24 में (नवंबर 2023 तक), एपीडा ने 3740.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर के एफओबी मूल्य के साथ 27147 आरसीएसी जारी किए।
- 2023-24 (नवंबर 2023 तक) में परीक्षण, प्रसंस्करण, उचित पैकेजिंग आदि के आधार पर मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के निर्यातकों/प्रोसेसरों को निर्यात प्रमाणपत्र (सीओई), एईपीडीए ने 20582सीओई जारी किए।

4. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एमपीईडीए)

निर्यात संवर्धन (समुद्री उत्पदों) ईपी (एमपी) प्रभाग समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए नीति निर्माण में योगदान देता है और समुद्री और संबद्ध/प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने में भी योगदान देता है। डेस्क एमपीईडीए पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और इसके बजटीय, स्थापना, एमपीईडीए में प्रमुख पदों पर भर्ती, विदेशी सरकारों/अन्य केंद्रीय/राज्य सरकारों/अन्य संगठनों के साथ पत्राचार, एमपीईडीए से प्राप्त विविध प्रकृति के प्रस्तावों की प्रसंस्करण/जांच आदि को संभालता है। एमपीईडीए के लिए अनिवार्य है :

- देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना
- देश से निरंतर और गुणवत्तापूर्ण समुद्री भोजन निर्यात सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना और बढ़ावा देना

(i) निर्यात निष्पादन

वित्त वर्ष 2023-24 में अप्रैल से नवंबर के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में समुद्री उत्पादों का निर्यात नीचे तालिका में दिखाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, वियतनाम और थाईलैंड देश की समुद्री खाद्य निर्यात बास्केट में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

मूल्य मिलियन अमरीकी डॉलर में

अप्रैल से नवंबर 2022-23	अप्रैल-नवंबर 2023-24* (अनंतिम)	(%)परिवर्तन
5579.41	5218.14	(-) 6.48

*डीओसी डेटा (अनंतिम)

(ii) गिरावट का कारण

- समुद्री उत्पादों में मात्रा के हिसाब से 14.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, हालांकि मूल्य के हिसाब से इसमें 18.6 प्रतिशत की अनुमानित इकाई मूल्य गिरावट के कारण 6.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।
- अमेरिका में झींगा की अंतिम बाजार मांग, विशेषकर खुदरा क्षेत्र में अभी भी अपेक्षाकृत कम है। खाद्य सेवा और खुदरा क्षेत्र में मांग पिछले वर्षों की तुलना में धीमी बनी हुई है। अमेरिका और यूरोपीय संघ में मुद्रास्फीति के रुझान के कारण, झींगा आदि जैसे महंगे प्रोटीन आधारित खाद्य पदार्थों की मांग सुस्त है।
- चीन में कमजोर आर्थिक स्थिति - अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने के कारण मांग कम होने से खरीदारों ने ऑर्डर काफी कम कर दिए हैं। बिक्री में कमी के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री बढ़ी है और इसलिए यूनिट की कीमतों में गिरावट आई है।
- जबकि झींगा की कुल आपूर्ति उच्च स्तर पर है, इसकी स्थिर मांग के कारण कम कीमत मिल रही है, जो मूल्य के संदर्भ में अर्थात अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में कम निर्यात में परिलक्षित होता है।

(iii) निर्यात सुविधा एवं संवर्धन

(क) अंतरराष्ट्रीय मत्स्य मेलों में भागीदारी

एमपीईडीए ने बाजार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय समुद्री खाद्य शो में भाग लिया और भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात को सुविधाजनक बनाया।

क्र.सं.	शो का नाम	तारीख
1	सीफूड एक्सपो ग्लोबल 2023, बार्सिलोना	25th -27th अप्रैल 2023
2	जापान इंटरनेशनल सीफूड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो (जीआईएसटीई 2023), टोक्यो, जापान	23rd -25th अगस्त 2023
3	सीफूड एक्सपो एशिया 2023, सिंगापुर	11th-13th सितम्बर 2023
4	वर्ल्ड फ़ूड मॉस्को 2023, मॉस्को, रूस	19th-22nd सितम्बर 2023
5	चाइना इंटरनेशनल फिशरीज एंड सीफूड एक्सपो 2023	15th-17th सितम्बर 2023
6	चीन मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य एक्सपो 2023, क़िंगदाओ, चीन	25th-27th अक्टूबर 2023
7	बुसान इंटरनेशनल सीफूड एंड फिशरीज एक्सपो, दक्षिण कोरिया	1st-3rd नवंबर 2023

(ख) व्यापार प्रतिनिधिमंडल और क्रेता-विक्रेता बैठकें

- वियतनाम में निमंत्रण पर 28 से 30 जून 2023 तक वियतफिश 2023 के अनुसार आयोजित झींगा फोरम (मेकांग-भारत डेल्टा व्यापार और निवेश सम्मेलन) में भाग लिया।
- एसबीआई के सहयोग से 7 से 13 अगस्त 2023 तक दक्षिण कोरियाई आयातकों और निवेशकों के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में पांच कोरियाई कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- कोरियाई आयातकों/निवेशकों और भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों की रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठक चेन्नई, तूतीकोरिन, काकीनाडा और मुंबई में आयोजित की गई।
- 2023-24 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान एमपीईडीए ने भारतीय मिशन के समन्वय में जापान के आयातकों के साथ 3 वर्चुअल बिजनेस मीट का आयोजन किया।
- 2023-24 (अप्रैल-अक्टूबर) के दौरान एमपीईडीए ने बेल्जियम के तीन आयातकों के साथ 1 प्राथमिक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया, इस आयोजन में 40 प्रतिभागी थे।
- नीदरलैंड के आयातकों के साथ 5 माध्यमिक वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं ।
- अक्टूबर 2023 को ईओआई, ब्रुसेल्स में आयातकों के लिए समुद्री भोजन चखने का सत्र आयोजित करने के लिए ईओआई, ब्रुसेल्स को समर्थन दिया ।
- एमपीईडीए ने नोबाशी झींगा (स्ट्रेच्ड झींगा) जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए टाई-अप करने के लिए जून 2023 और जुलाई 2023 के दौरान जापानी खरीदारों के साथ 4 वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की हैं।
- एमपीईडीए विभिन्न विकसित निर्यात स्थलों के लिए समुद्री उत्पादों के लिए मुक्त व्यापार समझौतों की सुविधा के लिए वाणिज्य विभाग को इनपुट प्रदान कर रहा है।
- वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए बजट घोषणा में, एक्वाकल्चर इनपुट (झींगा और मछली फ़ीड सामग्री) के आयात शुल्क में कमी एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने की उम्मीद है। मछली लिपिड तेल (एचएस 1504 20) और अल्गल प्राइम (आटा) (एचएस 2102 2000) के लिए शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है और मछली भोजन (एचएस 2301 20), क्रिल मील (एचएस 2301 20) और खनिज और विटामिन प्रीमिक्स (एचएस 2309 90 90) के लिए शुल्क को 15 % से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(ग) संस्थाओं और प्रमाणपत्रों का पंजीकरण

- **इकाइयों का पंजीकरण:** 13 प्रसंस्करण संयंत्र, 127 निर्यातक, 18 भंडारण परिसर, 3 सूखी मछली हैंडलिंग केंद्र, 4 जीवित मछली हैंडलिंग केंद्र, 5 ताजा/ठंडी मछली हैंडलिंग केंद्र, 12 छीलने वाले शेड, 6 वाहन, 1 अन्य खाद्य हैंडलिंग केंद्र और 12 अन्य अखाद्य हैंडलिंग सेंटर एमपीईडीए के साथ पंजीकृत थे। व्यापार करने में आसानी के तहत निर्यातकों और संस्थाओं के ऑनलाइन पंजीकरण को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है।

- **प्रमाणपत्रों का ऑनलाइन सत्यापन:** समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एमपीईडीए सभी निर्यात सुविधा प्रमाणपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मान्य कर रहा है। 01 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान , एमपीईडीए ने 6421 ईयू कैच सर्टिफिकेट, 734 गैर-ईयू कैच सर्टिफिकेट, 329 आईसीसीएटी स्वोर्ड फिश सांख्यिकी दस्तावेज, 15,303 डीएस 2031 प्रमाण पत्र, 335 गैर-रेडियोधर्मिता प्रमाण पत्र, 30 विधिक मूल प्रमाण पत्र , 104 शुल्क मुक्त आयात प्रमाणपत्र और 38 आरसीएमसी प्रमाणपत्र, इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए ।

(घ) समुद्री खाद्य निर्यात क्षेत्र में गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान करना

- **समुद्री खाद्य क्षेत्र में पुन: प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन के लिए कच्चे माल का आयात:** मूल्य वर्धन और पुनः निर्यात के लिए कच्चे माल के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाकर व्यापार करने में आसानी के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्य विभाग एक अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की। 13 सितंबर 2023 को एमपीईडीए, सीमा शुल्क, डीजीएफटी, एफएसएसएआई, एक्यूसीएस, मत्स्य पालन विभाग और पशुपालन विभाग, भारत सरकार के साथ, जिसमें जंगली पकड़ी गई मछली और मत्स्य उत्पाद के आयात के लिए जिम्मेदार एकल एजेंसी के रूप में एमपीईडीए को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया। डीजीएफटी द्वारा पुनः प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात तथा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) में अलग अध्याय शामिल करना। एमपीईडीए ने पुनर्प्रसंस्करण और निर्यात के लिए कच्चे माल के आयात को आसान बनाने के लिए देश की विदेश व्यापार नीति में मूल्य संवर्धन के लिए समुद्री उत्पादों के कच्चे माल के आयात (पीएमआरआईवीए) की प्रक्रियाओं पर एक अध्याय शामिल करने के लिए मसौदा नीति प्रस्तुत की।

- **भारतीय समुद्री उत्पादों की नई इकाइयों की सूची:** एमपीईडीए द्वारा वाणिज्य विभाग और निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) के समन्वय में , भारत से निर्यात के उद्देश्य से आयातक देशों द्वारा नई इकाइयों की सूची का मुद्दा नियमित रूप से उठाया गया है। समन्वित हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप वियतनामी अधिकारियों द्वारा 16 भारतीय प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध किया गया है और 67 नई इकाइयों को यूरोपीय संघ की ट्रेसेस प्रणाली में सूचीबद्ध किया गया है। विनियामक अधिकारियों द्वारा इकाइयों को सूचीबद्ध करने से इन इकाइयों को संबंधित बाजारों तक पहुंचने और भारत के समुद्री उत्पादों के कुल निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(iv) आयातक देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुद्र से पकड़ी गई सामग्री की स्थिरता के मुद्दों का समाधान निकालना

- अमेरिकी विदेश विभाग ने यूएस पब्लिक लॉ 101-162 की धारा 609 के तहत भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में वाइल्ड कॉट झींगा निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह मुख्य रूप से भारत में अपनाई जाने वाली मछली पकड़ने की विधियों जैसे ट्रॉल नेट, ट्रैमेल नेट, गिल नेट, डोलनेट आदि के कारण है जो कथित तौर पर समुद्री कछुओं की आबादी को प्रभावित करते हैं। धारा 609 के तहत वाइल्ड कॉट झींगा पर प्रतिबंध हटाने के लिए, आईसीएआर-सीआईएफटी की मदद से यूएस एनओएए के विनिर्देश के अनुसार एक टीईडी मॉडल डिजाइन किया गया और फील्ड परीक्षण किया गया। एमपीईडीए और सीआईएफटी ने विनिर्माण इकाइयों के साथ दिसंबर 2023 के दौरान टीईडी पर संयुक्त रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया है और जनवरी 2024 के दौरान मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थानों, राज्य मत्स्य पालन विभागों, नेट निर्माताओं, मछुआरों आदि सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। यूएस एनओएए अधिकारी फरवरी 2024 के महीने के दौरान टेड परीक्षण और कार्यशाला आयोजित करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं ।

- अमेरिकी समुद्री स्तनपायी संरक्षण अधिनियम: मौजूदा एमएमपीए प्रावधानों के अनुसार, सभी समुद्री खाद्य निर्यातक देशों को 1 जनवरी 2024 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में जंगली पकड़े गए समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रभावित करने के लिए एमएमपीए प्रावधानों का पालन करना होगा। भारत ने तुलनीयता खोज आवेदन (सीएफए) प्रस्तुत किया है) 25 नवंबर 2021 को यूएस एनओएए पोर्टल में निर्यात मत्स्य पालन के लिए और 17 नवंबर 2022 को यूएस एनओएए के प्रश्नों को स्पष्ट किया गया ; अमेरिका की ओर से अंतिम प्रतिक्रिया का इंतजार है. वर्तमान में, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने सीएमएफआरआई, सीआईएफटी और एमपीईडीए-नेटफिश के सहयोग से समुद्री स्तनपायी स्टॉक मूल्यांकन सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) को सौंपा है। एमपीईडीए एफएसआई और सीएमएफआरआई आदि के साथ समन्वय में परियोजना की नियमित समीक्षा कर रहा है। भारत को एक ऑन-गोइंग परियोजना के रूप में सहयोगी एजेंसियों की भागीदारी के साथ समुद्री स्तनपायी स्टॉक मूल्यांकन अभ्यास जारी रखने की आवश्यकता है। निर्यातक देशों द्वारा एमएमपीए प्रावधानों के अनुपालन की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है ।

(v) मूल्यवर्धन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

- **सी फूड मूल्य वर्धन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम:** एमपीईडीए ने 21 नवंबर 2023 से 17 दिसंबर 2023 तक कोच्चि, मुंबई, वेरावल, कोलकाता, विजयवाड़ा, चेन्नई और भुवनेश्वर में विशेषज्ञों के साथ सी फूड मूल्य संवर्धन पर सात व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वियतनाम. विभिन्न प्रसंस्करण इकाइयों के 181 प्रतिभागियों और नेटफिश, निफैट और सीआईएफटी के अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। कार्यक्रम में कौशल परीक्षण सहित 22 लोकप्रिय मूल्यवर्धित उत्पादों को शामिल किया गया और प्रतिभागियों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त, विकसित मूल्यवर्धित उत्पादों के सी फूड चखने के सत्र आयोजित किए गए, जिसमें सी फूड निर्यातक और विभिन्न राज्य विभागों के अधिकारी शामिल थे।

- **कोच्चि में जापानी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यवर्धित उत्पादों का निष्पादन :** 6 नवंबर 2023 को , एमपीईडीए ने मूल्यवर्धित उत्पादों, विशेष रूप से बैटर और ब्रेडेड नोबाशी झींगा और स्क्विड रिंग्स पर मैसर्स प्रोटेक ऑर्गेनो फूड्स प्रा. लिमिटेड, केएसआईडीसी, चेरथला में एक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। मैसर्स हैप्पीनेस फूड्स लिमिटेड, के श्री ताकाओमी इसे जापान ने निर्यातकों के लिए तैयार किए गए डेमो सत्र का नेतृत्व किया। प्रदर्शन में 18 प्रसंस्करण इकाइयों के 25 निर्यातक शामिल हुए ।

(vi) जलीयकृषि विकास

- **क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** एमपीईडीए ने तटीय राज्यों में जलीय कृषि किसानों के लिए कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है, जिसका उद्देश्य एंटीबायोटिक अवशेषों, बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपी) को अपनाने और निर्यात-उन्मुख प्रजातियों के विविधीकरण सहित प्रमुख मुद्दों पर किसानों को संवेदनशील बनाना है। अप्रैल-अक्टूबर 2023 के दौरान, जलीय कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के विरूद्ध 825 जागरूकता अभियान (फार्म टू फार्म) आयोजित किए गए और प्रजातियों के विविधीकरण के प्रसार के लिए 22 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, एमपीईडीए स्कीमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 35 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 2 किसान बैठकें आयोजित की गईं।
- **प्रजाति विविधीकरण:** एमपीईडीए ने तिलापिया, सीबास, स्कैंपी, मड क्रैब आदि जैसी विविध प्रजातियों के बीज उत्पादन और संस्कृति को मानकीकृत किया है। विविध प्रजातियों को लोकप्रिय बनाने के लिए इस अवधि के दौरान निर्यात योग्य प्रजातियों के लिए छह प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष से 5 प्रदर्शन कार्यक्रम जारी हैं.
- **फार्मों और हैचरियों का नामांकन:** जलीय कृषि उत्पादन का पता लगाने के लिए, एमपीईडीए द्वारा फार्मों और हैचरियों का नामांकन नियमित आधार पर किया जाता है। इस अवधि के दौरान, 4560 हेक्टेयर जल प्रसार क्षेत्र वाले 1003 फार्म और 902 मिलियन बीज क्षमता वाली 9 हैचरी को एमपीईडीए द्वारा नामांकित किया गया है।
- **जलीय कृषि इकाइयों का प्रमाणीकरण (शाफारी):** प्रमाणीकरण कार्यक्रम के तहत, एंटीबायोटिक मुक्त बीज के उत्पादन के लिए अवधि के दौरान दो हैचरी को शाफारी प्रमाणित किया गया था। 8-10 महीनों की अवधि में हैचरियों ने एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए हैचरी इनपुट और हैचरी बीजों पर ऑडिट और परीक्षणों की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ऑडिट के दौरान सभी ओआईई-सूचीबद्ध रोगजनकों के लिए हैचरी के बीजों का भी नकारात्मक परीक्षण किया गया। प्रमाणन कार्यक्रम के तहत नामांकित 25 हैचरी के लिए ऑडिट प्रगति पर है।
- 5.72 हेक्टेयर क्षेत्र के एक जलीय कृषि फार्म को अच्छे प्रबंधन प्रथाओं के तहत उत्पादन के लिए शाफारी प्रमाणित किया गया है और प्रमाणन के लिए नामांकित लगभग 600 हेक्टेयर फार्मों के लिए ऑडिट प्रगति पर है।

(vii) गुणवत्ता आश्वासन और जैव-सुरक्षा

- **राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (एनआरसीपी):** अप्रैल-नवंबर 2023 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना के तहत एमपीईडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा कुल 2815 नमूनों का परीक्षण किया गया।
- **प्री-हार्वेस्ट टेस्ट (पीएचटी) प्रमाणन:** अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान, एमपीईडीए एलिसा प्रयोगशालाओं द्वारा किसानों को कुल 9350 पीएचटी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- **वाणिज्यिक नमूना परीक्षण:** एमपीईडीए क्यूसी लैब, कोच्चि के माइक्रोबायोलॉजी और आणविक जीवविज्ञान प्रभाग मछली और मत्स्य उत्पादों में रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस और कवक और समुद्री भोजन पैकेजिंग सामग्री की सतह पर सीओवीआईडी -19 न्यूक्लिक एसिड का परीक्षण प्रदान करते हैं। अप्रैल-नवंबर 2023 की अवधि के दौरान कुल 403 वाणिज्यिक नमूनों का परीक्षण किया गया।
- एनआरसीपी के अलावा, एमपीईडीए की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं भारतीय समुद्री भोजन उद्योग के लाभ के लिए भारी धातुओं और एंटीबायोटिक दवाओं के लिए वाणिज्यिक नमूना परीक्षण भी प्रदान करती हैं। अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान कुल 1161 वाणिज्यिक नमूनों का परीक्षण किया गया।
- **समुद्री खाद्य एचएसीसीपी प्रशिक्षण:** एमपीईडीए भारतीय समुद्री खाद्य उद्योग को समुद्री खाद्य एचएसीसीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता रहा है। अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान, एमपीईडीए ने विभिन्न स्थानों पर 7 सीफूड एचएसीसीपी प्रशिक्षण आयोजित किए और भारतीय सीफूड उद्योग के 182 प्रौद्योगिकीविदों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ उठाया।
- **झींगा नियामक साझेदारी करार (आरपीए):** झींगा नियामक साझेदारी करार (आरपीए) के भाग के रूप में, एमपीईडीए ने एक्वाकल्चर उत्पाद मूल्यांकन उपकरण प्रस्तुत किया। जलीय कृषि उत्पाद मूल्यांकन उपकरण एक स्व-मूल्यांकन वर्कशीट है जिसे भाग लेने वाली एजेंसी द्वारा भरा जाना है जो जलीय कृषि समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। एमपीईडीए ने तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण (सीएए), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वॉटर एक्वाकल्चर (आईसीएआर-सीआईबीए), विभाग जैसे अन्य हितधारकों से जानकारी और डेटा एकत्र किया। मत्स्य पालन विभाग (डीओएफ), मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी), भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक संघ (एफएसएसएआई), आईसीएआर - केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईएफटी), आईसीएआर- नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज (आईसीएआर-एनबीएफजीआर), और यूएसएफडीए को एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स असेसमेंट टूल प्रस्तुत करने के लिए जानकारी संकलित की।

(viii) गुणवत्ता आश्वासन और जैव सुरक्षा पर बाजार विशिष्ट कार्यवाईयां

- **जन स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओपीएच) कतर द्वारा चिल्ड और फ्रोजन सीफूड के आयात पर अस्थायी निलंबन:** जन स्वास्थ्य मंत्रालय (एमओपीएच) कतर ने 5 भारतीय निर्यात प्रतिष्ठानों द्वारा निर्यात की जाने वाली फ्रोजन और कोल्ड झींगा खेपों में विब्रियो बैक्टीरिया का पता लगाने के बाद, 6 अक्टूबर 2022 से भारत से चिल्ड और फ्रोजन सीफूड के आयात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। एमपीईडीए और अन्य सरकारी एजेंसियों के निरंतर प्रयासों के बाद, कतर ने दिनांक 16 फरवरी 2023 के आदेश के तहत भारत से फ्रोजन सीफूड के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। एमओपीएच ने 15 नवंबर 2023 से चिल्ड/ताजा सीफूड के आयात पर अस्थायी निलंबन भी हटा दिया।
- **सऊदी अरब साम्राज्य द्वारा भारत से सभी झींगा के आयात का अस्थायी निलंबन:** सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (एसएफडीए) ने 14 मार्च,2023 के संकल्प संख्या 20576 के माध्यम से सभी झींगा के आयात को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। सऊदी अरब के अनुसार, भारत से आयातित झींगा शिपमेंट में पाए जाने वाले "व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम" की उपस्थिति के कारण अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि उन्होंने विशिष्ट विवरण प्रदान नहीं किया है। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास की मदद से इस मामले में बातचीत चल रही है।

(ix) प्रौद्योगिकी विस्तार और समर्थन

- **नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (एनएसीएसए):** यह एमपीईडीए के अंतर्गत संचालित एक सोसायटी है जो देश के छोटे और सीमांत एक्वा किसानों के बीच क्लस्टर खेती और अच्छी जलकृषि प्रथाओं को प्रोत्साहन देती है।
  - अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु राज्यों में लगभग 288 कृषि समूहों का आयोजन किया गया।
  - एनएसीएसए ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और गुजरात राज्यों के 12744 किसानों के लाभ के लिए झींगा पालन में प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग पर किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपी) को अपनाने, फसल योजना और जागरूकता पैदा करने पर ग्राम और मंडल/ब्लॉक/तालुक स्तरों पर कुल 1217 बैठकें आयोजित की हैं। एनएसीएसए ने एमपीईडीए फार्म नामांकन प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल राज्यों के 152 किसानों की सहायता की।
  - एनएसीएसए ने जलीय कृषि में बेहतर प्रबंधन प्रथाओं और जलीय कृषि प्रजातियों के विविधीकरण पर 15 एसटी और 28 एससी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में लगभग 590 किसानों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए।
  - एनएसीएसए द्वारा संचालित एक्वा वन केंद्रों ने 16,603 पानी के नमूने, 292 मिट्टी के नमूने, 5,870 माइक्रोयोलोजकल नमूनों का परीक्षण किया और किसानों के लिए 367 पीसीआर परीक्षण किए।
  - एनएसीएसए ने तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश के 220 किसानों को उनके तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (सीएए) लाइसेंसों के नवीकरण के लिए सहायता प्रदान की। एनएसीएसए ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के 94 किसानों को उनके संबंधित राज्यों के मत्स्य विभाग के माध्यम से नए सीएए पंजीकरण प्राप्त करने में सहायता की।
  - एनएसीएसए ने 18-24 नवंबर 2023 के दौरान रोगाणुरोधी (एएमआर) खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एनएसीएसए सोसाइटी के किसानों के बीच बेहतर प्रबंधन प्रथाओं (बीएमपीएस) को बढ़ावा देने के लिए 16 लक्षित अभियान चलाए; अभियान में लगभग 1572 किसान शामिल हुए।
- **मछली गुणवत्ता प्रबंधन और सतत मछली पालन के लिए नेटवर्क (नेटफिश):** एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी मछुआरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से समुद्री मछली पकड़ने के क्षेत्र में स्थिरता और गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करती है।
  - नेटफिश ने अप्रैल से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान लगभग 2750 जमीनी स्तर की विस्तार गतिविधियाँ की हैं, जिससे समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 20000 हितधारकों को लाभ हुआ है। मछली पालन के बाद फसल की हानि और समुद्री संसाधनों के विनाश को कम करने के लिए सभी समुद्री राज्यों में चयनित बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों में और उसके आसपास कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि समुद्री खाद्य निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। नेटफ़िश मछुआरों की समितियों, महासंघों और अन्य गैर-सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्किंग करके जमीनी स्तर पर काम करता है।
  - 2023-24 के दौरान ओडिशा में मछुआरा समुदाय के बीच 53 कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के सीएसआर फंड से 10 लाख रू. प्राप्त हुए। अब तक 620 मछुआरों तक पहुंचने के लिए 31 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
  - महाराष्ट्र में मैंग्रोव फाउंडेशन, महाराष्ट्र से 2.7 लाख रुपये की राशि के साथ मत्स्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (8) आयोजित किए गए।
  - संबंधित बंदरगाहों पर हार्बर डेटा कलेक्टरों के माध्यम से स्वच्छता और संरक्षण पर 2135 जागरूकता कक्षाएं आयोजित की गईं, जिससे 12000 बंदरगाह उपयोगकर्ता और मछुआरे लाभान्वित हुए।
  - पीएमएमएसवाई परियोजना 'भारत के समुद्री स्तनपायी स्टॉक आकलन' के भाग के रूप में बायकैच सर्वेक्षण और समुद्री पर्यवेक्षक कार्यक्रम किया और व्हेल, डॉल्फ़िन और समुद्री कछुओं को देखने और मत्स्य पालन संबंधी बातचीत पर डेटा प्राप्त किया।
  - एमपीईडीए एससी/एसटी योजना के तहत 112 एससी/एसटी मछुआरा कल्याण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
  - मछुआरों की मदद से समुद्र से प्लास्टिक कचरे के संग्रह और भूमि पर इसके सुरक्षित निपटान और पुनर्चक्रण के लिए मुनंबम फिशिंग हार्बर में डीआरओपी (ड्राइव टू रिमूव ओशन प्लास्टिक) परियोजना शुरू की गई थी।
  - स्वच्छता और साफ-सफाई पर 56 समुद्री भोजन इकाई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे 1960 समुद्री भोजन श्रमिकों को लाभ हुआ और प्रशिक्षण शुल्क के रूप में नेटफिश को 5,60,000/- रुपये की आय हुई।
  - सिफनेट, कोच्चि द्वारा 19 से 24 जून 2023 और 10 से 15 जुलाई 2023 तक आयोजित 2 टूना लॉन्ग लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए महाराष्ट्र और गुजरात के 48 मछुआरों को समन्वित किया और भेजा।
  - नवंबर-दिसंबर 2023 के दौरान एमपीईडीए-नेटफिश एसटी फंड का उपयोग करते हुए सिफनेट, कोच्चि में लक्षद्वीप केन्द्र शासित प्रदेश के 21 एसटी मछुआरों के लिए 'टूना लॉन्ग लाइनिंग एंड हैंडलिंग' और 'समुद्री सुरक्षा, नेविगेशन और समुद्री उपकरण' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
  - स्वच्छता अभियान 3.0 के भाग के रूप में, मछुआरों, छात्रों और आम जनता की भागीदारी के साथ, सभी समुद्री राज्यों में बंदरगाहों, लैंडिंग केंद्रों और समुद्र तटों पर कुल 12 सफाई अभियान चलाए गए।
  - कोलकाता में एक समुद्री खाद्य इकाई के प्रबंधकों, प्रौद्योगिकीविदों, पर्यवेक्षकों और श्रमिकों सहित 32 कर्मचारियों के लिए मूल्य वर्धित

सेफलोपोड्स पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें निर्यात के लिए सेफलोपोड्स के विभिन्न मूल्य वर्धित उत्पादों जैसे होल क्लीन कटलफिश, स्क्विड, स्क्विड रिंग, स्क्विड टेंटेकल्स, स्टफ्ड स्क्विड, ऑक्टोपस क्लीन, ट्रे पैक आदि के उत्पादन पर प्रदर्शन किया गया।

- इस अवधि के दौरान निर्यात के लिए सजावटी मछलियों की 52 खेपों का नेटफिश राज्य समन्वयकों द्वारा निरीक्षण और प्रमाणीकरण किया गया।
- एमपीईडीए-नेटफिश ने सिफ्ट, कोच्चि के सहयोग से मछली पकड़ने के उद्योग में टीईडी के महत्व, टीईडी डिज़ाइन और इसके विकास पर नेट निर्माताओं को जागरूक करने के लिए 20 दिसंबर 2023 को वेरावल में "भारत में टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) के विकास और कार्यान्वयन" पर एक प्रारंभिक कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला में लगभग 22 नेट निर्माताओं सहित कुल 40 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और 5 नेट निर्माताओं ने व्यावसायिक पैमाने पर टीईडी विकसित करने की इच्छा व्यक्त की है।

- **राजीव गांधी जल कृषि केन्द्र (आरजीसीए):** एमपीईडीए के तहत एक सोसायटी और 05.01.1996 को तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXVII 1975 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत। मुख्य फोकस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए भारत में विविध जलीय कृषि को बढ़ावा देना है। एमपीईडीए द्वारा प्रयोगशाला-से-भूमि कार्यक्रम के रूप में सभी राज्यों में निर्यातोन्मुख विविध प्रजातियों की संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। वर्तमान में, आरजीसीए एमपीईडीए के एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है।
  - आरजीसीए ने इस अवधि के दौरान विविध जलीय कृषि पर 23 सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, 18 जागरूकता कार्यक्रम और 5 किसान बैठकें आयोजित की हैं।
  - 1 अप्रैल - 31 दिसंबर 2023 के दौरान आरजीसीए द्वारा बीज आपूर्ति: निर्यात-उन्मुख जलीय कृषि के विविधीकरण के लिए आरजीसीए द्वारा बीज आपूर्ति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

आरजीसीए द्वारा बीज आपूर्ति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	1 अप्रैल - 31 दिसंबर 2023 के दौरान बीज आपूर्ति की संचयी कुल संख्या		
		प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या)	को आपूर्ति
1	एशियाई सीबास हैचरी	सीबास फ्राई	72.86 लाख	किसान/एमएसी/आरजीसीए
2	मैंग्रोव मड क्रैब हैचरी	क्रैबिनस्टार	4.78 लाख	किसान
3	जलकृषि प्रदर्शन फार्म	क्रैबलेट्स	1,952	किसान
		सीबास फिंगरलिंग्स	2,320	किसान
4	मरीन फिनफिश हैचरी प्रोजेक्ट	सीबास फिंगरलिंग्स	95,850	किसान
		पोम्पानो फ्राई	36,150	किसान
5	आर्टीमिया परियोजना और डेमोफार्म	आर्टीमिया बायोमास	334 किग्रा	आरजीसीए/किसानों
		आर्टेमिया पुटी	826 टिन	आरजीसीए/किसानों
6	ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्र	पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक	2400	मछली पालने का जहाज़
7	तिलापिया परियोजना	तिलापिया बीज	3.59 लाख	किसान/एमएसी/ महाराष्ट्र एवं केरल विभाग/ एडीएके
		तिलापिया ब्रूडस्टॉक	7,550	किसान/एमएसी/ केरल विभाग/एडीएके
8	जलीय संगरोध सुविधा	एक्यूएफ (एल. वन्नामेई)	1.41 लाख	हैचरी
		एक्यूएफ (पी. मोनोडॉन)	2,135	हैचरी
		एक्यूएफ (पीपीएल)	1,13,387	हैचरी
9	आरजीसीए - एमएसी (वल्लारपदम)	तिलपिया फ्राई/फिंगरलिंग्स	4.79 लाख	किसान
		सीबास फ्राई/फिंगरलिंग्स	65,983	किसान
		एट्रोप्लससुरटेन्सिस फ्राई/फिंगरलिंग्स	1,28,787	किसान
		पी. मोनोडॉन पोस्ट लार्वा	62,000	किसान

5. व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर)

व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) (पहले पाटन रोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के रूप में जाना जाता था) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जो व्यापार अर्ध न्यायिक प्रकृति की उपचार जांच करता है। पाटन रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) का गठन 1997 में किया गया था और इसे एकल खिड़की ढांचे के तहत सभी व्यापार उपचारी कार्यों अर्थात पाटन रोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी), रक्षोपाय शुल्क(एसजीडी), रक्षा उपायों (क्यूआर) को शामिल करके डीजीएडी को डीजीटीआर में पुनर्गठित करके मई 2018 में डीजीटीआर के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इस प्रकार, डीजीएडी, वाणिज्य विभाग, रक्षोपाय महानिदेशालय, डीजीएफटी के राजस्व और सुरक्षा विभाग (क्यूआर) कार्यों को अपने दायरे में मिलाकर डीजीटीआर का गठन किया गया है। डीजीटीआर एक पेशेवर रूप से एकीकृत संगठन है जिसमें विभिन्न सेवाओं और विशेषज्ञताओं से लिए गए अधिकारियों से निकलने वाले बहु-स्पेक्ट्रम कौशल सेट हैं। यह पाटनरोधी, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने वाला एकल राष्ट्रीय प्राधिकरण है। डीजीटीआर डब्ल्यूटीओ व्यवस्थाओं के संगत ढांचे, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम एवं नियमों तथा अन्य संगत कानूनों एवं अंतरराष्ट्रीय करारों के अंतर्गत पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से व्यापार उपचारी पद्धतियों का प्रयोग करके किसी निर्यातक देश से पाटनकारी एवं कार्रवाई योग्य सब्सिडी जैसी अनुचित व्यापार पद्धतियों के प्रतिकूल प्रभाव के विरुद्ध घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करता है। यह हमारे घरेलू उद्योग और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके विरुद्ध शुरू किए गए व्यापार उपचार जांचों के मामलों से निपटने में व्यापार रक्षा सहायता भी प्रदान करता है।

6. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) भारत के व्यापार सांख्यिकी और वाणिज्यिक जानकारी के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। इस निदेशालय में विचार किए गए विभिन्न मुकदमों की संक्षिप्त रूपरेखा नीचे दी गई है:

(क) सेवा क्षेत्र

डीजीसीआई एंड एस को देश में सेवा व्यवसायों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार डेटा एकत्र करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में सेवा व्यापार के लिए एकत्रित डेटा को कैप्चर करना है। विगत में, डीजीसीआई एंड एस ने आईसीटी, स्वास्थ्य, शिक्षा और बीमा जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कुछ अखिल भारतीय सर्वेक्षण किए थे। अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार डेटा के समय पर प्रवाह के लिए एक प्रशासनिक सेटअप तैयार करने के साथ-साथ प्रशासनिक डेटा स्रोतों से विभिन्न सेवा क्षेत्र पर एक व्यापक नमूना फ्रेम तैयार करने के लिए, श्री तापस कुमार सान्याल, पूर्व महानिदेशक, सीएसओ की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया था ताकि सेवा व्यापार और डेटा अंतराल पर विभिन्न प्रशासनिक डेटा स्रोतों का अध्ययन किया जा सके और तदनुसार उपयुक्त उपायों की सिफारिश की जा सके। समिति में सीएसओ, एमओएसपीआई, डीओसी, आरबीआई, जीएसटीएन, आईआईएफटी, एसईजेड, एसटीपीआई के सदस्य शामिल थे। संबंधित मंत्रालयों से भी अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। इस समिति ने डेटा के सभी उपलब्ध प्रशासनिक स्रोतों पर विचार किया, जिनका उपयोग सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आँकड़े उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता था और तदनुसार मार्च 2023 में व्यापक सिफारिशों के साथ वाणिज्य विभाग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में मई 2023 में आयोजित बैठक में समिति की रिपोर्ट वाणिज्य विभाग के समक्ष प्रस्तुत की गई। डीजीसीआई एंड एस की ओर से रिपोर्ट का अनुमोदन अभी प्राप्त होना है।

डीजीसीआई एंड एस एसईजेड और एसटीपीआई से सेवा निर्यात रिपोर्टिंग प्रारूप (एसईआरएफ) में प्राप्त सेवा निर्यात आंकड़ों के आधार पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 की रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी और सार्वजनिक डोमेन में है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। एसईजेड अथवा एसटीपीआई इकाइयों के माध्यम से होने वाले सभी प्रकार के सेवा निर्यातों को एसईआरएफ के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है और ये मुख्य रूप से आईसीटी समर्थित सेवाओं को पूरा करते हैं। तथापि, दोनों में से किसी के तहत पंजीकृत न की गई इकाइयों द्वारा सेवा निर्यातों को वर्तमान में एसईआरएफ के माध्यम से अभिगृहीत नहीं किया जा सकता है। डीजीसीआई एंड एस के साथ मासिक आधार पर डेटा साझा किया जाता है। डीजीसीआई एंड एस से मासिक त्वरित अनुमान (क्यूई) सामग्री के अतिरिक्त इनपुट के रूप में, डीओसी के साथ एसईआरएफ प्रारूप में सेवाओं के निर्यात की माह-वार मात्रा और पिछले वित्तीय वर्ष के इसी महीने के साथ उनकी तुलना साझा करने के लिए एक मासिक रिपोर्ट शुरू की गई है।

(ख) भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार आंकड़ों के अंतर के अनंतिम कारण

डीजीसीआई एंड एस निम्नलिखित मुद्दों के लिए इनपुट प्रदान करता है जो डीजीसीआई एंड एस, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य देशों की सरकार द्वारा प्रकाशित व्यापार आंकड़ों के अंतर के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। (i) स्रोत और कवरेज (ii) रिकॉर्डिंग का दायरा और समय (iii) विशिष्ट दिशानिर्देश/प्रावधान (iv) व्यापार प्रणाली (v) कमोडिटी वर्गीकरण (vi) मूल्यांकन (vii) भागीदार देश (viii) मेटाडेटा। इस प्रकार डीजीसीआई एंड एस भारत सरकार और अन्य देशों की सरकार के बीच व्यापार डेटा सामंजस्य तंत्र में भाग लेते हैं।

(ग) पण्यवस्तु व्यापार सूचकांक और अन्य सांख्यकी

वर्तमान में विदेशी व्यापार सूचकांकों की गणना श्री नचिकेता चट्टोपाध्याय, प्रोफेसर, आईएसआई, कोलकाता की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार की जाती है। समिति की सिफारिशों के अनुसार, सूचकांकों को इकाई मूल्य और क्वांटम सूचकांकों (बीईसी-वार, देश-वार, प्रधान वस्तु-वार, क्षेत्र-वार और एसआईटीसी-वार) दोनों की गणना करने के लिए लैस्पेयर्स इंडेक्स फॉर्मूला के साथ एक निश्चित आधार प्रणाली का उपयोग करते हुए 2012-2013 के आधार वर्ष के साथ संकलित किया जाता है। पण्य वस्तु व्यापार सूचकांक मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है और अगस्त 2023 तक डीजीसीआईएंडएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सामान्य पण्य वस्तु विदेश व्यापार आंकड़ों के अलावा, यह निदेशालय भारत के अंतर्देशीय व्यापार सांख्यिकी का संकलन और प्रसार करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रेल, नदी और वायु द्वारा माल का अंतर-राज्य संचलन/प्रवाह और भारत के विदेश व्यापार के चयनित आंकड़े शामिल हैं।

क्र.सं.	प्रकाशन का नाम	स्थिति	आवृत्ति
1	रेल, नदी और वायु द्वारा अंतर-राज्यीय आवाजाही/माल का प्रवाह	2021-22 प्रकाशित और डीजीसीआईएंडएस वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2022-23 प्रक्रियाधीन	वार्षिक
2	भारत के विदेश व्यापार के चयनित आँकड़े	2021-22 प्रकाशित और डीजीसीआईएंडएस वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2022-23 प्रकाशित और डीजीसीआईएंडएस वेबसाइट पर उपलब्ध है।	वार्षिक

(घ) विभिन्न नीति मूल्यांकन के लिए डेटा एनालिटिक्स कार्य

डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता सरकारी नीति निर्माताओं, उद्योग निकायों, व्यापारियों (निर्यातकों और आयातकों), अनुसंधान थिंक-टैंक, शिक्षाविदों के साथ-साथ बहुपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के व्यापक और विविध उपयोग के लिए भारत के व्यापार सांख्यिकी को प्रस्तुत करने और प्रसारित करने में वर्षों से लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। व्यापार आंकड़ों का विविधीकृत स्त्रोतों से मिलान और संकलन किया जाता है और बाद में इन्हें विभिन्न रूपों/फार्मेटों में वर्गीकृत शीर्षों के अंतर्गत संगत प्रवृत्ति विश्लेषण के साथ प्रसारित किया जाता है जिनमें पण्य वस्तु निर्यात एवं आयात, सेवा क्षेत्र व्यापार, वस्तुओं का अंतर्राज्यीय संचलन, अंतर्देशीय तटीय ट्रेड, भारत का विदेशी एवं तटीय कार्गो संचलन, आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, यह संगठन नियमित रूप से पण्यवस्तु निर्यात और आयात पर एक मासिक रिपोर्ट के प्रकाशन का प्रयास करता है जिसमें विस्तृत रुझान विश्लेषण और देखे गए रुझानों और विकास के पीछे के संभावित कारणों को शामिल किया जाता है, ताकि विस्तृत डेटा की समीक्षा के माध्यम से भारत की विदेश व्यापार नीति बनाने में सुविधा प्रदान की जा सके। इंडियन ट्रेड जर्नल, जो इस कार्यालय का एक अभिन्न अंग है, अन्य बातों के साथ-साथ डीजीसीआई एंड एस डेटाबेस, यूएनकॉमट्रेड डाटाबेस और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों की रिपोर्टों के आधार पर विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापार और विभिन्न वस्तुओं के भारत के व्यापार पर बुनियादी विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के प्रसार की प्रक्रिया में लगा हुआ है।

कमोडिटी समूह और देश विशिष्ट रिपोर्टों को मजबूत और विकसित करने के माध्यम से नीति निर्माण और विश्लेषण की दिशा में अधिक योगदान करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के लिए प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं और साथ ही क्षेत्र-विशिष्ट व्यापार संवर्धन उपायों को अपनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं जो भारत के लिए वैश्विक व्यापार परिदृश्य में एक निशान बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं जो एक ही समय में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे सकते हैं, अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।

7. सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम)

वर्ष 2023-24 में, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) ने सरकारी खरीद में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के अपने मिशन को जारी रखा। जेम ने प्लेटफ़ॉर्म की उपयोगिता और पहुंच को बढ़ाने में महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए, जिससे सरकारी संगठनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं को कुशलतापूर्वक खरीदना आसान हो गया।

जेम पोर्टल पर कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ और संवर्द्धन इस प्रकार हैं:

- **प्रभावशाली जीएमवी माइलस्टोन:** जेम ने वित्त वर्ष 23-24 के पहले नौ महीनों के भीतर सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) में 2.5 लाख करोड़ रुपये को पार करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।
- **ऐतिहासिक सेवाएँ जीएमवी:** 31 दिसंबर 2023 तक, सेवाओं का जीएमवी अपनी स्थापना के बाद से 2.21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में, सेवाओं का जीएमवी रु. 66,159 करोड़ था। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले नौ महीनों के भीतर, सेवाओं का जीएमवी पहले ही सेवाओं से पिछले वित्त वर्ष जीएमवी को पार करते हुए 1,17,452 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- **वाइब्रेंट मार्केटप्लेस:** पोर्टल में 11,930 से अधिक उत्पाद श्रेणियां और 318 से अधिक सेवा श्रेणियां हैं और यह 1,38,176 से अधिक खरीदार संगठनों का घर है। जेम पर रखे गए ऑर्डरों की कुल संख्या 1.88 करोड़ रुपये के करीब है, जिसकी स्थापना के बाद से 6.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचयी जीएमवी है
- **एमएसई भागीदारी:** 8.87 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, और उन्हें कुल 3.10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर मिले हैं, जो जीईएम के संचयी जीएमवी में 48.15 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं।
- **महिला नेतृत्व वाले एमएसई:** महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले 1.55 लाख से अधिक एमएसई जीईएम पर पंजीकृत हैं, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक 21,539 करोड़ रुपये के 8.62 लाख से अधिक ऑर्डर पूरे किए हैं।
- **स्टार्ट-अप को सहायता:** "मेक इन इंडिया" अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जीईएम ने 22,290 से अधिक स्टार्ट-अप को भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में मदद की है। इन फर्मों ने जीएमवी में 20,321 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर संसाधित किए हैं ।
- **एकीकरण पहल:** जेम को ई-ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2023 को रीवा, मध्य प्रदेश में किया था।
- **एक्सेस वर्चुअल डेस्कटॉप (एवीडी) के माध्यम से वैश्विक पहुंच:** जेम को अब एवीडी नामक एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेशी स्थानों से एक्सेस किया जा सकता है। यह कदम विदेशों में भारतीय दूतावासों के विशिष्ट खरीदारों के लिए फायदेमंद होगा।
- **विवाद समाधान सुविधाएँ:** जेम ने विवाद से विश्वास-II (संविदात्मक विवाद) कार्यक्षमता की शुरुआत की, जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच विवादों को हल करने के लिए एक मूल्यवान विशेषता है जो, 500

- करोड़ रुपये तक के विवादों पर लागू होती है।
- **नेक्स्ट-जेन जेम प्लेटफ़ॉर्म:** जीईएम ने अपने उपयोगकर्ताओं को आसान बनाने और अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए नए युग की अत्याधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग के साथ अगले जीईएम प्लेटफॉर्म को डिजाइन और विकसित करने के लिए नए प्रबंधन सेवा प्रदाता जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सफलतापूर्वक शामिल किया है।
- **लेनदेन शुल्क स्लैब और प्रतिशत परिवर्तन -** जेम ने अपनी लेनदेन नीति को संशोधित किया है और इसे जेम पोर्टल पर लागू किया गया है।
- **एएल-एमएल आधारित निर्णय समर्थन:** जीईएम पोर्टल पर एआई/एमएल-आधारित उन्नत विश्लेषण को लागू करने की प्रक्रिया में है जो जीईएम को विसंगति और धोखाधड़ी को कम करने में मदद करेगा। ये एआई आधारित मॉडल जीईएम पर होने वाले विभिन्न लेनदेन पर वास्तविक समय/वास्तविक समय की प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे और खरीदार को सूचित निर्णय लेने में मदद करेंगे और साथ ही साथ असंगत लेनदेन को रोकेंगे।
- **जीईएम सहाय:** एमएसएमई और स्टार्ट-अप के सामने आने वाली क्रेडिट पहुंच चुनौतियों का समाधान करने के लिए, जीईएम ने जीईएम सहाय शुरू किया है - एक मोबाइल एप्लिकेशन जो एमएसएमई और स्टार्ट-अप के लिए बाधा रहित वित्तपोषण प्रदान करता है, जिससे उन्हें उसी जेम प्लेटफ़ॉर्म पर ऑर्डर स्वीकृति स्थान पर ऋण प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। यह प्लेटफ़ॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत विनियमित सभी ऋणदाताओं को भाग लेने की अनुमति देता है और जेम विक्रेताओं को पूंजी प्रदान करता है।
- **सीमित निविदा -** सीपीएसई खरीदारों के लिए सीमित निविदा कार्यक्षमता सक्षम की गई है। क्रेता बोलीदाताओं की विक्रेता आईडी दर्ज कर सकता है जो बोली दस्तावेज़ में प्रकाशित हो जाएगी। केवल वे सीमित विक्रेता ही भाग ले सकते हैं जिनका उल्लेख क्रेता द्वारा बोली दस्तावेज़ में किया गया है।
- **सीएससी, इंडिया पोस्ट सर्विसेज -** जीईएम, सीएससी-एसपीवी और इंडिया पोस्ट ने सार्वजनिक खरीद में अंतिम-मील के सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की वकालत, आउटरीच, गतिशीलता और क्षमता निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस एकीकरण के साथ, सभी अंतिम-मील के सरकारी खरीदार, विक्रेता और सेवा-प्रदाता भारत के दूरदराज के हिस्सों में स्थित इंडिया पोस्ट सुविधाओं के माध्यम से जेम पर लॉजिस्टिक्स सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

8. व्यापार सुविधा संस्थान (आईडीआई, आईआईपी, आईआईएफटी)

(क) भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई)

भारतीय हीरा संस्थान (आईडीआई) की स्थापना 1978 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत हीरे, रत्न और आभूषण के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करके की गई थी।

संस्थान की जेमोलॉजिकल प्रयोगशाला हीरे, रत्न और आभूषणों के परीक्षण और पहचान में लगी हुई है, और डायमंड ग्रेडिंग, जेम स्टोन पहचान और डायमंड ज्वैलरी क्वालिटी रिपोर्ट जारी कर रही है। संस्थान की डायमंड ग्रेडिंग प्रयोगशाला डीजीएफटी, एमओसी एंड आई द्वारा एफटीपी 2015-2020 के अध्याय 4 के अनुसार हीरे के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए अधिकृत है। आईडीआई अपने कतारगाम परिसर में डायमंड डिटेक्शन एंड रिसोर्स सेंटर (डीडीआरसी) का भी संचालन करती है, जो छोटे/मध्यम हीरा निर्माताओं/हीरा व्यापारियों/ज्वैलर्स को सस्ती दरों पर डायमंड स्क्रीनिंग सेवाएं प्रदान करती है। आईडीआई जी एंड जे व्यापार में जागरूकता फैलाने के लिए "सिंथेटिक डायमंड आइडेंटिफिकेशन" पर विभिन्न कार्यशालाएं/सेमिनार भी आयोजित करता है।

(ख) भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी)

भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना 1966 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत की गई थी।

(i) प्रशिक्षण, शिक्षा और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

वर्ष 2022-23 में पैकेजिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कुल 204 छात्र उत्तीर्ण हुए और सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी पर रखे गए। लगभग 82 छात्रों ने पत्राचार के माध्यम से पैकेजिंग में डिप्लोमा उत्तीर्ण किया। सर्टिफाइड पैकेजिंग इंजीनियर (सीपीई) में सर्टिफिकेट कोर्स में 52 छात्र उत्तीर्ण हुए।

आईआईपी ने निर्यातकों/व्यापारियों के लिए कम लागत वाले फलों और सब्जियों की पैकेजिंग पर, मानक और विनियमन निर्यात पैकेजिंग पर, कागज और पेपर बोर्ड पैकेजिंग पर, विभिन्न पैकेजिंग सामग्रियों के परीक्षण और गुणवत्ता मूल्यांकन पर, "खाद्य पैकेजिंग और सुरक्षा आवश्यकताओं" पर, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

(ii) पैकेजिंग डिजाइन एवं विकास

आईआईपी ने एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के तहत उत्तर प्रदेश के 5 जिला हस्तशिल्प उत्पादों के लिए नए पैकेज डिजाइन और विकसित किए हैं। संस्थान ने मेसर्स नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के लिए नवीन पैकेजिंग को भी डिजाइन और विकसित किया है। मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के लिए ऐश ब्रिक्स की परिवहन पैकेजिंग का डिजाइन और विकास भी किया गया था

(iii) परीक्षण एवं प्रमाणन

वर्ष	जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या (अंतरराष्ट्रीय समुद्री संकटपूर्ण सामान) आईएमडीजी	जारी किए गए प्रमाणपत्रों की संख्या (अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन) आईसीएओ
2021-22	7741	1798
2022-23	6218	1345
2023-24 (31 दिसंबर 2023 तक)	5217	1028

(iv) अनुसंधान एवं विकास

संस्थान को निम्नलिखित शोध परियोजना प्राप्त हुई

- मेसर्स आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए सहायक उपकरणों के लिए पैकेजिंग का डिजाइन और विकास
- एपीडा द्वारा प्रायोजित 21 संभावित एपीडा अनुसूचित जीआई टैग और जैविक रूप से विकसित कृषि उत्पादों के लिए पैकेजिंग समाधान

(v) अन्य उपलब्धियाँ

- संस्थान ने 14 मई 2023 को (1) उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनईएचएचडीसी), मेघालय, (2) राष्ट्रीय खाद्य, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजूर, (3) तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ सहयोग और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- आईआईपी को कृषि विभाग, ओडिशा सरकार से एसएचजी के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और पैकेजिंग डिजाइन और विकास, हैंडहोल्डिंग कार्यक्रम 3 साल के लिए 547.83 लाख रुपये की मंजूरी मिली
- आईआईपी को ओडिशा ग्रामीण विकास और विपणन सोसायटी (ओआरएमएएस), ओडिशा सरकार से किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 36 लाख रुपये प्राप्त हुए।

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी)

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) की स्थापना 2 मई, 1963 को वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, जिसमें विदेश व्यापार से संबंधित अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

(i) कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग

कार्यकारी प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) प्रभाग की कल्पना सरकारी अधिकारियों, राजनयिकों, उद्यमियों, निर्यातकों, कॉर्पोरेट क्षेत्र और नागरिक समाज के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों और व्यापार नीति पर इसके प्रभाव की व्यापक समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। ईएमपीडी समसामयिक व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर विचार, राय और विश्लेषण उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रम शुरू करता है जो विभिन्न देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए रुचिकर हैं।

(ii) प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग

संस्थान का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) प्रभाग अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय विपणन, वित्त, निर्यात आयात प्रबंधन, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, रणनीतिक प्रबंधन, मानव संसाधन, आईटी, एसईजेड के लिए क्षमता निर्माण, डेटा एनालिटिक्स, ट्रेड एनालिटिक्स आदि के क्षेत्र में सरकार/पीएसयू, कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के अधिकारियों/कार्यपालकों को नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। यह प्रभाग आईएएस और अन्य अखिल भारतीय सेवा सहित भारत सरकार के विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

आईआईएफटी भारतीय व्यापार सेवा परिवीक्षार्थियों के लिए नौ महीने का आवासीय फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने वाला एक नोडल संस्थान है। इसके अलावा, संस्थान भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

संस्थान भारत सरकार के डीजीएफटी की निर्यात बंधु योजना के तहत देश भर में फैले निर्यातकों और उद्यमियों के लिए "निर्यात आयात व्यवसाय" पर ऑनलाइन प्रमाणपत्र कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। योजना के तहत अब तक 1350 से अधिक निर्यातकों एवं उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। हाल ही में, डीजीएफटी की पहल पर, आईआईएफटी ने एमओओसी (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्यात बंधु कार्यक्रम लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से कहीं भी भाग ले सकता है।

इसके अलावा, प्रभाग हाइब्रिड/ऑनलाइन/ऑन-कैंपस मोड के माध्यम से निम्नलिखित लंबी अवधि के कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र कार्यक्रम।
- हाइब्रिड मोड के माध्यम से निर्यात और आयात प्रबंधन में प्रमाणपत्र कार्यक्रम।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए रणनीतियों पर ईडीपी।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर ईडीपी।
- डीजीआर के माध्यम से सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

(iii) प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग

संस्थान का प्रबंधन में स्नातक अध्ययन (जीएसएम) प्रभाग पूर्णकालिक/दीर्घकालिक कार्यक्रमों का नोडल प्रभाग है। यह प्रभाग प्रशासनिक और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के अलावा, संस्थान के पूर्णकालिक एमबीए, सप्ताहांत एमबीए और प्रमाणपत्र कार्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया करता है।

(iv) अर्थशास्त्र प्रभाग

अर्थशास्त्र में उन्नत ज्ञान प्रदान करने के लिए आईआईएफटी में एमए (अर्थशास्त्र - व्यापार और वित्त में विशेषज्ञता) कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम दिल्ली और कोलकाता में एक साथ आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र विभागों से पाठ्यक्रम और शिक्षण शिक्षाशास्त्र को आत्मसात करता है। सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नवीनतम विकास और उनके अनुभवजन्य अनुप्रयोगों पर जोर दिया जाता है। कक्षा में बातचीत के अलावा, ट्यूटोरियल के साथ-साथ समूह कक्षाओं में भी प्रत्येक छात्र पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाता है। आईआईएफटी में प्रदान किया जाने वाला पीएच.डी. अर्थशास्त्र (पूर्णकालिक) कार्यक्रम भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उपलब्ध सर्वाधिक वरीयता प्राप्त अनुसंधान डिग्री कार्यक्रमों में से एक है।

(v) अनुसंधान प्रभाग

संस्थान के विकास में अनुसंधान का बहुत महत्व है क्योंकि यह ज्ञान सृजन और प्रशिक्षण के बीच एक मजबूत इंटरफ़ेस प्रदान करता है। संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य का विश्लेषण करने और उचित कॉर्पोरेट रणनीतियों को विकसित करने में पर्याप्त परामर्श क्षमता विकसित की है।

संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक बोली लगा रहा है। अनुसंधान प्रभाग समय-समय पर समसामयिक विषयों पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करता रहता है, जो बहुपक्षीय निकायों, सरकारी क्षेत्र और प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थानों दोनों से प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों को एक साथ लाता है। प्रभाग द्वारा प्रस्तुत पीएच.डी. कार्यक्रम (प्रबंधन) अत्यधिक प्रशंसित है।

(vi) एलुमनी कार्य प्रभाग (डीएए)

डीएए संस्थान के साथ पूर्व छात्रों के जुड़ाव को बढ़ाने और सार्थक बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय चैप्टर मीट, आईआईएफटी कॉन्क्लेव, ग्रैंड एलुमनी रीयूनियन, एलुमनी राउंडटेबल, बैच मीट और कई अन्य गतिविधियों जैसी सभी नियमित वार्षिक गतिविधियां कर रहा है। आईआईएफटी के पूर्व छात्र कॉर्पोरेट, सार्वजनिक क्षेत्र, मीडिया, खेल और शिक्षा जगत में विभिन्न व्यवसायों में शीर्ष स्थान पर हैं। पूर्व छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन और अंतिम प्लेसमेंट, अतिथि व्याख्यान श्रृंखला, कॉर्पोरेट प्रतियोगिताओं, लाइव प्रोजेक्ट, मेंटरशिप और अन्य संस्थान-उद्योग इंटरफ़ेस गतिविधियों के आयोजन के लिए नियमित रूप से काफी सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

(vii) कॉर्पोरेट संबंध और प्लेसमेंट प्रभाग (सीआरपीडी)

प्लेसमेंट समिति, जो एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस फुल टाइम प्रोग्राम के छात्रों का एक निर्वाचित निकाय है, कॉर्पोरेट संबंध और प्लेसमेंट डिवीजन के तहत कार्य करती है। प्लेसमेंट समिति को कॉर्पोरेट क्षेत्रों तक पहुंचने और संस्थान में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप और अंतिम प्लेसमेंट प्रक्रिया का संचालन करने का अधिकार है।

प्रभाग के प्रमुख द्वारा इन प्रयासों में प्लेसमेंट समिति को निर्देशित किया जाता है। प्लेसमेंट समिति पिचिंग करती है, अतिथि व्याख्यान के लिए कंपनी के दिग्गजों को आमंत्रित करती है, ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्रों को शामिल करती है और स्नातक छात्रों के अंतिम प्लेसमेंट को सुरक्षित करती है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) ने अपने प्रमुख एमबीए (आईबी) कार्यक्रम के 2021-23 बैच के लिए अंतिम प्लेसमेंट संपन्न किया। प्लेसमेंट साइकल में विभिन्न डोमेन और उद्योगों से 108 प्रतिष्ठित नियोक्ताओं ने भाग लिया। इसमें औसतन सीटीसी 29.1 लाख रुपये प्रति वर्ष और औसत सीटीसी 26.5 लाख रू. प्रति वर्ष देखी गई। । उच्चतम अंतरराष्ट्रीय सीटीसी ऑफर 85.40 लाख रु. प्रति वर्ष रही।

2022-24 के ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के लिए 100 प्रतिशत प्लेसमेंट के साथ-साथ अंतिम प्लेसमेंट समय से पूर्व पूरा हुआ, जो चुनौतीपूर्ण समय में एक असाधारण उपलब्धि का प्रतीक है।

(viii) जर्नल प्रभाग

(क) मासिक संगोष्ठी श्रृंखला

जर्नल प्रभाग ने एक मासिक सेमिनार श्रृंखला शुरू करने की पहल की है। इस सेमिनार में, बाहरी विशेषज्ञों को अकादमिक शोध पत्र/विषय प्रस्तुत करने और आईआईएफटी में संकाय सदस्यों/अनुसंधान विद्वानों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे आयोजनों का एक प्राथमिक उद्देश्य संकाय सदस्यों और छात्रों के बीच अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना है

(ख) फोकस डब्ल्यूटीओ आईबी जर्नल और आईआईएफटी त्रैमासिक न्यूज़लैटर का प्रकाशन

जर्नल्स प्रभाग आईआईएफटी के इन-हाउस त्रैमासिक प्रकाशनों को प्रकाशित करता है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और प्रबंधन अनुसंधान में पूर्ण-शोध पत्र, केस-स्टडी, मोनोग्राफ, पुस्तक समीक्षा और डॉक्टरेट शोध प्रबंध का सारांश प्रकाशित करता है।

(ग) विदेश व्यापार समीक्षा का प्रकाशन

जर्नल्स प्रभाग विदेश व्यापार समीक्षा (एफटीआर) प्रकाशित करता है, जिसमें सीमा पार मुद्दों में सैद्धांतिक और अनुभवजन्य मुद्दों के क्षेत्र में शोध लेख, टिप्पणी और पुस्तक समीक्षाएं शामिल हैं।

(ix) दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई)

नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत परिकल्पना के अनुसार देश के दूरस्थ स्थानों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए 2021 में संस्थान में दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र (सीडीओई) की स्थापना की गई थी। सीडीओई निम्नलिखित कार्यक्रम प्रदान करता है:

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम (ईपीजीडीआईबी)-ऑनलाइन (15 महीने की अवधि)
- 'फिनटेक के माध्यम से विकास और परिवर्तन' पर 4 महीने की अवधि का प्रमाणपत्र कार्यक्रम
- आईएनसीओ शर्तों पर ऑनलाइन एमडीपी
- प्रभाग ने शैक्षणिक वर्ष 2021-23 के लिए ईपीजीडीआईबी (ऑनलाइन) कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसमें घरेलू बंदरगाह का दौरा भी शामिल है।
- शैक्षणिक वर्ष 2022-24 के लिए एमबीए (आईबी) ऑनलाइन कार्यक्रम नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था

(x) उत्तर पूर्वी अध्ययन केंद्र (सीईएनईएसटी)

आईआईएफटी ने उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के सहयोग से 2016 में सीईएनईएसटी (उत्तर पूर्वी अध्ययन केंद्र) की स्थापना की है। एनईसी के सचिव सीईएनईएसटी के शीर्ष निकाय के अध्यक्ष भी हैं। केंद्र में हितधारकों के सदस्य शामिल हैं जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केंद्र निर्यात में सुधार की दिशा में सभी पूर्वोत्तर राज्यों में प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेटवर्किंग में शामिल है। केंद्र ने उद्योग विभाग के सहयोग से असम राज्य के लिए गुवाहाटी में पहले ही निर्यात क्लिनिक स्थापित कर लिया है। क्लिनिक के माध्यम से, केंद्र ने असम के सभी जिलों में कार्यशालाएं आयोजित करने की शुरुआत की है। असम मॉडल की सफलता ने केंद्र को पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी इसे दोहराने में मदद की है। केंद्र असम सहित उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले समसामयिक मुद्दों पर विभिन्न शोध अध्ययन भी आयोजित करता है।

9. सार्वजनिक क्षेत्र के निगम (ईसीजीसी, एमएमटीसी लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड, आईटीपीओ, एनसीटीआई, एसटीसी, एसटीसीएल लिमिटेड)

(क) ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)

ईसीजीसी दुनिया के 200 से अधिक देशों में होने वाले निर्यात लेनदेन को कवर करता है। इसने 7,000 से अधिक विशिष्ट निर्यातकों को प्रत्यक्ष क्रेडिट बीमा कवर के माध्यम से और 9,000 से अधिक निर्यातकों को बैंकों को क्रेडिट बीमा कवर के माध्यम से समर्थन दिया है, इसके 90 प्रतिशत से अधिक ग्राहक छोटे निर्यातक खंड से हैं। ईसीजीसी ने 2022-23 के दौरान 6.63 लाख करोड़, रु. के निर्यात में सहायता की है जो भारत से राष्ट्रीय व्यापारिक निर्यात का लगभग 18 प्रतिशत है। इसने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत के सभी बैंकों द्वारा कुल निर्यात ऋण संवितरण के लगभग 30 प्रतिशत के लिए सहायता की है, बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) कवर के माध्यम से इक्कीस बैंकों तक विस्तारित किया गया है जिसमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक और नौ निजी सेक्टर बैंक शामिल हैं। इसने पिछले 9 वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के बीच) के दौरान 7,800 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का निपटान किया है।

ईसीजीसी ने 2022-23 के दौरान 6.63 लाख करोड़ रु. के कुल निर्यात में सहायता है। पिछले पांच वर्षों में निर्यात सहायता का विवरण इस प्रकार है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	2019 -20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (31.12.23 तक)
निर्यात सहायता का मूल्य	5,61,606	6,02,801	6,18,841	6,63,602	4,93,665

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईसीजीसी का प्रदर्शन (31 दिसंबर, 2023 तक)

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	प्रदर्शन मापदंड	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24 (31.12.23 तक)
1	बीमा कवर की कुल संख्या	24,895	19,517
2	कुल अधिकतम दायित्व	1,14,777	1,12,326
3	कवर किया गया कुल व्यवसाय (जोखिम मूल्य)	6,63,602	4,93,665
4	कुल प्रीमियम राशि	1,197	881

अपने व्यापार का विस्तार करने और राष्ट्रीय निर्यात के कवरेज के लिए, इसने हाल ही में निम्नलिखित पहल की हैं:

- 1 जुलाई 2023 से बैंकों के लिए अपने संपूर्ण कारोबार निर्यात ऋण बीमा (डब्ल्यूटी-ईसीआईबी) के तहत 50 करोड़ रुपये तक की कुल निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा वाले छोटे निर्यातकों को 90 प्रतिशत (औसत 70 प्रतिशत कवर से) का बढ़ा हुआ कवर। इसका उद्देश्य बैंकों को छोटे निर्यातकों को वहनीय और पर्याप्त निर्यात ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे नए बाजारों/नए खरीदारों की तलाश कर सकें और मौजूदा उत्पादों के पोर्टफोलियो को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से विविधता प्रदान कर सकें।
- मल्टी क्रेता एक्सपोजर पॉलिसी (एमबीईपी), निर्यात प्राप्य (फैक्टर के जोखिम), बीमा कवर (ईआरआईसी) जिसे आमतौर पर भारतीय रुपये में 'कारकों के लिए कवर' और 'घरेलू ऋण बीमा कवर' के रूप में जाना जाता है, जैसे अपने कुछ मौजूदा उत्पादों में सुधार किया है।
- ईसीजीसी आईएफएससी बीमा कार्यालय, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर से अपनी सेवाओं का विस्तार किया और विदेशी मुद्रा में नए उत्पाद ईआरआईसी की शुरुआत की।

इसके अलावा, ईसीजीसी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) योजना के 'पहली बार एमएसई निर्यातकों की क्षमता निर्माण' (सीबीएफटीई) घटक को लागू करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीबीएफटीई योजना का उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों में प्रोत्साहन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने में सक्षम बनाना है। सीबीएफटीई योजना के तहत, 'लघु निर्यातक पॉलिसी' रखने वाले नए निर्यातकों को एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये तक के प्रीमियम की वापसी की अनुमति दी जाती है, जो कुछ पात्रता मानदंडों के अधीन है। इस कदम से एमएसई निर्यातकों को निर्यात में उद्यम करने और क्रेडिट बीमा कवर के लिए अपनी लेनदेन लागत को कम करने के लिए प्रोत्साहित होने की उम्मीद है।

(ख) एमएमटीसी लिमिटेड

एमएमटीसी लिमिटेड को 1963 में मुख्य रूप से खनिजों और अयस्कों के निर्यात और अलौह धातुओं के आयात से निपटने के लिए एक स्वतंत्र इकाई के रूप में शामिल किया गया था। बाद में, इसने राष्ट्रीय आवश्यकताओं/नए व्यापार अवसरों को ध्यान में रखते हुए अपने व्यापार पोर्टफोलियो का विविधीकरण किया और उर्वरक, सराफा, कृषि आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं को निरंतर कंपनी के पोर्टफोलियो में जोड़ा ।

एमएमटीसी के व्यवसाय संचालन की समीक्षा की गई है और वर्तमान में यह कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रहा है।

(i) पहल

(क) स्वच्छ भारत - स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

वर्ष 2022 -23 के दौरान, एमएमटीसी ने स्वच्छ भारत अभियान में सहायता के लिए एसएपी गतिविधियां शुरू कीं।

- स्वच्छ कार्यालय परिसर
- एमएमटीसी के कार्यालय परिसरों में पूरे भारत में स्थित सीओ/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता से संबंधित नारों/साइनेज और तस्वीरों का प्रदर्शन।
- एमएमटीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालयों की सफाई का उचित रखरखाव और निरंतरता।
- रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अनुरूप पुरानी फाइलों/रिकॉर्डों की पहचान कर उन्हें एमएमटीसी कॉलोनी के रिकॉर्ड रूम में भेजकर हटाने का अभियान जारी रखा जा रहा है।
- एमएमटीसी कॉलोनी में साइट कार्यालय में नियमित सफाई और पौधे/वृक्षों का रोपण।
- एमएमटीसी लिमिटेड के सभी कार्यालयों में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक नियमित स्वच्छता पखवाड़ा अयोजित किया गया।

(ख) स्वच्छ विद्यालय पहल

- स्वच्छता अभियानों में भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता मिशन में अंगीकृत स्कूल, नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, मालवीय, नगर, नई दिल्ली को शामिल करना।
- विद्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण अर्थात नियमित आधार पर साफ-सफाई, पौधों का पालन-पोषण, रंग-रोगन, पौधारोपण, मरम्मत गतिविधियाँ आदि।
- स्वास्थ्य और फिटनेस: बच्चों को स्वस्थ, फिट और सक्रिय रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

(ग) प्रशिक्षण और विकास

व्यावसायिक परिदृश्य में लगातार बदलाव से कर्मचारियों के कौशल को और अधिक बढ़ाने/उन्नत करने के लिए, कंपनी की गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष के दौरान 189 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आयोजित प्रशिक्षण कार्यों में कार्यात्मक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के प्रशिक्षण शामिल थे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों में 30 अनुसूचित जाति, 18 अनुसूचित जनजाति और 112 महिला कर्मचारी शामिल हैं।

एमएमटीसी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्य-जीवन संतुलन और खुशी पर तीन दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित किया। एमएमटीसी ने पीओएसएच अधिनियम के प्रावधानों पर एक कार्यक्रम भी आयोजित किया। एमएमटीसी ने प्रीसेप्टर्स ऑफ हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

(ii) डिजिटल इंडिया

एमएमटीसी भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को लागू करने के एक भाग के रूप में, एनआईसी (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक संगठन) से ई-ऑफिस लाइट लागू करने की प्रक्रिया में है। एनआईसी का ई-ऑफिस सॉफ्टवेयर एक वर्कफ़्लो-आधारित सॉफ्टवेयर है जो भौतिक फ़ाइलों को डिजिटल करने, फ़ाइल पर नोट्स कैप्चर करने, विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने, पत्रों और अधिसूचना आदि के रूप में निर्णय जारी करने में सक्षम है। ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से उत्पादकता/आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा और निर्णय लेने में पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा, एमएमटीसी में ई-पेमेंट सहित 100 प्रतिशत ई-टेंडरिंग की जा रही है।

(iii) स्वच्छ ऊर्जा

एमएमटीसी ने 2007-08 में कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ में 15 मेगावाट क्षमता की पवन मिल परियोजना स्थापित की थी। इस परियोजना ने कर्नाटक राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के कुछ हिस्से को पूरा करके क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। एमएमटीसी पवन उत्पादन के माध्यम से भी आय अर्जित करती है।

(iv) वित्तीय प्रदर्शन

एमएमटीसी ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 7840.78 करोड़ रू. के दर्ज कारोबार के मुकाबले 2022-23 के दौरान 271.77 करोड़ रुपये का व्यापार कारोबार हासिल किया। इस कारोबार में 4 करोड़ रू. का निर्यात, 63 करोड़ रू. का आयात और का 204.77 करोड़. रू. का घरेलू व्यापार शामिल है। एमएमटीसी ने 2022-23 में मुख्य रूप से दीपम, भारत सरकार के तत्वावधान में एनआईएनएल के विनिवेश से 1076.07 करोड़ रू. का मुनाफा कमाया।

(v) सहायक कंपनी

एमएमटीसी ट्रांसनेशनल प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर (एमटीपीएल) एमएमटीसी की पूर्ण एक स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी है। वर्तमान में एमटीपीएल का सिंगापुर कानूनों के तहत परिसमापन किया जा रहा है।

(vi) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)

एमएमटीसी लिमिटेड ने ओडिशा सरकार और अन्य के साथ संयुक्त रूप से नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) - 1.1 मिलियन टन क्षमता का एक लौह और इस्पात संयंत्र, 0.8 मिलियन टन कोक ओवन और कैप्टिव पावर प्लांट के साथ उत्पाद इकाई की स्थापना की। भारत सरकार ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनआईएनएल के विनिवेश के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, जिसमें चार केंद्रीय पीएसयू अर्थात एमएमटीसी, एनएमडीसी, बीएचईएल और मेकॉन और दो ओडिशा सरकार की कंपनियां अर्थात ओएमसी और आईपीआईसीओएल शेयरधारक थीं। सरकार ने एनआईएनएल के विनिवेश का निर्णय इसलिए लिया था ताकि सफल रणनीतिक खरीदार कंपनी के विकास के लिए नया प्रबंधन/प्रौद्योगिकी/निवेश ला सके और कंपनी के व्यवसाय संचालन के विकास के लिए नवीन तरीकों का उपयोग कर सके, जिससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकें। तदनुसार, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने एनआईएनएल के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की थी, जो 4 जुलाई 2022 को पूरी हुई ।

(vii)कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निदेशक मंडल द्वारा कोई सीएसआर बजट अनुमोदित नहीं किया गया है। बोर्ड स्तर पर सीएसआर समिति ने चूंकि कंपनी को पिछले वर्षों अर्थात 2020-21, 2021-22 में घाटा हुआ और 2022-23 में लाभ हुआ है, अत: तदनुसार, सीएसआर बजट की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -1 98 के अनुसार अर्थात पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत जो कि नकारात्मक है। इस प्रकार, कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत अनिवार्य आवंटन खर्च करने की बाध्यता नहीं है।

(ग) पीईसी लिमिटेड

पीईसी लिमिटेड का गठन 21 अप्रैल 1971 को एसटीसी की एक पूर्ण स्वामित्वाधीन वाली सहायक कंपनी के रूप में किया गया था। पीईसी लिमिटेड 27 मार्च 1991 से वाणिज्य विभाग के तहत एक स्वतंत्र कंपनी बन गई । पिछले वर्षों से, पीईसी लिमिटेड विभिन्न आवश्यक और औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात और आयात में शामिल रहा है। कंपनी ने सितंबर 2019 से व्यवसाय का प्रचालन बंद कर दिया है।

(i) प्रदर्शन

2016-17 से कॉर्पोरेशन का समग्र प्रदर्शन इस प्रकार है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

सामान	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रचालनों से राजस्व	4271.51	4470.91	627.87	8.32	0.00	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(147.02)	(129.09)	(314.29)	(243.93)
करोपरांत लाभ	(92.84)	(56.96)	(499.19)	(147.02)	(129.09)	(314.29)	(243.93)
लाभांश एवं कॉर्पोरेट कर							
इक्विटी	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
रिजर्व	(1,139.97)	(1193.91)	(1693.10)	(1840.12)	(1969.21)	(2283.98)	(2526.86)
निवल मूल्य	(1,079.97)	(1133.91)	(1633.10)	(1780.12)	(1909.21)	(2,223.98)	(2466.86)

(ii) बिक्री कारोबार

2016-17 से कंपनी का बिक्री कारोबार इस प्रकार है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	बिक्री कारोबार
2016-17	4254.07
2017-18	4451.92
2018-19	617.87
2019-20	8.03
2020-21	0.00
2021-22	0.00
2022-23	0.00

(iii) निर्यात और आयात

2016-17 से कंपनी का बिक्री कारोबार इस प्रकार है:

(मूल्य करोड़ रुपये में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
निर्यात	63.27	327.61	51.97	7.79	0.00	0.00	0.00
आयात	3980.11	3849.10	523.24	0.00	0.00	0.00	0.00

(iv) मानव संसाधन

30 सितंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 35 कर्मचारी हैं, जिनमें से 07 कर्मचारी पीईसी के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(v) अनुपालन

कंपनी सरकारी कामकाज, में हिंदी के प्रयोग संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों, नागरिक चार्टर, सार्वजनिक निवारण तंत्र और आरटीआई की अनुपालना कर रही है।

(vi) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 की शुरूआत के साथ ही, एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है। निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट www.pecIimated.com पर उपलब्ध है। पीईसी 2014-15 से घाटे में चल रही है, इसलिए उस पर सीएसआर खर्च करने की कोई बाध्यता नहीं है।

(घ) इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ)

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) भारत की प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जो व्यापार और उद्योग को व्यापक सेवाएँ प्रदान करती है और भारत के व्यापार के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।

आईटीपीओ, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अपने मुख्यालय और चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ, भारत और विदेशों में अपने कार्यक्रमों में देश के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापार और उद्योग की प्रतिनिधि भागीदारी सुनिश्चित करता है।

1 अप्रैल से 15 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान आईटीपीओ में विभिन्न गतिविधियाँ और विकास

(क) भारत मंडपम

माननीय प्रधान मंत्री ने नए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और इसे "भारत मंडपम" नाम दिया। लोकार्पण समारोह में माननीय प्रधान मंत्री ने 'भारत मंडपम' के निर्माण से जुड़े प्रत्येक कार्यकर्ता, भाई और बहन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं तथा इसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए वैश्विक अवसरों का प्रवेश द्वार बताया।

विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित कन्वेंशन सेंटर में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी आईटीपीओ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आईटीपीओ ने चुनौतियों पर काबू पाने और भारत सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों तथा अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए, परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास समर्पित किया। इसका सफल समापन होने से प्रतिष्ठित कन्वेंशन सेंटर, जिसे भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है, को जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के सामने गर्व से प्रदर्शित किया जा सका, जो "विकसित भारत" की भावना को दर्शाता है

(i) भारत मंडपम में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन, 2023 की मुख्य विशेषताएं

- **कुशल सुविधा प्रबंधन**
  - आईटीपीओ ने भारत मंडपम आदि में विभिन्न सुविधाओं में

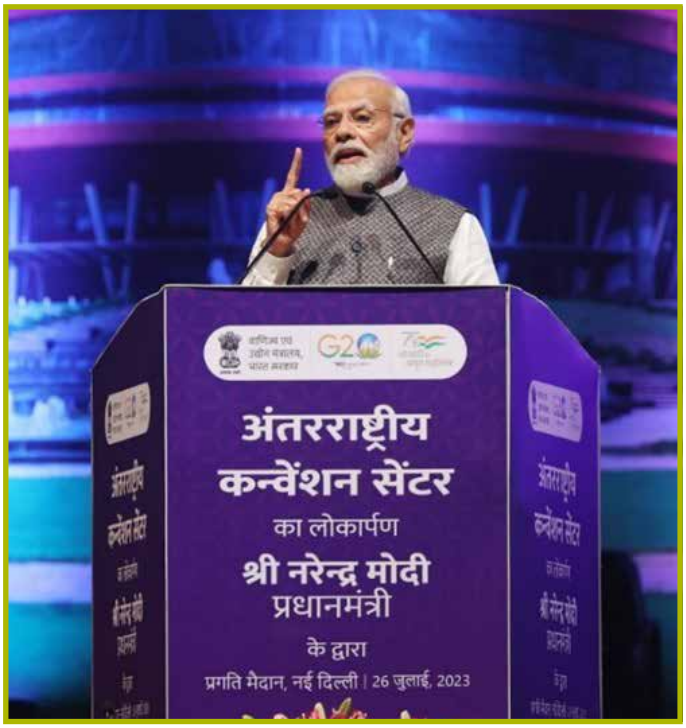

उचित प्रभाव के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट, कई कैमरों, माइक सिस्टम, निर्बाध और निर्बाध बिजली आपूर्ति, एयर कंडीशनिंग और सटीक प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से एकीकृत अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल सुविधाएं सुनिश्चित कीं।

- आईटीपीओ द्वारा लिफ्ट, एस्केलेटर, एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) और हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम के दोषरहित संचालन जैसी लगभग 67 महत्वपूर्ण सेवाओं के साथ मजबूत भवन प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई।

- **कार्यबल प्रबंधन:**
  - आईटीपीओ ने एनबीसीसी, सीबीआरई, रेलटेल, सीडीएसी आदि जैसी लगभग 100 एजेंसियों के बीच सहयोग करके, शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित की।
  - आईटीपीओ ने 2560 कर्मियों के विविध कार्यबल का प्रबंधन किया और उन्हें 123 एकड़ के विशाल परिसर के आसपास 300 चिन्हित महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया।

- **कुशल और मजबूत आईटी अवसंरचना:**
  - आईटीपीओ ने 5जी इंटरनेट के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक कुशल और सक्षम तकनीकी टीम तैनात की है।
  - जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रगति मैदान में निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए आईटी अवसंरचना के लिए 3600 मानव-दिवस का निवेश किया गया, 1675 इनडोर एंटेना, 35 किमी से अधिक रेडियो फ्रीक्वेंसी केबल और 25 किमी फाइबर केबल लगाई गई।

(ii) वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष 2022-23 के दौरान, आईटीपीओ द्वारा प्राप्त कुल आय पिछले वर्ष में 126.69 करोड़ रू. की आय के तुलना में 432.81 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

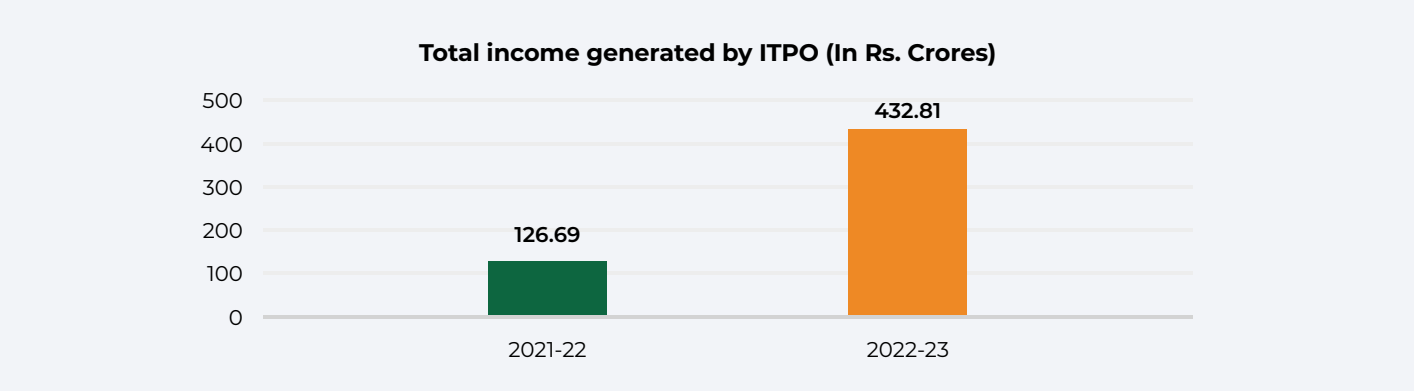

आईटीपीओ ने पिछले वर्ष 2021-22 में 21.84 करोड़ रू. के घाटे की तुलना में 230.39 करोड़ रुपये का अधिशेष हासिल किया है।

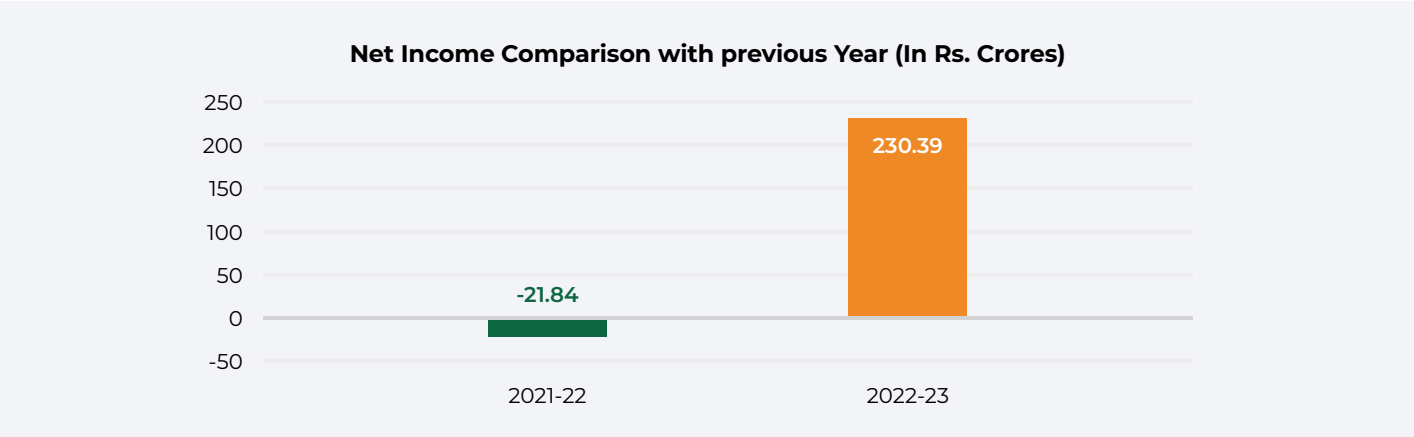

(मूल्य करोड़ रुपये में)

चालू वर्ष की अलेखापरीक्षित वित्तीय विशेषताएं (30 सितंबर 2023 तक)	
प्रचालन से राजस्व	224.84
प्राप्त लाभ	51.16

(ख) घरेलू मेले

आईटीपीओ ने अपने प्रमुख कार्यक्रम भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के 42 वें संस्करण का आयोजन 14 से 27 नवंबर 2023 तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हॉल नंबर 1 से 14 तक किया। इस संस्करण की थीम "वसुधैव कुटुंबकम - व्यापार द्वारा यूनाइटेड" थी । श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री और श्री सोम प्रकाश, माननीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार ने 14 नवंबर 2023 को मेले का उद्घाटन किया ।

(i) 42वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2023 कि प्रमुख विशेषताएँ

- **प्रदर्शनी क्षेत्र:**
  - 2023 संस्करण में 1,15,000 वर्गमीटर का विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र शामिल था ।
- **प्रतिभागी विविधता:**
  - भारतीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को मिलाकर प्रतिनिधित्व करने वाले 3500 से अधिक प्रदर्शन शामिल थे।
  - प्रमुख कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों, महिला उद्यमियों, एससी-एसटी उद्यमियों और स्टार्ट-अप सहित 470 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- **वैश्विक उपस्थिति:**
  - संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मिस्र, लेबनान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, ईरान, ट्यूनीशिया, किर्गिज़स्तान जैसे 12 देशों से 59 विदेशी संस्थाओं ने भाग लिया।
- **आगंतुक उपस्थिति:**
  - मेले ने पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है और लगभग दस लाख आगंतुक आकर्षित हुए।

42वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2023 में प्राप्त उपलब्धियां

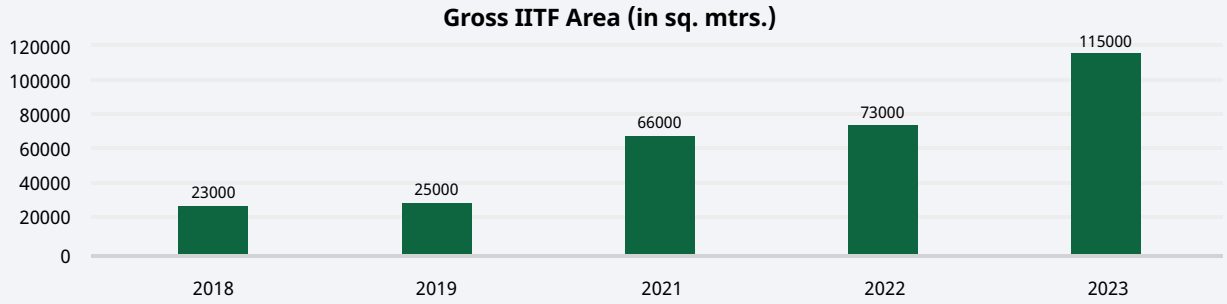

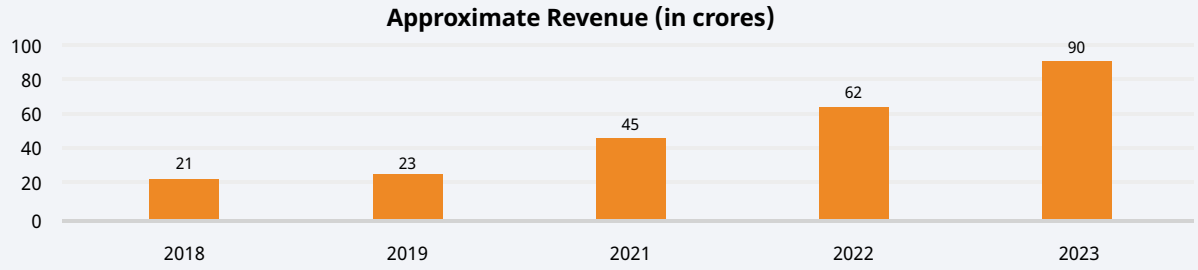

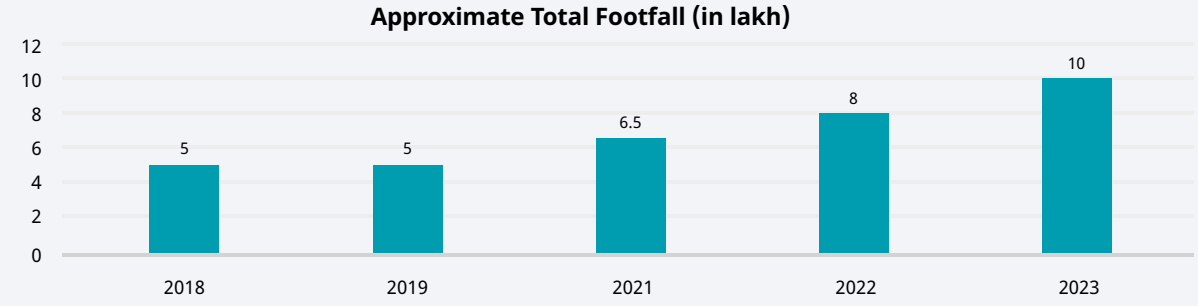

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी की अवसंरचना

- **जी-20 शिखर सम्मेलन 2023**
  - कार्यक्रम के दौरान एक मजबूत साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के साथ निर्बाध दूरसंचार नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया था।
- **भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2023**
  - एक नई डिजिटल पहल के रूप में बीकॉन आधारित प्रौद्योगिकी के माध्यम से नेविगेशन सुविधा के साथ कार्यक्रम से संबंधित सूचना प्रसार के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया गया था।
  - प्रदर्शकों और आगंतुकों को किसी भी असुविधा से बचाने के लिए इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन प्रदान करके और दूरसंचार अवसंरचना बढ़ाकर, आयोजन के दौरान टेलीकॉम नेटवर्क कवरेज को बेहतर ढंग से बनाए रखा गया था।
  - आयोजन के दौरान पहली बार पोर्टेबल पावर बैंक कियोस्क की स्थापना के माध्यम से प्रदर्शकों और आगंतुकों के लिए मोबाइल चार्जिंग स्टेशन की सुविधा प्रदान की गई थी।
  - आयोजन के दौरान प्रदर्शकों के लिए ऑनलाइन स्पेस बुकिंग की सुविधा और आगंतुकों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा जारी रखी गई।
- **भारत मंडपम` मोबाइल ऐप** विकसित किया गया है। ऐप भारत मंडपम और आईटीपीओ, भारत मंडपम में होने वाले आगामी कार्यक्रमों और भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित जानकारी होस्ट करता है। ऐप में इनडोर रूट मैप सुविधा और भाषा अनुवाद सुविधा भी उपलब्ध है।

(घ) विदेशों में आयोजित मेले

वर्ष के दौरान, आईटीपीओ ने भारत की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा दिया और विदेशी व्यापार मेलों में भारत के शो का आयोजन किया। दिसंबर के मध्य तक यूरोप, अफ्रीका/वाना, नाफ्टा, एलएसी, एनईए आदि में कुल 9 कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में समर फैंसी फूड शो, न्यूयॉर्क (यूएसए), एसआईएएल, कनाडा, थेसालोनिकी अंतरराष्ट्रीय मेला थेसालोनिकी, ग्रीस आदि शामिल थे को भी आईटीपीओ द्वारा सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

विदेशों में आयोजित मेलों में आईटीपीओ की भागीदारी

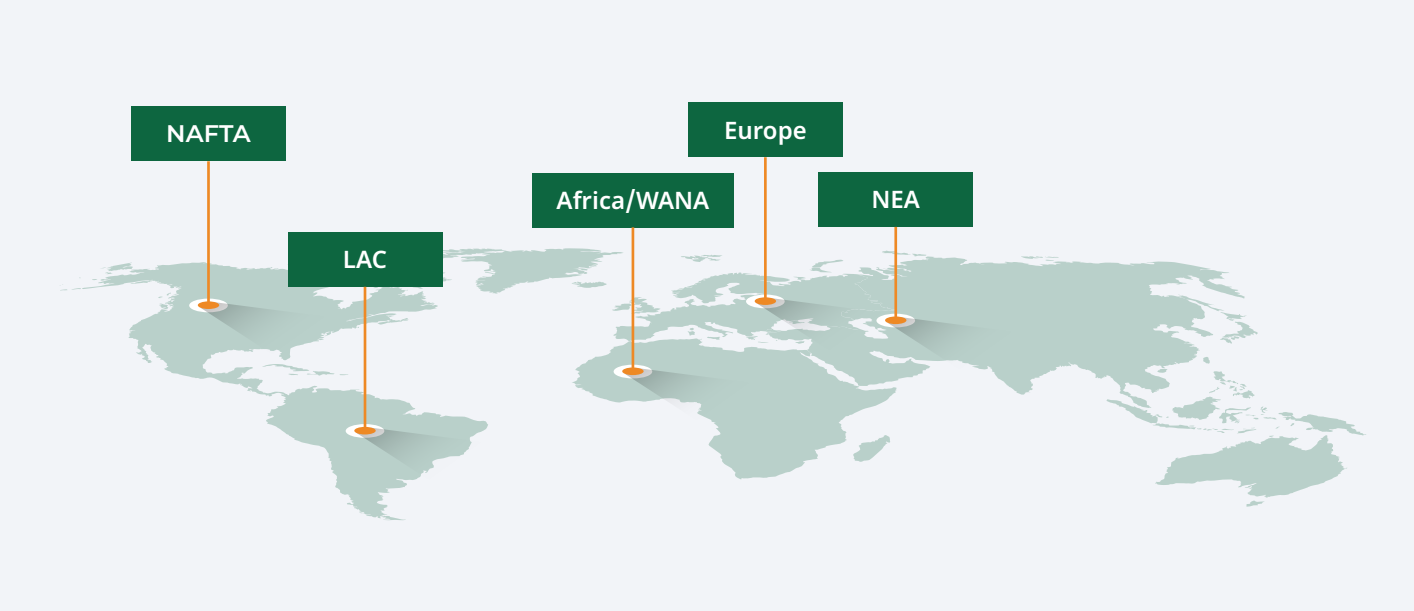

(ङ) तीसरे पक्ष के आयोजकों द्वारा आयोजित मेले

(i) प्रदर्शनी उद्योग का पुनरुद्धार (वित्तीय वर्ष 2022-23)

- प्रगति मैदान प्रदर्शनी हॉल में लगभग 70 तृतीय-पक्ष कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- इसमें राष्ट्रीय महत्व के सरकारी कार्यक्रम और हाई-प्रोफाइल कॉर्पोरेट कार्यक्रम शामिल हैं।
- जुलाई 2023 में उद्घाटन किए गए भारत मंडपम ने समान संख्या में कार्यक्रमों की मेजबानी की।

(ii) कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आउटरीच कार्यक्रम

- पूर्ववर्ती और वर्तमान वर्षों में व्यापक आउटरीच कार्यक्रम संचालित किया गया।
- राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, एजेंसियों, निर्यात संवर्धन परिषदों और संघों से संपर्क किया।

(iii) संवर्धनात्मक टैरिफ नीति (वित्त वर्ष 2023-24)

- प्रदर्शनी उद्योग को बढ़ावा देने और भारत के व्यापार के लिए आयोजनो को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई।
- प्रमुख स्थल और सेवाओं के प्रदाता ने एक संवर्धनात्मक टैरिफ नीति की घोषणा की।
- वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक रियायती स्थान किराये की पेशकश की गई।

(iv) कोविड-19 के बाद नीतिगत छूट

- उद्देश्य: कोविड-19 प्रतिबंधों के बाद प्रदर्शनी उद्योग को पुनर्जीवित करना
- शामिल की गई छूट
  - स्थल किराये पर छूट
  - निरस्त करने, पुन:समय निर्धारण करने और क्षेत्र में कमी करने पर उदारीकृत नीति
  - विलंबित शुल्कों के लिए भुगतान अनुसूची में छूट
  - आयोजकों को अधिक लागत मार्जिन के साथ प्रगति मैदान में प्रदर्शनी करने की अनुमति उद्योग के लिए फायदेमंद साबित हुआ

(च) क्षेत्रीय व्यापार केंद्र

(i) तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (टीएनटीपीओ) चेन्नई

- आईटीपीओ और टीआईडीसीओ के संयुक्त उद्यम टीएनटीपीओ द्वारा प्रबंधित ।
- 2022-23 में, चेन्नई ट्रेड सेंटर ने प्रदर्शनी हॉल और कन्वेंशन सेंटर में क्रमश: 83 प्रदर्शनियों और 81 कार्यक्रमों की मेजबानी की।
- पिछले वर्ष टीएनटीपीओ की कुल आय 46.87 करोड़ रु. से बढ़कर 18.85 करोड़ रु
- 'अन्य व्यापक आय' पर विचार करते हुए निवल अधिशेष 2021-22 में 3.67 करोड़ रू की तुलना में 28.28 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
- बोर्ड ने 308.75 करोड़ रू. (जीएसटी सहित) की लागत पर 20,322 वर्ग मीटर बहुउद्देश्यीय हॉल (प्रदर्शनी/सम्मेलन) के निर्माण को मंजूरी दी।
- 34.61 एकड़ में 2 कन्वेंशन सेंटर और 5 प्रदर्शनी हॉल, के साथ कुल 35,677 वर्ग मीटर स्थान शामिल करने के लिए विस्तार योजना पूरी होने की उम्मीद है ।

(ii) कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (केटीपीओ), बेंगलुरु

- केटीपीओ एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में एक प्रमुख क्षेत्र में स्थित है।
- आईटीपीओ और कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) के संयुक्त उद्यम, कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन द्वारा प्रबंधित
- 2022-23 में, ट्रेड सेंटर, बेंगलुरु ने 44 कार्यक्रमों की मेजबानी की, जिससे पिछले वर्ष 3.95 करोड़ रु. से बढ़कर कुल 9.30 करोड़ रु. की आय हुई।
- निवल अधिशेष पिछले वर्ष 1.31 करोड़ रु की तुलना में बढ़कर 3.83 करोड़ रु. हुआ।

(iii) जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन (जेकेटीपीओ), पंपोर

- जेकेटीपीओ एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें जम्मू-कश्मीर सरकार की 51.25 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी है
- आईटीपीओ, ईपीसीएच और कार्पेट निर्यात संवर्धन परिषद के पास क्रमश: 40 प्रतिशत, 4.55 प्रतिशत और 4.20 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं।

(छ) हितधारकों के लिए की गई पहल

वर्ष के दौरान, आईटीपीओ की अवसंरचना क्षमता और सेवा वितरण में सुधार और वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ई-इनवलमेंट: घरेलू कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन स्थान बुकिंग प्रणाली, तीसरे पक्ष के कार्यक्रमों के लिए हॉल और सेवा आवश्यकताओं की ऑनलाइन बुकिंग , सभी पुराने एसी हॉल और नए हॉल में वाई-फाई सुविधा, मेला आगंतुकों के लिए ई-टिकटिंग और जीईएमएस/ई-टेंडरिंग से ई-प्रोक्योरमेंट की शुरुआत की गई।

ग्राहक अनुकूल उपाय

- प्रतिस्पर्धी टैरिफ नीति
- संपर्क का एकल बिंदु (एसपीओसी) प्रणाली
  - भारत मंडपम में तीसरे पक्ष के कार्यक्रमों के लिए व्यवसाय विकास प्रभाग की ओर से कार्यान्वित किया गया
- हेल्प डेस्क को सुदृढ़ बनाना
- नियमित बातचीत
  - प्रतिभागियों और आयोजकों के साथ नियमित बातचीत की पहल।
- ऑनलाइन पोर्टल में सुधार

(ज) राजभाषा (हिन्दी) का प्रगामी प्रयोग

आईटीपीओ में भारत सरकार की राजभाषा नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, सीएमडी, आईटीपीओ की अध्यक्षता में एक राजभाषा समिति का गठन किया गया है और नियमित रूप से इसकी बैठके आयोजित की जाती हैं ताकि राजभाषा हिंदी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा ।

(झ) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

आईटीपीओ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीएसआर और स्थिरता दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 और लागू नियमों का सख्ती से पालन कर रहा है। सीएसआर पहल/गतिविधियों को तदनुसार लागू और मॉनिटर किया जाता है। आईटीपीओ की सीएसआर पहलों के बारे में विस्तृत नीति http://www.indiatradefair.com/csr.php पर उपलब्ध है ।

पंचमहल के ग्रामीण जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य में सहायता के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आश्रम शाला, अदादरा गांव, जिला पंचमहल, गुजरात 4 कमरों और शौचालयों के निर्माण के लिए 20.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

(ञ) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई)

मंत्रिमंडल की 17 दिसंबर 2020 की बैठक में एनसीटीआई को समाप्त करने/स्वैच्छिक परिसमापन को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (एनसीटीआई) ने अपनी गतिविधियां बंद कर दी हैं । वर्तमान में, एनसीटीआई के परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है।

(ट) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी)

एसटीसी की स्थापना 18 मई 1956 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीएंडआई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत की गई थी और इसने देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एसटीसी ने भारत में बड़े पैमाने पर उपभोग की आवश्यक वस्तुओं (जैसे गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, आदि) और औद्योगिक कच्चे माल के आयात की व्यवस्था की और समय-समय पर भारत से बड़ी संख्या में वस्तुओं का निर्यात करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। एसटीसी बुलियन, यूरिया आदि के आयात के लिए नामित एजेंसी में से एक थी।

एसटीसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर रही है और देश भर में फैले अपने सभी शाखा कार्यालय बंद कर दिए हैं और कानूनी, वसूली और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भाग लेने के लिए केवल 1-2 प्रबंधकों वाले प्रतिनिधि कार्यालयों को बरकरार रखा गया है। एसटीसी खाते को मार्च/जून' 18 में ऋणदाता बैंकों द्वारा एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था और एसटीसी वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के लिए बैंकों के साथ चर्चा कर रहा है।

(i) प्रदर्शन: 2022-23

(क) कारोबार

वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने कोई व्यावसायिक गतिविधियाँ नहीं कीं लेकिन वाणिज्य विभाग के निर्देशों के अनुसार काउंटर ट्रेड दायित्वों की निगरानी जारी रखी।

(ख) लाभप्रदता

वर्ष 2022-23 के दौरान 94 करोड़ रुपये निवल घाटे (कर के बाद) के मुकाबले 33 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ (कर के बाद) की सूचना गई और यह मुख्य रूप से जेवीबी से बढ़ी हुई किराये की आय और निगम की जनशक्ति में समग्र कमी के मद्देनजर स्थापना लागत में कमी के कारण था।

एसटीसीएल लिमिटेड

एसटीसीएल लिमिटेड को 1982 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 'इलायची ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड' के रूप में शामिल किया गया था। 1987 में इसका नाम बदलकर "स्पाइसेस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड" कर दिया गया। 1999 में, यह द एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई। अगस्त 2004 में इसका नाम बदलकर "एसटीसीएल लिमिटेड" कर दिया गया।

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 5 करोड़ रु. है। चुकता शेयर पूंजी 1.5 करोड़ रुपये है। संपूर्ण चुकता पूंजी एसटीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है। 31 मार्च 2023 तक कंपनी की कुल संपत्ति (- 4558.19) करोड़ रू. है।

13 अगस्त 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बा , कंपनी ने 2014-15 से सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दीं। वर्तमान में कंपनी बंद चल रही है और व्यावसायिक सहयोगियों से अपने बकाया की वसूली और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए मध्यस्थता मामलों सहित विभिन्न कानूनी मामलों को आगे बढ़ा रही है।

10. निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण और प्री शिपमेंट निरीक्षण के माध्यम से भारत के निर्यात व्यापार के अच्छे विकास को सुनिश्चित करने और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी । ईआईसी उन वस्तुओं की अधिसूचना के लिए केंद्र सरकार की एक सलाहकार संस्था है, जिन्हें निर्यात करने से पहले गुणवत्ता नियंत्रण, मानकों, निरीक्षण आदि के अधीन किया जाता है।

ईआईसी विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए अनिवार्य प्रमाणीकरण प्रदान करती है, जैसे कि पशु केसिंग, काली मिर्च, बासमती चावल और गैर-बासमती चावल (ईयू को निर्यात के लिए), कुचली हुई हड्डियां, ओस्सिन और जिलेटिन, अंडा और अंडा उत्पाद, फ़ीड एडिटिव्स और प्री-मिश्रण मछली और मत्स्य उत्पाद, ताजा पोल्ट्री मांस और पोल्ट्री मांस उत्पाद, फल और सब्जी उत्पाद, शहद, दूध और दूध उत्पाद, मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (ईयू और मलेशिया) अन्य खाद्य पदार्थ जो अधिनियम के तहत अधिसूचित नहीं हैं, उन्हें भी आयातक देश की आवश्यकताओं के अनुसार स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना के तहत प्रमाणित किया जा रहा है। निर्यात प्रमाणीकरण ईआईसी के क्षेत्रीय संगठनों निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईए) द्वारा किया जाता है, और यह दो प्रणालियों पर आधारित है, अर्थात्, कंसाइनमेंट वाइज निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) प्रणाली और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन आधारित प्रमाणन (एफएसएमएससी) प्रणाली जो खतरा विश्लेषण क्रिटिकल कंट्रोल प्वाइंट (एचएसीसीपी) पर आधारित है। । इन प्रणालियों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आयातक देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ईआईसी प्रमाणीकरण विश्व स्तर पर स्वीकार किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा नियमों और प्रमाणन की बदलती गतिशीलता के इस युग में, ईआईसी ने दुनिया भर में व्यापारिक भागीदारों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए अपनी भूमिका और कार्यों में बदलाव किया है। ईआईसी ने खाद्य सुरक्षा घटनाओं के बढ़ते प्रसार के साथ आयातक देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यातक बिरादरी सहित हितधारकों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(i) ईआईसी की प्रमुख गतिविधियाँ

- आयातक देशों के मानकों के अनुसार निर्यात के लिए वस्तुओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर आधारित प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों को मंजूरी
- निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार निर्यात वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कंसाइनमेंट वाइज निरीक्षण (सीडब्ल्यूआई) के आधार पर प्री-शिपमेंट निरीक्षण और प्रमाणीकरण
- विभिन्न तरजीही टैरिफ योजनाओं के तहत निर्यात उत्पादों के लिए तरजीही उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करना
- विभिन्न निर्यात प्रमाणन योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र, अर्थात् स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, प्रामाणिकता प्रमाणपत्र, गैर-जीएमओ प्रमाणपत्र आदि जारी करना
- निरीक्षण एजेंसियों और प्रयोगशालाओं की मान्यता

(ii) वाणिज्यिक संबंध, व्यापार समझौते और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन

ईआईसी, अपनी स्थापना के बाद से आयातक देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करके अपनी गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण गतिविधियों के माध्यम से भारत से निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ईआईसी की गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियां भारतीय निर्यात के लिए विश्वव्यापी पहुंच को सुविधाजनक बनाने और आयातकों के साथ-साथ आयातक देशों के अधिकारियों में भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा के बारे में विश्वास पैदा करने में मदद करती हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, ईआईसी प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू)/पारस्परिक मान्यता समझौते (एमआरए)/समतुल्यता समझौते/मान्यताएं/सहयोग व्यवस्था हासिल करने का प्रयास जारी रखता है। ये व्यवस्थाएं आयातक देशों के नियामक अधिकारियों द्वारा ईआईसी की प्रमाणन प्रणाली की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करती हैं और कई सीमा निरीक्षणों से बचती हैं।

ईआईसी ने भारत सरकार द्वारा व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया पर की गई पहलों को पूरा करने के विशिष्ट उद्देश्य से अपने संसाधनों और सेवा की गुणवत्ता में बदलाव किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जरूरतों के अनुरूप खाद्य वस्तुओं के निर्यात के लिए बढ़े हुए अवसर प्रदान करना है। ईआईसी अन्य हितधारकों, जैसे अन्य प्रचार बोर्डों, निर्यातकों, आयातक देशों के अधिकारियों, उद्योग संघों, वाणिज्य मंडलों के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण, कौशल उन्नयन, तकनीकी क्षमता और विश्लेषणात्मक क्षमता में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। ईआईसी विकसित देशों द्वारा लगाए गए एसपीएस उपायों से संबंधित भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सक्रिय रूप से अपनी क्षमता विकसित कर रहा है।

वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक ईआईसी/ईआईए की प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

- **एसपीएस-टीबीटी मुद्दों पर इंटरैक्टिव सत्र**

ईआईसी ने एमएसएमई तमिलनाडु, सीएफटीआरआई, एपीडा, मसाला बोर्ड के साथ 'दूध और दूध उत्पादों, फलों और सब्जियों के उत्पादों, चावल, मूंगफली, मसाले, बाजरा अनाज और दालें, फ़ीड एडिटिव्स और अन्य उत्पादों में एसपीएस-टीबीटी मुद्दे' पर एक इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया। एफआईईओ, तमिलनाडु पशुपालन विभाग, एनडीआरआई, तनुमास और 12.04.2023 को केले के लिए आईसीएआर-एनआरसी श्रीमती सिगी थॉमस वैध्यन, आईएएस, उद्योग आयुक्त और उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक ने सत्र का उद्घाटन किया। सत्र निर्यात निरीक्षण एजेंसी-चेन्नई द्वारा आयोजित किए गए थे और इसमें लगभग 75 निर्यातकों ने भाग लिया था। सत्र के दौरान निर्यातकों को भारत से निर्यात में ईआईसी की भूमिका से अवगत कराया गया। सत्र के दौरान निर्यातकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का भी समाधान किया गया।

- **रूस तक डेयरी उत्पादों की बाज़ार पहुंच**

पशु चिकित्सा और फाइटोसैनिटरी निगरानी के लिए संघीय सेवा (एफएसवीपीएस), रूस ने अपनी अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल 2023 (18 अप्रैल 2023 को ईओआई, मॉस्को के माध्यम से प्राप्त) के माध्यम से दो भारतीय निर्यात प्रतिष्ठानों से डेयरी उत्पादों की बाजार पहुंच की अनुमति दी है।

- **निर्यात बंधुओं के लिए इंटरैक्टिव सत्र**

एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी-कोच्चि ने सीफूड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईएआई) के सहयोग से 29 मई 2023 को कोच्चि क्षेत्र के मछली और मत्स्य उत्पाद (एफ एंड एफपी) प्रतिष्ठानों के निर्यातकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र की व्यवस्था की। ईआईए के संयुक्त निदेशक (प्रभारी) -कोच्चि ने कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। ईआईए-कोच्चि के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए और एफ एंड एफपी योजना पर नवीनतम अपडेट के बारे में जानकारी दी। सत्र का लक्ष्य निर्यात बिरादरी की चिंताओं को समझना और उन्हें ईआईसी की एफ एंड एफपी योजना के क्षेत्र में नवीनतम अपडेट से अवगत कराना था। इस बैठक के माध्यम से निर्यातकों को ईआईए कोच्चि द्वारा उन निर्यातक देशों की आवश्यकताओं के बारे में मार्गदर्शन किया गया, जिन्हें भारत अपनी निर्यात सेवाएं प्रदान कर रहा है। बैठक में कुल 75 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

- **कोडेक्स में ईआईसी की भागीदारी**

ईआईसी के अधिकारी भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के निर्यात निरीक्षण के निदेशक श्री प्रवीण कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिन्होंने यूट्रेक्ट में आयोजित खाद्य पदार्थों में दूषित पदार्थों (सीसीसीएफ) पर कोडेक्स समिति के 16 वें सत्र में भाग लिया था। नीदरलैंड्स (नीदरलैंड्स का साम्राज्य), 17 से 21 अप्रैल 2023 तक। डॉ . एम. बालाजी, संयुक्त सचिव, डीओसी और निदेशक (आई एंड क्यू/सी) ईआईसी के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कोडेक्स समिति के 26 वें सत्र में भाग लिया। खाद्य आयात और निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रणाली (सीसीएफआईसीएस26) पर 1 से 5 मई 2023 तक होबार्ट, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया । सीसीएफआईसीएस26 के पूर्ण सत्र के दौरान भारत के प्रतिनिधिमंडल ने "आयातित भोजन की अस्वीकृति के संदर्भ में अपील तंत्र पर मार्गदर्शन" के लिए नए कार्य प्रस्ताव पर परियोजना दस्तावेज़ के साथ चर्चा पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्ताव के लिए सामान्य समर्थन था, और यह माना गया कि विषय सीसीएफआईसीएस के दायरे में था, और कार्य को आगे बढ़ाने में मूल्य था। सीसीएफआईसीएस26 ने अनुरोध किया कि भारत, नाइजीरिया की सहायता से, सीसीएफआईसीएस27 में आगे विचार करने से पहले, सत्र में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक अद्यतन चर्चा पत्र और परियोजना दस्तावेज़ तैयार करे।

(iii) वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन (जीएफआरएस) - 2023 में ईआईसी की भागीदारी

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ने 'ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट (जीएफआरएस) - 2023' में भाग लिया। जीएफआरएस 2023 का आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा 20 से 21 जुलाई 2023 के दौरान मानेकशॉ सेंटर, नई दिल्ली में किया गया था। ईआईसी ने कार्यक्रम में एक स्टॉल लगाकर ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट (जीएफआरएस)-2023 में भाग लिया । माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल ने 21 जुलाई 2023 को ईआईसी के स्टॉल का दौरा किया और खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में ईआईसी की भूमिका की सराहना की । ईआईसी के अतिरिक्त निदेशक डॉ. जेएस रेड्डी ने 21 जुलाई 2023 को जीएफआरएस 2023 के अंतिम दिन "खाद्य सुरक्षा पर पशु आहार और पोषण का प्रभाव" विषय पर आयोजित एक पैनल चर्चा के दौरान भाषण दिया।

(iv) सीफूड क्षेत्र में क्षमता निर्माण

ईआईए-कोच्चि उप-कार्यालय-मैंगलोर और ईआईए-चेन्नई उप-कार्यालय विशाखापत्तनम ने ' मछली और मत्स्य उत्पाद इकाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, आयातक देशों के विनियमों और एचएसीसीपी पर' और ' मछली और मत्स्य उत्पादों के सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण, भारत सरकार अधिसूचना' मछली और मत्स्य उत्पादों के निर्यातों पर कार्यकारी अनुदेशों तथा विनिमयों पर प्रौद्योगिकीविदों को संवेदनशील बनाने के लिए मैंगलोर और विशाखापत्तनम में क्रमश: 12 अगस्त 2023 और 21 -25 अगस्त 2023 को क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सीफूड में सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण के लिए मछली और मत्स्य उत्पाद प्रतिष्ठानों के प्रौद्योगिकीविदों को प्रशिक्षित करना और सूक्ष्मजीव परीक्षण से संबंधित उनके प्रश्नों का समाधान करना था। इससे सूक्ष्मजीवविज्ञानी संदूषण से मुक्त सुरक्षित उत्पादों के निर्यात की सुविधा मिलेगी।

11. नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकांउट (एनईआईए) ट्रस्ट

- भारत सरकार ने भारत से रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 2006 में एनईआईए ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट की स्थापना 66 करोड़. रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। सरकार ने विगत वर्षों में ट्रस्ट में 4,741 करोड़ रुपये योगदान दिया है। 31 दिसंबर 2023 तक ट्रस्ट के पास उपलब्ध कुल धनराशि 2,896.12 करोड़ रू.थी, हालांकि, नए प्रस्तावों को बीमा देने के लिए ट्रस्ट के पास 31 दिसंबर 2023 तक उपलब्ध धनराशि आय और व्यय के हिसाब से शून्य है।
- 31 दिसंबर 2023 की स्थिति के अनुसार, 58 देशों में 81 भारतीय परियोजना निर्यातकों द्वारा निष्पादित 61,577 करोड़ रुपये की 241 परियोजनाओं को एनईआईए ट्रस्ट द्वारा सहायता दी गई। एनईआईए सुविधाओं के अंतर्गत शामिल प्रमुख क्षेत्र निर्माण, इंजीनियरिंग सामानों की आपूर्ति, जल उपचार संयंत्र, तेल रिफाइनरियां, हाइड्रो पावर प्लांट, पावर ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाएं आदि हैं। अब तक, ट्रस्ट ने भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों में परियोजनाओं को सहायता दी है जैसे बांग्लादेश, कैमरून, कोटे डी आइवर, इथियोपिया, घाना, ईरान, मालदीव, मॉरिटानिया, मंगोलिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, श्रीलंका, सूरीनाम, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे आदि ।
- परियोजना निर्यातों के लिए अपना कवर प्रदान करके एनईआईए भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और राष्ट्रीय रणनीतिक हित के क्षेत्रों में मजबूत पकड़ हासिल करने में मदद करता है। भारत से मध्यम और दीर्घकालिक (एमएलटी) निर्यात में सहायता देने की अपनी यात्रा में, एनईआईए ट्रस्ट ने 31 दिसंबर 2023 तक विभिन्न कवर सुविधाओं के तहत विदेशी खरीदारों के डिफ़ॉल्ट के कारण 5,000.53 करोड़ रुपये के दावों का विस्तारित भुगतान किया था।

अध्याय 9

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजन के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

वाणिज्य विभाग अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु किए जाने वाले अन्य उपायों के साथ-साथ आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के उचित कार्यान्वयन के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और वस्तु बोर्डों के साथ लॉयजन करता है।

वाणिज्य विभाग में दो अलग-अलग संपर्क अधिकारी (एक अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजनानें के लिए और एक अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) कार्यरत हैं। ये संपर्क अधिकारी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन /आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित करते हैं तथा यह भी ध्यान रखते हैं कि विभाग के एसोसिएट संगठनों द्वारा आरक्षित श्रेणियों के लिए स्वीकार्य विभिन्न लाभ उन्हें दिए जाएं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य विभाग (खास) में अनुसूचित जनजाति समुदाय के कर्मचारियों और अनुसूचित जाति समुदाय के कर्मचारियों के लिए अलग से 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन भी किया गया है।

इस विभाग के संबद्ध विभिन्न संगठनों द्वारा की गई कल्याणकारी गतिविधियों को आगे पैरा में दिया गया है:

1. अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कल्याण

(क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

सचिव, एमपीईडीए अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए संपर्क अधिकारी हैं।

(ख) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी लि.)

पीईसी में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों/अनुदेशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाता है।

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी लिमिटेड)

30 सितंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार एमएमटीसी में कर्मचारियों की कुल संख्या 401 (बोर्ड स्तर के कार्यकारी और एमआईसीए कर्मचारियों सहित) थी, जिसमें से 87 (21.70%) कर्मचारी अनुसूचित जाति, 64 (10.72%) अनुसूचित जनजाति और 53 (13.22%) अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के थे। कुल जनबल का 19.45% (78 कर्मचारियों) महिला कर्मचारी थे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

(i) संपर्क अधिकारी

कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में उन्हें अनुमत आरक्षण एवं अन्य रियायतों के संबंध में सरकार के आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

(ii) छूट/रियायतें

सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गई रियायतें/छूट निम्नलिखित है:

- आयु में 5 वर्ष तक की छूट,
- लिखित परीक्षा/वैयक्तिक साक्षात्कार में अर्हक अंकों में 5% की छूट,
- भर्ती नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में अंकों के प्रतिशत में छूट।

विभागीय पदोन्नति के संबंध में निम्नलिखित छूट प्रदान की जाती है:

- कर्मचारी संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हक अंकों में 5 प्रतिशत की छूट।
- कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति में टंकण परीक्षा में 5 शब्द प्रति मिनट तक की छूट दी गई।
- वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता श्रेणी के तहत स्टाफ संवर्ग के भीतर पदोन्नति के लिए अर्हक अवधि में एक वर्ष की छूट।

सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति हेतु सभी चयन समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि नामित किए जाते हैं।

(iii) प्रशिक्षण

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कार्यात्मक और सॉफ्ट कौशल को उन्नत करने के लिए उन्हें समय-समय पर विभिन्न इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों में नामित किया जाता है।

(iv) क्वार्टर का आवंटन

क्वार्टर आवंटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को ' ख' श्रेणी के आवास के लिए 10% तथा 'ग' और 'घ' श्रेणी के आवास के संबंध में 5% आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(v) बैठकें

कंपनी में "सुगठित बैठक स्कीम" लागू है जिसमें प्रबंधन सेवा मामलों तथा कल्याण के उपायों पर चर्चा करने एवं इनके जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए समय-समय पर कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की जाती है। इसी सिद्धांत के अनुरूप, फेडरेशन ऑफ एमएमटीसी स्टाफ यूनियनों के साथ बैठकें समय-समय पर आयोजित की गई, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के कर्मचारियों का कार्यकारी निकाय में अच्छी संख्या में प्रतिनिधित्व है।

(vi) आंतरिक शिकायत निवारण समिति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय में एक आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

(घ) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के संबंध में सभी सरकारी निर्देशों/अनुदेशों का एनएसईजेड द्वारा विधिवत अनुपालन किया जाता है। एनएसईजेड में कुल 62 कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित क्रमशः 8, 3 और 17 कर्मचारी हैं।

(ड.) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भर्ती और पदोन्नति के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन करता है।

(च) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ)

आईटीपीओ में आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। प्रत्येक विभागीय पदोन्नति/चयन समिति (डीपीसी/डीएससी) की बैठकों में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित उपयुक्त स्तर के अधिकारी इन श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के कार्य से जुड़े होते हैं।

(छ) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)

प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण और विकास का कार्य किया जा रहा है।

(ज) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी लिमिटेड)

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए कार्यक्रम:-

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।
- सरकारी कंपनियों में भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षण पर प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को नामित किया जाता है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- भारत सरकार के नियमों के अनुसार भर्ती और पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- अभ्यर्थियों/कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति के लिए गठित पैनल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति की जाती है।
- कंपनी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिकायत निवारण तंत्र हेतु समिति का गठन किया गया है।

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कार्यक्रम:

- अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाता है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए ओबीसी कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग से कम से कम एक सदस्य को नामित किया जाता है।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए कार्यक्रम:-

- ईसीजीसी लिमिटेड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित भारत सरकार की नीति लागू की गई है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सीधी भर्ती में, सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार 10% पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित हैं।

(झ) रबड़ बोर्ड

रबड़ बोर्ड ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया। संपर्क अधिकारी शिकायतों/समस्याओं को दर्ज करने के लिए वैधानिक रजिस्टर रखता है। बोर्ड आवधिक तौर पर ऐसी शिकायतों को, यदि कोई हो, मॉनिटर करता है, और ऐसी शिकायतों का समय पर निपटान करता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों द्वारा शिकायत/समस्या होने पर संपर्क अधिकारी की सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

(ञ) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र (वीएसईजेड)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया।

(ट) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना बहुआयामी दृष्टिकोण है।

(ठ) स्पाइसेस बोर्ड

बोर्ड ने कर्मचारियों के कल्याण हेतु और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समितियों का गठन किया था। बोर्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण से जुड़े मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी नामित किया था। इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का भी गठन किया गया है जैसा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा अनुशंसित किया गया था।

(ड) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और इस मामले से संबंधित सभी नियुक्तियां संपर्क अधिकारी की सिफारिश से की जाती हैं।

2. दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडीएस) के कल्याण के लिए किए गए कार्यक्रम

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 (1)में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार, प्रत्येक सरकारी स्थापन में प्रत्येक समूह में पदों की संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या के कम से कम चार प्रतिशत को बैंचमार्क दिव्यांगजन से भरेगी, जिनमें से प्रत्येक एक प्रतिशत खंड (क), (ख) और (ग) के तहत बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिए और एक प्रतिशत खंड (घ) और (ड.) के तहत बैंचमार्क दिव्यांगजन के लिए आरक्षित होगा अर्थात्:

(क) अंध और निम्न दृष्टि।

(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास।

(ग) चलन दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क धात रोग, मुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है।

(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रुग्णता।

(ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर,अंधता भी है।

दिव्यांगजन को सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में दिशा-निर्देश हैं ताकि दिव्यांगजन के लिए एक बाधा मुक्त कार्यस्थल सुलभ हो सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (पीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016) की धारा 23(1) के अनुसरण में, वाणिज्य विभाग में एक शिकायत निवारण अधिकारी नामित किया गया है। वाणिज्य विभाग (खास) और उसके सहयोगी संगठनों में 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में दिव्यांगजनों की कुल संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-ग में दर्शाया गया है।

(क) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड(पीईसी लिमिटेड)

दिव्यांगजन के संबंध में सरकारी निर्देशों/अनुदेशों का पीईसी में विधिवत अनुपालन किया जाता है।

पीईसी में, स्टाफ संवर्ग के लिए समय वेतनमान पदोन्नति योजना मौजूद है। दिव्यांगजन के लिए पदोन्नति की अर्हक अवधि में पदोन्नति के प्रत्येक चरण में एक वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर भी रखा जा रहा है। आज तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी लिमिटेड)

- कार्यालय परिसर तक सुलभ पहुंच के लिए दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए रैंप की व्यवस्था की गई है।
- दिव्यांगजन कर्मचारियों को उनकी अशक्तता को ध्यान में रखते हुए ऐसे पदों पर तैनात किया जाता है, जहां वे अपना काम कुशलता से कर सकें।
- कार्यालय लिफ्टों में फ्लोर गंतव्य की घोषणा करने वाले श्रवण संकेत हैं। उनमें से कुछ में ब्रेल प्रतीकों में फ्लोर कॉल के बटन भी हैं। कार्यालय भवन में दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए अलग से वॉशरूम भी है।
- कंपनी अधिकारी की दिव्यांगजन से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 4 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करती है।
- इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट दिव्यांगजन और विकास से संबंधित सम्मेलन/सेमिनार/प्रशिक्षण/कार्यशाला में भाग लेने के लिए दिव्यांगजन कर्मचारियों के लिए काम की अनिवार्यता के अधीन एक कैलेंडर वर्ष में 10 दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी का प्रावधान है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण मामलों की कार्रवाई के लिए नियुक्त संपर्क अधिकारी दिव्यांगजन से संबंधित आरक्षण मामलें के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है।

(ग) स्पाइसेस बोर्ड

स्पाइसेस बोर्ड ने आरक्षण के मामलों और दिव्यांगजन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक संपर्क अधिकारी को नामित किया है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त पदों की पहचान करने के प्रयोजन से वर्ष 2019 के दौरान एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है। निदेशक (अनुसंधान) इस समिति के अध्यक्ष हैं और अन्य छह सदस्य हैं जिनमें एक समूह-ख अधिकारी दिव्यांगजन श्रेणी के हैं।

(घ) नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एनएसईजेड)

यह कार्यालय पहले से ही गलियारों, स्वागत कक्ष, शौचालय, हैंड रेल वाली सीढ़ियों आदि जैसी सुविधाओं से लैस है, जो दिव्यांगजन के लिए सुलभ हैं। हाल ही में परिसर में ब्रेल लिपि वाली एक लिफ्ट भी संस्थापित की गई है। इसके अलावा, जोन परिसर में एनएसईजेड द्वारा दिव्यांगजन के लिए विशिष्ट व्यवस्था करते हुए छह जनसुविधाओं का निर्माण भी किया गया है।

(ङ) चाय बोर्ड

चाय बोर्ड आमतौर पर भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों का पालन कर रहा है।

(च) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन (आईटीपीओ)

आईटीपीओ में आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया। दिव्यांगजन के हितों की रक्षा के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया गया है। दिव्यांगजन के लिए पदों/सेवाओं में आरक्षण के संबंध में दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में निहित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(छ) रबड़ बोर्ड

रबड़ बोर्ड ने दिव्यांगजन की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए संपर्क अधिकारी/शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है। वह शिकायत/समस्या दर्ज करने के लिए वैधानिक रजिस्टर रखता है और बोर्ड समय-समय पर ऐसी शिकायतों, यदि कोई हो, की निगरानी करता है, और समय पर उनका निपटान करता है। बोर्ड हर वर्ष 3 दिसंबर को प्रतिष्ठित दिव्यांगजन का भाषण समारोह आयोजित करके "अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" मनाता है और बोर्ड के दिव्यांगजन कर्मचारियों को सम्मानित करता

है। बोर्ड ने दिव्यांगजन कर्मचारियों की सुचारू आवाजाही के लिए 'रैंप' और लिफ्ट की व्यवस्था की है। दृष्टिबाधित कर्मचारी ईपीएबीएक्स के संचालन में लगे हुए हैं। बोर्ड ने दिव्यांगजन को यूनिसेक्स शौचालय की सुविधा प्रदान की है। कार्यालय ज्ञापन सं.3612/1/2020-स्था (रेश-II) दिनांक 17/05/2022 के अनुसार समूह क, ख और ग में 4% पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए बोर्ड द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ज) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(एपीडा)

सरकारी मानदंडों के अनुसार, सभी ग्रेडों में दिव्यांगजन का आरक्षण कुल संख्या का 4% होता है। मौजूदा 76 कर्मचारियों में, एक पदधारी शारीरिक रूप से दिव्यांगजन हैं। एपीडा ने दिव्यांगजन के कल्याण का ख्याल रखा है। एपीडा ने एक कर्मचारी के लिए कार्यालय के भीतर आने-जाने के लिए मोटर चालित व्हीलचेयर की व्यवस्था की है। इसके अलावा, उन्हें नियमानुसार सभी सुविधाएं दी जाती हैं।

(झ) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी लिमिटेड)

- दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को दिव्यांगजन कर्मचारियों के पदों की उपयुक्तता के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है।
- भर्ती और पदोन्नति परीक्षा में उन्हें लिखने वाले(स्क्राइब) को साथ रखने की अनुमति है।
- दिव्यांगजन कर्मचारियों को विकलांगता के अनुकूल/सुलभ कार्यालय स्थलों पर तैनात किया जाता है।
- दिव्यांगजन की भर्ती के लिए सरकारी आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किया जाता है।
- दिव्यांगजन कर्मचारियों को विशेष वाहन भत्ता दिया जाता है।
- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों से संबंधित मामले पर कार्रवाई करने के लिएदिव्यांगजन हेतु संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांगजन कर्मचारियों को घर पर रहकर कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा प्रदान की गई।
- प्रधान कार्यालय ईसीजीसी भवन अंधेरी पूर्व, मुंबई में नए कार्यालय परिसर में दिव्यांगजन अनुरूप अवसंरचना उपलब्ध है।

(ञ) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

- वीएसईजेड के भवन के प्रवेश द्वार पर सुगम पहुंच और रैंप की व्यवस्था की गई है।
- लिफ्ट की व्यवस्था की गई है।
- शौचालय का निर्माण/व्यवस्था।
- पार्किंग स्थल को चिन्हित कर लिया गया है।
- दिव्यांगजन अनुकूल भवन की व्यवस्था की गई है।
- दिव्यांगजन के कल्याण के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया।

(ट) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड में दिव्यांगजन कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना एक बहुआयामी दृष्टिकोण है।

3. महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम

(क) महिला सेल

वाणिज्य विभाग में निम्नलिखित कार्यों के साथ एक स्वतंत्र महिला प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है:

- महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित मामलों तथा अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में महिला और बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय।
- वाणिज्य विभाग की प्लान स्कीमों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण, विकास और सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।
- जेंडर-उन्मुखी बजटिंग से संबंधित सभी मामले और वार्षिक रिपोर्ट/निष्पादन बजट में जेंडर संबंधी मुद्दों को शामिल करना।
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण। वाणिज्य विभाग, इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि में शिकायत समिति का गठन; उनके निष्पादन की निगरानी करना और आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
- महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूकता सप्ताह के साथ-साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाना।
- इस विषय से संबंधित अन्य प्रासंगिक मामले।

(ख) भारतीय परियोजना एवं उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी लिमिटेड)

पीईसी एक छोटा संगठन है जिसमें 30.09.2023 तक कुल 28 कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर) हैं, जिनमें से 5 महिलाएं हैं।

महिला कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) की शर्तों के अनुपालन में, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए पीईसी में 'आंतरिक शिकायत समिति' का पुनर्गठन किया गया है।

पीईसी में महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक व्यापक नीति को अपनाया गया है।

वर्ष के दौरान किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी लिमिटेड)

- एमएमटीसी में महिला कल्याण गतिविधियां राष्ट्रीय महिला अधिकारिता नीति के व्यापक दिशानिर्देशों और सार्वजनिक क्षेत्रों में महिला मंच (डब्ल्यूआईपीएस) के उद्देश्यों से उद्भूत होती हैं। एमएमटीसी इस मंच पर अपनी महिला कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। एमएमटीसीकी एक महिला महाप्रबंधक डब्ल्यूआईपीएस अपेक्स का महासचिव है। अनेक अन्य महिला कर्मचारी डब्ल्यूआईपीएस की सदस्य हैं।
- एमएमटीसी की पदोन्नति नीति में बोर्ड स्तर से नीचे हर स्तर पर बिना महिला-पुरुष भेदभाव के योग्य और मेधावी अभ्यर्थियों को चयन का समान अवसर दिया जाता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में एक सक्रिय आंतरिक शिकायत समिति है। महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज करवाने के लिए शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रयास किए जाते हैं।
- एमएमटीसी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यात्मक और व्यावहारिक प्रशिक्षणों में महिला कर्मचारियों का अच्छा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।

(घ) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)

प्राधिकरण द्वारा महिला कर्मचारियों के कल्याण और विकास का अच्छी तरह ध्यान रखा जाता है।एपीडा ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति में महिला अधिकारी भी शामिल हैं।

(ड.) एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीजीसी लिमिटेड)

- ईसीजीसी शक्ति/कार्यबल में 24.41% महिला कर्मचारी हैं।
- महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें कैंसर जांच शिविर और कैंसर जागरूकता पर सेमिनार आदि शामिल हैं।
- कंपनी नेतृत्व विकास के लिए महिला कर्मचारियों को कार्यक्रमों/सेमिनारों/कार्यशालाओं में नामित करती है।
- कार्यस्थल पर उत्पीड़न से संबंधित मामलों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां मौजूद हैं।
- भर्ती एवं पदोन्नति पैनल में महिला सदस्य को नामित किया जाता है।
- कंपनी में पदोन्नति पैनल/सरकारी प्रशिक्षण में भाग लेते समय दो वर्ष से कम आयु के शिशु वाली महिला कर्मचारियों द्वारा किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की योजना है, जिसमें महिला कर्मचारी की संबंधित पात्रता के अनुसार साथ रह रहे बच्चे के लिए तथा एक परिचर के लिए प्रावधान है।
- ईसीजीसी लिमिटेड की महिला कर्मचारियों के लिए शिशु के दो वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, करों को छोड़कर 5000/- रुपये की सीमा तक शिशु-गृह व्यय की प्रतिपूर्ति की एक योजना है। प्रधान कार्यालय ईसीजीस भवन, अंधेरी पूर्व, मुंबई में नए कार्यालय परिसर में क्रेच सुविधा का प्रावधान किया गया है जो जल्द ही चालू हो जायेगा।
- कंपनी के पास महिला कर्मचारियों को उनके बच्चे के 2 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक दो दिन का विशेष अवकाश देने की योजना है।
- कोविड-19 महामारी के दौरान गर्भवती महिला कर्मचारियों को घर पर रहकर कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) की सुविधा प्रदान की गई।
- कंपनी अपने महिला कर्मचारियों को अपने कार्यक्रमों में भाग लेने और स्वयं सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करके सार्वजनिक क्षेत्रों (डब्ल्यूआईपीएस) के कामकाज और गतिविधियों में महिलाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है।

(च) रबड़ बोर्ड

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति का गठन चार सदस्यों से किया जाता है, जिसमें बाहर से एक सदस्य भी शामिल होता है, जो सामाजिक कार्य गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं (विवरण रबड़ बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित है)। प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक आयोजित की जा रही है और इस अवधि में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

(छ) विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

(ज) नोएडा एसईजेड

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार इस कार्यालय में एक आंतिरक समिति मौजूद है।

(झ) कॉफी बोर्ड

कॉफी बोर्ड में महिला कर्मचारियों के समग्र कल्याण और विकास को ध्यान में रखते हुए एक समर्थकारी वातावरण बनाना बहुआयामी दृष्टिकोण है।

(ञ) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा)

एम्पीडा ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है।

(ट) स्पाईसेस बोर्ड

30 सितंबर, 2023 को स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 379 है और मौजूदा संख्या 279 है। इनमें से 63 महिला कर्मचारी हैं। बोर्ड की एक महिला (समूह क स्तर) अधिकारी को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि यदि कोई कठिनाईयां/समस्या हो, तो उसे हल किया जा सके, या उन्हें संभावित समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। महिला कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर और उचित तरीके से समाधान किया जाता है।

(ठ) वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस)

महिलाओं से संबंधित मामलों को देखने के लिए एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

अध्याय 10

पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधा और संबद्ध गतिविधियां

1. नागरिक चार्टर

वाणिज्य विभाग व्यापार क्षेत्र और आम जनता के साथ अपने संव्यवहार करने में सत्यनिष्ठा, विवेक, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा शिष्टाचार और समझ के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागरिकों तक सभी सेवाएं एवं प्रतिबद्धताएं सर्वाधिक प्रभावी और कुशल तरीके से प्रदान की जाएंगी।

यह विभाग सार्वजनिक लाभों में वृद्धि करने के लिए विदेश व्यापार नीति की प्रक्रियाओं को विकसित करने का प्रयास करेगा और वैश्वीकृत एवं उदार अर्थव्यवस्था के संदर्भ में लागू नियमों के तहत आवश्यक विभिन्न अपेक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग लगातार ग्राहक समूहों से परामर्शी प्रक्रिया करता रहेगा और विभाग के लिए प्रासंगिक कानून एवं प्रक्रियाओं में हुए सभी परिवर्तनों का यथासमय प्रचार करेगा। सेवा प्रदान करने के मानक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	सेवाएँ/लेनदेन	अधिकतम समय सीमा
1	बाज़ार पहुंच पहल (एमएआई) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन।	ई एवं एमडीए प्रभाग में प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 3 माह।
2	निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) के अंतर्गत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन।	3 माह* (*पूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन।)
3	विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की स्थापना के लिए अनुमोदन।	(i) राज्य सरकार की सिफारिशों और पूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर मामलों को अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना; (ii) सुरक्षा संबंधी स्वीकृति के अध्यधीन, अनुमोदन बोर्ड से अनुमोदन-प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर अनुमोदन पत्र जारी करना।
4	**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** i. सूचना प्रदान करना या आरटीआई अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करना। ii. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत दायर अपीलों का निपटान करना।	i. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के भीतर। ii. आरटीआई अधिनियम, 2005 में निर्धारित समय सीमा के भीतर।
	लोक शिकायत निवारण तंत्र	
5	लोक शिकायतों का समाधान	30*दिन (*पूर्ण विवरण प्राप्त होने और शिकायत पर अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के अध्यधीन) (*यदि अधिक समय लगने की संभावना हो, तो शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर अंतरिम उत्तर देकर सूचित किया जाएगा।)
6	डीजीएफटी, आदि द्वारा पारित सांविधिक आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों पर अपीलीय समिति द्वारा कार्रवाई करने के लिए।	3 महीने के अंदर- नोट: यह अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं से पूर्ण विवरण/ दस्तावेजों की प्राप्ति के अध्यधीन है।

2. लोक शिकायत

लोक शिकायत प्रकोष्ठ वाणिज्य विभाग और उसके नियंत्रणाधीन अधिकारियों के संबंध में जनता और कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए कार्य निपटाता है। सीपीजीआरएएमएस के अनुसार, निम्नलिखित लोक शिकायतों (पीएमओ लोक शिकायतों सहित) का निपटारा किया गया:

अवधि	जन शिकायतों की संख्या
01.04.2023 से 31.12.2023	3182
01.04.2022 से 31.03.2023	4725

वाणिज्य भवन, 16-अकबर रोड, नई दिल्ली-110001 पर एक शिकायत बॉक्स भी उपलब्ध कराया गया है, जहां जनता के साथ-साथ कर्मचारी भी अपनी संबंधित शिकायतें वाणिज्य विभाग को भेज सकते हैं।

3. सतर्कता प्रकोष्ठ

विभाग में सतर्कता अनुभाग, जिसके प्रभागीय प्रमुख संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी (जेएस एंड सीवीओ) हैं, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और कमोडिटी बोर्ड में कार्यरत बोर्ड स्तर की नियुक्तियों, भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों और वाणिज्य विभाग के समूह 'ए' और समूह 'बी' अधिकारियों की शिकायतों और सतर्कता मामलों पर कार्रवाई करता है।

सतर्कता अनुभाग अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली और केंद्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली (विभाग के सभी समूह ए अधिकारियों की वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी सहित) से संबंधित मामलों को भी देखता है और सीवीसी एवं डीओपीटी को विभिन्न वार्षिक/त्रैमासिक/मासिक रिपोर्टें प्रस्तुत करता है। सतर्कता अनुभाग में निवारक सतर्कता के अंतर्गत संवेदनशील कार्यालयों के नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करने, प्रक्रियाओं की समीक्षा और उन्हें सुव्यवस्थित करने जैसे कार्यकलाप भी करता है, जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की गुंजाइश हो और उनकी रोकथाम के लिए अन्य उपाय शुरू करने, भ्रष्टाचार और अन्य कदाचार का पता लगाने और विभाग के साथ-साथ उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचारियों को दंड देने, विभाग में अवांछनीय व्यक्तियों की आवा-जाही/आगमन पर नजर रखने, संदिग्ध सत्यनिष्ठा के अधिकारियों की सूची/सहमत सूची तैयार करने और उनकी तैनाती गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में करना और पीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत सीबीआई को मुकदमा चलाने की मंजूरी देने और पीसी अधिनियम की धारा 17क के तहत सीबीआई द्वारा जांच शुरू करने की अनुमति देने का कार्य भी शामिल हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, दिसंबर 2023 तक, 76 जांच/पूछताछें की गईं और इन जांच कार्यवाहियों के आधार पर, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, कमोडिटी बोर्डों आदि में कार्यरत दोषी सरकारी अधिकारियों पर 14 मामलों में बड़ी/छोटी शास्ति लगाई गई।

इसके अतिरिक्त वाणिज्य विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेकर 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 की अवधि के दौरान "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे" विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 202 मनाया गया और कार्यशाला तथा जागरूकता कार्यक्रम किए गए, बैनर और स्टैंडी लगाई गई, प्रदर्शन, पावर-पॉइंट प्रस्तुतियाँ की गई और सीवीसी द्वारा पीआईडीपीआई वीडियो और जिंगल आदि साझा किए गए।

4. सूचना का अधिकार

- वाणिज्य विभाग ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू किया है और विभाग की वेबसाइट पर सभी आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई है।

- आरटीआई आवेदन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा प्रबंधित आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन दायर किए जाते हैं और आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा वाणिज्य विभाग के नोडल अकाउंट में प्राप्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों/अपीलों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त सीपीआईओ/एफएए/ लोक प्राधिकारी को अग्रेषित/स्थानांतरित की जाती हैं। आरटीआई प्रकोष्ठ वाणिज्य विभाग में संबंधित सीपीआईओ/एफएए/लोक प्राधिकारियॉ को वास्तविक आरटीआई आवेदन/अपील भी स्थानांतरित करता है। वाणिज्य विभाग ने अपने आरटीआई आवेदन/अपील व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए मुख्य प्रवेश द्वार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में एक सुविधा काउंटर प्रदान किया है।

- वर्तमान में, इस विभाग में निदेशक/उप सचिव और अवर सचिव स्तर के 49 केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) हैं और 26 प्रथम अपीलीय अधिकारी (एफएए) हैं, जो अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारी हैं और आरटीआई अधिनियम के तहत दायर पहली अपील की सुनवाई और निपटान करते हैं। श्री राजेश प्रताप कंचन, निदेशक वाणिज्य विभाग के नोडल सीपीआईओ हैं और श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव को वाणिज्य विभाग के पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

- वर्तमान में वाणिज्य विभाग के अधिकार क्षेत्र में 29 लोक प्राधिकारी (पीए) हैं। आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए इनमें से प्रत्येक लोक प्राधिकारी के अपने स्वयं के नोडल सीपीआईओ, सीपीआईओ और एफएए हैं। यह उल्लेखनीय है कि वाणिज्य विभाग स्वयं एक लोक प्राधिकरण है। छोटे लोक प्राधिकरणों में, अक्सर नोडल सीपीआईओ स्वयं उस लोक प्राधिकरण का एकमात्र सीपीआईओ होता है जबकि बड़े लोक प्राधिकरण जैसे वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी आदि में, नोडल सीपीआईओ आरटीआई आवेदन/अपील को उपयुक्त सीपीआईओ/एफएए को अग्रेषित करने के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है और उस लोक प्राधिकरण से संबंधित आरटीआई के सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें वार्षिक पारदर्शिता ऑडिट करना, ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तक पहुंचने के लिए अलग-अलग सीपीआईओ को यूजर आईडी/पासवर्ड जारी करना और आरटीआई

के सभी मामलों के लिए डीओपीटी और केंद्रीय सूचना आयोग के साथ संपर्क सूत्र की भूमिका निभाना शामिल है।

- जनवरी से दिसंबर, 2022 की अवधि में, इस विभाग के विभिन्न सीपीआईओ द्वारा 370 आरटीआई आवेदनों का निपटारा किया गया और 446 आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि में, इस विभाग के विभिन्न एफएए द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 41 अपीलों का निपटारा भी किया गया था।

- जनवरी से अक्टूबर, 2023 की अवधि में, इस विभाग के विभिन्न सीपीआईओ द्वारा 318 आवेदनों का निपटारा किया गया और 515 आवेदन अन्य लोक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किए गए। इसी अवधि में, इस विभाग के विभिन्न एफएए द्वारा आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 124 अपीलों का भी निपटारा किया गया।

5. राजभाषा

राजभाषा प्रभाग हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की निगरानी करता है तथा विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपादित राजभाषा नीति को लागू करता है। 2023-24 के दौरान राजभाषा प्रभाग की गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:-

(क) हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

विभाग तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न संगठनों के सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा करने के लिए वाणिज्य विभाग में हिंदी सलाहकार समिति मौजूद है। विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन के संबंध में कार्रवाई जारी है।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति

वर्ष 2023-24 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने वाणिज्य विभाग के अधीन विभिन्न संगठनों का निरीक्षण किया जिनमें संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) और/निदेशक (राजभाषा प्रभारी/सहायक निदेशक (राजभाषा) मौजूद रहे। इन बैठकों के दौरान जो आश्वासन दिए गए उन्हें यथासमय पूरा करने के लिए संबंधित संगठनों को संप्रेषित किया गया ।

(ग) राजभाषा प्रोत्साहन

(i) हिंदी पखवाड़ा

वाणिज्य विभाग में 14 से 29 सितंबर, 2023 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 7 प्रतियोगिताओं अर्थात हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण, राजभाषा हिंदी ज्ञान एवं अनुवाद, हिंदी टंकण, हिंदी कविता पाठ, हिंदी श्रुतलेखन तथा आशुभाषण का आयोजन किया गया । पुरस्कार राशि 5000/-रूपए (प्रथम), 3000/- रूपए (द्वितीय), 2000/- रूपए (तृतीय) एवं 1000/-रूपए (प्रोत्साहन) है। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत साहपूर्वक भाग लिया। अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ii) वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में अधिकाधिक सरकारी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना लागू है, जिसके तहत 5,000/- रूपए (प्रथम), 4000/- रूपए (द्वितीय) और 3000/- रूपए (तृतीय) का नकद पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना के तहत कुल 60 पुरस्कार (हिंदी और हिंदीतर भाषी कर्मचारियों के लिए) प्रदान करने का प्रावधान है।

(iii) हिंदी कार्यशालाएं

विभाग के कार्मिकों द्वारा अपने सरकारी कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है ।

(iv) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

वाणिज्य विभाग में हिंदी में सरकारी कामकाज की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है । वर्ष 2023-24 के दौरान समय-समय पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

(iv) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड योजना

यह प्रोत्साहन योजना कई वर्षों से विभाग के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत, राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में उनके कार्य निष्पादन के लिए कार्यालयों को शील्ड/ट्रॉफी प्रदान की जाती है । कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत सूचना एवं संगत दस्तावेजों के आधार पर एक समिति द्वारा उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है ।

(घ) राजभाषा निरीक्षण

वाणिज्य विभाग के नियंत्रणाधीन संगठनों में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की निगरानी एवं समीक्षा उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से तथा निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है । सरकारी कार्य में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हिंदी प्रभाग के अधिकारियों द्वारा वाणिज्य विभाग के नियंत्रणाधीन कुछ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया ।

इसके अलावा विभाग के विभिन्न अनुभागों/ प्रभागों में भी हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने एवं अपेक्षित सहायता करने के लिए निरीक्षण किया गया।

6. ई - गवर्नेंस

वाणिज्य विभाग के लिए वाणिज्य सूचना विज्ञान प्रभाग एनआईसी द्वारा शुरू की गई परियोजना गतिविधियाँ :

- **वाणिज्य विभाग की वेबसाइट का पुनर्निर्माण:** वाणिज्य विभाग की वेबसाइट का एक नई उत्तरदायी, द्विभाषी वेबसाइट के रूप में पुनर्निमाण किया जा रहा है, जिसमें सामग्रियों की उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रस्तुति की गई है और एसटीक्यूसी प्रमाणित डब्ल्यू3सी दिशानिर्देश और भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) के अनुसार संचालित की गई है। इसमें वेबसाइट के एकीकृत भाग के रूप में वाणिज्य विभाग के लिए शिकायत निगरानी प्रणाली शामिल होगी।

- **पण्यवस्तु आयात मॉनिटरिंग प्रणाली (एमआईएमपी):** पोर्टल पण्यवस्तु आयात मॉनिटरिंग प्रणाली (एमआईएमपी) विकसित किया गया है और साइबर सुरक्षा ऑडिट क्लीयरेंस की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न हितधारक मंत्रालय संबंधित वस्तुओं के संबंध में फीडबैक देंगे और वाणिज्य मंत्रालय का आर्थिक प्रभाग पोर्टल के माध्यम से वस्तु-वार भारत के आयात की निगरानी करेगा। पोर्टल https://mimp.commerce.gov.in पर संचालित किया जा रहा है
- **सीआईएम एकीकृत डैशबोर्ड का ट्रेडस्टैट एपीआई मॉड्यूल:** सीआईएम एकीकृत डैशबोर्ड का ट्रेडस्टैट एपीआई मॉड्यूल https://api.commerce.gov.in पर विकसित और संचालित किया गया है।
- **वाणिज्य विभाग की कॉन्फ्रेंस रूम बुकिंग सिस्टम (सीआरबीएस) का सुधार:** वाणिज्य विभाग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम बुकिंग सिस्टम (सीआरबीएस) को ईमेल और एसएमएस एकीकरण और परिचय एकीकरण पर सिंगल साइन के साथ नई प्रौद्योगिकी ओपन सोर्स में उन्नयन किया जा रहा है। सिस्टम को https://apps.commerce.gov.in/crbs पर विकसित और संचालित किया गया है ।
- **वाणिज्य विभाग की पीएमओ संदर्भ निगरानी प्रणाली:** ईमेल और एसएमएस एकीकरण और परिचय एकीकरण पर सिंगल साईन के साथ वाणिज्य विभाग के लिए पीएमओ संदर्भ निगरानी प्रणाली विकसित की गई है,जिसकी सुरक्षा ऑडिट मंजूरी मिल गई है और https://intra.commerce.gov.in/pmoref पर संचालित की गई है।
- **वाणिज्य विभाग के लिए युवा व्यवसायिकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और निगरानी के लिए पोर्टल:** ईमेल एकीकरण के साथ वाणिज्य विभाग के लिए युवा व्यवसायिकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और निगरानी के लिए पोर्टल विकसित किया गया है, और https://apps.commerce.gov.in/recuitment पर संचालित किया गया है। ।
- **पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड (प्रयास) - केपीआई एकीकरण:** पीएम डैशबोर्ड ऑफ डैशबोर्ड (प्रयास) में केपीआई का एकीकरण वाणिज्य विभाग के लिए किया गया है। आयात/निर्यात और सेवा क्षेत्र से जुड़े छ: केपीआई एकीकृत किए गए हैं और आंकड़े किसी माह विशेष के लिए नामत: आरंभिक, अनंतिम और अंतिम 3 चरणों पर डाले जा रहे हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देखने के लिए इन केपीआई पर व्यवस्था विकसित की गई है। प्रयास डैशबोर्ड के देखने के अधिकार सभी मंत्रियों को दिए जाते हैं। सभी मंत्रियों को डैशबोर्ड पर प्रदर्शन/प्रशिक्षण दिया गया।
- **वाणिज्य विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस कार्यान्वयन:** वाणिज्य विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न स्वायत्त निकायों/संस्थानों में ई-ऑफिस कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए वाणिज्य सूचना प्रभाग एनआईसी द्वारा आवश्यक परामर्श/समन्वय किया जा रहा है। सातों एसईजेड को कॉमर्स ई-ऑफिस इंस्टेंस पर ऑन-बोर्ड लिया गया है और ई-ऑफिस को कार्यान्वित किया गया है। सेज के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। एमएमटीसी में ई-ऑफिस का कार्यान्वयन पूरा हो चुका है और आईटीपीओ के लिए ई-ऑफिस का कार्यान्वयन किया जा रहा है।
- **भारत के व्यापार से संबंधित डेटाबेस/प्रणालियों का उन्नयन:** देश के निर्यात और आयात व्यापार से संबंधित डेटाबेस अर्थात् मासिक निर्यात आयात डेटा बैंक (एमईआईडीबी) और निर्यात आयात डेटा बैंक (ईआईडीबी) प्रणाली जो वस्तु के 8-अंकीय एचएस कोड वर्गीकरण पर आधारित है तथा प्रमुख वस्तुओं एवं देशों का विदेश व्यापार (एफटीएस-पीसीसी) और विदेश व्यापार निष्पादन विश्लेषण (एफटीपीए) प्रणाली जो देश-वार और देश के प्रमुख वस्तु-वार निर्यात और आयात की जानकारी उपलब्ध कराने वाले प्रमुख वस्तु वर्गीकरण पर आधारित है, को नवीनतम ओपन सोर्स प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत किया जा रहा है। ये प्रणालियाँ क्लाउड पर कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा ऑडिट की स्वीकृति के अध्यधीन हैं।
- **व्यापार संबद्ध डेटाबेस/प्रणालियों का रखरखाव:** देश के निर्यात और आयात पर व्यापार संबंधी डेटाबेस का रखरखाव किया जा रहा है। इसमें वस्तुओं के 8-अंकीय एचएस कोड वर्गीकरण पर आधारित निर्यात आयात डेटा बैंक (ईआईडीबी) प्रणाली और प्रमुख वस्तु वर्गीकरण पर आधारित प्रमुख वस्तुओं और देशों का विदेश व्यापार (एफटीएसपीसीसी) प्रणाली शामिल है, जो देश के आयात और निर्यात की देश-वार एवं प्रमुख वस्तु-वार जानकारी प्रदान करती है। डीजीसीआईएंडएस से उपलब्ध नवीनतम डेटा के साथ इन प्रणालियों का अद्यतन किया जा रहा है। ये प्रणालियाँ वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर इंटरनेट पर उपलब्ध हैं।
- **वाणिज्य विभाग का इंट्रानेट पोर्टल :** इंट्रानेट पोर्टल में विभागीय प्रयोक्ताओं के लिए विभिन्न एप्लिकेशन हैं।
  - लेखन-सामग्री मदों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मांग प्रणाली (ईआरएसएसआई) विभाग में प्रयोक्ताओं को लेखन-सामग्री की अपनी मांग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने और इंट्रानेट पोर्टल पर उनके अनुरोधों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने की सुविधा प्रदान करती है।
  - विभाग में वाणिज्य सचिव के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त वीआईपी सन्दर्भों पर समय पर कार्रवाई किए जाने एवं की गई कार्रवाई की निगरानी करने के लिए वीआईपी संदर्भ निगरानी प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
  - विभाग में वार्षिक कार्य के रूप में कमोडिटी/क्षेत्रीय प्रभागों के माध्यम से विभिन्न संगठनों/एजेंसियों और व्यापारिक समुदायों से प्राप्त बजट-पूर्व प्रस्तावों को समेकित करने, उन पर कार्रवाई करने और मॉनिटर करने के लिए, बजट-पूर्व प्रस्ताव पर कार्रवाई करने की प्रणाली लागू की गई है।
  - विभाग के अनुभागों/प्रभागों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों/कार्यालय आदेशों/नोटिस/परिपत्रों के रखरखाव और वितरण के लिए विभाग में का.ज्ञा./आदेश/नोटिस/परिपत्र के वितरण के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था की गई है।
- **विश्व व्यापार एटलस तक पहुंच:** वाणिज्य विभाग ने मैसर्स आईएचएस ग्लोबल लिमिटेड, यूके के साथ एक करार किया है जिसमें डीजीसीआईएंडएस से लिए गए भारतीय व्यापार डेटा के बदले 80 से अधिक देशों के विश्व व्यापार एटलस नामक व्यापार डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त की जाएगी। केवल प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को कनेक्ट पर ग्लोबल ट्रेड एटलस (जीटीए) तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित एक्सेस कंट्रोल तंत्र तैयार किया गया है। जीटीए प्रणाली पर प्रयोक्ता सृजन और

व्यापार डेटा के हस्तांतरण से संबंधित किसी भी मुद्दे/स्पष्टीकरण के लिए डीजीसीएंडआईएस एवं आईएचएस ग्लोबल लिमिटेड के बीच समन्वयन एनआईसी द्वारा किया जा रहा है। हालाँकि यह समझौता नवंबर 2023 तक 5 साल के लिए था जिसे अगले 5 साल के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है ।

- **निम्नलिखित के लिए एनआईसी क्लाउड अवसंरचना आवंटन के लिए समन्वय:**
  - स्पाइसेस बोर्ड
  - रबर बोर्ड
  - कॉफ़ी बोर्ड
  - भारत की निर्यात परिषदें
  - विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)
  - एपीडा
  - एमपीईडीए
  - एमएमटीसी
  - ईआईसी
  - लॉजिस्टिक प्रभाग
  - आईटीपीओ
  - चाय बोर्ड
  - एसटीसी
  - डीजीटीआर
  - जीईएम

- **एफएमएस सेवाएँ :** एनआईसी अधिकारियों की टीम एनआईसीएनईटी पर निम्नलिखित नेटवर्क सेवाएँ प्रदान करती है:
  - ईमेल सेवाएँ
  - नेटवर्क प्रबंधन
  - वीसी सेवाएँ
  - एंटी - वायरस लगाना
  - ओएस पैच प्रबंधन
  - वीपीएन सेवाए

- **केंद्रीय परियोजनाओं पर सहायता :** केंद्रीय आईसीटी परियोजनाओं पर सहायता अर्थात :
  - ई-कार्यालय
  - स्पैरो
  - पीएफएम
  - सीपीजीआरएएमएस
  - आरटीआई - एमआईएस
  - प्रगति
  - भविष्य - ऑनलाइन पेंशन और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली
  - एलआईएमबीएस
  - अनुभव
  - ई – विजिटर
  - एसीसी रिक्ति निगरानी प्रणाली ।

7. साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन

- विभाग ने एक व्यापक सूचना सुरक्षा कार्यनीति तैयार की है जिसमें संगठन में सूचना सुरक्षा के 3 मुख्य सिद्धांतों - गोपनीयता, अखंडता और सूचना की उपलब्धता (सीआईए) सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और सुरक्षा नियंत्रण शामिल हैं।

- वाणिज्य विभाग ने एक साइबर सुरक्षा कार्यक्रम, व्यवसाय निरंतरता कार्यक्रम, विभिन्न सुरक्षा नीतियों का मसौदा तैयार करने, साइबर सुरक्षा नीति दस्तावेजों की समीक्षा और अद्यतन करने, विभाग की व्यावसायिक अपेक्षाओं के लिए संचार चैनलों के सुरक्षित और स्वीकार्य उपयोग के लिए नियमों को परिभाषित करने के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) को नामित किया है। खतरे की स्थिति को समझने, जोखिम मूल्यांकन पद्धति की स्थापना और समीक्षा करने और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर जोखिम कम करने के लिए उचित नियंत्रण के चयन के लिए एक सुरक्षा संरचना विकसित की गई है। यह सुरक्षा संरचना और दृष्टिकोण वाणिज्य विभाग की साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) के दस्तावेज़ में रखा गया है, जिसे इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- गृह मंत्रालय और सीईआरटी इन द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा सलाह और अलर्ट का अनुपालन करने के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार की गई है और एसओपी बनाई गई है। वाणिज्य विभाग के उपयोगकर्ताओं के लिए समय-समय पर साइबर सुरक्षा जागरूकता पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। विभाग के भीतर एक सुरक्षित साइबरस्पेस सुनिश्चित करने के लिए आईसीटी अवसंरचना के उपयोगकर्ताओं की साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता और संबंधित जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए पूरे वाणिज्य विभाग में सीसीएमपी की स्थापना की गई है।

- संपूर्ण आईसीटी अवसंरचना (नेटवर्क, कंप्यूटिंग डिवाइस, वीसी सिस्टम और वायरलेस एक्सेस पॉइंट इत्यादि) का एक बाहरी साइबर सुरक्षा अनुपालन ऑडिट भी सीईआरटी-इन पैनलबद्ध लेखा परीक्षकों के माध्यम से आयोजित किया गया है। उचित सुरक्षा नियंत्रण स्थापित करके,सूचित कमजोरियों को दूर किया जा रहा है। जहां तक डेटाबेस, एप्लिकेशन, पोर्टल और वेबसाइट का सवाल है, इन्हें सुरक्षित एनआईसी क्लाउड वातावरण में होस्ट किया जाता है और लागू सभी सुरक्षा उपायों का एनआईसी के साइबर सुरक्षा प्रभाग द्वारा ध्यान रखा जाता है।

- विभाग ने सुरक्षा अलर्ट की निगरानी, प्रभावी तरीके से घटना प्रतिक्रिया का प्रबंधन, संगठन के भीतर साइबर सुरक्षा जागरूकता अभ्यास और अभियान चलाने के लिए प्रक्रिया तैयार और स्थापित की है। साइबर हमलों को विफल करने के लिए साइबर सुरक्षा से संबंधित अनुभव और सीखने की पद्धति को समृद्ध करने के लिए सीईआरटी-इन, गृह मंत्रालय और अन्य सरकारी विभाग के साथ संपर्क करने के लिए एक अच्छी तरह से तैयार तंत्र मौजूद है। सीआईएसओ सीईआरटी-इन और विभाग के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

- वाणिज्य विभाग का नेटवर्क उपयुक्त संरचना पर आधारित है और एनआईसी नेटवर्क के साथ इसका जुड़ाव सुरक्षित गेटवे और राउटर के माध्यम से है। विभिन्न कार्यात्मक अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क को उचित रूप से अलग किया गया है। दुर्भावनापूर्ण आईपी और डोमेन की निगरानी और ब्लॉकिंग एनआईसी सुरक्षा टीम द्वारा राष्ट्रीय डेटा केंद्र में तैनात उनके फ़ायरवॉल पर की जाती है।

- मीडिया एक्सेस कंट्रोल (मैक) पते सभी सिस्टम और आईटी उपकरणों के लिए ठीक से निर्धारित हैं, डीएचसीपी अक्षम है और घुसपैठ को रोकने और पूर्व-सक्रिय रोकथाम व्यवस्था के लिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन को मैन्युअल रूप से किया गया है।
- वाणिज्य विभाग नेटवर्क को विभाजित किया गया है और संवेदनशील ट्रैफ़िक को अलग करने और संवेदनशील आईटी सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा क्षेत्र बनाया गया है।
- विभाग ने वायरलेस उपकरणों की स्थिति को परिभाषित करने के लिए भौतिक परिमाप का मूल्यांकन करके वायरलेस एक्सेस पॉइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं, जिससे रेडियो प्रसारण और कवरेज सीमित हो गया है। सभी वायरलेस एक्सेस प्वाइंट डेटा गोपनीयता और अखंडता के लिए डब्ल्यूपीए-II और उच्च एन्क्रिप्शन का उपयोग करते हैं।
- वाणिज्य विभाग में तैनात डेस्कटॉप/एंडपॉइंट को उचित रूप से सख्त किया गया है और सिस्टम बूट पर बीआईओएस पासवर्ड सक्षम किया गया है और नियमित कार्य के लिए सभी कार्यालय प्रणालियों पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मानक उपयोगकर्ता खाता सक्षम किया गया है।
- सिस्टम स्तर पर अनुचित घटना के मामले में सिस्टम और ऑटो प्रतिक्रिया को प्रबंधित करने के लिए विभाग ईडीआर और यूईएम भी स्थापित कर रहा है।

8. स्वच्छता अभियान

वाणिज्य विभाग ने माननीय प्रधान मंत्री के स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप, संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया है। अभियान के तहत संचालित गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है:

विशेष अभियान 3.0

वाणिज्य विभाग में 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 3.0 आयोजित किया गया। यह अभियान वाणिज्य विभाग और उसके संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यान्वित किया गया है। अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में सार्वजनिक शिकायतों का प्रभावी निपटान, संसद सदस्यों के संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ, स्वच्छता अभियान चलाना, स्क्रैप का निपटान और फाइलों की छटनी शामिल है।

अभियान 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2023 तक चलाया गया। प्रारंभिक चरण 15 से 30 सितंबर 2023 तक था , जिसमें समीक्षा किए जाने वाले लंबित संदर्भों और अभिलेखों की पहचान की गई थी। इसके बाद 1 से 31 अक्टूबर 2023 तक के अभियान चरण के दौरान पहचाने गए संदर्भों का निस्तारण किया गया और समीक्षा किए गए अभिलेखों की छंटनी की गई। अभियान की प्रगति दैनिक आधार पर डीएआरपीजी के एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड की गई।

वाणिज्य विभाग ने संबद्ध, अधीनस्थ, स्वायत्त संगठनों और पीएसयू के साथ मिलकर 516 स्वच्छता अभियान चलाए हैं, 1,77,018 भौतिक फाइलें हटाईं, 5,261 ई-फाइलें बंद कीं। अभियान के दौरान 40 एमपी संदर्भ, 310 लोक शिकायत, 57 लोक शिकायत अपील का निस्तारण किया गया। स्क्रैप का निपटान करके 13,65,989/- का राजस्व सृजन और 13,856 वर्ग फीट का स्थान खाली किया गया।

स्वच्छता ही सेवा

स्वच्छता ही सेवा अभियान के भाग के रूप में, वाणिज्य विभाग ने संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर 1 अक्टूबर 2023 को पूरे देश में श्रमदान किया ।

"एक तारीख एक घंटा एक साथ" नारे के तहत 7500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 183 स्थलों पर श्रमदान किया गया। स्थानीय निवासियों, स्कूली छात्रों, निवासी संघों, वार्ड समुदायों और नगर निगम अधिकारियों को भी श्रमदान के लिए एकजुट किया गया। श्रमदान 18 राज्यों के कुल 75 जिलों में किया गया।

जल निकायों, एपीएमसी और बाजार स्थान, जो श्रमदान के लिए महत्वपूर्ण स्थल हैं, की पहचान की गई और उन्हें सफाई के लिए लिया गया। प्रमुख स्थल जहां श्रमदान हुआ, वे हैं मडिपक्कम झील, चेन्नई, देवल तलाओ, मुंबई, अरथुंगल बीच, अलाप्पुझा, देशप्राण फिशिंग हार्बर, कोलकाता, एपीएमसी, उंजा, एपीएमसी मिर्च यार्ड, गुंटूर, एएमसी, वारंगल, खाउ गली, मुंबई, आरके पुरम मार्केट , नई दिल्ली और महावीर चौराहा, वाराणसी।

स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा के भाग के रूप में, वाणिज्य विभाग ने संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों और पीएसयू के साथ स्थानीय निवासियों, स्कूली छात्रों निवासी संघ, वार्ड समुदाय और नगरपालिका प्राधिकरण के सहयोग से पूरे देश में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक विभिन्न आईईसी और श्रमदान गतिविधियां शुरू की हैं।

अभियान के भाग के रूप में, कुल 158 गतिविधियाँ पूरी की गईं, जिनमें 4756 लोगों ने भाग लिया और जिनमें से 4322 लोग एकट्ठा हुए। भारत को गंदगी मुक्त बनाने के लिए सभी कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से प्रति वर्ष 100 घंटे स्वच्छता के लिए समर्पित करने की शपथ ली गई।